राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] अष्ठम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 11वां दिवस [संख्या 1

शुक्रवार

दिनांक 29-3-1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(माननीय श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री यदुनाथसिंह।

पुलिस की गोलियों से घायल एवं मृत व्यक्ति

101. श्री यदुनाथसिंह (नदवई),
श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा),
श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर),
श्री सम्पतसिंह (नगर),
श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर),
श्री लालचन्द (मादरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) एक अप्रेल, 1980 से 28 फरवरी, 1985 तक राज्य में पुलिस ने कितनी बार और कहां कहां गोली चलाई ?

(2) इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने व्यक्ति घायल हुए ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मन्त्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में जो पिछले पांच वर्षों में जो घटनायें हुई है उसके सम्बन्ध में जानकारी मांगी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। इसलिए मैंने इस प्रश्न को स्थगित करने हेतु निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या जानकारी आप चाहते हैं। आपके कम्प्यूटर लगे हुए हैं, पांच साल में पुलिस ने कितने बार फायरिंग की, कितने आदमी मरे, यह जानकारी छुपाने की कोशिश है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, छुपाने की कोई बात नहीं है। राज्य सरकार जवाब देगी।

श्री यदुनाथसिंह : राज्य सरकार जानबूझ कर सदन से जानकारी छुपाना चाहे तो आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे....

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था करेंगे।

श्री यदुनाथसिंह : इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसको प्राप्त करने में सरकार को कोई कठिनाई आ रही हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य ।

श्री यदुनाथसिंह : स्थगित करने का कोई आधार तो हो ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें ।

श्री यदुनाथसिंह : आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी स्थगित कराना चाहते हैं जानकारी नहीं होने से । मैं मंत्री जी चाहूंगा कि इस प्रश्न से सम्बन्धित सदस्यों को शीघ्र ही इसकी जानकारी उपलब्ध करा दें क्योंकि आज सत्र की अंतिम बैठक है । आप इनको जानकारी उपलब्ध करा दें ।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमको जानकारी उपलब्ध कराने से क्या होगा ? हमारे प्रश्न पूछने का आशय ही यह है कि यह जानकारी सदन के सामने आए कि पिछले पांच सालों में पुलिस ने किस दरिन्दगी का परिचय दिया है, कैसा व्यवहार किया है । आपके पास जितनी जानकारी है वही दे दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैने स्थगित कर दिया है ।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, स्थगित करने का कोई आधार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आपको जानकारी भेज दी जाएगी । मैं मंत्री महोदय...

(व्यवधान)

कृपया बैठ जावें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आप सदस्यों को जानकारी भेजने की बात करते हैं । लेकिन सदन को भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है । सबको जानकारी दी जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन करूंगा कि पांच साल की आपने जानकारी मांगी है ।..

(व्यवधान)

सदन की बैठक कोई हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो रही है । दुबारा सदन बैठेगा । आपके पास जानकारी पहुंच जावेगी । पांच साल की जानकारी आपने चाही है, आइन्दा भी सदन में इसको उठा सकते हैं । इसलिए अगर आज इसको स्थगित कर दूं तो इस सत्र में तो आएगा नहीं । इसलिए मैंने कहा कि मंत्रीजी आपको जानकारी भेज दें । आप उसके आधार पर अगले सेशन में उठा सकते हैं । तात्कालिक घटना से सम्बन्धित बात तो आपने कही नहीं है । एक लम्बे पीरियड की जानकारी मांगी है उस जानकारी का लाभ आपको जरूर मिलेगा ।

श्री यदुनाथसिंह : पिछले सत्र में भी मैने यह प्रश्न पूछा था । पहले भी सात दिन के लिए स्थगित करवाया था । यह जानकारी पिछले सत्र के लिए भी तो इकट्ठी की होगी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें ।

श्री यदुनाथ : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार सहयोग नहीं करे सदन से तो ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि मेरे पास जानकारी नहीं है तो मैं कैसे जवाब दिलाऊंगा ।

श्री यदुनाथसिंह : पिछली बार भी यही कहा था । यह तो बहुत शर्मनाक स्थिति है सरकार के लिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई हजार बार तो पुलिस ने गोली चलाई नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : आपकी आज्ञा हो तो मैं जानकारी दे दूं इनको ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास जानकारी हो सकती है लेकिन मंत्री महोदय ने बता दिया कि इनके पास जानकारी नहीं है । उनकी मजबूरी है तो आप स्वयं जानते हैं ..

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न करता हूं । एक स्पेसिफिक अर्ज है आपके माध्यम से कि 24 फरवरी को....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने प्रश्न को स्थगित कर दिया है ।

श्री सम्पतसिंह : मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस समय स्पेसिफिक सवाल का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठें । मैंने इसको स्थगित कर दिया है । आप उनसे अलग से पूछ लें । अभी कोई प्रश्न नहीं होगा । उनके पास जानकारी नहीं है तो क्या जवाब देंगे ।

श्री सम्पतसिंह : इनको जानकारी है, साहब मेरा ऐसा अनुमान है । अगर नहीं हैं तो मना कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : कह दिया ना कि उनको जानकारी नहीं है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें ।

श्री सम्पतसिंह : मेरा एक स्पेसिफिक सवाल था ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

जयपुर नगर में आवासन मण्डल की कालोनीज में नागरिक सुविधाओं का अभाव

105. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में हाउसिंग बोर्ड की कालोनीज कहां कहां स्थित हैं, प्रत्येक में कितने मकान बने हैं, वहां क्या नागरिक सुविधायें उपलब्ध हैं और उसके लिए किस विभाग की जिम्मेदारी है ?

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

(2) क्या यह सही है कि नाहरी का नाका, हाउसिंग बोर्ड की सड़कें जीर्ण शीर्ण दशा में है और सड़कों पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(3) क्या यह सही है कि हाउसिंग बोर्ड, नाहरी के नाके के पार्कों पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं व रेलिंग नहीं के बराबर रह गई है और इन पार्कों को निकट भविष्य में कोई ठीक करने की योजना नहीं है ?

(4) जयपुर शहर में हाउसिंग बोर्ड में कब तक के आवेदन कर्ताओं को मकान दिये जा चुके हैं ? शेष को कब तक दे दिये जायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) आवासन मण्डल द्वारा जयपुर शहर की विभिन्न कालोनियों में निर्मित मकानों का विवरण सलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाया गया है जो सदन के पटल पर रखा गया है। अधिकांश कालोनियों में स्वीकृत योजनानुसार मूल सुविधाएं, जैसे सड़कें, बरसाती, पानी की लाइनें, उद्यान एवं दुकानें आदि उपलब्ध हैं। जवाहरनगर, मालवीय नगर (सैक्टर 1,2,3,4) एवं नाहरी का नाका योजनाएं नगर परिषद को स्थानान्तरित की जा चुकी हैं अतः उपरोक्त सुविधाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर परिषद वहन कर रही है।

(2) नाहरी का नाका योजना बोर्ड द्वारा दिनांक 27-5-1982 को नगर परिषद, जयपुर को स्थानान्तरित की जा चुकी है। नगर परिषद सड़कों की मरम्मत सफाई आदि की कार्यवाही करती रही है।

(3) आवासन मण्डल द्वारा वित्तीय स्थिति को देखते हुए निकट भविष्य में ठीक कराने का विचार करेगी।

(4) जयपुर शहर में हाउसिंग बोर्ड 1971 के मध्यम आय वर्ग 'ब' के 24 आवेदकों को छोड़ कर शेष सभी को मकान आवंटित किये जा चुके हैं। इन शेष 24 आवेदकों के लिए भी मकान तैयार हो चुके हैं और उन्हें पूर्व ग्रहण राशि पत्र जारी किये जा चुके हैं।

वर्ष 1973 में कुल 16464 आवेदक पंजीकृत हुए थे जिनमें से 2486 आवेदकों को मकान आवंटित करने शेष हैं। उनमें से 827 आवेदकों के लिए मकान लगभग तैयार हो चुके हैं और पूर्व ग्रहण राशि पत्र जारी करने की प्रक्रिया चालू है। वर्ष 1979 में कुल पंजीकृत 20161 आवेदकों में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के सभी आवेदकों को मकान आवंटित कर दिये गये हैं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 4510 आवेदकों में से 945 के लिए तथा अल्प आय वर्ग के पंजीकृत 3937 आवेदकों में से 444 के लिए मकान लगभग पूर्ण हैं और उन्हें पूर्व ग्रहण राशि पत्र जारी किये जा रहे हैं।

इसके अलावा विशिष्ट पंजीकरण योजनाओं में कुल पंजीकृत आवेदकों में से केवल 1810 आवेदकों को मकान आवंटित करने शेष हैं।

मानसरोवर आवासीय योजना में लगभग 10 हजार मकानों का निर्माण कार्य

(राजस्व मंत्री)

चालू है तथा इसके अलावा 5000 हजार मकानों की योजना हुड़को की स्वीकृति हेतु भेजी गई है। मानसरोवर योजना में कुल 40 हजार मकान बनाने का लक्ष्य है अतः सभी आवेदकों को अगले 5-6 वर्ष तक मकान उपलब्ध कराये जाने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहमियत का प्रश्न है। हाउसिंग बोर्ड की जहां जहां कालोनीज हैं, मान्यवर, वहां न तो कोई सफाई की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है और न गटर की व्यवस्था है। हाउसिंग बोर्ड कहता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जे.डी.ए. कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नगर परिषद कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो जयपुर नगर में जो ये बस्तियां हैं विशेष तौर पर जवाहरनगर, वहां सड़कों की हालत देख लीजिए। नाहरी का नाका के मकानों को कोई मुफ्त में लेना पसन्द नहीं करता। मालवीय नगर में सारे प्लाट खाली पड़े हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं। वहां गन्दगी के ढेर हैं। मानसरोवर की बस्ती में विधायकों के लिए, संसद सदस्यों के लिए और पत्रकारों के लिए व्यवस्था की गई है पर उस योजना का पता नहीं। इसलिए मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि सफाई, पानी, बिजली, इन सबकी व्यवस्था किस विभाग के जिम्मे है? सन् 1973 के लोगों को अभी मकान देना प्रारम्भ किया है जब कि सन् 1985 आ गया है। यह मेरा प्रश्न है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय सबको जानकारी है कि जितनी मांग आज मकानों की है उतने पैमाने पर मकान तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इतना सारा बैक लॉग चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, माननीय मंत्री महोदय। माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि पानी व सफाई व्यवस्था और सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है?

श्रीमती कमला : जो बस्तियां अभी आवासन मण्डल के पास में निर्माणाधीन हैं वे तो उनके पास ही हैं और जो बन चुकी होती हैं उनको तुरन्त ही नगर परिषद् को हस्तान्तरित कर दिया जाता है उनकी जिम्मेदारी नगर परिषद् की होती है।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : यह तो है, लेकिन जिम्मेवारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ज्योति नगर मेरे क्षेत्र में है, वहां नालियों में गन्दगी रहती है, पानी का इन्तजाम माकूल है नहीं, न सफाई और न रख रखाव का इन्तजाम है। एक तरफ तो बिल्डिंग को हाथ नहीं लगा सकते दूसरी तरफ टूट जाय तो कोई उनको बनाने वाला नहीं है। तो कोई माकूल इन्तजाम तो करें जिससे लोगों को परेशानी न हो, उससे राहत पा सकें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ये जो बस्तियां बनीं वह हस्तांतरित हो चुकी हैं? आप तो यह बतायें कि ये हस्तान्तरित हुई या नहीं ? और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई ? हस्तान्तरित होने के बाद जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, वन विहार हाउसिंग बोर्ड की है, यह किसको हैण्ड-ओवर की गई या क्या हुआ ? न वहां बिजली है न पानी है, सब मकानों में कौन रह रहा है ? आवंटी नहीं रह रहे हैं, उनको दिये नहीं गये हैं। किसको आब्लाइज किया गया है, यह मालूम नहीं। इसी तरह मालवीय नगर में सफाई, पानी, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से हाउसिंग बोर्ड की जवाहर नगर बहुत पुरानी बस्ती है उसका कोई मालूम नहीं।

श्री अध्यक्ष : कोई नया प्रश्न पूछिए, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पूछ रही हूं कि आपके द्वारा बनाई गई कौन-कौन सी बस्तियां नगर परिषद् को हैण्ड ओवर की गई और कौनसी नहीं की गई और नहीं की गयी तो क्यों नहीं की गयी ?

श्री अध्यक्ष : यह भी पूछ लिया गया है। श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : कितनी कालोनीज, ऐसे कितने मकान हैं जो बनकर तैयार हो चुके हैं और जिनका कब्जा नहीं दिया गया लेकिन और लोग रह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : जो मकानों की कीमत हाउसिंग बोर्ड वसूल करता है उसमें सड़क, बिजली, पानी, सफाई, मेन्टीनेन्स का खर्चा भी शामिल है या नहीं।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ वन विहार योजना के अलावा सभी बस्तियों में जो सारी सुविधा मौजूद होनी चाहिए वह कायम की हुई हैं। वन विहार में अभी सुविधाओं की कमी है, उनको निर्मित करने की कोशिश की जा रही है। जो बस्तियां हस्तान्तरित कर दी गयी हैं उनके बारे में भाग (2) में उल्लेख कर दिया गया है। बाकी की बस्तियां निर्माणाधीन हैं या उनमें कुछ खामी है जिससे वह नगर परिषद् को हस्तान्तरित नहीं की गई हैं। जहां तक सवाल है किसी बस्ती में लाइट की गड़बड़ी है, किसी में पानी बह रहा है, किसी में मकान टूट गया है, किसी में सड़क ठीक नहीं है, तो उनकी नगर परिषद् देख-रेख कर रही है। अगर कोई विशेष बस्ती में इस तरह की बातों का आप उल्लेख करेंगे, बतायेंगे तो नगर परिषद् को लिख कर उनको दुरुस्त कराने की कोशिश की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भार्गव।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया का यह कहना बिल्कुल गलत है, एक भी कालोनी नगर परिषद् को ट्रान्सफर नहीं की गई है। जयपुर नगर में जितनी भी हाउसिंग बोर्ड की कालोनीज

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हैं उनमें मकान टूटते हैं, उनका मैटीरियल खराब है। जिन इन्जीनियरों से काम लेना चाहिये उनसे ले नहीं रहे हैं। विभाग के इन्जीनियर्स द्वारा करवा रहे हैं जिससे मकान टूट गये, सड़कों की दशा खराब है। हाउसिंग बोर्ड की कालोनीज नगर परिषद् को ट्रान्सफर की गई, यह मन्त्री जी का कहना बिल्कुल गलत है। इस कारण से हाउसिंग बोर्ड की कालोनीज की जिम्मेदारी कोई भी विभाग ले नहीं रहा है और वहां के लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

दूसरी बात 1973 में रजिस्ट्रेशन वाली है, मान सरोवर योजना है, उसमें जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं उन्होंने भी एप्लाई किया है। उसके बारे में क्या हुआ, 1973 तक के रजिस्टर्ड लोगों को कब्जा नहीं दे रहे हैं तो 1985 के लोगों का क्या होगा इस पर विचार किया जाय। अध्यक्ष महोदय, जिस कीमत पर देने वाले थे वह कीमत भी चौगुनी हो गई है।

श्री प्यारेलाल (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा जयपुर में मण्डी खटीकान—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हाउसिंग बोर्ड का सवाल है।

श्री प्यारेलाल : उसी से सम्बन्धित है।

मण्डी खटीकान के पीछे जो वन विहार है उसके आस पास बाहर के लोग आकर रह रहे हैं। वहां रात को, मुझे सोने का मौका मिला, रात को मच्छर काटते हैं, बदबू के कारण सो नहीं सकते। मैं समझता हूं वहां कोई हरिजन सफाई के लिये जाता नहीं। वहां नालियों में कीटनाशक दवा, डी.डी.टी. कभी छिड़की नहीं जाती। मैं निवेदन करूंगा कि वहां की नालियों की सफाई हो, कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाय। वहां बहुत गरीब परिवार के लोग रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का यह कहना सही नहीं है कि कोई भी बस्ती हस्तान्तरित नहीं की गई। मैंने उत्तर के भाग (1) में निवेदन किया है कि जवाहर नगर, मालवीय नगर, सेक्टर नम्बर 1, 2, 3, 4 एवं नाहरी का नाका योजनाएं नगर परिषद् को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं। आपकी यह शिकायत सही हो सकती है कि नगर परिषद् उनका रख रखाव, देखरेख, मेंटीनेंस ठीक ढंग से नहीं कर रही है। इसके लिए उसको तकाजा करके कहा जाएगा कि उनकी ठीक ढंग से व्यवस्था करे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : यह कह दिया कि

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था करेंगे। माननीय सदस्या, आप कृपया बैठ जायं।

महारावल लक्ष्मणसिंह।

श्री लक्ष्मणसिंह (चित्तौड़गढ़) : एक प्रश्न आपकी इजाजत से पूछना चाहता हूं।

क्या मन्त्री महोदय यह नहीं जानते हैं कि नाहरी का नाका और उसके आसपास की क्या स्थिति है ? 20-25 वर्ष से कचरे के अम्बार लगे हुए हैं। बिजली का सवाल तो दरकिनार रहा कचरे की सफाई करवाने की व्यवस्था नहीं है और सरकार की तरफ से यह उत्तर दिया जाता है कि नगर परिषद् को ट्रान्सफर कर दी। इसके अन्दर सरकार का भी कुछ उत्तरदायित्व होना चाहिये यह जो उत्तर दिया गया है यह सन्तोषजनक मेरे ख्याल से नहीं है। मन्त्री महोदय से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दें और सजगता बरतें।

(व्यवधान)

श्री अमरचन्द (गंगरार) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें, मालवीय नगर में कितने मकान अलॉट कर दिये गये और किन किन को किये ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पूछा नहीं कि किन-किन को अलॉट किये इसलिए सूची नहीं बताई जा सकती।

श्री हरि कुमार औदिच्य (रामगंज मंडी) : एक बात और, कालोनीज में न तो म्युनिसपैलिटी मालिक है और न हाउसिंग बोर्ड। वहां एन्क्रोचमेंट हो रहे हैं--

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : वन विहार कालोनी में किनको रखा हुआ है और क्यों रखा हुआ है ?

श्रीमती कमला : आप इस समय इतनी तत्परता बरत रही हैं अगर यह सवाल पहले पूछा जाता तो मैं सूची लेकर आती। अब अचानक कैसे बता सकती हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कोई सप्लीमेंट्री अलाऊ नहीं कर रहा हूं, मंत्रीजी का उत्तर पढ़ लीजिए।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय मैंने पहले भी निवेदन किया है कि नगर परिषद को हस्तांतरित की गई बस्तियों या आवासन बोर्ड के पास में जो बस्तियां हैं उनकी हमारे पास में इतला आती रहती है कि इन वस्तियों के अन्दर सफाई नहीं हो रही है, अव्यवस्था हो रही है, सफाई की जानी चाहिये। सरकार अपनी तरफ से लिखती है उनको पाबन्द करती है, सफाई करवाने की चेष्टा करती है। पानी भरने की भी शिकायत आती है। उसको भी दूर करने की चेष्टा करती है इसके बावजूद और कोई कमी है यह जैसे-जैसे हमारी निगाह में लायी जाएगी उसको दूर कर दिया जाएगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सन्तोष-

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

जनक उत्तर नहीं है। आज भी वहां पानी भरा हुआ है। मंत्री महोदया, मेरे साथ चलें और देखें, वहां क्या हालत है?

श्रीमती कमला : आपने, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी इस बारे में रखा है....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्वेश्चन में इसको लिखा है इसलिए आप इसका ठीक ठीक उत्तर दें, कम से कम सन्तुष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदया ने इस बारे में कहा है लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। मन्त्री महोदया ने यह कहा है और जहां ऐसी स्थिति है उसकी व्यवस्था करवाने की जिम्मेदारी ली है।

श्रीमती विद्या पाठक

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड के, मकानों की जो, आपने मंजिलें बनाई है, उनमें ऊपर की मंजिल पर बिजली है, नीचे की मंजिल में बिजली है लेकिन बीच की मंजिल में बिजली नहीं गयी है? दूसरा, हाउसिंग बोर्ड के जो मकान हैं, उनमें बोर्ड के कर्मचारी रह रहे हैं या बोर्ड ने स्वयं किराये पर दे रखे हैं।

श्रीमती कमला : आपने सूचना दी है कि बीच की मंजिल में व्यवस्था नहीं है या और कोई कमी है। आप इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हैं, आप मुझे बता दें इसकी व्यवस्था हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ; 106,

पंचायतों का पुनर्सीमांकन

106. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

पंचायतों के सीमांकन हुए कितने वर्ष हो गए हैं? क्या सरकार बदली हुई परिस्थितियों में चुनाव से पूर्व पुनर्सीमांकन कराना उचित समझती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

इन्दिरा गांधी नहर मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पंचायतों का सीमांकन 25 वर्ष पूर्व हुआ था। फिलहाल पुन: सीमांकन का कोई विचार नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों का सीमांकन 25 वर्ष पूर्व हुआ था, सीमांकन हुए 25 वर्ष हो गये, अब पंचायतों में आबादी काफी बढ़ी हैं, एक-एक पंचायत में 9-9, 10-10 हजार वोटर्स हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में इनका पुनर्सीमांकन क्यों नहीं कर रहे है? कारण बतायें?

दूसरा, आपने कहा है कि फिलहाल पुन: सीमांकन का कोई विचार नहीं है, इसका क्या कारण है? सरकार इन चुनावों से पहले उन कारणों को दूर करके पुनर्सीमांकन करेगी क्या?

श्री अध्यक्ष : (श्री हंसराज)।

श्री हंसराज मिढा (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पंचायत समितियों में आबादी बहुत बढ़ी है, 10-15 मील से वोटर्स आते हैं वोट डालने के लिए, बड़ी समस्या है। मेहरबानी करके चुनाव से पूर्व पुनर्सीमांकन करायें?

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई। श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाडा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमांकन हुए 25 वर्ष हो गए हैं, पहले आबादी कम थी लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गई है। 35-35 हजार की जनसंख्या हो गई है। हैड क्वार्टर से तीन-चार किलोमीटर दूर है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जो पैसे मिलते हैं क्या उनको पंचायतों के हिसाब से सरकार निश्चित करेगी? सीलेवनीया गांव है, और दूसरे गांव है। इसलिए क्या सरकार उनको ध्यान में रखते हुए तय करेगी?

श्री अध्यक्ष : श्री हरजी राम।

श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं) : जो एन आर ई पी के तहत जो सहायता मिल रही है वह बराबर पंचायत समितियों में बंट जाती है जिसके कारण ज्यादा आबादी वाली पंचायत समिति में काम रुक जाता है, कम होता है? इसलिए सरकार पंचायतों का पुनर्सीमांकन करें।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : मन्त्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि बदली हुई परिस्थितियों में पंचायतों का पुनर्सीमांकन इसलिए आवश्यक है जैसे आमेर पंचायत का उदाहरण देना चाहती हूं। दिल्ली रोड पर एक गांव है नांगल, जो पंचायत हैड क्वार्टर है। दिल्ली से आमेर की तरफ वापिस आयें उस रोड पर और बीकानेर रोड पर बड़े गांव हैं, उनमें सारे शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। दिल्ली रोड पर सिसियावास, झरकिया, बिशनगढ़, जो पहाड़ी के दूसरी तरफ है जिसका रास्ता बीकानेर रोड से है ...

श्री भैरुलाल भारद्वाज : बीकानेर रोड पर तो कोई गांव नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : आप तो जमवारामगढ़ से जीत कर आये हैं, आपको गलतफहमी है, जमवारामगढ़ की पंचायत समिति के गांव का नहीं कह रही हूं।

माननीय मन्त्री महोदय, क्या सरकार यह नहीं समझती कि इन परिस्थितियों में पंचायतों का पुनर्सीमांकन करना आवश्यक है?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास इस संबंध में मांग आती है कुछ छोटी मोटी पंचायतें बनी हुई हैं, हैड क्वार्टर से लगे हुए गांव हैं, इस तरह की शिकायतें भी आती हैं। क्या आप यह महसूस नहीं करते कि हैड क्वार्टर से लगे हुए गांव कहां हैं और उनके हैड क्वार्टर कहां हैं? पंचायतों का पुनर्सीमांकन होना चाहिए?

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : मेरा क्वेश्चन यह है, क्या यह सही है कि बीकानेर में डान्तौर पंचायत समिति की जन संख्या 37,700 से ऊपर हो चुकी है? डांतौर पंचायत में 37,700 मतदाता हैं, इतनी जन संख्या बढ़ चुकी है तो क्या राज्य

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

सरकार पंचायतों का पुनर्सीमांकन करवाने का इरादा रखती है ?

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : पर केपिटा के हिसाब से पंचायतों में विकास के लिए खर्चा हो रहा है ?

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या यह सही है कि पंचायत हैड क्वार्टर दूर बने हुए हैं वहां....

श्री अध्यक्ष : आप तो रिपीट कर रहे हैं। भावनायें आ गई हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह ।

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय मन्त्री महोदय यह उचित नहीं समझते कि इतनी पंचायतें हो गई हैं, इतनी आबादी हो गई है तो सारी पंचायत समितियों का पुनर्सीमांकन करना आवश्यक है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी :

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामलानी) । जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा, आबादी ज्यादा हो गई है इसलिए पुनर्सीमांकन करना आवश्यक है, मैं बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में एक एक पंचायत में 9–9 गांव हैं....

श्री अध्यक्ष : बैठें, कृपया ।

श्री नाथूसिंह :

(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। जो पंचायतों के वार्ड बने हुए हैं उनमें किसी में तो एक सौ मतदाता हैं और किसी में साढ़े पांच हजार मतदाता एस. सी और एस. टी. के लोगों को बिखेर रखा है उनका कोई वार्ड बनता ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न हो गया। कृपया बैठें ।

श्री नाथूसिंह : लोकतांत्रिक प्रजातंत्र में ....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें ।

श्री नाथू सिंह : हर सेंसस के बाद विधानसभा क्षेत्र का पुनर्सीमांकन होता है ।

श्री अध्यक्ष : यह गलत है, आगे बढ़िये ।

श्री नाथूसिंह : 10 साल में होता है ।

श्री अध्यक्ष : 10 साल हो गये, अभी नहीं हुआ। आगे बढ़ें ।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : नहीं हुआ, यही तो कह रहा हूं। मेरा निवेदन है कि क्या ग्राम पंचायत ....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बैठें ।

श्री उम्मेद सिंह (शिव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि शिव बारोनी तहसील में कई पंचायतों को नये सिरे से बनाया गया है ? सबसे बड़ी शायद प्रदेश

(श्री उम्मेद सिंह)

की पंचायत जारडोली है वहां पर एक गांव सिरोनी पंचायत समिति में है और दूसरा सिरा उस गांव का . .

श्री अध्यक्ष : एक पंचायत का विवरण नहीं दिया जा सकता है।

श्रीमती विद्या पाठक : प्रशासनिक व्यवस्था खराब हो रही है।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : पुनर्सीमांकन करने का नियम, प्रक्रिया या अवधि या आधार क्या है ? कोई नीति है क्या राज्य सरकार की ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूर्ण हो चुका है। मन्त्री महोदय।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सर्वप्रथम तो मैं माननीय घनश्याम तिवाड़ी के प्रश्न का उत्तर दे दूं ? सीकर जिले से आप पधारते हैं, प्रश्न पूछने में भी बहुत सचेष्ट रहते हैं। आपको सूचना देना चाहता हूं कि आपके जिले से आज की तारीख तक एक शिकायत भी नहीं आयी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने यह प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष : सीमांकन के बारे में राज्य सरकार क्या सोचती है, यह बता दें। हर पंचायत के बारे में न तो सूचना आपकी जानकारी में होगी और न यह सम्भव है। पुनर्सीमांकन के बारे में बता दें। सबकी मंशा पूरी हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सेक्सन 86 के जरिये कहीं से स्पेसिफिक रिपोर्ट आती है तो एक समिति बनायी हुई है उस समिति के सामने रिक्वेस्ट पुटअप करते हैं। तो ऐसा करते हैं, ऐसी कोशिश भी हुई है। कैनाल एरिया में मैं मानता हूं कि अनूपगढ़ में, गंगानगर में कोलोनाइजेशन के कारण जनसंख्या बढ़ गयी है। जनरल नहीं स्पेसिफिक एरिया को लेकर कहीं की सूचना आती है, जैसे अनूपगढ़ की मुझे जानकारी है, 51 हजार की पापूलेशन है। मैं मानता हूं वहां पर डीलिमिटेशन होना चाहिए, कार्यवाही के आदेश भी दे चुका हूं। स्पेसिफिक की आवश्यकता हो सकती है जनरल मैं नहीं मानता। अगर रिक्वेस्ट आयेगी तो जनरल के बारे में सोचेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारा सदन कह रहा है।

श्री शोपत सिंह : बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : जगदीश तिवाड़ी।

बस्सी क्षेत्र में बांसखोह माध्यमिक विद्यालय की क्रमोन्नति

107. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :---

(1) राज्य में वर्ष 1984-85 में कितने माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया ? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि क्रमोन्नत विद्यालयों में निर्धारित समय में निर्धारित संख्या में छात्रों ने प्रवेश नहीं लिया ? यदि

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

हां, तो कृपया ऐसे विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बस्सी में प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालय बांसखोह के उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का क्या कारण था ?

(4) क्या यह सच है कि मुख्यमन्त्री जी ने उक्त विद्यालय को क्रमोन्नत करने के आदेश दे दिये थे।

राजस्व मंत्री (श्रीमती कमला) :

(1) राज्य में वर्ष 1984-85 में 100 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। पंचायत समिति वार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) विभाग को ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं हुई हैं।

(3) पूर्व में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का कोई बजट प्रावधान नहीं था किन्तु कुछ स्थानों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की अत्यधिक मांग होने के कारण सीमित वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए ही स्थानों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये थे इस कारण कई क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं हुआ है।

(4) यह सत्य नहीं है। विभाग को इस आशय के निर्देश प्राप्त नहीं हुए।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी : XXX

श्रीमती कमला : इस तरह के शब्द एक्सपंज किये जायं।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, आप सवाल करें, इस तरह से बात न करें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह के शब्द एक्सपंज किये जायें।

श्री अध्यक्ष : ये एक्सपंज किये गये।

एक माननीय सदस्य : मुझे कारण बतायें।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या मतलब है ?

श्री शोपतसिंह : ये XXX किससे हैं ? यह शब्द का क्या मतलब है. What is the Defination ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनका उपयोग न करें, ये शब्द मैंने एक्सपंज किये हैं।

(व्यवधान)

नो, आॅर्डर प्लीज,

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पोइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल में कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता है।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : बांसखोह

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

के लिये बताया कि वित्तीय अड़चन आ रही है। आपने अपने क्षेत्र में दो विद्यालय खोले उसमें क्या अड़चन नहीं आयी, एक तो प्रश्न यह है।

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने विराट नगर और सांगानेर में दो उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है और चार पंचायत समिति बांसखोह, चाकसू, सांभर, फागी को नहीं लिया है। एक पंचायत समिति के अन्दर एक विद्यालय क्रमोन्नत कर देते। इन चार के लिये तो वित्तीय कठिनाई सामने आ गयी, और तीन क्षेत्रों में दो दो विद्यालय खोले गये हैं। उनकी क्या आवश्यकता थी ? यह बता दें।

दूसरा वे किनके द्वारा प्रस्तावित थे। सांगानेर, दौसा, सिकराय और आमेर में आपने किसके प्रस्ताव से ये विद्यालय क्रमोन्नत किये हैं।

दूसरा प्रश्न संख्या (2) का, आपने जवाब नहीं दिया और कहा कि विभाग को ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुयी। आप देखें, आज राज्य सरकार के आदेश इस प्रकार के प्रसारित हैं कि निर्धारित समय पर निर्धारित छात्र संख्या भर्ती होनी चाहिए। यह सूचना देने की आवश्यकता क्यों नहीं थी ? इसलिये आवश्यकता थी कि यदि निर्धारित समय पर इतने छात्र नहीं आते हैं तो विद्यालय निरस्त समझा जायेगा। यह सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गयी, कहां-कहां पर कितने छात्र आये, निर्धारित समय पर आये या नहीं, नहीं आये तो उसको निरस्त करना चाहिए।

एक प्रश्न का यह उत्तर दें कि आपने अपने क्षेत्र में तो चार विद्यालय खोले हैं और मेरे क्षेत्र की घोर उपेक्षा की है इसका मूल कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, बीच में न बोलें तो अच्छा रहेगा।

मुझे अफसोस है माननीय सदस्य के क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत जितना प्रावधान दिया जाना होता है, उसको देने की चेष्टा की गयी और व्यवस्था की गयी कि उसको उसी अनुपात में प्रावधान मिल जाय, दिया भी गया है, उसके बावजूद कुछ एक मामले में कमी रही है। उसको इतना महसूस करते हैं ऐसी भाषा का भी उपयोग करते हैं कि मैंने उस क्षेत्र के खिलाफ जेहाद छेड़ रखा है। माननीय सदस्यों को जानकारी है, माननीय सदस्य ने कुछ और बातों के मामले में प्रेस तक को जा करके इस तरह का बयान दिया कि मेरे यहां ऐसा नहीं हुआ जबकि वस्तु स्थिति उसके विपरीत है। जो भी स्थिति है आपसे निवेदन करना चाहती हूं। उनके क्षेत्र में भी माध्यमिक विद्यालय दिये हैं और उनके यहां पर भी उच्च माध्यमिक विद्यालय दिया गया है, विषय दिये गये हैं, सब कुछ दिया गया है। आप यह कह रहे हैं कि मेरे यहां पर आपने उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं खोला और मेरे खुद के क्षेत्र में मैंने दो ले लिये हैं, यह गलत है। जहां तक माध्यमिक

(श्रीमती कमला)

विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की बात है वे नॉर्म्स के हिसाब से इसलिये किये गये हैं कि जहां पर तहसील का हैडक्वार्टर है और जहां पंचायत समिति का हैडक्वार्टर है वहां इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो उसकी भी पूर्ति की जाय। इससे सारे राज्य के अन्दर हो जायेंगे। माननीय सदस्य के यहां के 3–3 गांव थे और एक गांव के लिये उन्होंने निश्चित रूप से नहीं कहा कि कहां खोलना चाहिये। कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम....

श्री शोपत सिंह : ये घरेलू झगड़े हैं..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बात सुनें...

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे ये पूछें कि आपके क्षेत्र के अन्दर क्या माध्यमिक विद्यालय नहीं दिये गये, उच्च माध्यमिक विद्यालय...

एक माननीय सदस्य : जो जवाब दे रहे हैं जवानी जवाब दे रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन में सभी समान हैं। कृपया बैठें। कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : एक और प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया है। भाग (2) के संदर्भ में उन्होंने कहा कि आपके पास में सूचना होनी चाहिये थी। यह बात सही है लेकिन मैं अधूरी सूचना दूं और उस सूचना को आप कह दें कि यह गलत है इसलिये स्पष्ट स्वीकारोक्ति करना मैंने ज्यादा उचित समझा। कोशिश करने के बाद भी, कहां-कहां पर नार्म्स के अनुसार छात्रों ने प्रवेश नहीं लिया, यह सूचना उपलब्ध नहीं हो पायी इसलिये मैंने भाग (2) के अन्दर यह लिख दिया कि विभाग को ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : अगर आप रख नहीं कर सकते तो फिर...

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछ लीजिये आप।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : अभी शिक्षा मन्त्री महोदया ने कहा कि स्कूल नार्म्स के आधार पर खोली गयी। मैं पूछना चाहता हूं कि सांगानेर में नॉर्म्स कहां चले गये थे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा उन्होंने कहा कि लिखकर दे दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात पर हमारे नेता के सामने इस्तीफा दिया है कि मेरे क्षेत्र की घोर उपेक्षा हो रही है। उस इस्तीफे के बाद में मुख्य मंत्री ने उस स्कूल के आदेश किये थे। उस चीज को मंत्री महोदया सदन में नहीं रख रही हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य शान्त रहें। नेक्स्ट....

श्री शोपत सिंह : इस्तीफा देकर वापस भी ले लिया।

विद्युत मण्डल के कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन

108. **श्री भंवरलाल शर्मा :** (हवा-महल) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सत्य है कि गत वर्ष राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी ? यदि हां, तब, कब से कब, कुल कितने दिन हड़ताल चली ? जिस समझौते के आधार पर हड़ताल समाप्त हुई उस समझौते की एक प्रति कृपया सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सत्य है कि जो कर्मचारी उक्त हड़ताल में सम्मिलित हुए उन्हें हड़ताल अवधि का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) हड़ताल अवधि का वेतन मण्डल प्रशासन द्वारा कब तक कर्मचारियों को दे दिया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत): (1) गत वर्ष नहीं अपितु वर्ष 1982 में विद्युत मण्डल के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी । यह हड़ताल दिनांक 19-5-82 की अर्द्ध रात्रि से दिनांक 15-7-82 तक कुल 57 दिन चली थी । हड़ताल समाप्ति के लिये कोई समझौता नहीं हुआ था ।

(2) जी हां । "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत पर हड़ताल की अवधि का वेतन देना वाजिब नहीं है ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय, सरकार की जो यह नीति है कि "काम नहीं तो वेतन नहीं", उसी के साथ यह भी नीति है कि जो कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं, हड़ताल से वापस आते हैं तो उनका वेतन उनकी छुट्टी से या आगे उपार्जित छुट्टी से समायोजित किया जाता है । यह भी सरकार की नीति है या नहीं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह बात सही है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार ने यह नीति अपनायी लेकिन जो हमारे पब्लिक अन्डरटेकिंग हैं उनके सम्बन्ध में ऐसी कोई नीति अभी नहीं अपनायी है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या सरकार पब्लिक अन्डरटेकिंग और सरकारी कर्मचारियों में इस विषय में अन्तर करती है ? अगर करती है तो पिछले दिनों में नगरपालिका के कर्मचारियों ने हड़ताल की, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल की, उन पर यह सिद्धांत क्यों लागू किया गया ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नगरपालिका पब्लिक अन्डरटेकिंग नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : विश्वविद्यालय में हुआ है यह सब । गंगानगर शुगर फैक्टरी में हुआ है ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बाडी है, और उन्होंने इस सम्बन्ध में जो....

श्री भंवरलाल शर्मा : गंगानगर शुगर मिल में भी हुआ है ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उदयपुर से

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

आने वाले माननीय सदस्य, जो आज यहां नहीं हैं, ने भी इस प्रश्न को उठाया था। आपने भी इस प्रश्न को 1983 में उठाया था। सरकार की ओर से इस पर निश्चित रूप से उत्तर दिया गया है ...

(व्यवधान)

आप सुनने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं इस बात की जानकारी करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मुद्दे पर पिछले वर्षों में जो सवाल उठाये गये थे सरकार ने उस संबंध में क्या किया है। उन सबकी जानकारी कर रहा हूं और जानकारी करने के बाद मैं सदन को आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि अधिक महीने में यह हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25.3.1985)

इन्दिरा गांधी नहर से समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल

23. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कितने ग्राम ऐसे हैं जहां पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों को इन्दिरा गांधी नहर से पानी सप्लाई किया जा सकता है ?

(2) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर से पचपदरा क्षेत्र में पेयजल सप्लाई किया जाये ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

इन्दिर गांधी नहर मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के 172 समस्याग्रस्त गांवों को इन्दिरा गांधी नहर से पानी दिया जा सकता है।

(2) जी हां। इन्दिरा गांधी नहर से लिफ्ट कैनाल योजना प्रस्तावित है। स्वीकृति के पश्चात् इस योजना की क्रियान्विति धन उपलब्धता के अनुसार की जावेगी।

श्री चम्पालाल बांठिया : कब तक सम्भव होगा ? विधान सभा के कौन कौन से क्षेत्र इसमें आ जायेंगे ?

श्रीमती कमला : कब तक लागू की जायेगी, यह तो मैंने उत्तर के भाग (2) में बताया है। अभी वह योजना प्रस्तावित है। इस योजना के स्वीकृत होने पर धन उपलब्ध होगा। उसके बाद ही उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकेगी। प्लान डिसकस होगा, सैक्न्य प्लान डिसकस होगा। इसलिए किस वक्त, कितना इसका प्रावधान होगा यह अभी कहना सम्भव नहीं है।

172 समस्याग्रस्त गांवों में कौन कौन से गांव हैं इसकी सूची तुरन्त मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री ग्यारसी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्रम से आयेगा। माननीय सदस्य, बैठ जायं। मैंने आपको नहीं पुकारा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय. इन्दिरा गान्धी नहर से सम्बन्धित पूछना था....

श्री अध्यक्ष : इसी प्रश्न से सम्बन्धित है ना। पूछिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : मन्त्री महोदय, इन्दिरा गान्धी नहर से जोधपुर के अलावा कितने गांवों को सम्मिलित करने का प्लान है ? वे कौन कौन से गांव हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न डिफरेंट है। प्रश्न काल में तो इसी प्रश्न से सम्बन्धित ..

श्री रामसिंह विश्नोई : इन्होंने मना भी नहीं किया है कि हमारी योजना है कि नहीं। कौन कौन से गांवों की योजना है और जोधपुर शहर में ही पानी सप्लाई करोगे या बीच में जो गांव आते हैं, जो समस्याग्रस्त गांव आते हैं, उनको भी पानी सप्लाई करोगे ?

श्रीमती कमला : पहले तो आपने इसके बारे में पूछा नहीं है। फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूं कि समूची योजना क्या है. कौन कौन से, कितने गांव, किस क्षेत्र के आयेंगे इसकी सूचना मैं आपको मंगवाकर बता दूंगी जिस से आपको सन्तोष हो सके।

स्थगित प्रश्न सं. 46

(दिनांक 27 मार्च, 1985)

डीग-भरतपुर गोली काण्ड

श्री अध्यक्ष : दूसरा स्थगित प्रश्न जो सत्ताइस तारीख को स्थगित किया था, लिमिटेड इश्यूज, केवल दो के लिए स्थगित किया था कि दो तरह की जांच चल रही है उसका क्या हुआ और दूसरा जो मानसिंह की तरफ से गोली चलायी गयी। इन दो मुद्दों पर प्रश्न स्थगित किया गया था।

श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : प्रश्न संख्या 32।

श्री अध्यक्ष : 46 है आपकी प्रश्न संख्या।

गृह मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : आया जांच आयोग तथा सी. बी. आई. के द्वारा जो जांच की जा रही है वह न्यायोचित है या नहीं, अध्यक्ष महोदय. मैंने इसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त की है, विधि विभाग से भी राय ली है। दोनों ही कार्यवाहियां साथ-साथ चल सकती हैं।

नम्बर दो। माननीय सदस्य मैं एफ. आई. आर. की नकल सदन के पटल पर पहले ही रख चुका हूं। उसमें स्पष्ट लिखा है. एफ. आई. आर. में जो कुछ पुलिस की ओर से दर्ज किया गया है उससे अधिक नहीं कह सकता क्योंकि यह मामला सी. बी.आई. और जुडिशियल के अन्दर अण्डर-इन्वैस्टिगेशन है। इससे अधिक नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष).: आपने एफ. आई. आर. का रेफरेन्स दिया है। उसमें दो बार गोली चलाये जाने का उल्लेख है। फिर आपने एफ. आई. आर. में लिखा है कि कैरियर में से चले हुए छः कारतूस के खोखे और दो बन्द कारतूस पड़े मिले। यह भी एफ. आई. आर. में लिखा है आपने।

श्री अध्यक्ष : एफ. आई. आर. जिसने पेश की है उसने लिखा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां ।

मैं एक जानकारी करना चाहता हूं, कितने खाली खोखे मिले ? या जो कारतूस मिले क्या उस समय इन कारतूसों का उपयोग किया गया था, या खाली खोखे ही पड़े थे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह जांच का विषय है। सी. बी. आई. जांच कर रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जांच का विषय क्या है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो एफ. आई. आर. है वह । एफ. आई. आर. और इसमें जो तथ्य लिखे हैं उनकी जांच सी. बी. आई. कर रही है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. किसी पब्लिक आदमी ने नहीं लिखायी एस एच. ओ. ने लिखायी है। जिन कारतूसों को पकड़े जाने की बात कही गयी है, क्या यह सही है कि वैपन कैरियर में कारतूस नहीं थे, खाली खोखे उस एफ. आई. आर. में दर्ज किया गया है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आयेगी तब तक उत्तर देना सम्भव नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खाली खोके पकड़े गये और वैसे कारतूस चलाये जाने वाली कोई बन्दूक ही नहीं पकड़ी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो जांच का विषय हो गया। नहीं है तो यह एफ. आई. आर. गलत साबित हो जायेगी ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्सिडेन्ट जिस दिन हुआ था उस दिन रोजनामचा खाली रखा गया। जयपुर से बड़े अधिकारी भेजे गये । उसके बाद दूसरे दिन उस तारीख में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ।

श्री अध्यक्ष : अलग से है ।

श्री मोहन प्रकाश : जिस हथियार से गोली चली, राजा मानसिंह की तरफ से, उन हथियारों को कब सील किया गया, कब उसे बरामद किया गया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न लिमिटेड था । माननीय सदस्य। क्षमा करें मुझे ।

श्री मोहन प्रकाश : इसी से सम्बन्धित है ।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार ने बताया था कि बच्चू की तरफ से बरामद हुए थे तो बच्चू क्या इनका मुखबिर नहीं रहा है पिछले दो वर्षों से ? क्या वह डकैत और मुखबिर नहीं था ? सरकार उसको दो साल से मुखबिर की तरह उपयोग में ले रही थी, क्या यह बात सही नहीं है ?

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह असलियत खुलती है कि किस तरह से बातें बनायी गयी है ।

श्री अध्यक्ष : फिर, माननीय सदस्य, एफ. आई. आर. गलत साबित हो जायेगी । एफ. आई. आर. में जो लिखा है वह गलत साबित हो जायेगा ।

श्री मोहन प्रकाश : एक सूचना देना चाहता हूं। उस दिन जब बीकानेर वाला प्रकरण चल रहा था तो मैंने कहा था मुख्य मन्त्री सचिवालय से एक आदमी प्रभाव डाल रहा है कि रिपोर्ट नहीं करें। आज अखबारों में भी है। यह सारी चीज मुख्य मन्त्री के सचिव ने यहां बैठकर और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण कि जाट और राजपूतों का झगड़ा फिर प्रदेश में हो, मैं मुख्य मन्त्री बना रहूं इसलिए मुख्य मन्त्री कार्यालय से इस तरह का काण्ड करवाया।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत रेलेवेंट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इन्हीं दो बिन्दुओं पर ?

श्री यदुनाथ सिंह : जी हां।

मन्त्री महोदय ने कहा और आपने भी आसन से व्यवस्था दे दी कि जांच के बाद सिद्ध हो जायेगा कि वह झूठ था कि नहीं। अध्यक्ष महोदय, जनता का दबाव पड़ा, राजा मानसिंह बड़े आदमी थे इसलिए जांच आयोग भी बनाया गया, सी. बी. आई. की इन्क्वायरी भी चल रही है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस बात से कैसे आश्वस्त करेंगे, राजस्थान की जनता के मामले में पुलिस झूठी रिपोर्ट लिखे, उसका क्या होगा, उसकी जांच कौन करेगा ? अध्यक्ष महोदय, बहुत रेलेवेंट प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक दबाव पड़ा, तो आज दो जांच एजेन्सियों से जांच कराई जा रही है लेकिन आम आदमी का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित नहीं है, माननीय सदस्य। इसका सम्बन्ध इससे नहीं है।

प्रश्न काल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, बैठ जायं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बिना अध्यापक वाले विद्यालय

102. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में कितने प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है और क्यों ? वहां कब तक अध्यापकों को पद स्थापित कर दिया जावेगा।

उत्तर

20 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन जिलों में 735 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक भी अध्यापक नहीं है, इनमें इस वर्ष स्वीकृत किये गये विद्यालय भी सम्मिलित हैं। इसका कारण अध्यापकों के पद रिक्त होना है।

पंचायत समितियों को रिक्त पदों की पूर्ति अगला शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व कर लेने हेतु निर्देश दिनांक 18-3-85 को जारी कर दिये हैं।

विक्रय शुदा भू-खण्डों को पुनः वैध करार देने से हानि

103. **श्री नाथूराम मिर्धा** (मेड़ता),

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर),
श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर),
श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) :
क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 10-6-81 के पूर्व, नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने कई भूखण्डों का पूरा मूल्य समयावधि में जमा न होने के कारण विक्रय निरस्त कर दिया गया था या निरस्त करने योग्य हो गया था उनका इस दिन के पश्चात् बकाया मूल्य मय ब्याज के जमा करवा कर पुनः विक्रय वैध कर दिया, उनका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न कालम्स में सदन के पटल पर रखें—

(क) विक्रेता का नाम

(ख) भूखण्ड की स्कीम का नाम व संख्या

(ग) भूखण्ड की बकाया राशि जमा कराने का अन्तिम दिन

(घ) भूखण्ड की बकाया राशि व ब्याज जो जमा कराए गए एवं दिनांक

(ङ) भूखण्ड की बकाया राशि व ब्याज जमा कराने के दिन का भूखण्ड का बाजार मूल्य

(च) उपरोक्त विक्रय पुनः वैध करने से हुई न्यास को हानि की राशि।

(2) उपरोक्त विक्रय पुनः वैध करने से हुई न्यास की हानि की पूर्ति उन उत्तरदायी न्यासियों से राज्य सरकार, दी राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट की धारा 93(ए) के अन्तर्गत कब तक कर लेगी ?

उत्तर

(1) दिनांक 10-6-81 के पूर्व नगर सुधार न्यास, जोधपुर में भूखण्डों का पूरा मूल्य समयावधि में जमा न होने के कारण विक्रय निरस्त करने योग्य हो गया था। उनका इन दिनों के पश्चात् बकाया मूल्य मय ब्याज के जमा करवा कर पुनः विक्रय वैध कर दिया। विस्तार पूर्वक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

सूची "अ" तथा "ब"

(2) वस्तु स्थिति यह है कि जिन योजनाओं में सन् 1979 में लाटरी द्वारा आवंटन किये गये थे। उन्हें आवंटन की सूचना शामिल न होने से राशि जमा नहीं करवायी गयी। तत्पश्चात् ऐसे सभी भूखण्डों के आवंटियों को निरस्तीकरण के नोटिस शामिल होने के बाद प्राप्त शिकायतों से सम्बन्धित इस विशेष समस्या के समाधान को दृष्टिगत रखते हुए न्यास द्वारा गठित की आक्यूपाइंग कमेटी के निर्णयानुसार, ऐसे भूखण्डों का रेस्टोरेशन उक्त योजना की रिजर्व प्राइस एवं 18% प्रतिशत ब्याज लेकर किया गया है। ऐसे भूखण्डों का आवंटन रेट के स्थान पर बाजार मूल्य वसूल करना उचित नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

कल्याण कालेज, सीकर में कमरों की कमी

104. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री कल्याण

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कालेज, सीकर में छात्रों की संख्या को देखते हुए कालेज में कमरों की कमी है ?

(2) यदि हां, तो सरकार कमरों की कमी को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कमरों की कमी को देखते हुये राज्य सरकार ने लाइब्रेरी भवन अलग से बनाया है, जो बनकर तैयार हो चुका है, तथा लाइब्रेरी को उस नये भवन में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके परिवर्तित होने से पुराने लाइब्रेरी भवन के दो कमरे जिनका साइज 40"×25" है, कक्षाओं हेतु उपलब्ध हो गये हैं, तथा तीन और नये कमरे (दो 25"×40" तथा एक 15"×25") साइज के निर्माण कराये जा चुके हैं। राज्य के वित्तीय साधनों के उपलब्ध होने पर अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराया जाना सम्भव होगा।

जोधपुर ग्राम की कृषि भूमि बाबत राजीनामा

105. **श्री नाथूराम** (मेड़ता),
श्री बिरद मल (जोधपुर),
श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर),
श्री नारायण राय बेड़ा (भोपालगढ़) : क्या नगर विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने जोधपुर ग्राम के खसरा सं. 513/1, 513/3 व 513/10 में राजीनामा करने वाले व्यक्तियों ने एक स्पेशल पावर आफ एटोर्नी दिनांक 25-3-1977 द्वारा अपने में से दो व्यक्तियों को इस राजीनामे पर अपनी तरफ से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया, जिसमें उन्होंने अपने आपको उक्त लगभग 91 बीधा भूमि का खातेदार बताया ?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त राजीनामा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत सीलिंग से अधिक खातेदारी की भूमि आती है, जिसके लिए उन्हें इस अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार रिटर्न भरना अनिवार्य था, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया जो दण्डनीय है ? यदि हां, तो राजीनामा निरस्त करने एवं दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। परन्तु भूमि के टाइटल के संबंध में न्यायालय से निर्णय होने पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

चांदखेड़ी से भोपाल एवं जयपुर के लिए बस सेवा

106. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा),
श्री हरीश शर्मा (खानपुर),
श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जगन्नाथ) :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की यह नीति है कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को बसों से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि यात्रियों को कोई कठिनाई न हो ?

(2) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ का चांदखेड़ी जैन मन्दिर (खानपुर) भारत के जैनियों का तीर्थ स्थल है ? क्या जयपुर से चांदखेड़ी तक कोई भी बस संचालित नहीं हो रही है ?

(3) चांदखेड़ी से भोपाल एवं जयपुर को जोड़ने के लिए कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। किसी भी धार्मिक स्थल को निगम की बसों से जोड़ा जाना उस स्थल के लिए उपयुक्त यात्रीभार की उपलब्धता एवं वाहन संचालन योग्य मार्ग पर निर्भर है। निगम का यह प्रयास रहता है कि जहां-जहां भी निगम को अपनी वाहनों के लिए पर्याप्त यात्री-भार उपलब्ध हो, वहां अध्याय-चार के तहत अस्थाई अनुज्ञापत्र प्राप्त कर वाहनों का संचालन किया जावे। उस क्षेत्र की जब राष्ट्रीयकरण संबंधी योजना बनती है तो उस स्थल या उस मार्ग को राष्ट्रीयकरण की योजना में समावेश किया जाता है।

(2) जी हां। किन्तु कोटा एवं झालावाड से वर्तमान में चांदखेड़ी (खानपुर) के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं।

(3) चांदखेड़ी से भोपाल एवं जयपुर के लिए सीधा यात्री भार उपलब्ध नहीं है, अतः इन स्थलों के लिए सीधी बस सेवाओं का संचालन अनार्थिक है।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा नीलाम भू-खण्ड, दुकानें एवं मकान

107. **श्री नाथूराम (मेड़ता), श्री बिरदमल (जोधपुर), श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर), श्री नारायण राम बेड़ा (मोहनगढ़)** : क्या नगर विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 10-6-1981 के पश्चात् नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने जोधपुर नगर में भूखण्ड, निर्मित दुकानें एवं मकान नीलाम द्वारा बेचे और नीलामी के समय नीलाम की बोली की चौथाई धनराशि जमा करवा दी एवं बाद में नीलाम की बोली स्वीकार कर बकाया तीन चौथाई धनराशि की मांग कर ली परन्तु तत्पश्चात इस चौथाई धनराशि को जब्त करने के बजाय क्रेता को वापिस लौटा दी ? यदि हां तो कृपया उनके सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं सदन के पटल पर रखें—

(अ) भूखण्ड या निर्मित दुकान या मकान की स्कीम का नाम व संख्या

(आ) क्रेता का नाम व नीलाम का दिनांक

(इ) बकाया तीन चौथाई रकम मांग करने के पत्र की संख्या एवं दिनांक

(ई) उपरोक्त नीलामी के समय दी गई चौथाई रकम के लौटाने का दिनांक।

(श्री नारायण राम बेडा)

(2) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने जोधपुर नगर में कृषि उपज मण्डी, मण्डोर के पास लगभग तीन वर्ष पूर्व लगभग रु. 28,000/ में निर्मित दुकानें नीलाम द्वारा प्रत्येक बेच कर उसी समय चौथाई धनराशि जमा करवाई और बाद में नीलाम की बोली स्वीकार कर बकाया तीन चौथाई धनराशि की मांग कर दी परन्तु तत्पश्चात यह धनराशि वापिस लौटा दी और अब वापिस कई बार नीलाम करने पर लगभग रुपये 15,000/– प्रति दुकान की बोली आई जिससे न्यास को लाखों रुपयों की हानि हुई ?

(3) सरकार द्वारा राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 की अवहेलना कर उपरोक्त चौथाई धनराशि जब्त करने के बजाय वापिस लौटा कर लाखों रुपयों की न्यास को हानि पहुंचाने वाले सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों से नियमानुसार उपरोक्त हानि की राशि कब तक वसूल कर ली जायगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि 10-6-81 के पश्चात नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने जोधपुर नगर के गोल्फ कोर्स योजना भूखण्ड नीलामी द्वारा बेचे गये थे। इनकी नीलामी के समय 1/4 राशि जमा कर बोली स्वीकृति के पश्चात 3/4 राशि जमा कराने की सूचना भिजवाई गयी। परन्तु उसके बाद 3/4 राशि जमा न करवाकर 1/4 राशि लौटानी पड़ी। गोल्फ कोर्स योजना में एयर फोर्स अथॉरिटी द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से इन दुकानों के लिए आपत्ति करने पर समीप के स्थान पर भूखण्ड बनाने पड़े। इन दुकानों के भूखण्ड के क्रेताओं से परिवर्तित स्थान पर भूखण्ड की सहमति लेने के बाद यह भूखण्ड पुन: नीलाम किये गये। क्रेताओं द्वारा परिवर्तित स्थान पर भूखण्ड लेने से इंकार करने पर 1/4 राशि इन्हें लौटाई गयी। चाही गई सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा दिनांक 8-3-81 को खेतानाड़ी निर्मित दुकानें, मण्डोर कृषि उपज मण्डी के पास नीलाम की गई थी। नीलामी के समय दुकान सं० 25 की रु. 34,500/- प्राप्त हुई थी परन्तु मौके पर बोली दाताओं द्वारा 1/4 राशि जमा न कराने के कारण इस निर्मित दुकान को पुन: दिनांक 9-10-82 को नीलाम की गई जिसमें इसका मूल्य 18000/- प्राप्त हुए हैं। इस निर्मित दुकान के साथ अन्य दुकानों की नीलानी में भी अधिकतम रुपए 21,000/- ही प्राप्त हुई। दिनांक 8-3-81 को नीलामी के वक्त जमा करायी गई सीक्यूरिटी जब्त कर दी गयी थी।

(3) इस प्रकार राजस्थान डवलपमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल आफ लैण्ड) रूल्स, 1974 की अवहेलना में 1/4 राशि जब्त न करने से हानि नहीं हुई है क्योंकि नीलामी में 1/4 राशि जमा ही नहीं करवाई गयी थी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

इन्दिरा नहर परियोजना के प्रथम व द्वितीय चरण में भूमि का आवंटन

108. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर):

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा नहर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल कितनी भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध हुई ?

(2) प्रथम एवं द्वितीय चरण में सिंचित और असिंचित भूमि कितनी वितरित की जायेगी ? प्रथम चरण में कितनी भूमि आवंटित की गई ?

(3) भूमि आवंटन के लिए कुल कितने प्रार्थन-पत्र प्राप्त हुए ? द्वितीय चरण के लिये कितनी भूमि आवंटित की गई ? भूमि आवंटन के लिये किन-किन लोगों के लिये भूमि का आवंटन सुरक्षित है ?

(4) अब कितनी भूमि आवंटित करनी है और कितनों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में 18.22 लाख एकड़ तथा द्वितीय चरण में 5.36 लाख एकड़ भूमि माह जनवरी, 85 तक आवंटन के लिए उपलब्ध हुई है।

(2) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई विभाग से, अब तक प्राप्त चक प्लानों के अनुसार 9.76 लाख एकड़ कमाण्ड तथा 8.46 लाख एकड़ अनकमाण्ड राजकीय भूमि आवंटन हेतु जनवरी, 85 तक उपलब्ध हुई है। परियोजना के द्वितीय चरण में 2.99 लाख एकड़ कमाण्ड तथा 2.36 लाख एकड़ अनकमाण्ड राजकीय भूमि आवंटन हेतु जनवरी, 85 तक उपलब्ध हुई है।

प्रथम चरण में जनवरी, 85 तक 8.18 लाख एकड़ कमाण्ड तथा 6.91 लाख अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया जा चुका है।

(3) प्रथम एवं द्वितीय चरण में क्रमशः कुल 2,55,715 एवं 24,435 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

द्वितीय चरण में माह जनवरी, 85 तक 1.62 लाख एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। निम्न वर्गों के लिए भूमि आवंटन हेतु सुरक्षित है :—

1. पाक विस्थापितों के लिए	9,600 एकड़
2. जैसलमेर फील्डफायरिंग रेंज के विस्थापितों के लिए	13,250 एकड़
3. पौंग बांध विस्थापितों के लिए	16,000 एकड़
4. चूरू, नागौर एवं जोधपुर जिलों के भूमि-हीनों को बिखरे हुए टुकड़ों में एवं 50 प्रतिशत से कम कमाण्ड भूमि आवंटन के कारण विनिमय हेतु	12,500 एकड़

(उपनिवेशन मंत्री)

5. भूतपूर्व सैनिकों एवं सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को आवंटन हेतु 40,000 एकड़

6. विशेष आवंटन हेतु अब तक आरक्षित की गई भूमि 25,303 एकड़

(4) वर्तमान में प्रथम एवं द्वितीय चरण में क्रमश: 0.90 लाख एकड़ एवं 2.49 लाख एकड़ भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है। प्रथम चरण में 11,875 प्रार्थना पत्र तथा द्वितीय चरण में 7,570 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

प्रथम चरण में 2.23 लाख एकड़ एवं द्वितीय चरण में 1.24 लाख एकड़ भूमि विभिन्न कारणों जैसे अदालत के स्थगन आदेश इत्यादि इत्यादि से दुष्प्रभावित होने से वर्तमान में आवंटन के अयोग्य है।

अजमेर नगर में पब्लिक लेटरिन्स

109. **श्री राजकुमार जयपाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरा झलकारी नगर, जादूगर, गूजर धरती, लोणकरण का हत्ता, तेली पाड़ा मोहल्ला, अजमेर में पब्लिक लेटरिन्स बनी हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उन अनेकों लेटरिन्स में दरवाजे नहीं हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उन लेटरिन्स की सफाई की भी समुचित व्यवस्था नहीं है ?

(4) राज्य सरकार उनमें सुधार हेतु क्या कदम उठाना चाहती है !

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। केवल जादूगर मोहल्ले में एक सूखे शौचालय में दरवाजे की जगह पर्दा दीवार है तथा तेलीपाड़ा में शौचालय में दरवाजे मरम्मत तलब हैं।

(3) जी नहीं।

(4) इन स्थानों पर बने हुए सूखे शौचालयों को फ्लश में परिवर्तित कर और आधुनिकीकरण करने का कदम उठाये जाने पर नगर परिषद, अजमेर विचार कर रही है।

जोधपुर ग्राम की कृषि भूमि से सम्बद्ध एक्सचेंज डीड्स

110. **श्री नाथूराम मिर्धा** (मेड़ता)

श्री विरदमल सिंघवी (जोधपुर)

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)

श्री नारायण राम बेडा (भोपालगढ़) : क्या नगर विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नारायणराम बेड़ा) :

क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन, जोधपुर को जोधपुर ग्राम के खसरा संख्या 513/1, 513/3 व 513/10 से सम्बन्धित एक राजीनामा, जिसमें इन खसरों की लगभग 91 बीघा कृषि भूमि के एक्सचेन्ज में 20,000 वर्ग गज आबादी के भूखण्ड देने का उल्लेख है, के संदर्भ में एक तत्कालीन विधायक एवं एक भूतपूर्व विधायक ने संयुक्त हस्ताक्षर करके विशिष्ट शासन सचिव, वित्त, को दिनांक 14-11-1983 का पत्र दिया जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि उपरोक्त राजीनामा करने वाले व्यक्तियों में से पांच व्यक्तियों के हिस्से में उपरोक्त 20,000 वर्ग गज भूमि में से सीलिंग से अधिक भूमि आती है। अतः नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा इन व्यक्तियों को उनके हिस्से की भूमि के हस्तान्तरण के दिये गये एक्सचेन्ज डीड्स के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जाय एवं उन्हें 'नल एण्ड वोइड' घोषित किया जाय ? यदि हां, तो उपरोक्त अवैध कार्यवाही को निरस्त करने के लिये अब तक राज्य सरकार ने क्या किया एवं सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां। भूमि के टाइटल के संबंध में न्यायालय में वाद चल रहा है। अतः न्यायालय के निर्णय के पश्चात ही इस संबंध में कार्यवाही की जा सकेगी।

जयपुर की गृह निर्माण सहकारी समितियों में प्रशासकों की नियुक्ति

111. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या नगर विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियों को अपने नियंत्रण में लेकर प्रशासक नियुक्त किये हैं तथा कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियों को नियंत्रण से बाहर रखा है ?

(2) जयपुर में कुल कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं ? प्राधिकरण द्वारा नियुक्त प्रशासकों वाली समितियों एवं प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण के बाहर रखी गई समितियों का कुल क्षेत्रफल एवं पदाधिकारियों के नाम अलग-अलग सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्राधिकरण द्वारा ग्राम सहकारी समितियों द्वारा निर्मित मकानों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है तथा उसी क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से बनाये गये मकानों को अधिग्रहीत किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या राज्य सरकार सभी लोगों से एक जैसा व्यवहार करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने कुछ गृह निमाण सहकारी समितियों को अपने नियंत्रण में लेकर प्रशाशक नियुक्ति किये हैं व कुछ को नियंत्रण से बाहर रखा है। सहकारिता विभाग के द्वारा प्रशासक नियुक्त किये गये हैं।

(नगर विकास एवं आवासन मन्त्री)

(2) जयपुर नगर में 215 गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इसमें किसी में भी प्रशासक नियुक्त नहीं किये गये हैं। सहकारिता विभाग द्वारा इनमें से 26 समितियों में प्रशासक नियुक्त किये गये हैं व 11 समितियां अवसायन में हैं।

ग्राम सहकारी समितियों के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

(3) जहां तक जयपुर नगर में गृह-निर्माण सहकारी समितियों द्वारा निर्मित मकानों तथा व्यक्तिगत रूप से निर्मित मकानों के नियमन करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में भूमि नियमन के एक ही नियम हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा 1981 में प्रसारित किये गये हैं। उन नियमों के तहत जो वांछित शर्तें पूरी करते हैं उनका नियमन उपरोक्त नियमों में किया जाता है। निर्मित मकानों के नियमन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा 9 मार्च 1984 को जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश जारी किये हैं उसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(निर्देश के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

खनिज विभाग, बूंदी द्वारा निरस्त खनन पट्टे

112. **श्री हरि कुमार** (रामगंज मण्डी) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद):—क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग के बूंदी स्थित जिला कार्यालय द्वारा गत वर्ष में नियमित रूप से चल रहे कितने खनन पट्टे रद्द किये गये हैं और क्यों ?

(2) क्या इस प्रकार रद्द किये गये पट्टों के विरुद्ध विभाग में कार्यवाही जेरेकार है ? यदि हां, तो कितने मामले हैं ?

उत्तर

(1) बूंदी जिला कार्यालय द्वारा गत वर्ष 65 खनन पट्टे रद्द किये गये हैं। ये खनन पट्टे वे हैं जिनमें खनन पट्टाधारियों द्वारा पट्टे के अनुबन्ध में अंकित धाराओं का उल्लंघन किया गया है और जिन्होंने दोष निवारण हेतु नियमानुसार नोटिस देने के उपरान्त भी दोषों का निवारण नहीं किया। इन मामलों में मुख्यत: राजकीय बकाया राशि नहीं जमा कराया जाने का दोष रहा है।

(2) जी हां, ऐसे 5 मामले अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के विचाराधीन है।

पुलिस थानों का आधुनिकीकरण

113. **श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा) **श्री हरीश** (खानपुर) **श्री जगन्नाथ** (मनोहरथाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुलिस थानों को आधुनिक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा एवं झालावाड़ जिलों के थानों में सिपाहियों की संख्या आवश्यकता से कम है ? यदि हां, तो किस-किस थाने में कितने-कितने सिपाही

(श्री जगन्नाथ)

कार्यरत हैं एवं कितने होने चाहियें ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिलों के किस-किस थाने में जीप नहीं है और क्यों ? जिन थानों में जीप नहीं हैं, उन थानों को कब तक जीप उपलब्ध करा दी जावेगी ?

(4) उक्त जिलों में ऐसे कितने थाने हैं, जिनको जीप तो आवंटित की हुई है किन्तु वास्तव में उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस का आधुनिकरण योजना 10 वर्षीय बनाई हुई है, जिसके अन्तर्गत पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं का मय पुलिस थानों के, आधुनिक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जाता है—उक्त योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कुछ थानों हेतु जीपें एवं वायरलेस सेटस उपलब्ध कराये जाते हैं, तथा सातवें वित्त आयोग की सिफारिश के अन्तर्गत प्राप्त राशि से प्रतिवर्ष 101 थानों में टेलीफोन लगाये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। सिपाहियों की संख्या स्वीकृत नफरी के अनुसार पूर्ण है।

(3) जिला कोटा शहर के थाना विज्ञान नगर एवं जिला कोटा ग्रामीण के थाने—इटावा, बूढ़ादीत, सुल्तानपुर, खातोली, सिमालिया, चेचट, मोडक, कनवास, मांगरोल, शीशवली, अन्ता, हरनावदा, क्वाई, वापचा, भंवरगढ़, नाहरगढ़, किशनगंज, मोठपुर, व केलवाड़ा तथा जिला झालावाड़ के थाने—रायपुर, पिड़ावा, असनावर, बकानी, सुनेल, डांग, पंगारिया, मालता, खानपुर, जावर व सरोला में जीप उपलब्ध नहीं है। राज्य की वित्तीय परिस्थितियों के अनुसार आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990 तक जीपें उपलब्ध कराने की योजना है।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई थाना नहीं है जिसको जीप आवंटित कर दी गई हो परन्तु उपलब्ध नहीं है।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा नोन-स्कीम एरिया में व्यय राशि

114. **श्री नाथूराम मिर्धा** (मेड़ता)
श्री विरदमल सिंघवी (जोधपुर)
श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)
श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़)—क्या नगर विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 में धनराशि नोन-स्कीम एरियाज में व्यय की गई ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में विवरण निम्न स्तम्भों में सदन के पटल पर रखें—

(क) नोन-स्कीम एरिया का नाम।

(ख) व्यय की गई धनराशि।

(ग) निर्माण कार्य जिस पर उपरोक्त राशि व्यय की गई।

(2) क्या यह सत्य है कि दी राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट की धारा 66 (4) के अनुसार न्यास की निधि केवल इस एक्ट

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के अन्तर्गत स्वीकृत स्कीम में ही लगाई जा सकती है न कि अन्य कार्यों के लिए ?

(3) यदि हां, तो उपरोक्त धारा की अवहेलना करने वाले नगर सुधार न्यास, जोधपुर के न्यासियों एवं अधिकारियों के प्रति राज्य सरकार कब तक और क्या दण्ड की कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 81-82, 82-83, 83-84, व 84-85 में, धनराशि नोन-स्कीम एरियाज में व्यय की गई। विस्तृत विवरण चाहे गये प्रपत्र में सदन की पटल पर रख दिये गये हैं।

(2) यह सत्य है राजस्थान अरबन इम्प्रुवमेंट एक्ट की धारा 66 (3) के अनुसार न्यास की निधि केवल इस एक्ट के अन्तर्गत स्वीकृत स्कीम में ही लगाई जा सकती है। परन्तु धारा 41 "अ" नगर सुधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्यास की स्थापना से पूर्व जो भी योजनायें स्वीकृत हैं उन योजनाओं के विकास हेतु भी व्यय किया जा सकता है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

तहसील शिव में प्राप्त सिलीका खनिज के भण्डारों का उपयोग

115. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर):- क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के सीमावर्ती शिव तहसील में खनिज पदार्थ सिलीका के पर्याप्त भण्डार मिले हैं ?

(2) यदि हां, तो यह भण्डार कितने क्षेत्र में हैं तथा किस-किस स्थान पर पाये गये हैं तथा इनका क्या उपयोग है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ अनधिकृत व्यक्ति इस पदार्थ सिलीका का अवैध खनन कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो सरकार इसके खनन की क्या योजना बना रही है ?

उत्तर

(1) सेलिसयस अर्थ का पूर्वेक्षण करते हुये विभाग को भत्तो का गोल व जाटों की ढाणी में सिलीकासैण्ड के 3 लाख टन के सम्भावित भण्डारों की जानकारी मिली है।

(2) सिलीकासैण्ड के लिए विभाग द्वारा इस क्षेत्र में पूर्वेक्षण नहीं किया गया है इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है कि कितने क्षेत्र में और किस-किस स्थान पर इनके भण्डार पाये गये हैं। सिलीकासैण्ड सोडियम सिलिकेट बनाने के उपयोग में आता है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार की सिलीकासैण्ड के खनन की कोई योजना नहीं है।

जिला उदयपुर के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी

116. **श्री भैरूलाल मीणा** (सराड़ा) :- क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भैरूलाल मीणा)

(1) जिला उदयपुर में कितने विद्यालय ऐसे हैं जहां पूरे अध्यापक नहीं होने के कारण बच्चों को शिक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार इन विद्यालयों में अध्यापकों की कब तक पूर्ति करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला उदयपुर में 39 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें अध्यापकों की कमी है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल रहा है क्योंकि रिक्त पदों की संख्या बहुत ही कम है।

(2) रिक्त पदों को शीघ्र भरने का प्रयास किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिला कोटा में बढ़ी हुई दर पर लगान की वसूली

117. **श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद)**:— क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार इस वर्ष से जिला कोटा में 5 वर्ष पूर्व बढ़ाये गये लगान की वसूली ब्याज सहित वसूल कर रही है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? क्या यह न्यायोचित है ? यदि हां, तो कैसे ?

(2) बढ़ाया हुआ लगान व ब्याज जिला कोटा की सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में इस वर्ष कुल कितना वसूल करना था और 28 फरवरी, 1985 तक कुल कितने लगान की वसूली हुई ?

उत्तर

(1) जी हां। यह वसूली राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम सन् 1956 की धारा 177 (क) के अधीन की जा रही है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी काश्तकार के द्वारा धारित कोई भी भूमि राज्य सरकार के व्यय से निर्मित होकर नहर द्वारा सिंचित है और ऐसी भूमि का लगान असिंचित दर से निर्धारित है तो काश्तकार अप्रेल, 1979 से जिस समय से यह धारा लागू की गई अथवा इसके पश्चात् जिस तारीख को भूमि नहर से प्रथम बार सींची गई जब तक कि कोई नया बन्दोबस्त न हो तब तक 1=50 पैसे प्रति बीघा की दर से वर्धित लगान देगा। ब्याज की वसूली काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 की धारा 152 व राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प. 6(38) राज/बी/ग्रुप-1/63 दिनांक 29-5-1963 के अनुसार बकाया मांग पर समय पर जमा नहीं कराने पर 6.1/4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वसूली योग्य है।

(2) कोटा जिले की सुल्तानपुर पंचायत समिति का पूर्ण क्षेत्र तहसील "दीगोद" में पड़ता है। उक्त नियमों के अनुसार 11.03.740/– वर्धित लगान की जमा कायमी वर्ष 79-80 से 83-84 तक की गई आगामी वर्ष 84-85 से संशोधित दरों के आधार पर नियमित लगान की जमा कायमी की जा रही है। इस वर्धित लगान

(राजस्व मन्त्री)

में से कुल कितनी राशि जमा हुई है इसका पता लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह लगान स्थाई भू-राजस्व की मांग में सम्मिलित किया हुआ है। दीगोद तहसील की बकाया एवं चालू मांग कायम एवं वसूली की स्थिति निम्न प्रकार से है—

	बकाया	चालू
मांग	14,97,532	8,44,834
संग्रह	3,13,131	3,12,584
अवशेष	11,84,401	5,32,250
प्रतिशत	21 प्रतिशत	27 प्रतिशत

इसी वसूली में वर्धित लगान की वसूली भी सम्मिलित है।

राज्य कर्मचारियों पर लाठी चार्ज

118. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि माह दिसम्बर, 1984 में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (पारीक पक्ष) द्वारा कर्मचारियों की मांगों के प्रति आमरण अनशन आरंभ किया गया था? यदि हां, तो अनशन कितने दिन चला?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 16 दिसम्बर, 1984 को राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी नेताओं को प्रधान मन्त्री जी को अपनी मांगों का ज्ञापन देने की अनुमति नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि कर्मचारी नेताओं को प्रधान मन्त्री को ज्ञापन देने की अनुमति देने के बजाय कर्मचारियों को चौड़ा रास्ता व महासंघ कार्यालय में घुसकर पुलिस द्वारा बर्बर लाठी चार्ज कर पीटा गया? यदि हां, तो लाठी चार्ज का आदेश किस अधिकारी द्वारा दिया गया तथा कर्मचारियों को क्यों पीटा गया?

(4) कर्मचारियों की क्या-क्या मांगें थीं व राज्य सरकार द्वारा किन-किन मांगों पर निर्णय किया गया तथा कौन-कौन-सी मांगें विचाराधीन हैं?

उत्तर

(1) जी हां। अनशन दिनांक 11-12-84 से 17-12-84 तक चला।

(2) माननीय प्रधान मन्त्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, परन्तु 16 दिसम्बर को वे बहुत कम समय के लिए जयपुर आये थे और जुलूस द्वारा ज्ञापन देना सम्भव नहीं था।

(3) जी नहीं। पुलिस वालों ने जुलूस वालों को 129 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत तितर-बितर कर दिया था। वहां पर कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया।

(4) कर्मचारियों के कई संगठन हैं, जिनके द्वारा अलग-अलग मांगें उठाई गई थीं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर उपयुक्त निर्णय ले लिए हैं। वर्तमान में कोई महत्वपूर्ण मांग विचाराधीन नहीं है।

जोधपुर की मसूरिया सेक्शन सात विस्तार योजना

119. श्री नाथूराम (मेड़ता)
श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर)
श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)
श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) : क्या नगर विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लघु समाचार पत्र संघ की शिकायत पर राज्य सरकार ने नगर सुधार न्यास, जोधपुर की मसूरिया सेक्शन सात विस्तार योजना की कथित कच्ची बस्ती से किए गए भू-खण्डों के नियमन की जांच करने के लिए जिलाधीश जोधपुर को 29-4-1983 को मामला सुपुर्द किया और जिलाधीश ने इसकी विस्तृत जांच कर जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को जून 1983 में प्रेषित किया ? यदि हां, तो कृपया उपरोक्त शिकायत पत्र एवं जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त जांच प्रतिवेदन में न्यास की सारी कार्यवाहियों को अनधिकृत क्षेत्राधिकार के बाहर भ्रान्तिपूर्ण व गैर कानूनी मानते हुए न्यास के सचिव तथा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, एवं भविष्य में कब की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायत पत्र एवं जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की पटल पर रख दी गयी है।

परिशिष्ट "अ" व "ब" में।

(2) जी हां, संबंधित व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है । स्पष्टीकरण के संबंध में जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

(प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

विद्युत मण्डल द्वारा स्वीकृत योजनाएं

120. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वित्तीय वर्ष में राज्य विद्युत मण्डल ने कितने जिलों में कितनी योजनाओं को मंजूर किया है ? इन पर कितनी लागत आयेगी ? ये योजनाएं किन-किन जिलों में हैं ?

(2) इन योजनाओं में कितनी बिजली कनेक्शन व कितने कृषि कनेक्शन दिये जायेंगे तथा कितनी हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य विद्युत मण्डल ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से वित्तीय वर्ष 1984-85 में दिनांक 25.3.1985 तक विभिन्न श्रेणी की 151 योजनायें स्वीकृत करवाई। उक्त योजनाओं की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत कार्यों की अनुमानित लागत 2870.280 लाख रुपये है। स्वीकृत योजनाओं का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :—

(ऊर्जा मंत्री)

क्र सं.	जिला	स्वीकृत योजनाओं की संख्या
1.	अजमेर	3
2.	अलवर	2
3.	बांसवाड़ा	5
4.	बाडमेर	4
5.	भरतपुर	2
6.	भीलवाड़ा	13
7.	बून्दी	3
8.	चित्तौड़गढ़	15
9.	चूरू	3
10.	धौलपुर	1
11.	डूंगरपुर	7
12.	जयपुर	10
13.	जैसलमेर	3
14.	जालौर	4
15.	झालावाड़	4
16.	झुंझुनू	2
17.	जोधपुर	4
18.	कोटा	6
19.	नागौर	11
20.	पाली	7
21.	सवाईमाधोपुर	8
22.	सीकर	4
23.	सिरोही	3
24.	श्री गंगानगर	6
25.	टौंक	4
26.	उदयपुर	17
	कुल योग	151

(2) उपरोक्त योजनाओं में विभिन्न श्रेणी के 33033 बिजली कनेक्शन दिये जाना प्रस्तावित है. जिनमें से 16383 कनेक्शन कृषि कार्य हेतु हैं। इनके अतिरिक्त 2050 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का प्रावधान है।

छबड़ा के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति

122. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा)
श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना)
श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र, छबड़ा में कितने हायर सैकेन्ड्री स्कूल, कितने सैकेन्ड्री स्कूल व कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं ?

(2) क्या उक्त सभी विद्यालयों में स्टाफ पूरा है ? यदि नहीं, तो किस-किस स्कूल में कितने स्टाफ की कमी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। स्टाफ की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में 2 हायर सैकण्डरी स्कूल, 8 सैकण्डरी स्कूल एवं 32 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं।

(2) जी नहीं। जिन विद्यालयों में स्टाफ की कमी है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जोधपुर के मानजी के हत्थे में छविगृह हेतु नीलाम भू-खण्ड

123. **श्री नाथूराम मिर्धा** (मेड़ता)
श्री विरदमल सिंघवी (जोधपुर)
श्री गंगाराम चौधरी (बाडमेर)
श्री नारायणराम बेडा (भोपालगढ़) :
क्या नगर विकास एवं नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने अपनी मानजी के हत्थे की योजना में लगभग दो वर्ष पूर्व एक सिनेमा हाल का भू-खण्ड नीलाम किया था, उसमें केवल एक सिनेमा हाल बनाने का प्रावधान था इसलिए नीलाम के समय बोली लगाने वालों ने इसी शर्त को ध्यान में रखकर बोली लगाई ? कृपया नीलाम के शर्तों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने कुछ माह पूर्व उपरोक्त सिनेमा भूखण्ड पर एक के बजाय दो सिनेमा हॉल एवं लगभग 80 दुकानें उसी भूखण्ड पर बनाने की अनुमति प्रदान कर दी ? यदि हां, तो उक्त अनुमति पत्र मय स्वीकृत नक्शे के सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि यदि नीलाम के समय एक के बजाय दो सिनेमा हाल एवं लगभग 80 दुकानों के निर्माण का नीलाम की शर्तों में प्रावधान होता तो क्या निश्चित रूप से नीलाम की बोली कई गुना अधिक जाती जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार एवं न्यास को लाखों रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त लाभ होता ? कृपया सिनेमा स्थल एवं दुकान की नीलामी से सम्बन्धित नियमों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

(4) उपरोक्त अवैध कार्य करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार कब तक क्या दण्ड प्रदान करेगी ? क्या उपरोक्त निर्माण की स्वीकृति निरस्त करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने अपनी मानजी के हत्थे योजना में दिनांक 21-11-82 को सिनेमा भूखण्ड नीलाम किया था। नीलामी की शर्तों के अनुसार एक सिनेमा बनाने का प्रावधान है। नीलामी की शर्तों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई। परिशिष्ट "अ"

(2) यह सही है कि नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा गठित भवन निर्माण समिति ने अपनी बैठक 30-12-83 में दो सिनेमा हाल व कुल चौहत्तर दुकानों का बेसमेन्ट व अण्डर ग्राउण्ड में बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी स्वीकृति राजस्थान सिनेमा रेगयुलेशन एक्ट 1952 के अन्तर्गत जारी की गई अनुमति पत्र व अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "ब" व "स"

(3) इसका अनुमान लगाना कठिन है कि नीलामी के समय एक सिनेमा भूखण्ड के स्थान पर दो सिनेमा हाल एवं लगभग अस्सी दुकानों के निर्माण की जानकारी नीलामी शर्तों में दी गई होती तो भूखण्ड की राशि अधिक प्राप्त होती। साधारण तया नीलामी में भूखण्ड क्रेता के नाम से राज्य सरकार एन. ओ. सी. जारी करती है इस मामले में सिनेमा भूखण्ड पर एक हाल बनाने की दृष्टि से नीलाम किया गया था। परन्तु नीलामी के बाद राज्य सरकार

(नगर आयोजना मंत्री)

द्वारा दी गयी दो सिनेमा हाल की एन. ओ. सी. जारी की गयी है। भूखण्ड व दुकानों के निर्माण से संबंधित नियम की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट स, द, ई व एफ.।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(नीलामी की शर्तों के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

राज्य पर ओवर ड्राफ्ट की स्थिति

124. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 28 फरवरी, 1985 को ओवर ड्राफ्ट लेने वाले राज्यों में राजस्थान का कौनसा स्थान है और इसके क्या कारण हैं ?

(2) 30 जून, 1981 को राज्य पर कितना ओवर ड्राफ्ट था, और अब कितना ओवर ड्राफ्ट है ?

(3) पिछले 10 वित्तीय वर्षों में अनुमानित बजट घाटे व वास्तविक बजट घाटे में कितना फर्क रहा ? कृपया आंकड़े सदन पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने राज्य के ओवर ड्राफ्ट को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना के चालू वित्तीय वर्ष में कटौती कर दी साथ ही सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारी कटौती की सम्भावना है जिससे राज्य के विकास योजनाओं के बन्द होने का खतरा पैदा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) दिनांक 28 फरवरी, 1985 को अन्य राज्यों पर कितना ओवर ड्राफ्ट था इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। सामान्यतया प्राप्तियों एवं व्यय में सन्तुलन नहीं होने पर ओवर ड्राफ्ट होता है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार के खाते में रनिंग बैलेन्स के आधार पर दिनांक 30-6-81 को कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं था। दिनांक 23-3-85 को राज्य सरकार पर रनिंग बैलेन्स के आधार पर 15.04 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट तथा 24.00 करोड़ का मांगोंपाय अग्रिम चुकाना शेष था।

(3) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। विधान सभा द्वारा वर्ष 1984-85 की योजना का आकार 430 करोड़ रुपये का स्वीकृत किया गया इसमें कोई कटौती नहीं की गयी है। संशोधित अनुमान 430.38 करोड़ रुपये के बनाकर योजना आयोग को अनुमोदन हेतु भेज दिये गये है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

जिला बांसवाड़ा के अकालग्रस्त ग्रामों में राहत कार्य

125. **श्री नवनीत लाल नोनामा** (घाटोल) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

(1) जिला बांसवाड़ा में किन-किन गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) तहसील घाटोल में अकाल राहत कार्य कहां-कहां प्रारम्भ कर दिये हैं ? उन पर कितने मजदूर लगाये गये या लगाये जाने का विचार है ?

(3) घाटोल तहसील की पंचायत समिति पीपल खूंट में अकाल राहत के किन-किन कार्यों की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा किन-किन कार्यों की स्वीकृति और दिये जाने का विचार है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में जिन गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है, उन गांवों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) तहसील घाटोल में अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति नहीं दी गई। अतः मजदूर लगाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस तहसील के सिर्फ तीन गांव ही अब तक अभावग्रस्त घोषित हुए हैं।

(3) तहसील घाटोल की पंचायत समिति पीपलखूंट में अकाल राहत कार्यों की स्वीकृत नहीं दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पुलिस फोर्स में अभिवृद्धि

127. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार प्रदेश में पुलिस फोर्स बढ़ाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस प्रकार की कितनी पोस्ट्स बढ़ाई जायेंगी ?

(2) वर्ष 1984 तथा 28 फरवरी, 1985 तक राज्य में कुल कितने नये थाने खोले गये, कितने उप पुलिस अधीक्षक के नये पद सृजित किये गये तथा भवन निर्माण तथा अन्य कार्यों के लिए कितना धन दिया गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) इस समय राज्य सरकार, प्रदेश में पुलिस फोर्स बढ़ाने के प्रश्न पर विचार नहीं कर रही है।

(2) (अ) वर्ष 1984 तथा 1985 (28 फरवरी तक) राज्य में एक थाना प्रतापनगर जिला भीलवाड़ा में नया स्थापित किया गया है।

(ब) स्टेट कन्ट्रोल रूम एवं वायरलैस में दो तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में चार नये पद उप अधीक्षक पुलिस सृजित किये गये हैं।

(स) राज्य सरकार ने वर्ष 1984-85 में निम्न प्रकार बजट आवंटन किया :—

(1) पुलिस प्रशासनिक भवन हेतु
14.40 लाख रुपये

(2) पुलिस हाउसिंग हेतु
30.00 लाख रुपये

38

जिला जयपुर में कृषि विभाग द्वारा सड़क निर्माण

128. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण):–क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980–81 से आज तक जयपुर जिले में कृषि विभाग द्वारा सड़कों पर कुल कितना व्यय किया गया है ? कृपया क्षेत्र व सड़कों का विवरण सदन के पटल पर रखें। जयपुर जिले में स्वीकृत व निर्माणाधीन सड़कों की रूप रेखा भी कृपया सदन के पटल पर रखें।

(2) आगामी वर्ष में जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में व जिले के अन्य क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर में क्षेत्रवार निर्मित की जा रही सड़कों का विवरण वर्ष 1980-81 से आज तक व्यय के सहित परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

स्वीकृत एवं निर्माणाधीन विभागीय सड़कों की रूपरेखा परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

जी हां।

(2) आगामी वित्तीय वर्ष में मण्डी समितियों में उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुये सड़कों के निर्माण की योजना तैयार की जावेगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 12, दिनांक 28 अप्रेल, 1982

129. **श्री नाथूराम मिर्धा** (मेड़ता),
श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर),
श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर),
श्री नारायणराम बेडा (भोपालगढ):–क्या नगर विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : --

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर ग्राम के खसरा संख्या 513/3 की भूमि भी नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा दिनांक 28-4-82 की बैठक में पारित तथा कथित प्रस्ताव संख्या 12 के अन्तर्गत किए गए राजीनामे की लगभग 91 बीघे भूमि में शामिल है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त खसरे का क्षेत्रफल 32 बीघा है जिसमें से लगभग 28 बीघे भूमि पर राजकीय सड़कें एवं उक्त राजीनामे पर हस्ताक्षर न करने वालों के अवैधानिक कब्जे हैं और जिनके संबंध में न्यायालयों के वाद विचाराधीन हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त राजीनामे पर हस्ताक्षर करने वालों को उपरोक्त 32 बीघा भूमि के अनुपात में लगभग सात हजार वर्ग गज भूमि के विकसित भूखण्ड दे दिए गये जिनका बाजार मूल्य न्यास द्वारा अपनी बैठक दिनांक 13-9-83 में निर्धारित स्ट्रिप आफ लेण्ड के संबंध के बाजार भाव रु० 800/– प्रति वर्ग गज से लगभग 56 लाख रुपये होता है परन्तु

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बदले में उन्होंने नगण्य भूमि न्यास को समर्पित की ?

(4) यदि हां, तो राज्य सरकार उपरोक्त अवैध राजीनामे को कब तक निरस्त कर देगी एवं सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सत्य है कि उपरोक्त खसरे की भूमि का क्षेत्रफल राजस्व रिकार्ड के अनुसार 32 बीघा है। परन्तु इस खसरे की भूमि के साथ अन्य खसरा नं० 513/1, 513/10 की भूमि का न्यायालय में टाइटल बाबत विवाद चल रहा है, अतः अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) यह सत्य नहीं है कि राजीनामे पर हस्ताक्षर करने वालों को उपरोक्त 32 बीघा भूमि के अनुपात में सात हजार वर्ग गज भूमि के विकसित भूखण्ड दिये गये थे। वस्तुस्थिति यह है कि कुल विवादग्रस्त भूमि 91 बीघा 6 बिस्वा के एवज में 20 हजार वर्ग गज भूमि के विकसित भूखण्ड दिये गये हैं। यह सत्य नहीं है कि दिनांक 13-9-83 को निर्धारित स्ट्रिप भूमि की दर रुपये 800/- प्रति वर्ग गज उपरोक्त खसरे की भूमि पर लागू होती है एवं इस भूमि की कीमत 56 लाख होती है। स्ट्रीप भूमि की कीमत योजना क्षेत्र के नियमित भूखण्डों पर लागू नहीं होती है। नियमित भूखण्डों के लिए योजना की रिजर्व प्राइस लागू होती है। न्यायालय से निर्णय होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

शहरी भूमि की बढ़ती कीमतें

130. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार शहरी भूमि की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या ?

(2) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को किस प्रकार के कदम उठाने के निर्देश दिये हैं ?

(3) क्या सरकार बड़े शहरों के आसपास भूमि की कीमत कम करने के लिये कृषि भूमि के टुकड़ों में रजिस्ट्री कराने की छूट देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा शहरी भूमि निष्पादन नियमों के अन्तर्गत 400 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के भूखण्डों को केवल आवंटन द्वारा निष्पादन का निर्णय लिया है। 400 वर्गगज तक के रिहायशी भूखण्डों का निष्पादन नीलामी द्वारा रोक दिया गया है।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा शहरी भूमि की कीमत कम करने के जो दिशा निर्देश दिये गये हैं, प्रमुख बिन्दु निम्न हैं :—

अ—आर्थिक रूप से कमजोर व निम्न आय वर्ग के लिए योजनाओं में भूखण्ड आवंटन व आवास निर्माण का कोटा बढ़ाया जावे।

(नगर आयोजना मंत्री)

ब–ग्रुप हाउसिंग को बढावा दिया जावे।

स–वृहत स्तर भूमि अवाप्ति, विकास व निष्पादन के कार्य को तेजी से किया जावे।

द–छोटे भूखण्डों व कम सेट बैक्स के भूखण्डों को बढावा देकर आवासीय घनत्व बढाया जावे ताकि आवश्यक सुविधाओं का अधिकतम उपयोग हो सके।

च–महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र अपार्टमेंट ग्रानरशिप एक्ट के अनुरूप इस राज्य में भी अधिनियम बनाया जावे ताकि बहुमंजिले भवनों के उपयोग को बढावा मिल सके।

छ–भारत सरकार के हुडको संस्थान, हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेन्स कार्पोरेशन बैंक इत्यादि से कमजोर वर्ग/व निम्न आय के मकानों के लिए ऋण प्रक्रिया सरल की जाये।

ज–पुरानी बसी बस्तियों को यथासंभव मूल स्थल पर बसाकर आवास सुरक्षा प्रदान की जावे।

झ–स्थानीय ऋण संस्थाओं का गरीब तबके के मकानों के लिए ऋण सहयोग लिया जावे।

(3) जी नहीं। इस बाबत राज्य सरकार स्तर पर कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

पृथ्वीराज का किला व तारागढ़, अजमेर के विकास हेतु गठित विकास मण्डल

131. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद):–क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर स्थित पृथ्वीराज के किले, तारागढ़ के विकास के लिये एक विकास मंडल की स्थापना की गई है ?

(2) यदि हां, तो इस मण्डल को अभी तक कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है ?

(3) इस योजना पर अभी तक क्या-क्या विकास कार्य कुल कितनी लागत के हुये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार द्वारा मण्डल को अभी तक कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

(3) इस योजना के विकास कार्यों पर अब तक सड़क निर्माण कार्य पर 28 लाख रु., वृक्षारोपण कार्य पर लगभग 7 लाख रु०, सड़क के किनारे पर बिजली व्यवस्था हेतु 35 हजार रु. कुल 35 लाख 35 हजार रु. खर्च किये जा चुके हैं।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर में जमा लीज राशि

132. **श्री नाथूराम मिर्धा** (मेड़ता) :
श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :
श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :
श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) :
क्या नगर विकास एवं नगर आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(1) दिनांक 15-3-85 तक नगर सुधार न्यास, जोधपुर के पास 99 वर्ष लीज पर दिए गए विभिन्न भू-खण्डों के लीज रेन्ट की धनराशि जो राज्य सरकार के कोष में जमा हो जानी चाहिए थी, एकत्रित हुई पड़ी है ? कृपया इस लीज रेन्ट की धनराशि का वित्तीय वर्ष के अनुसार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि लोकल फण्ड ऑडिट की वर्ष 1982-83 की रिपोर्ट में उक्त राशि को लगभग 20 लाख रुपये आंका गया है और इसके राज्य कोष में जमा न कराने के सम्बन्ध में गम्भीर आपत्ति की गई है ?

(3) उपरोक्त लीज रेन्ट की धनराशि जिसकी मात्रा अब अनुमानित रुपये तीस लाख हो गई है, कब तक राज्य कोष में मय ब्याज के जमा करवा दी जायेगी एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्य-वाही की जायेगी ?

उत्तर

राजस्थान नगरीय विकास (डिस्पोजल आफ अर्बन लैण्ड) नियम 1977 के नियम 7 (4) के अन्तर्गत लीज राशि की धनराशि 15.3-85 तक रु० 32,78,968/-वसूल की जा चुकी है, परन्तु राज्य सरकार के कोष में जमा नहीं की है।

वर्ष 82-83 लोकल फण्ड ऑडिट रिपोर्ट में उक्त राशि को लगभग 20 लाख रुपये आंकी है जो सही राशि रु. 24,88,703/- है और उसके राज्य कोष में जमा न कराने की आपत्ति उठाई है।

वर्ष 1984-85 के दिनांक 15-3-85 तक कुल राशि रु. 32,78,968/- हो गई है। राशि जमा कराने बाबत राज्य सरकार द्वारा न्यास को लिखा जा चुका है।

पैट्रोल पम्पों को लूटने की घटनायें

133. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 1982 से लेकर 18 फरवरी, 1985 तक पैट्रोल पम्पों को लूटने की कितनी घटनायें हुई

(2) उनमें कितना रुपया लूटा गया, कितना बरामद हुआ और कितने लोगों को पकड़ा गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982 से फरवरी 1985 तक 21 पैट्रोल पम्प लूटने की घटनाएँ घटित हुयी।

(2) उक्त घटनाओं में 91459/-रुपये लूटे गये जिनमें से 5080/- रुपये बरामद कर लिए गये तथा 27 व्यक्तियों को गिर-फ्तार किया गया।

कोटा नगर की जल वितरण व्यवस्था

134. श्री प्रतापसिंह (छबड़ा)

श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना)

श्री हरीश शर्मा (खानपुर):-क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(श्री प्रताप सिंह)

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर की जल वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है ? क्या इस संदर्भ में विभाग को शिकायतें भी की गई है ? यदि हां, तो विभाग ने क्या कदम उठाये ?

(2) क्या यह सही है कि गर्मी के दिनों में नगर के प्रमुख स्थानों तथा, रामपुरा, लाडपुरा, बजाज खाना इत्यादि मौहल्लों में पानी एक मंजिल भी नहीं चढ़ पाता ? यदि हां, तो क्यों ? व्यवस्था में सुधार के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) कुछ स्थानों की समस्या है । समय समय पर शिकायतें प्राप्त होने पर उनका निराकरण तत्परता से किया जाता है ।

(2) जी हां, कोटा की पुर्नगठित योजना का कार्य प्रगति पर है । जिसके पूर्ण होते ही समस्या का समाधान हो जायेगा ।

सम्पूर्ण प्रदेश में एक समान चुंगी की दरें

135. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार सम्पूर्ण प्रदेश में चुंगी की दरों में एक रूपता लाने का विचार कर रही है ?

(2) क्या राज्य सरकार चुंगी दर का निर्धारण तोल के आधार पर करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो ये कबसे लागू करने का विचार है ?

उत्तर

(2) जी हां । इस विषय में विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

(2) जी नहीं । केवल तोल के आधार पर ही चुंगी दर का निर्धारण करने का विचार नहीं है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हंसराज मिढा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर, सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेद औषधालय में कम्पा-उण्डर न होने व दवाई न होने के बारे में,

(2) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बारां स्थित सिंचाई विभाग में एक करोड़ के टेण्डर आमंत्रित करने के बाद आर्डर न देने से धनराशि के लेप्स हो जाने के सम्बन्ध में,

(3) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा नगर की कच्ची बस्तियों की उपेक्षा व नल, बिजली, सड़क का अभाव के सम्बन्ध में,

(4) श्री शोपतसिंह और श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से हनुमानगढ़ डिवीजन में ग्रामीण विद्युतीकरण के पोल खड़े कर दिये जाने के बाद लाइन न डालने और कनेक्शन न देने के बारे में,

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री मानिक चन्द सुराणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से, जामसर जिप्सम कम्पनी में ठेकेदार को मशीन से लोडिंग करने की स्वीकृति देने से मजदूरों की बेरोजगारी के सम्बन्ध में,

(6) श्री जगन्नाथ वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कारागार विभाग में नियुक्तियों में अनियमितता। इस विषय पर चर्चा हो चुकी है,

(7) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उच्च माध्यमिक विद्यालय खानपुर के भवन की जर्जर अवस्था के बारे में,

(8) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीड कारपोरेशन द्वारा बीज उत्पादकों को खाली बोरियां न दिये जाने के सम्बन्ध में,

(9) श्रीमती सुमित्रासिंह और श्री नवरंगसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमती कृष्णा की दहेज न देने के कारण हत्या कर देने के सम्बन्ध में,

(10) श्री सम्पतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से डीग शहर में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में। इस विषय पर भी चर्चा हो चुकी है,

(11) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों में मिलावटी दवाइयां मिलने के सम्बन्ध में,

(12) श्री फूलचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील नीम-का-थाना के ग्रामों में झूठी गिरदावरी दिखाकर कुर्की करने के सम्बन्ध में,

(13) श्री डूंगरराम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से रावतसर क्षेत्र में नहर से पानी सप्लाई की बारी काटे जाने के सम्बन्ध में,

(14) श्री मोहन प्रकाश एवं श्रीमती वसुन्धरा राजे सदस्य, विधान सभा की ओर से एक बच्चे का डाकुओं द्वारा अपहरण व एक व्यक्ति की हत्या के सम्बन्ध में,

(15) श्री गणेशलाल वैरागी, सदस्य, विधान सभा की ओर से इन्द्रगढ़ से करवर सड़क के लिये अवाप्त भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में,

(16) श्री किरोड़ीलाल और श्री हरिकुमार औदिच्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाक नागरिकों की वीसा अवधि समाप्त होने के बाद भी उनके भारत में रहने के सम्बन्ध में,

यह विषय केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है।

(17) श्री खंगारसिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से 18-3-1985 को ग्राम पीपली में एक व्यक्ति की हत्या के सम्बन्ध में,

(18) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था न होने से दुर्घटना के सम्बन्ध में।

इस विषय पर भी माननीय सदस्यों की ओर से चर्चा हो चुकी है।

(44)

(श्री अध्यक्ष)

(19) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम जसरासर में पेयजल समस्या के बारे में।

इस विषय पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है।

(20) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृष्णा टाक की दिनांक 24-5-1984 को हत्या के सम्बन्ध में।

यह मामला हाल की घटना से सम्बन्धित नहीं है।

(21) श्री गंगाराम चौधरी और श्री उम्मेदसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से 11-3-1985 को गोरधन नामक बालक की हत्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन-प्रस्तावों पर राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्रीमती उजला अरोडा, सदस्य, विधान सभा द्वारा राजस्थान विश्व विद्यालय में प्रवक्ताओं के चयन में अनियमितता के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने सूचना दी है कि मामला मुन्सिफ कोर्ट (2) जयपुर शहर पूर्व के न्यायालय में विचाराधीन है। चयन समिति की सिफारिशों को सिन्डीकेट ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया और चयन योग्यता के आधार पर किया गया है।

(2) श्री ग्यारसीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक जिले के शहरी क्षेत्रों की दुकानों के आवंटन में नियमितता के सम्बन्ध में।

(3) श्री नवनीत लाल निनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर डेयरी द्वारा दूध की थैलियों में कम दूध भरे जाने के सम्बन्ध में।

सरकार ने सूचना दी है आटोमेटिक मशीन द्वारा 500 ग्राम दूध भरा जाता है।

प्राप्त उत्तर के प्रसंग में मैं इन स्थगन-प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री हंसराज मिढा :

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिये थे उन पर आपने व्यवस्था दी थी ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री शोपतसिंह : राज्य सरकार की तरफ से उनके उत्तर दिये जायेंगे या उनकी सूचना दी जायेगी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिन स्थगन-प्रस्तावों पर राज्य सरकार से मेरे पास जो जानकारी प्राप्त हुई है, मैं राज्य

(श्री अध्यक्ष)

सरकार से चाहूंगा कि उन स्थगन-प्रस्तावों पर जो भी आवश्यक कार्यवाही राज्य सरकार को करनी है वह कार्यवाही राज्य सरकार करे और सम्बन्धित माननीय सदस्य को उसकी सूचना दें।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइन्ट ऑफ आर्डर। पाइन्ट ऑफ आर्डर आ गया है ?

श्री शोपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज सत्र का आखिरी दिन है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले पाइन्ट आफ आर्डर आ गया है। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी कारागृह पर स्थगन प्रस्ताव दिया था तब भी आपने जवाब दिया था कि 27 तारीख को दिलायेंगे। आज आपने कहा है कि उस पर चर्चा हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, सरकार से आज ही जवाब दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं आपका नाम पुकारुंगा। आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आप कृपया बैठ जायं। मैं इस पर व्यवस्था दे चुका हूं। अब कोई दूसरी व्यवस्था नहीं दूंगा इस विषय पर। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं।

श्री हंसराज मिढा।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री हरीश शर्मा : मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दिया था गंभीर मसला है इस सदन के लिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एवं श्रीमती वसुन्धरा राजे ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, मेरे पास के क्षेत्र राजाखेड़ा के बाजार में दिन दहाड़े एक बच्चे का अपहरण किया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय, सदस्य, स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है....

श्री मोहन प्रकाश : इसको तो आप मंजूर करें।

46

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का आज आखिरी दिन है और मेरे पास यह एक चिट्ठी आई है...

श्री नत्थीसिंह : क्या आप इन्हें अनुमति दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जब एक सदस्य बोल रहे हैं। तो दूसरे खड़े नहीं होते हैं ?

श्री हंसराज मिढा।

श्री शोपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन का आज आखिरी दिन है। ऐसी जगह से मुझे चिट्ठी मिली है जिन पर गौर करने वाला कोई नहीं है। बीकानेर

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सदन का आज आखिरी दिन कैसे है ?

श्री शोपतसिंह : सत्र का आखिरी दिन है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह बोलो।

श्री शोपत सिंह : बीकानेर जिले में 300 बन्दी भूख हड़ताल पर हैं, उनको बचाने की कोशिश करें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : उनकी खतो-खिताबत नहीं हो सकती है यह आपको मालूम है....

श्री अध्यक्ष : आप कर रहे हैं ना। आपके पास चिट्ठी आई है।

श्री शोपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज

श्री हंसराज मिढा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप आज्ञा देंगे तो....

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के नाम पर इस प्रकार से सदन का समय न लें। माननीय सदस्य, आप बहुत अनुभवी सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री हंसराज मिढा।

श्री हंसराज मिढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले की तहसील अनूपगढ के आयुर्वेदिक औषधालय में डाक्टर नहीं, कम्पाउन्डर नहीं, दवाइयां नहीं। क्या मंत्री महोदय इसकी व्यवस्था करेंगे ? क्या यह भी बतायेंगे कि वहां पर दवाइयां गई हैं या नहीं गई हैं ? और नहीं गई तो क्यों ?

दूसरा विजयनगर में, अनूपगढ़ में, घड़साना में कितनी दवाइयां जाती हैं उनकी डिटेल्स बतलाने का कष्ट करें। न वहां पट्टी मिलती है, न गरीब को दवाइयां मिलती है। मेरे ख्याल में हरिजन लोगों को न पैसा मिलता है और न दवाइयां मिलती हैं। आप इसकी व्यवस्था करने का कष्ट करें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान इन्कम टैक्स एम्प्लाईज एसोसियेशन के कर्मचारियों की स्ट्राइक के सम्बन्ध में एक एडजोर्नमेण्ट मोशन दिया था जिसे आपने सरकार की जानकारी के लिए भेजा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, उस पर व्यवस्था मैंने दे दी।

सुश्री पुष्पा जैन : वह तो ठीक है, अध्यक्ष महोदय लेकिन सरकार, अगर जानकारी नहीं देती है और बाद में मुझे उसकी सूचना देती है तो सरकार तो उनकी स्ट्राइक को क्रश करना चाहती है—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठें।

सुश्री पुष्पा जैन : इसकी इम्पोर्टेन्स को देखते हुए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैंने कह दिया है। मेरे पास कोई चारा नहीं है।

माननीय सदस्या कृपया बैठें। आसन पैरों पर हो तो खड़े नहीं होना चाहिये। माननीय सदस्या नियमों का जरा पालन करें।

मैंने यह व्यवस्था दे दी है कि जिन स्थगन प्रस्तावों के जवाब कल तक आयें या कुछ पहले के भी हो सकते हैं मैंने राज्य सरकार से कहा है कि उन स्थगन प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही करें और माननीय सदस्य को सूचना भी दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : प्वाइन्ट आॅफ आॅर्डर। आपने जो व्यवस्था दी है उसको शिरोधार्य करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह परम्परा रही है, आपने राज्य सरकार को कार्यवाही के लिए तो कह दिया लेकिन जिनके उत्तर नहीं आये हैं उनको रिजेक्ट मानकर सत्र के अन्तिम दिन दो-दो मिनट का समय देंगे। उससे यह फायदा होगा कि राज्य सरकार जो कार्यवाही करने जायेगी उसका मार्गदर्शन इस नाते से हो जायेगा। ऐसी परम्परा रही है मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं कि जितने भी स्थगन प्रस्ताव आज मेरे पास थे, मेरे समक्ष थे मैंने यही मानते हुए कि आज सत्र का अन्तिम दिन है सबको अस्वीकार किया ताकि माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल जाय। जिन स्थगन प्रस्ताव को आप इतना आवश्यक समझते हैं ऐसे एकाध को तो मैं आज्ञा दे सकता हूं लेकिन आम तौर से सभी स्थगन प्रस्तावों पर आज्ञा देने में मेरी मजबूरी रहेगी क्योंकि सदन के पास इतना समय नहीं होगा। जो स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार के पास गये हैं वह काफी बड़ी संख्या में हैं, छोटी सी संख्या में नहीं है। सबको इजाजत देने की बात का मतलब होगा कि सारे दिन सदन में दूसरा काम ही नहीं होगा और यह भी पूरा नहीं होगा। इसलिए कृपया सहयोग करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने कल आपको निवेदन किया था कि मैंने 25 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, कल चार माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये, वह आवश्यक प्रस्ताव हैं, आपने कहा मैं व्यवस्था दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने निवेदन किया कि आवश्यक हो और आवश्यक समझते हों तो एक दो ऐक्सेप्शन के रूप में तो ले सकते हैं। आम तौर से आप व्यवस्था दिलवायेंगे तो यह सम्भव नहीं होगा।

श्री शोपतसिंह : आज जो हमने स्थगन प्रस्ताव दिये, उन पर टाइम दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने उन पर व्यवस्था दे दी। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आप वही बात कर रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के बारां सब डिविजन में सिंचाई के लिये इस वर्ष के जो प्रावधान तय किये हैं उसमें करीब एक करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार के कोष से भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए दी गई थी। दुर्भाग्य का विषय है कि आज 29 मार्च होने जा रहा है, टेण्डर इन्वाइट कर लिये गये, कोटेशन निकल गये लेकिन स्वीकृत कार्यों के भी वर्क आर्डर इश्यू नहीं हुए। स्पष्टत: यह ब्लेकमेलिंग का मामला है। दो ए. ई. एन. क्षेत्र विशेष, जाति विशेष से सम्बन्धित हैं, दोनों ने अपने क्षेत्र के ठेकेदारान को बुलाकर काम करवाने की नियत बना रखी है। चूंकि यह कार्य एक करोड़ से अधिक का था इसलिये वह उन जाति विशेष के व्यक्ति, क्षेत्र विशेष के व्यक्ति को आवंटित नहीं हुआ इसलिए जानबूझ कर इनके वर्क आर्डर इश्यू नहीं हुए। दुख है कि जहां राजस्थान सरकार सिंचाई के मामले में कोटा जिले के प्रति उपेक्षा बरतती है वहीं यह जो कृत्य है स्पष्टत: कोटा जिले के साथ अन्यायपूर्ण है। आज यह दुर्भाग्य है कि राजस्थान के अधिकांश जिलों में अकाल की स्थिति है।

(व्यवधान)

श्रीमान् सी. पी. जोशी, कृपा करके मेरी महत्वपूर्ण बात है, मुझे कहने दीजिये। माननीय सिंचाई मन्त्रीजी इस तरफ ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : वह आपस में बातें कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपनी बात कहें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान का पेट भरने वाला अगर कोई जिला है तो वह कोटा जिला है या गंगानगर जिला है। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार सिंचाई के मामले में उपेक्षा वृत्ति कोटा जिले के साथ कर रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, कृपा करके उन सारे कागजात को सील कीजिए वह कौन × × ×

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : ×××शब्द एक्सपन्ज किया जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : अनपार्लियामेण्टरी नहीं है, पुरानी प्रोसीडिंग मैंने देखी है।

श्री अध्यक्ष : कृपया उपयोग न करें, मेरी व्यवस्था है; इस शब्द का उपयोग न करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : लायक नहीं, यानि ×××

वह इन्जीनियर जो क्षेत्र विशेष के हैं, जाति विशेष के हैं, उन्होंने टेण्डर इन्वाइट कर लिये। टेण्डर इन्वाइट करने के बाद, टेण्डर स्वीकृत हो जाने के बावजूद भी उन कार्यों के वर्क आर्डर क्यों नहीं इश्यू किये? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वारां के उन समस्त कागजात को सीज करके जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार का ××× बताया है जिनके नाम भी मेरे पास हैं, माननीय मन्त्री महोदय चाहेंगे तो मैं उनके नाम बता दूंगा, वह तुरन्त उन दोनों इन्जीनियरों को निलम्बित करें, उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

एक और स्थगन प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजा है—

श्री अध्यक्ष : आज नहीं, माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक पर बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा नगर की कच्ची बस्तियों के विषय में जो उपेक्षा भाव हो रहा है उसका अधिक वर्णन तो मैं नहीं करना चाहता। राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से जो कुछ कार्य दो-तीन दिनों में हुआ उसके बारे में मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं। एक कच्ची बस्ती गोवरिया भामी, जहां बिजली नहीं है, में चुनाव के दिनों में वोट प्राप्त करने के लिए पांच पोल लगाकर के बिजली दी गई। जो लोक सभा के जीते हुए माननीय सदस्य है उन्होंने यह कहा कि अगर आपने कांग्रेस को हरा दिया यहां पर बुलडोजर फेर दिया जायेगा। आपके माध्यम से में राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, एक तरफ तो वोट प्राप्त करने के लिए पांच खम्भों पर बिजली लगाई गई, फिर भी चुनाव में हार हो गई। मैं कोटा से विजयी हो गया। इस कारण से आज के तीन दिन पहले यू आई टी के लोगों को भेजकर उन पोलों को उखाड़वाने की निम्नतम प्रक्रियायें की गई। लोग चढ़ गये उस पर, गांव वालों ने लोगों को घेर लिया और जो उनको उखाड़ना चाहते थे, बिजली को समाप्त करना चाहते थे, तारों को उखाड़ना चाहते थे उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि उनको भागना पड़ा।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक खारीदेवड़ा की बस्ती है, सारे गांव वालों ने मिलकर, हैण्डपम्प वहां माताजी के मन्दिर के पास लगा दिया जाय, इसकी रिक्वेस्ट की। उसकी इजाजत हो गई. काम शुरू हो गया चुनाव में वोट प्राप्त करने थे इसलिए चुनाव के समय काम शुरू किया गया और काम शुरू होने के पश्चात् भी चुनाव में हार हो गई तो यह प्रक्रिया अपनाई कि उस काम को बन्द कर दिया जायगा। लोगों ने मशीन को नहीं जाने दिया, मजबूर किया कि वहां पानी का हैण्डपम्प निश्चित रूप से कायम करना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यही कहना चाहता हूं, एक तरफ कच्ची बस्तियों की घोर उपेक्षा है, न बिजली, न पानी, न सड़क की कोई व्यवस्था है। वोटों के लालच में उन्हें जन सुविधायें मुहैय्या कराने की कोशिश की गई। चुनाव में हार जाने के कारण यह प्रतिशोध की भावना से जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, वैसे तो माननीय मन्त्री महोदय ऐसे बैठे हैं जैसे इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। बाकी तो कोई उपस्थित नहीं है। अगर उन तक बात पहुंचे तो उसको बताने की कृपा करें कि राजनैतिक प्रतिशोध के कारण इस प्रकार के जो निर्माणाधीन कार्य चल रहे हैं उनको बन्द नहीं करवायें।

मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं खारी देवड़ा बस्ती में पिछले दो साल से नल नहीं है, वहां पर कोई काम नहीं हुआ, बरसात में पानी भर जाता है और वहां पर दुर्दशा है। पिछले डेढ़ साल पहले बड़ा नाला बना था वह टूट गया था। कहीं फिर ऐसा न हो जाय कि वह नाला नहीं बन पाये। बरसात का पानी बहुत जमा हो जाय, पानी से वहां जो झोंपड़ियां हैं, वे बह जाय और उनका सामान बह जाय। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की वहां 64 कच्ची बस्तियां हैं, उनका आप अविलम्ब निर्माण कीजिए। आज कोटा में इस प्रकार की 64 जो कच्ची बस्तियां हैं, जिनमें साधारणतया जन-सुविधायें मुहैया नहीं हैं, आप प्रयत्न करके नल, बिजली, पानी की सुविधायें पहुंचाने की व्यवस्था करें।

बस मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : शोपत सिंह।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव आज हनुमानगढ़ सब-डिवीजन के अन्दर बिजली की भयंकर अव्यवस्था के सम्बन्ध में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन चुनावों के दौरान हनुमानगढ़ क्षेत्र में, मेरे सारे क्षेत्र के अन्दर हरिजनों के मोहल्लों में वोट लेने की नीयत से पोल तो गाड़ दिये गये मगर किसी में बिजली के तार नहीं कसे गये। रात के अन्धेरे में गरीब बस्तियों में वह पोल भूत की तरह खड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन पोल्स पर तार नहीं खींचे गये हैं। अगर तार ही नहीं खींचे गये हैं तो यह सोचने की बात है, जिन लोगों ने इरादा कर लिया है कि हम भी बिजली के कनेक्शन लेना चाहेंगे, उनका क्या होगा। मेरे डिवीजन के अन्दर करीब 1,500 से अधिक ऐसे लोग हैं, जिन्होंने फिटिंग करवा

(श्री शोपतसिंह)

ली है। आज उनको तीन-तीन साल हो गये हैं मगर उनको मीटर नहीं मिले हैं इसलिये उनको कनेक्शन भी नहीं मिले हैं। यह मीटर की क्या बीमारी है? आखिर क्या कारण है कि उनको कनेक्शन देने के लिये तार खींच दिये मगर जिन गरीब लोगों ने 400-400 रुपये और 500-500 रुपये लगा कर फिटिंग करवा ली, उनको मीटर नहीं होने की वजह से बिजली नहीं मिली। आज उस फिटिंग को दीमक खा गयी है। मुझे लोगों ने कहा कि आप देखिये साहब कितनी मेहरबानी हुई है हमारी सरकार की। उन्होंने सिक्योरिटी भरी है, फिटिंग करवा ली है मगर बिजली नहीं मिली है। तो इस तरह की स्थिति हरिजनों की बस्तियों में हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने आपको हरिजनों के साथ जो हो रहा है उसकी बात बताई। मैंने कल चर्चा में भी कहा था कि वहां कुएं खुदे पड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों ने बैंकों से ऋण ले लिए हैं। सहकारी समितियों से, बैंकों से ऋण ले लिए और दूसरे माध्यमों से भी ऋण ले लिए हैं पर उनके कुओं पर भी बिजली नहीं मिली है। इधर तो कनेक्शन नहीं मिलेगा और उधर बैंकों से नोटिस आ रहे हैं कि पैसे भरो, हमारी किश्तें ड्यू हो गयी हैं। इन परिस्थितियों के अन्दर हमारी सरकार ने कोई एक जगह पर XXX माथुर के तो रूप ही अलग थे। क्या पता, क्या कमाल किया होगा उन्होंने जब लूटा है कनेक्शन के नाम पर। मैं राजस्थान के दूसरे हिस्सों की बात तो नहीं जानता पर गंगानगर के अन्दर किसानों को तो लूटा है। कभी पोल के नाम पर प्रायोरिटी दी कि हम उन लोगों को कनेक्शन देंगे जो पोल लगायेंगे। अब पोल की डेफिनिशन क्या है? पोल दो सौ फीट का हो, पोल की डेफिनिशन में पोल तीन सौ फीट का हो। अगर किसी ने ज्यादा पैसे दे दिये हमारे वहां के बिजली के एक्स. ई एन. को तो पोल की लम्बाई पांच सौ फीट तक बढ़ती जायेगी, और ज्यादा पैसे दे दिये तो पोल की लम्बाई हजार फीट तक बढ़ती चली जायेगी। तो पोल की डेफिनिशन है क्या? यह सरकार के अधिकारियों और मन्त्रियों की मिली भगत थी। क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे थे, उनको पैसा कौन दे इसलिए यह रास्ते निकाले गए थे कि जिससे मन्त्रियों को पैसे चुनाव में मिलें। उसको भी हमारे किसानों ने बर्दाश्त किया, क्योंकि फसल जा रही थी। उसकी फसल तैयार हो रही थी। पानी मौजूद है, बहुत ज्यादा पानी है, मगर वहां क्या करते जब आपने एक पोल की प्रायोरिटी कर दी, पोल वाले को कनेक्शन दे दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हजारों लाखों रुपये मेरे इलाके में किसानों से लूटे गये। किसानों को पैसा भरना पड़ा। दो-दो हजार, डेढ़-डेढ़ हजार रुपया दिया, प्रायोरिटी में दिया लेकिन उन्हें सरकार ने बिजली का कनेक्शन नहीं दिया। एक खम्भे से दूसरे खम्भे की दूरी है, उसका सारे का सारा खर्चा किसानों से लिया गया।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शोपत सिंह)

मिनिमम गारण्टी के पैसे लेते हैं, नहर का पानी लगाता है। नहर के पानी के बीच में है तो दोनों तरफ से भार पड़ती है। इरिगेटेड एरिया है तो भी मिनिमम गारण्टी के पैसे देते हैं।

एक माननीय सदस्य : कोई नहीं सुन रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें, मंत्री महोदय बैठे सुन रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : यहां कोई मंत्री ही नहीं है, किसी को भी ध्यान नहीं है।

श्री शोपत सिंह : ध्यान तो हम दिला देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं करें। माननीय मंत्री जी बैठे सुन रहे हैं।

श्री शोपत सिंह : अब की बार इनकी खिचाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं सुनें या नहीं सुने मगर कम से कम स्वयं तो समझते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उन किसानों की तकलीफात आपके सामने रखें, अगर नहीं सुनेगी सरकार, अगर मंत्री नहीं सुनेंगे तो रास्ते दूसरे बहुत हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की बात कहना चाहता हूं कि बिजली देने के नाम पर सारा का सारा वजन किसानों पर डाल दिया। पांच-पांच हजार रुपये एक्स. ई एन. ने लिये। मैं गवाही दिला सकता हूं आप मौके पर चलिये, मैं साथ चलता हूं। मैं चैलेंज से कहता हूं कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारी सरकार जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती है, उसे मैं मौके पर दिखा सकता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कुओं का नाम नहीं है मगर उसके बावजूद प्रायोरिटी पर कुए खुदवा लिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लघु कृषकों को प्रायोरिटी दी जाय। मैंने कल भी कहा था कि भाई, लघु कृषकों को आप फाइनेन्शियल एड दो, पैसे की इमदाद करो अगर कोई गरीब किसान है तो, वरना देश का प्रोडक्शन सफर करेगा। इसमें पांच बीघे की बात है। पांच बीघा वाला तो ले ही नहीं ही सकता है। पांच बीघा वाले की कैपेसिटी ही नहीं है ट्युबवैल लगाने के लिये कनेक्शन लेने की। आप मिनिमम गारण्टी वाले से, पांच बीघा वाले से कैसे ले सकते हैं? ले नहीं सकते हैं। पांच बीघा से ऊपर, 6 बीघा वाला, सात बीघा वाला, दस, बीघा वाला हैं, इसको इन्कार कर दिया। उसको कनेक्शन नहीं दिया गया। कुएं बने हुए पड़े हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुओं की बात तो आ गयी। अब आज हमें बिजली कहां से मिलती है? मेरा गंगानगर जिला हमेशा से ही लावारिश रहा है। यह मेरी बदनसीबी रही है। मेरे जिले को बिजली भाखरा से, हिसार से मिलती है। जब हिसार से बिजली नहीं मिलती है तो रतनगढ़ से बिजली मिलती है। रतनगढ़ से जब बिजली नहीं मिलती है तो राजयासर से बिजली मिलती है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री शोपत सिंह : कोई भी व्यवस्था नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी बिजली दी जाती है वह भी कम दी जाती है। जो कम आती है, उसको क्या कहते हैं।

एक माननीय सदस्य : वोल्टेज की कमी।

श्री शोपत सिंह : वोल्टेज की कमी होती है तो वहां पर ट्रिपिंग होता है, बार बार ट्रिपिंग होता है। उसका नतीजा यह होता है कि लो वोल्टेज आने के कारण वोल्टेज की कमी की सूरत में ट्रिपिंग बार बार होने से मोटर जल जाती है। कारखानों की मोटरें जल जाती हैं, इससे बहुत भारी परेशानी हो जाती है। जब हम मिनिमम गारण्टी के पैसे दें और फिर हमें बिजली नहीं मिले, जो भी मिले तो ऐसी मिले कि बार बार ट्रिपिंग हो। आज जयपुर नगर में अगर एक मिनट भी बिजली चली जाये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जयपुर में रहने वाले लोग एक मिनट के लिये भी अन्धेरा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर एक मिनट भी पंखा बन्द हो जाये जयपुर में तो शायद आसमान गिर जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अगर गांव में जाय तो देखेंगे कि किसानों को रात को बिजली मिलती है। ठिठुरती सर्दी में बिजली रात को मिलती है ....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री शोपत सिंह : रात को किसान पानी लगाने के लिये जागता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठिठुरती सर्दी में रात को आदमी ही नहीं पानी भी जम जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, संक्षेप में। माननीय सदस्य, व्यवधान न करें।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने फैसला किया है कि किसान को खेत में सर्दी में रात को बिजली मिलेगी और गर्मी के दिनों में जबकि आपके पंखे चलते हैं तो गांवों में दोपहर में उनको बिजली मिलेगी। गांवों में दोपहर को बिजली नहीं मिलेगी चाहे बिजली के पंखे लगवा लें। दोपहर के वक्त कभी थोड़ी बहुत बिजली मिले तो किसान के बच्चों को थोड़ी सुविधा हो, आराम करना चाहे तो सुविधा का अनुभव हो। पर किसान के बच्चे आराम नहीं कर सकते हैं क्योंकि गांवों में दोपहर में बिजली नहीं मिलती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की अव्यवस्था हनुमानगढ़ एरिया में है। आप अलाटमेंट करते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं? राजस्थान के अन्दर सबसे कम खर्चा और ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन हनुमानगढ़ क्षेत्र में हैं। हनुमानगढ़ डिजन कम्पेक्ट एरिया है जहां थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ट्यूबवैल हैं। पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जितने ट्यूबवैल के कनेक्शन मिलेंगे, हनुमानगढ़ में दुगने ट्यूबवैल के कनेक्शन मिल जायेंगे। क्योंकि वहां थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ट्यूबवैल हैं वहां पैदावार बहुत ज्यादा है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कम खर्च में ज्यादा कुओं को कनेक्शन दिया जा सकता,

(54)

(श्री शोपत सिंह)

है। इसलिए में आपकी मार्फत मंत्री महोदय जो विद्युत मंत्री जी हैं या बनने वाले हैं, से कहूंगा, हनुमानगढ़ के इस फर्टाइल एरिया की ओर ध्यान दें, वहां पानी बहुत है, सारी सुविधायें मौजूद हैं, हजारों दरख्वास्त ट्यूबवैल्स की पड़ी हैं और तकाजे बैंकों के हैं, वह अलग हैं।

इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराणा।

(अनुपस्थिति)

श्री जगन्नाथ।

(अनुपस्थित)

श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा चुनावों के पहले जब चुनाव प्रचार चल रहा था, नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा रखा था राज्य सरकार ने।

श्री अध्यक्ष : माध्यमिक विद्यालय वाले पर पहले बोल लेते।

श्री हरीश शर्मा : उस पर भी बोलूंगा। पहले इस पर बोल लूं।

श्री अध्यक्ष : बोलिये, अच्छा बोलिये।

श्री हरीश शर्मा : किन्तु नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध के बावजूद भी आई.जी. जेलर ने अपनी लड़की की शादी करने के लिए बिना सरकार से एन.ओ.सी. लिये सहायक जेलर के व अन्य पदों पर नियुक्ति कर दी। अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि नियुक्ति में 10-10 हजार रुपये रिश्वत लिये। नियुक्ति कर दी आंख मींचकर और रिश्वत के 10-10 हजार रुपये लेकर अपनी लड़की की शादी कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि जो प्रत्याशी निर्धन थे, योग्य प्रत्याशी थे गरीब थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, देने के लिये वह रह गये। अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां एक बात ध्यान में आती है :

"जिन्दगी और बता तेरा इरादा क्या है। मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले।"

अध्यक्ष महोदय, आज हर जगह बाजार है, इंटरव्यू के लिए बाजार, परीक्षा के लिए बाजार, टिकट लेने जाओ तो बाजार, हर जगह बाजार मिलेगा। आखिर इस बाजार में पब्लिक की स्थिति क्या होगी ? अध्यक्ष महोदय, में सरकार से निवेदन करूंगा कि आप अगर ग्रामीण और निर्धन विद्यार्थियों को उबारना चाहते हैं तो वास्तव में आपको ईमानदारी से इसको बन्द करना पड़ेगा। जो रिश्वतखोर हैं वह कभी देशभक्त हो ही नहीं सकते। उसको देशभक्त मानना बड़ा पाप है। बेईमान आदमी की इज्जत करना बहुत बड़ा पाप है, अपने आपको धोखा देना है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो नियुक्तियां हुई हैं, सरकार के पहले के आदेशों की अवहेलना करके, बिना एन.ओ.सी. लिये आई.जी. जेलर ने नियुक्तियां की हैं उनकी जांच उच्च स्तर पर करवाई जाये और उसे दण्ड दिया जाये।

(श्री हरीश शर्मा)

मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव खानपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्थात् हायर सैकण्डरी स्कूल के बारे में है । यह बहुत पुराना स्कूल है, मैं भी वहां पढ़ा हुआ हूं । उसकी आज क्या हालत हो रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाऊं, कमला जो आपको याद है कि आमेर में स्कूल गिरा था, तब सारी सरकार भागी थी । आज उस स्कूल की हालत क्या हो रही है इस बरसात में वह गिरेगा, ऐसी सम्भावना है, भगवान करे ऐसा नहीं हो कि विद्यार्थी और अध्यापक दोनों ही उसमें दब जायं । अभी वहां पट्टियां पड़ी हैं वह कभी टूट कर गिर सकती हैं, दीवारें जर्जर हो चुकी हैं । आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में क्या हालत होगी उस स्कूल की । मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि तत्काल उसकी मरम्मत करवायें अन्यथा जो खून-खराबा होगा, दुर्घटना होगी, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर आयेगी । उसके भागीदार आप बनेंगे ।

धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में किसानों के लिए राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन के द्वारा जो बीज उत्पादन का कार्यक्रम चलाया जाता है, इस प्रकार के राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में कोटा जिले के किसान भागीदार बनते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोटा जिले के बीज उत्पादक किसानों के ऊपर कारपोरेशन द्वारा धोखाधड़ी करके शर्तें लगाई गई कि उनको बीज उत्पादन के लिए दिया जायेगा, खाली बोरियां बीज लाने के लिए नहीं दी जायेंगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष भी उन बीज उत्पादकों के ऊपर शर्त लगाने के बाद भी उनको बोरियां नहीं दी गई जिससे वह अपना बीज नहीं ला सके । खाली बोरियों के बजाय दो रुपये दिये गये, इस तरह उनके साथ धोखाधड़ी की गई । इस साल जब कार्यक्रम आने लगा तो किसानों ने कहा कि यदि पिछले वर्ष जैसी स्थिति हो तो हम बीज ले जाने को तैयार नहीं हैं, आप अपना कार्यक्रम अपने पास रखिये । इस समस्या की बाबत हम यहां मैनेजिंग डायरेक्टर से मिले । उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपको बीज भी देंगे और खाली बोरियां भी उपलब्ध करायेंगे, लेकिन आश्वासन के बावजूद भी किसानों को खाली बोरियां नहीं दी जा रही हैं जिससे बीज उत्पादकों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है । पहले आपने आश्वासन दिया, आश्वासन देने पर एक कार्यक्रम लिया और कार्यक्रम लेने के बावजूद भी आप खाली बोरियां नहीं दे रहे हो । उनका बीज वहां पर पड़ा हुआ है इसलिये उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कोटा जिले में पीपल्दा, दीगोद, मांगरोल तहसीलों में इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें कम से कम 500-600 और सैकड़ों किसान भाग लेते हैं, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, इसके कारण किसान परेशान हैं । आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में किसानों ने मना किया था और आश्वासन के बाद ही उन्होंने कार्य शुरू किया । आप जानकारी

(श्री हीरालाल आर्य)

करें कि उनको आश्वासन क्यों दिया गया था और उनको आश्वासन देने के बाद भी बोरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं? उनके साथ यह धोखा किया जा रहा है, यह अन्याय है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो पूर्व में शर्तें थीं उनको मानकर उनको बोरियां उपलब्ध कराई जायं ताकि वह अपना जो बीज का कोटा है वह पहुंचा सकें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमति सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज का स्थगन प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण था। अच्छा होता कि उसके ऊपर चर्चा की जाती फिर भी मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी। वैसे तो दहेज दानव जितनी जीवन लीलाओं को छीनता है और जितनी किशोरियों, नवयुवतियों को पीड़न और यातनाओं के बाद में दहेज का दानव लीलता है यह सामाजिक अपराध है। लेकिन इस सामाजिक अपराध को जिस तरीके से नजरअन्दाज किया जा रहा है और इसको गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है उससे यह घटनायें और अपराध बढ़ता ही जा रहा है।

. मैं आपका ध्यान चाहूंगी, अभी 20 तारीख को कृष्णा नाम की एक लड़की जो चिड़ावा तहसील में श्योराणों की ढाणी में रहने वाली थी और जिसकी शादी करीब नौ महीने पहले 26 मई, 1984 को हुई थी, को बराबर यातना और उत्पीड़न दिया जा रहा था कि वह अपने घर से दहेज लाये। जब उनकी सारी मांगें पूरी नहीं हुई तो लड़की को इस कद्र परेशान किया, इतनी यातना दी गई कि 21 तरीख को सुबह वह लड़की अपने घर के एक कोने में जली हुई बैठी हुई हालत के अन्दर पायी गई। यह बिलकुल, जिसे कहना चाहिए, दहेज का एक इस तरह का मामला था कि दहेज के लालच के अन्दर दहेज के लोभ के अन्दर उस लड़की को पहले तो मारा गया और मारकर घर के अन्दर जला दिया गया। लेकिन लड़के का ससुर क्योंकि एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर है वहीं का रहने वाला है, झुंझुनू में रहता है, अपने रसूकात भी रखता होगा पुलिस वालों के साथ थोड़े बहुत इसलिये पुलिस वालों द्वारा मिल करके इसे दहेज का मामला नहीं बनाकर हत्या का मामला नहीं बना करके एक आत्म हत्या का मामला बनाने की कुचेष्टा की जा रही है। मैं यह तो नहीं कहती कि बना ही दिया गया है लेकिन 21 तारीख के बाद भी जिस तरीके से इस मामले में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की हांलाकि इसमें बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट आई है लेकिन जलने के बाद मेडिकल रिपोर्ट क्या आ सकती थी क्योंकि लड़की तो पूरी तरह से जली हुई पाई गई थी। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं इस सदन की जानकारी के लिए और याद दिला दूं कि जहां तक मेरी मेमोरी काम करती है सन् 1984 से लेकर अब तक 4 केसेज जो मुझे ध्यान हैं जिनमें दहेज को लेकर बहु की हत्या की गयी है, किशोरयों की 18 साल से 25 साल की लड़कियों की निर्मम, हत्या की गई है। निर्दोष और मासूम लड़कियों की इतनी निर्दयता के साथ और इतना उत्पीड़न देकर अंत में उनकी बलि ले लेना, यह मैं समझती हूं, सबसे बड़ा अपराध है। वैसे तो हिन्दुस्तान में, तमाम देश में एक साल में करीब करीब जहां तक मुझे याद पड़ता है, एक

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हजार इस तरीके से मासूम लड़कियों को जला करके ससुराल पक्ष वाले मार डालते हैं जिसमें राजस्थान तीसरे नम्बर पर आता है। दहेज के लोभ के अन्दर लड़कियों का जीवन लेने के अपराध के अन्दर हमारा राज्य तीसरे नम्बर पर आता है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि 1984 के बाद में मीनावाले गांव की लड़की, जिसकी खोरा-मीना में शादी हुई थी, को 12 जनवरी, 1985 को उसकी ससुराल वालों ने मारा। कमला शर्मा को 84 में होली के दिन ऐसी हालत में मारा था। अखबारों में निकला था 29-5-84 को होली के थोड़े दिनों बाद ही, कृष्णा टाक, टोंक की रहने वाली थी, उसकी अखबारों में काफी चर्चा हुई उसे भी इसी तरीके से मारा था। अब एक साल के भीतर भीतर ही यह चौथी घटना है जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला है। गम्भीर इसलिए है कि लड़की का ससुर इन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर है, एक ससुर सरपंच है। सबसे गम्भीर बात यह है कि जिले के मंत्री हैं उनकी तरफ से पूरा उसे संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने टेलीफोन किया कि इस मामले में कुछ नहीं करना है। इस टेलीफोन के बाद में वहां की पुलिस बिलकुल उदासीन हो गयी। पुलिस ने वहां पर कुछ कार्यवाही नहीं की। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरीके से बड़े बड़े मंत्रियों के संरक्षण से जो गम्भीर मामले को दबाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से सदन को यह दरखास्त करना चाहूंगी कि इस गम्भीर मामले में लीपापोती नहीं की जाये। इस जघन्य काण्ड को इस तरीके से छिपाने की चेष्टा नहीं की जाये बल्कि दहेज के लोभ में जिन लोगों ने 18 वर्षीय कृष्णा की मासूम जिन्दगी छीनी है ऐसे हत्यारों को पुलिस द्वारा तुरन्त गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि, ऐसे अपराध करने वालों का भविष्य में क्या होगा, उसकी पीढ़ी से वह भी सिहर सकें। आइन्दा कोई हिम्मत नहीं कर सके इस तरह का काम करने की। मैं इन्हीं शब्दों के साथ राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार पूरी तरह से इस संबंध में सचेष्ट होकर ऐसे मामले को छिपाने का प्रयत्न नहीं करे बल्कि दहेज के लोभी लोगों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि और लोग भी इसके परिणामों से सिहर करके इस तरह का कोई ऐसा काम और कोई ऐसी वारदात न करें।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के नामांकन पत्र वापिस लेने के समय में वृद्धि

श्री बी. डी. कल्ला (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय समितियों के बारे में नामांकन पत्र वापिस लेने का...

श्रीमती सुमित्रा सिंह: इतनी गम्भीर बात हो रही है और वित्तीय समितियां आ गयीं ..

श्री अध्यक्ष: समय बढ़ाने का सवाल है, माननीय सदस्या।

श्री बी. डी. कल्ला: समय जो दोपहर के 1 बजे तक का था उसको दोपहर 3 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये और

(श्री बी. डी. कल्ला)

यदि आवश्यक हो तो चुनाव 4 बजे करवा लिये जायें।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि वित्तीय समितियों के बारे में नामांकन पत्र वापस लेने के समय में वृद्धि करने का जो प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री नवरंगसिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या ने कृष्णा का जो मामला इस सदन के सामने रखा है उस बारे में मेरा निवेदन है कि कृष्णा की हत्या की घटना जिस तरह से रची गयी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना है। पहले उसको मारा गया है और अपराध को छिपाने के लिए फिर उसको जलाया गया है। अब पुलिस से मिलकर और कुछ राजनैतिक संरक्षण प्राप्त करके उस मामले को रफादफा करने की या आत्म हत्या का मामला बनाने की कुचेष्टा की जा रही है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो दहेज के मामले को लेकर राज्य में आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं और दुर्घटना पर जो लीपापोती की जा रही है....

सदन की अवमानना

दर्शक दीर्घा से दर्शकों द्वारा नारे बाजी

श्री अध्यक्ष : चालू रखें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नवरंगसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह की दहेज के कारण गम्भीर घटनायें राजस्थान में विशेष रूप से घटित हो रही हैं और सैकड़ों विवाहित बच्चियां इसके कारण मौत की शिकार बनती हैं, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि इस तरह के मामलों की एक विशेष सैल के द्वारा जांच होनी चाहिए। इसके लिये संविधान में भी और नियमों में भी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। भारत सरकार का भी दहेज बिल एक साल पहले अमेण्ड किया गया था। मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि दहेज के मामले को लेकर कृष्णा को जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया है, उसका कत्ल किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की पूरी तफतीश की जाये, मामले को दबाया नहीं जाये। जिस तरह से राजनैतिक संरक्षण देकर मामले की लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, वैसा न करके राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष अधिकारी को लगाकर इस मामले का चालान कराया जाये और कृष्णा का कत्ल करने में जो भी लोग भागीदार हैं, जो मारने में शरीक हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए चालान पेश किया जाये। साथ ही साथ मैं राज्य सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में इस तरह दहेज को लेकर जो मौतें होती है

(श्री नवरंगसिंह)

उनको रोका जाय। राज्य सरकार द्वारा सतर्कता के साथ में कोई सैल बनाकर सारे राज्य में सावधानी पूर्वक इस चीज पर गौर करना चाहिए।

धन्यवाद,

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतसिंह।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे श्रीमान ने फरमाया कि यह स्थगन प्रस्ताव खारिज किया जाता है। सिर्फ संक्षेप में उस पर निवेदन करने के लिए आदेश हुए हैं। यह विषय बड़े महत्व का था। इस विषय में मुझे केवल यह अर्ज करना था कि पिछले साल मलेरिया से और मस्तिष्क के बुखार से डीग उपखण्ड में सात हजार मौतें हुई थी। किसी भी सभ्य समाज में, सभ्य देश में सात हजार मौत के मायने होते हैं। अध्यक्ष महोदय आज वहां के नागरिकों की रेसिस्टेन्स पावर कमजोर हो गयी है। कम हो गयी है इसलिये दुबारा से वहां मलेरिया और मस्तिष्क का ज्वर चालू हो गया है। पिछले साल तापमान रिकार्ड ऊंचा रहा था, पिछले तीन वर्षों में इतना तापमान ऊंचा नहीं गया था। डीग शहर में खास तौर से, अध्यक्ष महोदय, ऐसी बस्तियां हैं जहां खारा पानी है पूरी बस्ती में। जल महलों के अगल बगल दो बड़े तालाब हैं और तीसरा तालाब कच्चा तालाब है। कामां दरवाजा कहलाता है वह बड़ा तालाब है और दस छोटी-छोटी तलाइयां हैं, उनके करीब-करीब पीने के कुए बनाये हुए हैं रियासत के जमाने से। वहीं सिर्फ मीठा पानी है। एक टैंक है पीने के पानी का जलदाय विभाग की तरफ से वह पूरी बस्ती में पानी सप्लाई करने में नाकामयाब रहता है। अब ज्यादा गर्मी के भी दिन आ रहे हैं। वहां तालाब सूखे हुए हैं। नगरपालिका इसलिए व्यवस्था नहीं करती कि उनकी पिछली बकाया है। पुरातत्व विभाग कहता है कि आपका जिम्मा है पानी भरवाने का और नगरपालिका कहती है कि यह पुरातत्व विभाग के तालाब हैं। पिछले इतिहास को देखें तो कितनी ही मौतें वहां हुई हैं। अब उसकी रेसिस्टेन्स पावर कम हो गई है। कि यह बड़ा लोक महत्व का सवाल है, नितांत आवश्यक सवाल है। पीने का पानी ही मुहैय्या नहीं हो रहा है खास तौर से ऐसे वातावरण में जब कि गोलियों की बौछार हो चुकी है फरवरी के महीने में, सात-सात आदमी मारे गये। राजा मानसिंह की मौत के बाद भी मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। एक 15 वर्ष का लड़का गोली से मारा गया। डी. आई. जी. साहब वहां उस वक्त मौजूद थे फिर भी केस आज तक दर्ज नहीं हुए हैं, उस पर कई दूसरे तरीके से इन्क्वायरी चल रही है। ऐसी सूरत में, विशेष परिस्थिति में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो तो गर्मी में लोग त्राहि-त्राहि कर उठेंगे। इस कदर वहां हालत खराब है तो, अध्यक्ष महोदय, भूखा प्यासा क्या न करता, यह बात भी बहुत बड़ी है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार खूब जानकारी करके, तसल्ली करके वहां कुओं में पीने के लिये पर्याप्त पानी हो, यह व्यवस्था अवश्य करे। वहां एक भी कुआं ऐसा नहीं है जिससे पीने को पर्याप्त पानी मिल सके। पूरा खारा पानी है, खारी जमीन है। सिर्फ तालाब का पानी ही फिल्टर होकर जिन कुओं में पहुंच जाता है उन कुओं से पीने के पानी व्यवस्था

(श्री सम्पतसिंह)

हो सकती है। तो मेरी विनम्र विनती यह है कि मेरा स्थगन प्रस्ताव तो मन्जूर नहीं किया गया, लेकिन कम से कम इतनी व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय, हो कि पीने के पानी की व्यवस्था 15 दिन में हो सके तो वहां स्थिति भयंकर होने से रुक सकती है वरना बहुत ही भयंकर स्थिति है। अगर इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती है तो वैलफेयर स्टेट की जो हमारी थ्योरी है वह बिल्कुल कागजों पर है जब पीने के पानी की बात नहीं है तो दूसरी बातें जैसे पढ़ाई, लिखाई, दवाइयां यह तो अलग बातें रही, जो नैचरल वाटर है वह ही नहीं मिल रहा। अध्यक्ष महोदय, पुरातत्व विभाग और नगरपालिका का यह झगड़ा खत्म हो, कोई एक विभाग यह जिम्मेदारी ले। किसकी जिम्मेदारी है वहां तालावों में पानी लाने की न सिंचाई विभाग इस जिम्मेदारी को वहन कर रहा है...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री सम्पतसिंह : न नगरपालिका इस जिम्मेदारी को वहन कर रही है। कोई एक विभाग इसकी जिम्मेदारी ले ताकि पीने को पानी कम से कम कुओं में उपलब्ध हो। वह व्यवस्था हो सकती है तालावों के पानी से। अध्यक्ष महोदय, जलदाय विभाग द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी विनम्र विनती यह है कि कम से कम 15 दिन में यह व्यवस्था होनी चाहिये जिससे वहां मासूम नागरिक कम से कम पीने के पानी के लिये परेशान न हों।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, राज्य में चिकित्सा विभाग के अन्दर ड्रग कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत एक कन्ट्रोल बोर्ड बना हुआ है जिसका काम है दवाइयों का लाइसेंस देना, क्वालिटी कन्ट्रोल करना, उसके बाद बाजार में कैसी दवाइयां आ रही हैं उनके सेम्पल कलेक्ट करके उसका एनलिसिस करवाना और उनको चैक करना। वर्तमान स्थिति यह है कि बाजार में बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जो कि आज नकली मिल रही हैं। स्पूरियस ड्रग्स मिल रही है। यह बहुत मानवीय प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, बीमार बहुत लाचार होकर दवाइयां लेने जाता है ठीक होने के लिये, मरने के लिये नहीं। पर अध्यक्ष महोदय, दवाइयों का तो रीएक्शन हो जाता है। दवाइयों में ऐसी मिलावट होती है जिसको बिना माईक्रोस्कोप के भी देखा जा सकता है। बहुत सी दवाइयां अस्पताल में डाक्टर लोग रिजेक्ट कर देते हैं। वह दवाइयां ही ज्यादा लिखते हैं, नम्बर आफ मैडिसन भी अधिक है। उनकी नेचर ऐसी है कि ज्यादा लिखते हैं। बीमार होने वालों में अधिकांश गरीब लोग होते हैं। उतनी दवाइयां उनको खरीद कर लानी पड़ती हैं। उसके बाद यदि डाक्टर यह कह देता है कि दवाइयां ठीक नहीं हैं और इनमें मिलावट है तो इसका मतलब है सरकार की सीधी जिम्मेदारी है। डाक्टर को ही रिपोर्ट करनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि उतनी दवाइयां फिर से लेकर आये। तो बीमारी भी गरीब पर एक बहुत बड़ा भार हो जाती है। आज कल बाजार में कई दवाइयां ऐसी पाई जा रही हैं जो अस्पतालों में डाक्टरों द्वारा

(श्रीमती विद्या पाठक)

रिजेक्ट की जा रही है। और भी समस्यायें हैं, अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट की जा रही हैं, जो कुछ दवाइयों के ऊपर लिखा हुआ होता है, इनके इन्ग्रेडिएण्ट्स क्या हैं, क्वालिटी क्या है, क्वान्टिटी कितनी है, लेकिन उससे कहीं कम एनालिसिस के समय पाई जाती हैं या स्ट्रेन्थ जितनी दवाई की होनी चाहिये वह नहीं होती है, लिखी हुई कुछ है और उसकी दवाइयों की स्ट्रेन्थ होती है उससे कहीं ज्यादा कम। उसकी एक्सपायरी डेट के लेवल अधिकांश रूप में अगर पुराने हो चुके हैं, तो बदल दिये जाते हैं। एक्सपायरी डेट की दवाइयां मरीजों को डिस्पेंसरीज के माध्यम से पहुंचती हैं जिनसे उनको लाभ कम होता है और हानि अधिक होती है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां अस्पताल में एक दवाई है जिसका नाम एफ.एफ. यू-250/ माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्सर के मरीजों के लिये यह दवाई प्रेसक्राइब की जाती है। मेरे पास इस दवाई का कैशमीमो है, यह दवाई भी है, मैं, जिस डाक्टर ने रिजेक्ट किया, उसका नाम बता सकती हूं, जिस मरीज के लिये दी है और जिसने मुझको दी है उन सबके नाम इंगित कर सकती हूं। इस दवा को देखें तो इसमें क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। यह इन्ट्रावीनस इन्जेक्शन है जिसमें क्रिस्टल्स हैं। यदि वह वेन में दिया जाये जाये तो तुरन्त ही मौत हो जायेगी। इस तरह की जो दवाइयां बाजार में मिल रही हैं उसमें मिलावट आ रही है। सरकार की सीधी जिम्मेदारी है कि इस तरह की दवाइयों पर नियन्त्रण किया जाये। यह दवाइयां सील्ड हैं। इसमें किसी तरह से यह नहीं हो सकता कि किसी ने बदल दी हो, कहीं रखने की स्थिति में खराब हो गई हों, यह सील्ड है। कम्पनी बाहर की है, यहां की नहीं है, मगर फिर भी सरकार की यह जिम्मेदारी है कि इस तरह की दवाइयां बाजार में न आयें। यह एम्प्यूल, इसका कैश मीमो, यह सब सदन की मेज पर रखने की मैं अनुमति चाहूंगी। मैं चाहूंगी सरकार इसका एनालिसिस कराये, इसकी रोकथाम के लिये जो किया जा सकता है, वह करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप मन्त्री जी को ही सीधा भेज दीजिये।

श्रीमती विद्या पाठक : यहां से होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो वह ज्यादा डिपेन्डेबल और रैस्पोंसिबल होगा।

श्री अध्यक्ष : आपने समाप्त किया ?

श्रीमती विद्या पाठक : हां।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द।

श्री फूलचन्द (नीम का थाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे नीम का थाना क्षेत्र के झूठे गिरदावरियों के मामले हैं, वहाँ पहाडी क्षेत्र के पास में कुछ गांव है। लादिकावास, कोला खेड़ा, कालाखोटा, जैतपुरा, लुहरास, मोकलवास झरेन्डा, आदि। यह कई गांव हैं जो पहाड़ी क्षेत्र के पास हैं और जिनमें कई वर्षों से अकाल है। वहां काश्तकारों की झूठी गिरदावरी दिखा कर कम से कम 60,70 हजार पैनल्टी के निकाले हैं। मुझे अभी मालूम हुआ है कि वहां लोगों को बिना सूचना दिये हुए कुर्की की जा रही है। उनको यहां तक बार-बार परेशान

(श्री फूलचन्द)

किया जाता है कि गांव वाले घर छोड़ कर भाग रहे हैं। यह बहुत ही बड़ा संकट का प्रश्न है। काश्तकारों को परेशान करने के लिए झूठी गिरदावरी दिखाकर कार्यवाही हो रही है तो बहुत ही चिन्ता का विषय है। यह पटवारियों ने सारी गड़बड़ की है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच की जाये और यह मालूम किया जाये कि जहां जमीन ही नहीं है वहां गिरदावरी कैसे दिखाई, जहां फसल हुई ही नहीं, वहां फसल कैसे दिखाई, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तुरन्त जांच करवायें ताकि उन लोगों को फायदा मिल पाये।

श्री अध्यक्ष : श्री डूंगरराम ।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था लेकिन आपने इसमें पूर्ण अनुमति न देकर संक्षेप में कहने का आदेश दिया है। यह महत्वपूर्ण विषय है, हमारे रावतसर राजस्थान केनाल क्षेत्र में जो सी. ए. डी द्वारा बड़े खाले बने हुए हैं उसकी वसूलियां भी सख्ती से की जा रही हैं वहां पर एक किस्म का अकाल पड़ गया है यानि अकाल से भी बहुत बड़ा दुष्काल है। एक अनावृष्टि के कारण अकाल होता है। राजस्थान केनाल एरिया में पानी नहरों में नहीं आने के कारण अकाल हुआ है। वह भयंकर अकाल है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि वहां किसानों ने बहुत धन लगाया हैं। फासफारेस डाला है, पहले नीचे डाइमोनिया जो महंगा है बीजा जाता है, पौने दो सौ रुपए प्रति बैग मिलता है, उसके बाद यूरिया 113 रुपया प्रति बैग मिलता हैं, फिर टैक्टर की जुताई डीजल का खर्चा सब कुछ करने के बाद अब यह स्थिति है राजस्थान केनाल में पानी नहीं है। वाटर मैनेजमेंट बोर्ड की ओर से जारी यह मेरे पास रैगूलेशन तालिका है। यह चिट्ठी बनाकर दी थी कि एक महीने में तीन बारियां मिलेगी यानि कि तीन पानी की किश्तें मिलेगी लेकिन एक भी मुश्किल से मिल रही है। पीने के पानी के लाले पड़ रहे हैं। हमारी राजस्थान केनाल की नहरों की इस वक्त जो क्षमता है वह केवल साढ़े आठ हजार क्यूसेक है, इससे सारी नहरें फीड होती है। कोई किसी भी डिस्ट्रिब्यूटरी की बारा बन्दी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी नहर का कुल डिस्चार्ज साढ़े अठारह हजार क्यूसेक है लेकिन इस वक्त हमें साढ़े आठ हजार ही मिल रहा है, कभी अड़तीस सौ आता है तो कभी 3 हजार आता है। इससे तमाम फसलें नष्ट हो गई हैं। इतना किसान को घाटा आया है कि वह कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा और जितना सरकारी ऋण है, कि वह भी अदा नहीं हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, खालों की किश्तों की वसूली सख्ती से की जा रही है। किसान पैसा कहां से लाए, उसकी फसलें नष्ट हो चुकी हैं उनकी बारियां काटी जा रही हैं। एक बारी महीने में कभी-कभी आती है, वह भी आती नहीं है और पानी किसान के खेत में पहुंचता नहीं है। जब उत्पादन नहीं होगा तो किसान कहां से बकाया दे सकेगा। खालों की किश्तें ही ऐसी पेचीदा हैं जो किसान कभी नहीं दे सकेगा। उस पर चक्रवर्ती ब्याज है। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, जब सरकार ने या सी. ए. डी.

(श्री डूंगरराम पंवार)

विभाग ने विश्व बैंक से आधे पर्सेन्ट पर ऋण लिया है और किसान से दस गुना वसूल क्यों किया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम पंवार : इस हालत में किसान दे नहीं सकता। बड़े आश्चर्य की बात है, कहीं भी ऐसा लॉ नहीं है मूलधन से डबल से ज्यादा कोई वसूली नहीं कर सकता है, यह कानून में बताया है, लेकिन आप आश्चर्य करोगे कि मूलधन केवल 500 रुपया और ब्याज 5 हजार रुपया, मूलधन 8 सौ रुपया ब्याज 8 हजार रुपया, मूलधन एक हजार रुपया, ब्याज दस हजार रुपया, यह किसी के समझ में नहीं आ सकता। अध्यक्ष महोदय, इससे वे, किसान बढ़ नहीं सकेंगे। इसके अलावा कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट ने जो भूमि किसानों को 16.750 यानि पौने सत्तरह हजार में अलाट की थी वह बढ़ाकर 35 हजार कर दी, वह भी किसान नहीं दे सकेंगे। किसानों को उस वसूली को लेकर बे-इज्जत किया जा रहा है, उनको पकड़ कर बैठाया जा रहा है, पानी की बारियां काटी जा रही हैं और उधर उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले के किसान को इस तरह से परेशान करके आन्दोलन न किया जाय। सरकार को ध्यान होगा सन् 1977 में गंगानगर जिले के किसानों के सामने सरकार ने घुटने टेके थे। वही जिला है, अगर सरकार ने इस तरह से परेशान किया और काश्तकारों की समस्याओं के प्रति अनदेखी की तो गंगानगर जिले का किसान आन्दोलित होगा और सरकारों को वहां के किसान उखाड़ कर फैंक देंगे। अब गंगानगर जिला अकेला नहीं है, सरकार यह भी सुन ले। बीकानेर जोधपुर ये तीनों डिविजन एक साथ हैं, यह भी सोच लेना कि वहां सरकार कई गांवों में तो दिखाई नहीं देगी....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री डूंगर राम पंवार : भागती दिखाई देगी, यदि इस तरह परेशान किया तो। मेरा यह निवेदन है कि काश्तकार पीड़ित है और अकाल ग्रस्त है आपने तो गंगानगर जिले के लिये यह समझ रखा है, आपने तो यह कर रखा है कि गंगानगर जिला सारा इर्रीगेटेड है....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम पंवार : गंगानगर जिले का अधिकतर भू-भाग जो है सैण्डलूम है, यानि अन-कमान्ड भी है लेकिन उस सारे को इर्रीगेटेड माने जाने के कारण किसानों को कर-भार भुगतना पड़ रहा है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि किसानों से ऐसी हालत में सख्ती से वसूली न की जाय। जो खालें इंजीनियर्स की गलती से खराब बने हैं और जिनमें मैटीरियल गलत लगाया गया है, 60 पर्सेन्ट मैटीरियल बेच दिया गया है, और वह किसानों से वसूल हो रहा है। सीमेण्ट कितनी बार पकड़ी गई, उसके मुकदमे दर्ज हुए हैं लेकिन इरिगेशन और पुलिस विभाग दोनों ने मिलकर उसका रफा दफा कर दिया। जो सीमेंट, बेच दिया गया किसानों को उसका पैसा भुगताना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, करे कोई और,

(श्री डूंगरराम पवार)

भुगतें कोई। इसलिये वसूलियां ऐसी हालत में स्थगित की जाय। बारानी भूमि है उससे मालिया रकम वसूल की जा रही है। मेरा निवेदन है कि उनकी बारी न काटी जाय। आज उनको राजस्व विभाग परेशान कर रहा है, यह वसूली स्थगित की जाय। का-आपरेटिव सोसायटीज के जो ऋण हैं, उसकी वसूलियां भी स्थगित की जाय। वहां पर किसान बहुत परेशान हैं। इस बारे में सरकार गंभीरता से विचार करे और सम्बन्धित विभागों को आदेश दे कि वह किसानों को परेशान न करें इतना ही मुझे कहना है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन प्रकाश।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बार जब मैंने इस सवाल को उठाया था तो आपने मुझसे यह कहा था कि इस सवाल को आप बार-बार क्यों उठाते हैं। मेरे पास पिछले दो-तीन दिनों में....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : ....लगातार तीन-चार तार आ चुके हैं। उन तारों का मजबून पढकर ही मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। "अनिल कुमार जैन के पुत्र के अपहरण के केस में तीन दिन हो गये अब तक पुलिस की कार्यवाही सन्तोषजनक नहीं है। थानेदार कार्यवाही में अक्षम है। राजाखेडा बाजार दो दिनों से बन्द है। तुरन्त कठोर कार्यवाही की जाय।" दिन में 11-00 बजे राजाखेड़ा बाजार में अनिल कुमार जैन के पुत्र, जो पांच वर्षीय है, बड़े आराम से डाकुओं के गिरोह के द्वारा उठाया जाता है और सबके द्वारा उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाया जाता है। थाना वहां से सिर्फ 150 गज की दूरी पर है। आज तीन दिन हो गये सरे आम दिन दहाड़े बाजार में बच्चे उठाये जा रहे हैं अपहरण किया जा रहा है लेकिन अभी तक पुलिस कोई भी कार्यवाही करने की फुर्सत नहीं है। इसके पहले 15 मार्च को सात बजकर पन्द्रह मिनट पर जबकि बाजार खुला हुआ था, उस जिले के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य श्री लज्जाराम पाराशर को दो व्यक्ति गोली मार कर भाग जाते हैं और उनका वहीं पर प्राणान्त हो जाता है। उनकी लाश को अस्पताल लाया जाता है। मैं स्वयं आठ बजकर बीस मिनट पर पहुंचता हूं। उनकी लाश को लाश घर में रखवाने के बाद दस बजकर 20 मिनट पर मैं जब एस. पी. के घर पहुंचता हूं और पूछता हूं कि एस. पी. कहां हैं तो उनके घर से जवाब मिलता है कि नहीं मालूम। जब मैं कोतवाली टेलीफोन करता हूं और पूछता हूं एस.पी. साहब कहां है तो मालूम पड़ता है, नहीं हैं। कलेक्टर के घर पर जाता हूं तो कलेक्टर कहीं से टहल कर लौट रहे हैं। वे मुझसे यह जानकारी लेने के बाद कोतवाली में फोन करते हैं। यह पूरे जिले के प्रशासन की स्थिति है।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न अब सिर्फ बात कह कर समाप्त होने वाला नहीं है। सत्ता पक्ष के जो लोग भी हैं, मैं यह चाहता हूं गृह मंत्री जी, आज इस पर निश्चित तौर पर कार्यवाही का आश्वासन दें, क्योंकि आज आपके आदेश से हम शान्त हो सकते हैं, हम आपके आदेश से यहां बैठ सकते हैं लेकिन पूरा धौलपुर जिला आपके आदेश से नहीं, आपकी कार्यवाही से

(श्री मोहन प्रकाश)

ही शान्त हो सकता है। पूरे जिले में पिछले एक साल से या 8-9 महीने से अध्यक्ष महोदय, आतंक छा रहा है।

धौलपुर नगरपालिका चेयरमेन, जो कांग्रेस (आई) के सदस्य थे, की सरे बाजार, कोतवाली से सिर्फ 100 गज की दूरी पर मार मार कर हत्या कर दी गयी। कांग्रेस (इ) का ही दूसरा सभासद कोतवाली में जाकर सूचना देता है कि नगर चेयरमेन साहब की हत्या की जा रही है। पुलिस कहती है कि उनके घर जाकर सूचित करो। उसके बाद जो लोग हत्यारे थे वह लोग तत्कालीन गृह मन्त्री के घर में थे। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार प्रमुखता के साथ धौलपुर जिले में आम आदमी की जिन्दगी को सुरक्षित करने का काम नहीं करेगी तो सरकार भी सुरक्षित नहीं है। आज मुख्य मंत्री सचिवालय में जिस तरह के लोग हैं उसका इशारा पिछले दिनों 3 बार मैंने किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां जो डी.जी. महोदय हैं, इनको लगता है, ये मानते हैं कि धौलपुर जिला राजस्थान में ही है नहीं। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमको पानी न दीजिए, बिजली न दीजिए, हमको सड़क न दीजिए, हमको दवाई न दीजिए लेकिन हमारी जिन्दगी को सुरक्षित रखने का इंतजाम तो करिये। खास तौर से पूरा यह इंतजाम नहीं कर सकते हैं तो जिसके ऊपर आपने जिम्मा छोड़ा है हमारी जिन्दगी को सुरक्षित करने का वह लूटने का काम तो न करें।

आज से 4 महीने पहले पत्थर की खानों से पत्थर आ रहे थे, एक सिपाही अपने दो साथियों सहित सड़कों पर उन ट्रकों को लूटने का काम करता है। ट्रक वाले आकर रात को एस.पी. के यहां ट्रक खड़े कर देते हैं. पूरा रास्ता बन्द कर देते हैं। शराब में धुत सिपाही ट्रकों को लूटने का काम करते हैं।

आज मैं इस सदन के माध्यम से एलान करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज से 3 महीने पहले शर्म की बात है राजस्थान के लिए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस (इ) के विधायक श्री मंडलेश्वर सिंह ने, राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर को पत्र लिखा कि हमारे यहां से 26 पकड़ हुई हैं. डाकुओं ने 26 लोगों को उठाया है और राजस्थान के धौलपुर इलाके में गृह मन्त्री के संरक्षण में वह 26 डाकू लोग 26 पकड़ को रखे हुए हैं। उसके बाद 3000 आदमियों को लेकर मंडलेश्वर सिंह, कांग्रेस (इ) के विधायक....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : धौलपुर में आते हैं और गृह मन्त्री के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। वाह रे कांग्रेस (इ) की छवि, वाह रे राजीव गांधी। जो आदमी प्रदर्शन करता है पकड़ के खिलाफ, वह आज उत्तर प्रदेश में रासुका में बन्द है और जो लोग पकड़ करवाते हैं वह आज स्वच्छन्द होकर इस समाज में इज्जत की जिंदगी को जीने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नोट किया जाय, उन 26 पकड़ों में से....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : बाकी लोग पैसा देकर छूट गये। बाड़ी क्षेत्र में नकसौदा की खानों पर, जो जिला जौन के ऊपर हैं, मेरी चुनौती है सरकार को कि अभी भी 3–3 डकैतों के गैंग पड़े हुए हैं। 9 पकड़ उनके पास हैं वह 9 आदमी भी इन्सान हैं जिनको कि पिछले 3 महीने से डाकुओं ने पकड़ रखा है। सरकार के पास अगर सूचना नहीं है, अध्यक्ष महोदय, तो मैं सूचना देता हूं और यह मानकर सूचना देता हूं कि आज जब तक लौटूंगा तो मेरी जिन्दगी इन डाकुओं के हाथ सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। कांग्रेस (इ) के जो वहां आका हैं जो लगातार तीस सालों से वहां की जनता का शोषण करते आये हैं, इनके हाथों मेरी जिन्दगी सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर जिले की जनता की जिन्दगी की सुरक्षा का काम यह सरकार करे। सरकार अगर नहीं कर सकती है तो जिस पर आपने जिम्मेदारी डाल रखी है सुरक्षा की, कम से कम वह हमारी जिन्दगी को लेने का काम न करें, हमारी अस्मत को बेचने का काम न करें····

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मोहन प्रकाश : इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि गृह मन्त्री को आज निश्चित तौर पर जवाब देना चाहिए। नहीं देंगे तो आज अन्तिम दिन है, मैं क्षेत्र में कल जाऊंगा। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के लिए नया हो सकता हूं लेकिन खाली अपने जज्बात को लेकर मैं आज अपनी कार्यवाही को खत्म नहीं करूंगा। आज, गृह मन्त्री महोदय, आप मुझे कम से कम यह आश्वासन दिलाने की कोशिश करें कि उस मां का क्या होगा जिसका कि बेटा 5 साल का उठा लिया गया है? उस आदमी का क्या होगा जिसको 15 तारीख को गोली मार देने के बाद पुलिस अभी तक किन लोगों ने किन परिस्थितियों में गोली मारी यह बताने में अक्षम है? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं पिपहरा गांव के सरपंच सीताराम, उनके भाई धौलपुर आते हैं और शाम को उनकी हत्या करने के बाद पार्वती नदी के किनारे तकीमो घाट पर उनकी लाश को डाल दिया जाता है। हाथ पर लिख दिया जाता है मैं पिपहरा सरपंच का भाई हूं। उसके बाद पुलिस कहती है कि यह एक्सीडेंट है। अंग अंग टूटा हुआ है····

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : गला दबा हुआ है और पुलिस का एस. पी. यह कहता है। हाथ पर लिखा हुआ है, यह पिपहरा के सरपंच सीताराम का भाई है उसके बाद पुलिस कहती है कि यह तो एक्सीडेंट रात में हो गया इसलिए मर गया। अध्यक्ष महोदय, क्या हम हमारे धौलपुर जिले को पिछड़े से पिछड़ा रखना चाहते हैं। एक चीज धौलपुर में नहीं है लेकिन उसके बावजूद कम कम से आप सारी पुलिस को उठा लीजिए। मैंने अखबारों में पढ़ा कि कांग्रेस के लोगों ने यह आरोप लगाया कि धौलपुर जिले में थानों की नीलामी होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप टैण्डर निकाल दीजिए····

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : टेंडर निकाल दीजिए थाने का। जो आम आदमी वह थाना नीलामी में खरीद लें साल भर उन्हीं लोगों को, जिम्मा दे दीजिए। हर थाने में शाम को उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से जितने छंटे हुए अपराधी हैं, जो नामी अपराधी हैं वह विराजमान रहते हैं। यह उसका नतीजा है यह नहीं पूरे प्रदेश में जो कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, आज वह लोग परेशान हैं। जो लूटने वाले अधिकारी हैं, लूटने वाले जो पुलिस कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं वह एशोआराम और इज्जत के साथ रह रहे हैं। मुख्य मंत्री जी के सचिवालय में जो आज हैं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : मानसिंह काण्ड न होता अगर मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर को हटना न पड़ता····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने स्थगन प्रस्ताव पर आप प्रस्ताव से····

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री डी. जी. को यह कहते हैं कि कानसिंह भाटी को सस्पेण्ड करो और····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : मुख्य मंत्री का सचिव यह कहता है कि सस्पेण्ड न करो।

श्री अध्यक्ष : अपने स्थगन प्रस्ताव पर, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर न हों, माननीय सदस्य, संक्षेप में कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन प्रकाश : अब संक्षेप में क्या करूं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : आप चाहते हैं तो मैं अपनी बात कह करके समाप्त करता हूं लेकिन आप मुझे यह आश्वासन तो दिलवा दीजिए कि इस पर क्या कार्यवाही हो रही है। मैं कल जाऊंगा क्षेत्र में तो क्या यह कहूंगा कि मैंने आपके लिए बोल दिया है। क्या यह मेरे लिए न्याय होगा?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार के सामने बात आ गयी है आपकी, अब सरकार की जिम्मेदारी है, माननीय सदस्य। आज यह बात आ गयी सरकार के सामने।

श्री मोहन प्रकाश : क्या मेरे साथ यह न्याय होगा? नहीं, अध्यक्ष महोदय। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि अब इन सवालों को रखने दीजिए जो कि सीधे सीधे जनता से सम्बन्धित हैं। औरत खरीद-फरोख्त का कार्यक्रम है। देखिये, मैं परसों बोला फिर यहां पर औरत बरामद की गयी····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप की भावना····

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : तो जो सवाल उठाता हूं उसका अगर सरकार की तरफ से

(68)

(श्री मोहन प्रकाश)

कोई जवाब नहीं आयेगा तो इतना कहकर मैं अशान्त जनता को शान्त नहीं कर सकता। आपके आदेश से मैं शान्त हो सकता हूं लेकिन मेरा मन शान्त नहीं हो सकता। मेरा यहां से क्षेत्र में जाने के बाद यह कह कर मैं लोगों को शान्त नहीं कर सकता कि आपकी बात मैंने अध्यक्ष महोदय से कह दी है।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने सुन ली है।

श्री मोहन प्रकाश : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सदन का इस तरह का नियम भी है तो उस नियम को तोड़ा जाय। मुख्य मंत्री या गृह मन्त्री यह साफ साफ बतायें हमको कि वह इसके बाबत क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : पूरे धौलपुर जिले की पुलिस का जब तक आप स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, जो लोग खुद लिप्त पाये गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक धौलपुर जिले में शान्ति नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर वह यह समझते हैं कि इस तरह की हिंसा करके वह अपने दबाव को बनाये रखेंगे तो मैं कहना चाहता हूं बागपत कांड में जब एक औरत के सरे आम पुलिस ने ड्ण्डा डालने का प्रयास किया ...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : पूरे देश ने कहा कि पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करो। जब कार्यवाही नहीं की गयी तो जनता ने उस पुलिस अधिकारी को गोली मारने का काम किया ...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन प्रकाश : यह हमारा काम नहीं है हम डा. लोहिया के शिष्य हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने कार्यवाही नहीं की तो खुद-ब-खुद सरकारी हिंसा के खिलाफ जनता हिंसा के रास्ते पर जायेगी जो कि इस देश के लोकतन्त्र के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गणेशलाल।

श्री अब्दुल अजीज : इनकी भी जान को खतरा है।

श्री मोहन प्रकाश : वह तो हो ही गया है।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में इन्द्रगढ से करवर एक सड़क का निर्माण किया गया था आज से करीब 18-20 वर्ष पहले। निर्माण होने के बाद जिन काश्तकारों की जमीन उस सड़क में आई थी उनका मुआवजा आज तक सरकार दे नहीं पा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 18-20 वर्ष पहले वहां के काश्तकार सार्वजनिक निर्माण विभाग, वहां के जिलाधीश के पास गये। एक भी अधिकारी उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसके दर पर जाकर उन्होंने इंसाफ की भीख नहीं मांगी हो लेकिन आज तक

69

(श्री गणेशलाल वैरागी)

भी, उन किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया है । माननीय अध्यक्ष महोदय ये गांव हैं करवर, भीरड़ा और कल्याण खेडा । इसके अलावा भी करीब 8-10 गांव ऐसे हैं जिनके किसानों की जमीन राजस्थान सरकार ने अवाप्त की है लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अतिरिक्त सचिव राजस्थान सरकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग का पत्र क्रमांक एफ 12/53/पी. डब्ल्यू डी/67 दिनांक 12-7-67 है, इस पत्र के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह आदेश दिया था कि इन किसानों को अमुक प्रकार से मुआवजा दिया जाय । लेकिन 1967 से लेकर आज तक वहां के सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो अधिशासी अभियन्ता हैं, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है । दर दर घूमने के बाद, कई दफा अवाप्ति अधिकारी से भी निवेदन करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई । माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12-8-1984 को अवाप्ति अधिकारी जी ने सारे किसानों की एक फाइल बना करके इसकी सुनवाई प्रारम्भ की और दिनांक 25-7-84 को उन्होंने आदेश फरमाया भिन्न भिन्न पत्रों पर, अलग अलग फाइलों पर । उनमें से लगभग 8-10-15 लोगों के नाम मेरे पास मौजूद हैं । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी कई लोग ऐसे है जिनको मुआवजा दिया जाना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस फैसले में अवाप्ति अधिकारी जी ने लिखा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई, न कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति है वहां के अधिकारियों की, यह चिन्ता है वहां के किसानों के बारे में । इसी पत्र में आगे लिखा गया है, श्रीमान्, अवाप्तशुदा रकबा सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में इसी वर्ष दर्ज हो जाना चाहिए और काश्तकारों का लगान भी सन् 1984 से कम हो जाना चाहिए ।

(1-28 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदया राजस्थान का किसान राजस्थान सरकार से मांग करता है कि हमको बिजली मिलनी चाहिए, राजस्थान का किसान राजस्थान सरकार से इस बात की मांग करता है कि हमारे खेतों में पानी मिलना चाहिए । राजस्थान का किसान राजस्थान सरकार से इस बात की मांग करता है कि पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार जवाब देती है सदन में खडी हो करके कि हमारे पास वित्तीय साधनों का अभाव है । इसलिए जब भी हमारे पास वित्तीय साधन होंगे हम इसकी व्यवस्था करेंगे । अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ता है कि राजस्थान में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, छोटी छोटी बहिनों के साथ घटना की जा रही है, राजस्थान में धौलपुर से नन्हें नन्हें बच्चों को उठा करके ले जाया जा रहा है । हमारे स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्ष महोदय यह व्यवस्था देते हैं, राजस्थान की सरकार यह जवाब देती है कि उनके बारे में विचार करेंगे, ठीक प्रकार से उनका निदान करेंगे । सभापति महोदया, हो सकता है वित्तीय साधनों

(श्री गणेश लाल बैरागी)

की कमी की वजह से राजस्थान में किसानों की सुनवाई नहीं हो रही हो। हो सकता है कि किन्हीं कारणों से यहां की मां बहिनों की इज्जत सुरक्षित नहीं रखी जा रही हो। हो सकता है किन्हीं कारणों से, चाहे राजनैतिक कारण ही क्यों नहीं हों, यहां की बहिनों की इज्जत, यहां के बच्चों की इज्जत की और जान की रक्षा नहीं की जा रही हो। माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, सरकार ने आज के बीस वर्ष पहले यह बात कही थी कि इन किसानों को मुआवजा चुका दिया जावे। रकम भी आवंटित की गई। इसके बावजूद 18 साल तक बूंदी जिले का किसान एक एक अधिकारी के दरवाजे पर डोलता रहा और रहने के बाद 1984 में जाकर सुनवाई हुई पर सुनवाई होने के बाद भी आज तक उसको पैसा नहीं मिले। आज तक उसकी जमीन का हक उसको नहीं मिला है, आज तक उसकी जमीन का मुआवजा उसको नहीं मिला है। और मुआवजा नहीं मिला सो ही नहीं राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी उससे उसका लगान भी लेते रहे---

श्री दाऊदयाल जोशी : दुर्भाग्य है।

श्री गणेशलाल बैरागी : माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन के सामने राजस्थान सरकार से कि क्या राजस्थान की सरकार देखना नहीं चाहती, क्या राजस्थान की सरकार सुनना नहीं चाहती, क्या राजस्थान की सरकार किसानों के बारे में विचार नहीं करना चाहती ? मैं व्यवस्था चाहता हूं आपसे। बहुत बड़ा मामला नहीं है। 15, 20, 25 लोगों को मुआवजा चुकाने का मामला है। मुआवजा मंजूरशुदा पड़ा हुआ है। लेकिन, सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कौन से अधिकारी को मुआवजा चुकाना है। अधिशासी अभियन्ता जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का व्यक्ति है उसको चैक काटना है। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। पर वह नहीं करेगा। वह इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एक एक केस में उसको कमीशन चाहिए। ठेकेदारों से कमीशन खाता है, वहां के बाबूओं से कमीशन खाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन किसानों से भी कमीशन मांगना चाहता है। ऐसे अभियन्ता से आप रक्षा कीजिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज मेरे भाई ने अभी कुछ बातें कहीं। राजस्थान की सरकार कान खोल ले, राजस्थान की सरकार किसानों की बात पर विचार करे। तो बहुत बड़े बड़े मसले हैं उन पर विचार करने में हो सकता है, आपके सामने कोई परेशानियां हों लेकिन इसमें तो 25 लोगों को मुआवजा दिलाना है जो मंजूरशुदा है। आदेश हैं। सन् 1984 में मुआवजा मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है। राजस्थान सरकार से मैं आश्वासन चाहता हूं आपके माध्यम से कितने दिनों में मुआवजा देने वाले हैं ? और नहीं देंगे तो, श्रीमान्, यह भी मैं निवेदन करता हूं कि आने वाली विधान सभा से पहले किसान उन अधिकारियों से जबरदस्ती मुआवजा वसूल कर लेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गायब है सरकार।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्रीजी, कृपया ध्यान दें। माननीय सदस्यों का अपमान है उनकी बात नहीं सुनना।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ध्यान दे रहा हूं।

श्री सभापति : श्री किरोडीलाल जी।

श्री छोगाराम बकोलिया : मैं दे रहा हूं साहब, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं तो।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह सरकार की चाराजोई है।

श्री सभापति : श्री किरोडीलाल जी, आप बोलना चाहेंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपका प्रस्ताव है, पाकिस्तान नागरिकों की वीसा अवधि समाप्त होने के बाद भी उनके भारत में रहने के सम्बन्ध में। उसमें हैं श्री किरोडीलाल मीणा, श्री हरिकुमार औदिच्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : दाऊदयाल जोशी का है ?

श्री सभापति : नहीं है, माननीय सदस्य। आप बोलना चाहेंगे, माननीय सदस्य श्री किरोडीलाल मीणा अथवा श्री हरिकुमार औदिच्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मूल प्रस्ताव में है साहब। हमारे दस्तख्त हैं। बड़ा गम्भीर मामला है, साहब।

श्री सभापति : नहीं माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर प्लीज। श्री किरोडीलाल जी।

प्रदेश की सुरक्षा का मामला है, बहुत संयम भाषा में।

श्री किरोडी लाल मीणा : माननीय सभापति महोदया, पाकिस्तान से हर बार कुछ लोग वीसा लेकर हिन्दुस्तान में आते हैं। हिन्दुस्तान में आने के बाद वह यहां बस जाते हैं। अपनी सीमाओं को पार करके राजस्थान के कस्बों, शहरों और गांवों में बस जाते हैं। बसने के बाद वह वापिस पाकिस्तान नहीं जाते। यहीं रह कर शादी और रिश्ते करते हैं। उनकी शादियां, रिश्ते होने के बाद यहां तक हुआ है कि मतदाता सूचियों में भी उनके नाम जुड़ गये हैं। ऐसी गम्भीर समस्या राजस्थान प्रदेश में खड़ी हो रही है। यह बड़ी गम्भीर समस्या है जिसकी जानकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों तक को है किन्तु उस सिलसिले में केन्द्र सरकार ने या इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मेरा कहना इस बारे में यह है कि इस प्रकार से यदि पाकिस्तान से वीसा लेकर लोग यहां आते रहे, वे अपनी शादियां करते रहे और मतदाता सूचियों में उनका नाम जुड़ता रहा तो यहां भी आसाम जैसी स्थिति

(श्री किरोडी लाल मीणा)

पैदा हो जाएगी। उस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए मैं आपका ध्यान, राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस तरह की दुर्व्यवस्था फैली हुई है। पाकिस्तान से लोग आते हैं और राजस्थान में आकर जम जाते हैं। मतदाता सूची में उनके नाम जुड़ जाने से या शादी विवाह उनके द्वारा यहां कर लेने से दुर्व्यवस्था फैलने जैसी स्थिति बनी हुई है उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध आप सरकार की ओर से लगाने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री हरिकुमार औदिच्य, इस विषय में आप जो बोले हैं उसके अतिरिक्त कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : सभापति महोदया, इसके अतिरिक्त ही बोलूंगा। इन्होंने बोला है, इसके अतिरिक्त ही बोलूंगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मंडी) : सभापति महोदय, यह जो पाक नागरिक चुपके चुपके राजस्थान की सीमा में आते हैं उनकी बात तो अलग है, उनकी संख्या तो मेरे ख्याल से सरकार भी अभी तक बता नहीं पाई, लेकिन जो लोग वहां से नियम पूर्वक पासपोर्ट से आते हैं 77 से लेकर 1982 तक करीब 4403 इस प्रकार के लोग राजस्थान में आकर बस गये। इसके अलावा जो लोग हमारी सीमाओं को लांघ कर चले आये हैं उनकी संख्या अलग है। इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आसाम के बाद पाकिस्तान से लगी हुई हमारी लंबी चौड़ी सीमा है जो करीब 644 मील लंबी है। सरकार चुपके चुपके आने वालों को रोकने की व्यवस्था कर नहीं पाती लेकिन जो लोग यहां पर आकर बस गये और वापस लौट कर नहीं गये हैं उनके बारे में सरकार अभी तक मौन है ? कोई ऐसे ठोस कदम क्यों नहीं उठाये जबकि, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या के प्रति संबंधित क्षेत्र के जो अधिकारी हैं चाहे वे पुलिस के हों या प्रशासन के हों उन्होंने भी चिन्ता व्यक्त की है लेकिन राज्य सरकार ने इस दृष्टि से कोई ठोस कदम नहीं उठाये। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस स्टाफ को बढ़ावें, डी.एस.पी.एस.एस.पी. को ज्यादा मजबूत किया जाय और इस प्रकार से लोग आ रहे हैं हमारे क्षेत्र में उनको वापस पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था की जाय। इससे दो फायदे होंगे, एक तो अधिकांश लोग यहां पर आकर खुफिया का काम करते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से और हमारे क्षेत्र में शांति व्यवस्था की दृष्टि से भी इस प्रकार के लोगों का यहां रहना खतरनाक है। इसलिए आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार को भी इस प्रकार के लोगों पर कड़ी निगरानी रख करके उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री खंगारसिंह चौधरी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव। जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था नहीं होने की वजह से दुर्घटना के बारे में। संक्षेप में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : आपको टोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सभापति महोदय।

मेरा निवेदन करना यह है कि चांद-

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पोल बाजार में इस समय नगर परिषद् और विकास प्राधिकरण दोनों मिल कर काम कर रहे हैं। करना चाहिए था काम सार्वजनिक निर्माण विभाग को। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहूंगा कि आप भी भगवान् के भक्त हैं, रामनवमी की यात्रा निकलेगी, सूरजपोल से चांदपोल, रामचन्द्रजी के मन्दिर में जाकर परसों समाप्त होगी। आप चांदपोल बाजार जायं तो देख लें कि वहां रोजाना दुर्घटनायें हो रही हैं। मिट्टी के ढेर, कूडे के ढेर पड़े हुए हैं और बड़े-बड़े पत्थरों में बिजली के खम्भे गड़े हुए हैं वह सड़क की ओर मुंह निकाल कर पड़े हुए हैं। बसें आती हैं, आवागमन रहता है तो वह शोभायात्रा कैसे निकलेगी और लोगों की क्या दशा होगी, इस पर थोड़ा विचार कर लें। मेरा निवेदन करना यह है कि सड़क की तरफ मुंह करके खम्भे पड़े हुए हैं। जो मर्करी लेम्प थे उनके खम्भे उखाड़ ले गये। उनके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं तो भले ही हो जायं। आप चल कर आज ही देख लें, लोग खम्भों पर चढ़ जाते हैं, इस प्रकार की कई दुर्घटनाएं हुई हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग को काम करना चाहिए था। नगर परिषद् की गति धीमी है, जयपुर विकास प्राधिकरण का लेना देना नहीं, नगर परिषद् का कोई लेना नहीं, परन्तु अवैध रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग चांदपोल बाजार में घुस गया लेकिन घुस जाने के बाद आज वहां काम हो नहीं रहा। स्थिति यह है कि वहां पर जो वाहन चलते हैं वे भी बड़े तेज चलते है बसें भी बहुत सी चलती हैं और तेज चलती हैं, और उनमें भी ओवर लोडिंग होता है। सरकार से कहा जाता है कि स्पीड गवर्नर लगाये जायं, पर वह लगे नहीं। रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं। चांदपोल सड़क पर बिना टक्कर खाये कोई घर सुरक्षित पहुंच नहीं सकता।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सी. टी. एस. बन्द कर दी गई। जयपुर शहर में तो सी. टी. एस. भी चलती थी और मिनी बसें भी चलती थीं। प्रतिस्पर्धा के आधार पर चलती थीं। मैं समझता हूं कि जिन लोगों को दूरदराज जाना पड़ता है जैसे महारानी कालेज के लिए कोई लड़की झोटवाड़ा, विश्वकर्मा से आये तो तीन जगह बसें चेंज करनी पड़ती हैं, वह चेंज नहीं करनी पड़ती थीं, सस्ती होती थीं। आज मिनी बसों ने किराया बढ़ा दिया उसका कोई औचित्य नहीं था। इसलिए प्रतिस्पर्धा के आधार पर मिनी बसें भी चलें और सी. टी. एस. भी चलें तो जयपुर के लोगों को कन्सेशन मिल सकता है, वे उसका लाभ उठा लेंगे और लोगों को जगह-जगह चेंज करना पड़ता है वह भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चांदपोल बाजार में जो निर्माण का कार्य चल रहा है उसको युद्ध स्तर पर कराना चाहिए। नगर परिषद, जे.डी.ए. फंस गये तो फंस गये उसमें मैं भी क्या कर सकता हूं लेकिन काम जल्दी करें, क्योंकि परसों ही शोभा यात्रा निकलेगी उसके पहले-पहले इसकी माकूल सफाई की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था की जाय। नालियां वहां पर सड़ रही हैं, खम्भे वहां पर पड़े हुए हैं। खम्भों को एक बार उठा लें, बड़े बड़े सीमेंट

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

के टुकडे पड़े हैं, उनको उठा लें तो शोभा यात्रा भी निकल जाएगी, लोगों के आवागमन की सुविधा भी बढ़ जाएगी।

मेरा अन्त में आपसे यही निवेदन है कि लाइट की टेम्प्रेरी व्यवस्था कर दें। जिस प्रकार से जौहरी बाजार में बीच में पटरी बनी हुई है उसी प्रकार की पटरी बना कर बीच में खम्भे लगा कर यदि चांदपोल बाजार को भी मर्करी लैंपों से सजा दिया जाय और नालियों की व्यवस्था सारी ठीक हो जाय, पूरी डामर रोड हो जाय, मैं समझता हूं कि यह जयपुर की अहमियत का प्रश्न है।

सभापति महोदय, यों तो जयपुर शहर की कम्पलीट यातायात व्यवस्था का भगवान ही मालिक है, कोई टक्कर खाए, ठप्पा खाये मर जाये, एक्सीडेन्ट हो जाये, कोई सुनने वाला नहीं। सरकार रहती है जयपुर में। इसलिये कम से कम चांदपोल बाजार की जो दुर्व्यस्था हो रही है, सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि सरकार इसको गम्भीरता से ले। बीच में रेलिंग डाल कर परमानेन्ट माकूल व्यवस्था करे। रामनवमी के अवसर पर विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। परसों जो सूरजपोल से शोभा यात्रा निकलेगी, जहां रोड है उस पर बीच में रोड़ी पड़ी हुई है जगह जगह, शोभा यात्रा वहां से निकल नहीं सकती। हाथी, घोड़े, बग्घी, सभी लोग जाते हैं, देवपुराजी, माननीय मुख्यमंत्री जी माल्यार्पण तो करेंगे ही, राजनेताओं को रामनवमी वाले बुलाते हैं। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार उनको भी धिक्कारेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं रामनवमी को शोभा यात्रा ठीक प्रकार से निकल जाय उसके लिए तुरन्त सरकार व्यवस्था करे।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, जसरासर में पेयजल समस्या के बारे में। इस विषय में पहले चर्चा हो चुकी है इसलिए संक्षेप में।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बीकानेर जिले की नोखा तहसील में जसरासर गांव है जो आबादी के हिसाब से जिले का सबसे बड़ा गांव है। सभापति जी, आज ही मेरे पास एक चिट्ठी आई है, टेलीग्राम आया है ग्राम पंचायत के सरपंच श्री रामप्रताप जी चौधरी ने जिलाधीश बीकानेर और संबंधित जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को टेलीग्राम दिये उसके बावजूद भी आज तक वहां पानी की स्कीम चालू नहीं हुई। गांव काफी बड़ा है, पांच हजार मतदाता हैं, 14 हजार की जनसंख्या है उस गांव में गाय भी हैं, भैंस भी हैं, भेड़ भी हैं। लोगों में भारी असंतोष फैला हुआ है। लोगों की जान और माल का खतरा है पीने के पानी बिना। इतनी बड़ी जनसंख्या का गांव है, दूसरे कौन से गांवों में ऐसी व्यवस्था है कि जहां जाकर लोग पानी ला सकें। आस पास में 30-30 कि.मी. में, सभापति महोदय, पीने का पानी नहीं है, आज तक। दो कुएं हैं वह दोनों कुएं बन्द पड़े हैं। ओवरसियर का हैडक्वार्टर है। दस आदमियों का स्टाफ लगा हुआ है। लेकिन जब उनको जाकर गांव के लोगों ने कहा कि कुएं बन्द हैं, चालू करो तो उल्टे पुलिस थाने में जाकर दो आदमियों के खिलाफ केस दायर

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

किया । यह जन भावनाओं को देखते हुए सेवा का काम कर रहे हैं ? मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार तुरन्त ध्यान दे और जिलाधीश से आज हीं बात करे कि क्या स्थिति है । गांव के लोग पानी के बिना मर रहे हैं । बहुत सी गायें, भेड़ और बकरियां पानी के बिना मौत के घाट उतर चुकी हैं । मैं बहुत जिम्मेदारी से सूचना दे रहा हूं सभापति जी, इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । जिलाधीश से वहां के लोग जाकर मिले तो कोई कार्यवाही नहीं की । जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जाकर मिले तो कोई कार्यवाही नहीं की । आखिर गांव की जनता का क्या हाल होगा । मैं आपकी मार्फत सरकार से चाहूंगा कि आज ही कोई न कोई कदम उठावे और पीने के पानी की व्यवस्था करें । जिले का सवाल तो दूर रहा, उस गांव की हालत बहुत खराब है । जिले की हालत भी खराब है, लूणकरणसर बड़ा इलाका है, कोलायत और नोखा तहसीलें हैं इन तीनों में आपके अधिकारियों का जो दिमाग है बहुत अजीब टाइप का है । वहां पानी ज्यादा है, सारी सुविधा है, उसके बावजूद पता नहीं हमारे खिलाफ हैं या सरकार को बदनाम करना चाहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए । हमारी समझ में नहीं आता, वह हमारे खिलाफ हैं या जनता के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ हैं या सरकार को बदनाम करना चाहते हैं । जसरासर का कमलाजी ने दौरा किया है, मंत्री महोदया उस गांव को जानती हैं । इतना बड़ा गांव है. दो कुए चलते हैं । दोनों कुओं को जानबूझ कर खराब कर रखा है । आज वह गांव त्राहि-त्राहि कर रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है । आखिर मजबूर होकर लोग तहसील पर धरना देने आये, पर तहसीलदार के पास कोई सुनवाई नहीं हुई, एस डी.एम. के पास सुनवाई नहीं हुई । आखिर राज्य सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है । मैं आपसे चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कोई न कोई व्यवस्था करे । जनता को कुछ राहत मिल सके, ऐसी कार्यवाही करके आज ही जवाब दिलाने की कृपा करें ।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा: कृष्णा टाक की दिनांक 24-5-84 को हुई हत्या के संबं में ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, कृष्णा टाक की हत्या 29 मार्च, 1984 को हुई, इस स्थगन प्रस्ताव को रखने ही मुझे ज़रूरत यों पड़ी कि आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है । इसकी जांच सी. बी. आई. से करवाना चाहते थे लेकिन नहीं करायी । लड़की का गला घोंट कर रात के तीन बजे मारा गया । उसका गवाह उसका लड़का है जिसने बताया कि उसके बाप ने उसकी मां का गला घोंट कर मारा है । रात के तीन बजे घर में लड़के की मां थी, लड़के का भाई था । उस स्थान पर बच्चा एक गवाह हो सकता है । उसकी गवाही मान ली जानी चाहिए थी लेकिन उस पर भी पुलिस ने कार्यवाही नहीं की ।

घटना यों हुई, इस लड़की के मां-बाप गरीब होने के कारण से एक सामूहिक विवाह में उसका विवाह किया गया । लेकिन बाद में उसको सताया गया और कहा कि तू तेरे घर से दहेज लेकर आ । मां-बाप

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

से इसकी पीड़ा नहीं देखी गयी। उन्होंने सात तोला सोना, घर के जरूरी सामान, करीब-करीब सभी चीजें, सौफासैट, पंखा, अलमारी, चांदी के जेवर, बर्तन दिये। उसके बाद भी उसको ऊपर से गिरा दिया गया, फिर मां-बाप ले आये वह बचा ली गयी। थोड़े दिनों बाद वे फिर उस लड़की को यह कह कर ले गये कि हम कुछ नहीं कहेंगे। पर ले जाने के बाद उसका गला घोट कर उसकी हत्या कर दी गयी। इस बारे में बार-बार पुलिस में एप्रोच की गई लेकिन उस मामले को पैसा खा कर दबाने की चेष्टा की गई। टोंक में पन्नालाल जी और सोहन लाल जी, उस लड़की के पति और श्वसुर थे, लेकिन वहां की पुलिस ने कोई कार्यवाही इस मामले में नहीं की। कोई अखबार हिन्दी का ऐसा नहीं है जिसमें इस हत्या काण्ड की चर्चा नहीं की गयी हो। टाक महासभा ही नहीं राजस्थान की अन्य संस्थाओं ने भी इसकी निन्दा की और जांच की मांग की।

मेरा कहना यह है कि आज तक साल भर में कितनी ही हत्यायें हुई हैं। कुसुम की हत्या हुई, आपके पावटा की मंजू का मामला था, आपके बीकानेर की राधा का मामला था। सभापति महोदया, इसी तरह से आमेर की छूटाबाई का, कमला जोशी निवाई का आपको ध्यान है। वर्ष भर में 40 घटनायें जयपुर के आसपास के इलाके में हुई हैं। पर सरकार उसके ऊपर बिल्कुल कार्यवाही नहीं कर रही है। मेरा कहना यह है कि कृष्णा हत्या काण्ड के बारे में सी. बी. आई. से जांच करायी जाये। कानून में संशोधन की आवश्यकता हो तो वह संशोधन किया जाये ताकि भविष्य में पत्नी को मारने, जलाने, डुबाने, हत्या करने वाले आदमी को दुबारा शादी करने का अधिकार न हो। इस तरह से सरकार अगर कार्यवाही करके नहीं चलती है तो यह बात तय है कि जो इस तरह के रक्त पिपासू लोग हैं, जो पैसे के भूखे लोग हैं, वे निरन्तर कन्याओं की हत्या करते रहेंगे। यह देश का दुर्भाग्य है कि---

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमारे इस लोकतंत्र में इस तरह की हत्यायें हो रही हैं। इस केस में पूरी कार्यवाही करें। यह उस लड़की का फोटू है बहुत मासूम लड़की है, यह आपको टेबल पर रखती हूं। इसे मेज पर रखनें की मंशा यह है कि सरकार इस पर कार्यवाही करें, तत्काल मुलजिम पकड़ा जाये। आज भी वह धड़ल्ले से सरे आम घूम रहा हैं, जिन्होंने मारा है। आप देखेंगे कि कितनी मासूम लड़की है, आप मुझे इस सदन की मेज पर रखने की अनुमति दे दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, ये सारे कागजात, जो आपके पास हैं, ये सरकारी रिकार्ड में भी होंगे। नहीं तो आप....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर सरकारी रिकार्ड पर मुझे विश्वास होता और आपका भरोसा नहीं होता तो मैं विधान सभा में रखने की जुरंत नहीं करती। मैं आपसे चाहती हूं कि सरकार इस बारे में जांच करायें, सी. बी. आई. से जिससे कम से कम वह तो चली गयी लेकिन भविष्य में और कोई नहीं जाये। इस पर सख्त कार्यवाही हो इसलिए मैं सदन की मेज पर रखना चाहती हूं।

श्री समापति : आप इस केस को पर्श्यू करें, माननीय सदस्या । मंत्रीजी से मिल लें । इस केस को निरन्तर पर्श्यू करती रहें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, सदन की टेवल पर रखती हूं, अध्यक्ष महोदय, से अनुमति ली है । नियम 295 के अन्तर्गत सदन की टेवल पर रखना चाहती हूं ।

श्री समापति : रखिये, रखिये ।

श्री गंगाराम चौधरी ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) : माननीय समापति महोदय, बाड़मेर नगर में तारीख 11 मार्च को एक मासूम बच्चा गोरधन की हत्या कर दी गयी थी । उसके गुम होने की इतला पुलिस में उसी वक्त की गयी थी । पुलिस की तलाश के बाद एक मुलजिम पकड़ा भी गया । उसकी निशानदेही से कुछ लाशें वगैरह भी बरामद हुई । उसका जो साथी मुलजिम था मि. नाथू, जो उस मुलजिम का मामा है और लेखराज करके जो कि पुलिस का सिपाही है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया । उस बच्चे के बाप ने वहां के पुलिस अधीक्षक को दिनांक 19-3-85 और 24-3-85 को दरख्वास्तें पेश की । उसने मांग की कि इसमें दोनों मुलजिम दोनों शरीक हैं, पुलिस का सिपाही और दूसरा आदमी, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये । लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई । आज जैसा कि सदन में बार बार कहा गया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो भी अत्याचार होते जा रहे हैं, उनमें कई जगह देखा गया कि पुलिस के सिपाही हों चाहें पुलिस के दूसरे एम्प्लाइज हों, वे जब उसमें शरीक होते हैं तो पुलिस कार्यवाही नहीं करती है ।

समापति महोदया, यह जो मेरा स्थगन प्रस्ताव था, वास्तव में अविलम्बनीय लोक महत्व का था लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं दी गयी । वैसे भी आज इस सत्र का आखिरी दिन है । इस पर कार्यवाही साधारण तौर पर होने की मुझे कोई उम्मीद नहीं है । इसलिए, समापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस संबंध में निर्देश दें सरकार को, संबंधित मंत्री को कि इस बारे में वे जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें, इन्स्ट्रक्शन दें । उसकी फाइल डायरेक्टर जनरल मंगायें, उसको देखे, उसकी तफतीश के लिए आफिसर को दें । जब कोई लोकल पुलिस एम्लाई इन्वोल्व होता है तो स्थानीय पुलिस कार्यवाही नहीं करती है । मैं यही आपसे निवेदन करूंगा और मंत्री महोदय से अपेक्षा करूंगा कि इसमें जल्द से जल्दी कार्यवाही करेंगे ।

श्री समापति : सरकार नोट करें ।

श्री उम्मेदसिंह, इन तथ्यों के अतिरिक्त कोई और बात हो तो आप बता दें ।

श्री उम्मेद सिंह (शिव) : मैं कुछ और कहना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदया, जैसा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस स्थगन प्रस्ताव पर बात कही है उसमें कुछ बातें रह गयी हैं वह मात्र वही बात उठा

(श्री उम्मेदसिंह)

रहा हूं । खास बात यह थी कि मासूम बच्चा नौ साल का 11 तारीख को स्कूल से गायब हो गया था । दो दिन तक घरवालों ने, पुलिस वालों ने बहुत प्रयत्न किया, पता मिला नहीं । बाद में तीसरे दिन यही बच्चा रेत में गड़ा हुआ कुत्तों द्वारा निकाला गया तब जाकर पुलिस ने उस लाश को बरामद किया । तफतीश करने से कातिल पकड़ा गया । उस बच्चे की हालत से हम उसके शरीर को देखकर यह महसूस करते थे कि उस बच्चे की कमर तोड़ दी गयी, पैर तोड़ दिये गये, हाथ तोड़ दिये और एक बोरी में डाल कर उसको गड्डे में डाला गया । इससे हम यह फील करते हैं और सभी महसूस करते होंगे कि उस बच्चे का जो इस प्रकार मर्डर किया गया, एक आदमी से यह कार्य नहीं हो सकता । उस बच्चे को उठाकर घर से तीन मील दूर, सभापति महोदया, ले जाया गया । इसका मतलब यह हुआ कि एक आदमी नहीं था उसके साथ और मुलजिम होंगे । मैं आपके द्वारा सरकार से यह अर्ज करना चाहूंगा इस मुद्दे को उठाकर कि एक गरीब आदमी जो अभी यहां बैठा हुआ है, भीगी पलकों से आपको देख रहा है और न्याय चाह रहा है । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इस कार्य को जल्दी हाथ में लिया जाय ताकि उसको न्याय मिल जाये । धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा विश्व विद्यालय में प्रवक्ताओं के चयन में अनियमिमता के बारे में राज्य सरकार ने सूचना दी है कि मामला मुन्सिफ कोर्ट जयपुर शहर (पूर्व) के न्यायालय में विचाराधीन है । चयन समिति की सिफारिशों को सिन्डीकेट ने सर्व सम्मति से स्वीकृत किया और चयन योग्यता के आधार पर किया गया । अब इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया जो उन्होंने....

श्री सभापति : यह न्यायालय में है, सब-जुडिस है ।

श्री शोपत सिंह : सरकार उठा सकती है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । यह प्रश्न न्यायालय में विचाराधीन है, उसके अतिरिक्त ..

श्रीमती उजला अरोड़ा : 4,5,6 जनवरी को चयन समिति बैठी । जो नियम हैं चयन समिति का गठन करने का उसके विपरीत उसका गठन किया गया है । मैं एक दो उदाहरण बता दूं, चयन समिति का गठन वरियता से अलग हटकर है, योग्यता से अलग हटकर है । एक केस आपको बतलाती हूं श्रीमती शांति अरोड़ा एम. ए. है 1956 की उन्होंने एम. ए. किया 1956 में और पी. एच.ई.डी. किया है 1961 में और एपाइंमेंट हुआ उनका 1962 में । इनकी जगह जिनका चयन किया गया है एम.ए. हैं । उन्होंने 1956 में एम.ए. किया था इसने 62 में किया है । ये पी.एच.ई.डी. हैं 80 की ओर वह है 1961 का । उनकी नियुक्ति है 1962 की ओर इसकी है 1965 की । प्रतिभा जैन की नियुक्ति बाद में हुयी । वर्तमान में जो सूची दी गयी है वरियता की उसमें श्री एस सी अरोड़ा पहले नम्बर पर है, श्रीमती शांति अरोड़ा दूसरे नम्बर पर है और प्रतिभा जैन तीसरे नम्बर पर है....

श्री सभापति : कोई इस विषय को लेकर न्यायालय में भी गया है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे यह मालूम नहीं है। मेरे सामने यह बात आयी है।

श्री सभापति : यह सूचना राज्य सरकार के पास हैं। माननीय सदस्या यह सब-जुडिस है इसको आप उठा नहीं सकती हैं, समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं इस बात पर नहीं बोलकर एक बात बताना चाहती हूं....

श्री सभापति : जब इसके अतिरिक्त, कोई इश्यू आपका नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक बात बतलाना चाहती हूं आप मेरी बात पूरी सुन लें तब ही तो आप समझेंगी कि मैं क्या कह रही हूं।

इसी तरह से असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो चयन किया गया है उसमें गलती की है। इसी तरह से प्रवक्ता का चयन किया गया है उसमें गलती की है। जो बताया है रीडर के बारे में, रीडर के पद पर जो प्रमोशन किया है वह पुरानों का न करके, जो 15 साल पुराने हैं, उनका न करके 10 साल पुराने का किया है। यह सब अनियमिततायें की गयी हैं।

श्री सभापति : खत्म करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपके माध्यम से चाहती हूं कि शिक्षा मंत्री बैठी हैं। मेरी बात सुन रही हैं तो ..

श्री सी.पी. जोशी : बैठे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आज जिन्होंने जवाब दिया वे ही इसके बारे में कुछ कहें।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर ये ही घटनायें विश्वविद्यालय में बराबर होती रहीं तो विश्वविद्यालय की छवि खराब होगी, शिक्षा जगत की छवि बिगड़ेगी। इस सरकार की छवि खराब होगी।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। श्री ग्यारसीलाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक विषय पर और बोलने दिया जाय।

श्री सभापति : कोई विषय पेंडिंग नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपको बताती हूं। अध्यक्ष महोदय ने बोलने की अनुमति दी है।

श्री सभापति : ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप पुछवा लें। मैं थोड़ी देर बाद बोल लूंगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : Please sit down.

श्री ग्यारसी लाल—सदस्य विधान सभा की ओर से, टोंक जिले में शहरी क्षेत्र की आवंटन के में अनियमिततायें।

श्री ग्यारसीलाल (निवाई) : माननीय सभापति महोदया, यह अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं, उनको दुकानें आवंटित की गयी हैं, उनमें जिन व्यक्तियों को....

श्री अमराराम : नकली जो छुरी लगाते हैं, उसकी गर्मी बढ़ रही है।

श्री ग्यारसी लाल : जिला ग्रामीण विकास की तरफ से दुकानें आवंटित की गयी हैं, 10 दुकानें निवाई में और 10 टौंक में। सभापति महोदया मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर जो दुकानें आवंटित की गयी हैं वे उन्हीं लोगों को आवंटित की जानी चाहिए थीं जो वास्तव में गरीब हैं, असहाय हैं, बेरोजगार हैं। उन लोगों को ये दुकानें आवंटित न करके ऐसे लोगों को आवंटित की गयी हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके पास दूसरा धन्धा है और जो हर बात से परिपूर्ण हैं। मैं यह बतलाना चाहूंगा, टौंक जिले के अन्दर तीन दुकानें ऐसे व्यक्तियों को आवंटित की गयी हैं जिनका आज तक पता नहीं है। निवाई में ऐसे व्यक्ति को आवंटित की गयी हैं, जो तत्कालीन विधायक के साले हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं। शायद उनकी दिल्ली में गरीबी नहीं मिटी इसलिये वे निवाई में आये। निवाई में उनको अच्छी से अच्छी दुकानें देखकर आवंटित की गयीं, उससे उनका पेट नहीं भरा तो कृषि उपज मण्डी में उनको दुकान आवंटित की गयी, उससे पेट नहीं भरा तो, वनास, जिसके खरबूजे मशहूर हैं, का ठेका दिला दिया। उससे भी उनका पेट नहीं भरा तो सहकारी समिति की एक जीप गलत तरीके से नीलामी करके अपने नाम करायी।

श्री दाऊदयाल जोशी : पेट कितना बढ़ा था।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

Don't disturb ऑर्डर ऑर्डर।

श्री ग्यारसी लाल : माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि टौंक जिले में जो दुकानें आवंटित की गयी हैं उनको कृपया देखा जाय, उनकी जांच की जाय। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं इसमें उनका हाथ है। इसमें राजनेताओं का हाथ है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री जगदीश शर्मा, जो टौंक के हैं, को आदेश दिये थे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जो दुकानें और सब्सिडी, लोन मिलता है वह गरीबों को दिया जाय किन्तु प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री शर्मा राजनेताओं के दबाव में आकर, कुछ उच्च अधिकारियों के दबाव में आकर जो गरीबों को आवंटित की जानी थी उनको एक तरफ हटाकर ऐसे लोगों को आवंटित की हैं, जिनको आवंटित करना हर कीमत पर नियम के खिलाफ था।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री ग्यारसीलाल : आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया उसकी जांच करें, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें और आवंटन निरस्त करें।

श्री सभापति : श्री नवनीत लाल, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर डेयरी द्वारा दूध की थैलियों में कम दूध भरे जाने के संबंध में। सरकार ने सूचना दी है कि

(श्री सभापति)

आटोमेटिक मशीन के द्वारा 500 ग्राम दूध भरा जाता है।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : माननीय सभापति महोदया मैं डेयरी के दूध संबंध में बताना चाहता हूं खास तौर से मेरा मतलब भ्रष्टाचार से है। मैं जब यहां जयपुर में आया, तीन रोज बाद यह दूध मिल गया। दूध लेकर सात आठ रोज तक मैं विधान सभा में लेकर घूमता रहा लेकिन मेरे को समय नहीं मिला। यहां पर माननीय सदस्यों के द्वारा जो मैंने सुना उससे मैंने अनुभव कर लिया कि देश में मनुष्यों की लाशों का पता नहीं चलती हैं तो मैं दूध की थैली को लेकर कब तक घूमता रहूंगा। 27 तारीख की शाम को जब मैं जा रहा था इस दरवाजे के बाहर फेंक गया कि अगर लाशों का पता नहीं चलता है तो इस दूध का क्या मतलब है। सदन के सामने थैली रखने का मतलब यह था कि डेयरी के दूध को उदयपुर शहर में उलट सुलट करते हैं और जो प्लास्टिक की थैलियों में दूध भरा जाता है, वह दूध नाम का होता हैं। वह चाय के लिये होता है। वह पांच सौ के बजाय तीन सौ साढ़े तीन सौ ग्राम दूध आंका जाता है। मेरा कहने का सीधा मतलब यह है कि इतना सारा भ्रष्टाचार क्यों है। मैंने करीब 7-8 रोज से यह सुना कि हम भ्रष्टाचार के रखवाले हैं इसलिये यहां पर इस प्रकार की परिस्थिति आयी कि चाय पानी का बात में भी भ्रष्टाचार हुआ, दूध की प्लास्टिक कीथैली में हुआ। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह कहना चाहूंगा कि डेयरी के दूध की चांज करायी जाय। प्लास्टिक की थैलियां भरने की जो मशीन है उसकी भी जांच की जाय वह किस प्रकार की है। जो ऐसे अधिकारी हैं उनको दोषी माना जाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज 33 पर लिखा है कि अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों को 750 से 1000 रुपये देकर के ऊंचा उठाया जायेगा। बांसवाड़ा जिला, तहसील घाटोल वनवासी क्षेत्र के संबंध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बुद्धिजीवी व्यक्तियों के बीच में दुकानों में अगर दूध की थैली में गड़बड़ी होती है तो वनवासियों को जो गरीब को छप्पर कार्यक्रम के अन्तर्गत पैसे दिये जाते हैं, 750 से 1000 रुपये दिये जाते हैं गरीब को सहायता के रूप में दिये जाते हैं वह योजना किस तरह से सफल होगी।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नवनीत लाल नीनामा : अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, दो मिनट मेरे को और दें। घाटोल तहसील के अन्दर गरीब को छप्पर कार्यक्रम के अन्तर्गत पैसे दिये जाते हैं और....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप दूध की थैली से ..

श्री नवनीत लाल नीनामा : गरीब काश्तकार गारे का मकान बनाते हैं। उन मकानों पर लकड़ी का छप्पर रखने की रीत है। वहां पर जंगलात विभाग अन्याय कर रहा है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर-ऑर्डर, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री नवनीत लाल नीनामा : काश्तकार दुखी हैं। वहां पर गारे के मकान गिर जाते हैं। आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि घाटोल तहसील क्षेत्र में यानि बांसवाड़ा पूरे क्षेत्र में....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, इस विषय पर चर्चा न करें....

श्री नवनीत लाल नीनामा : जिले के अन्दर गारे के मकान गिर जाते हैं। अत: वन विभाग से लकड़ी की व्यवस्था की जाय।

श्री नवनीतलाल नीनामा : समाप्त करें कृपया।

याचिका का उपस्थापन।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया था, चिट्ठी भिजवायी थी....

श्री सभापति : बांसवाड़ा के श्रमिक नेता। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस पर कोई व्यवस्था नहीं दी है।

(व्यवधान)

आपका भी पेपर है मगर उस पर व्यवस्था नहीं दी हुई है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तो आप व्यवस्था दे दें, सभापति महोदया।

श्री देवी सिंह भाटी : 295 के तहत मेरा नोटिस दिया हुआ है। हम तीनों का नोटिस दिया हुआ है। मानिक चंद सुराना, साथ में शोपतसिंह जी भी हैं।

श्री सभापति : माननीय अध्यक्ष महोदय अभी तशरीफ लाने वाले हैं उस समय आप इन पर परमिशन मांग लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जीरो आवर चला जायेगा

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय जब तक पधारेंगे तब तक मैं अपनी बात कह चुकूंगा।

बीकानेर केन्द्रीय कारागृह के अन्दर 300 बन्दी 21 तारीख से भूख हड़ताल पर हैं। उनमें से कोई भी कभी खत्म हो सकता है, मर सकता है, कोई उत्तेजना हो सकती है, बलवा हो सकता है। अगर ऐसे गम्भीर मसले के ऊपर भी तुरन्त व्यवस्था नहीं दी जाती है तो यह व्यवस्था आपके हाउस की भी नहीं चलने वाली है।

श्री सभापति : ऑर्डर-ऑर्डर। माननीय सदस्य, आपको बोलने के लिये अनुमति थोड़े ही दी है।

याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री यदुनाथसिंह : पाइंट ऑफ ऑर्डर, सभापति महोदय....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अभी माननीय अध्यक्ष महोदय से इस विषय पर चर्चा करके व्यवस्था मंगवायी जाती है।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी थी कि जीरो आवर के समाप्त होते ही आप इस मामले को उठायें।

(श्री यदुनाथसिंह)

हमारे लिये तो, सभापति महोदय, आप भी अध्यक्ष हैं।

श्री सभापति : अध्यक्षीय व्यवस्था के आते ही आपको अनुमति दे दी जायगी। तब तक याचिकाओं का उपस्थापन हो जाय उसके बाद उसको लिया जा सकता है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय नहीं आयें तो आप भी अध्यक्ष हैं। आप भी आसन पर विराजी हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर-ऑर्डर। सब एक साथ न बोलें।

श्री शोपतसिंह : आप भी सर्वशक्तिमान हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर-ऑर्डर। माननीय सदस्य। सर्वशक्तिमान का मतलब यह थोड़े ही कि आप बैठे-बैठे बोलेंगे। ऑर्डर प्लीज। याचिका का उपस्थापन होने के पश्चात्....

एक माननीय सदस्य : जीरो आवर समाप्त हो जायेगा, 'माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

(2.30 म. प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइंट ऑफ ऑर्डर। पाइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह : मैंने सुबह भी आपसे अर्ज किया था। आसन से व्यवस्था चाही थी मैंने एक ऐसे मसले के बारे में जो राजस्थान की नहीं हिंदुस्तान की नहीं, संसार के पार्लियामेंटरी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। जिस तरह का अपमान और लज्जाजनक कटाक्ष सरकार की ओर से सदन पर और सदन के सदस्यों पर किया गया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप किस पर कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : मैं पहले कह चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : आप कहां कह चुके हैं। माननीय सदस्य, आप तो भाषण शुरू कर रहे हैं। मेरी पहले अनुमति लीजिये क्या कहना है।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरे प्रिविलेज मोशन पर चर्चा करायी जाय उस पर व्यवस्था की जाय ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा का सवाल नहीं है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन दो पर आये हैं। एक तो माननीय श्री सुराणाजी ने दिया है और एक श्रीमती सुमित्रा सिंह ने दिया है। दोनों अलग-अलग विषय पर हैं।

(84)

श्री यदुनाथसिंह : मैंने खुद ने कल दिया है। मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन कल दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपका और सुरानाजी का प्रिविलेज मोशन मैं समझता हूं शायद एक ही है। मैं मंगा लेता हूं उनको। लेकिन मैंने उन दोनों को देखा है।

(व्यवधान)

कृपया बैठिये। उन दोनों प्रिविलेज मोशन को

(व्यवधान)

मैं प्रिविलेज कमेटी को उसको रेफर कर रहा हूं। प्रिविलेज कमेटी इस बात पर विचार करे कि वह प्रिविलेज का इश्यू बनता है या नहीं बनता है। उसके बाद इसका डिसिजन होगा इसलिये मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें सुन लीजिये। अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज कमेटी में जाने का प्रश्न स्पष्ट है। हमको सुन लीजिये। आप सुन लें। अध्यक्ष महोदय, हमारी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपके सब्जेक्ट को पढ़ा है। उस सब्जेक्ट को पढ़ करके उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात देखी है तब ही मैंने आउट राइटली रिजेक्ट नहीं किया है। मैंने प्रिविलेज कमेटी को दिया है। प्रिविलेज कमेटी अपनी राय दे देगी उस समय अगर उचित होगा तो सुनेंगे आपको।

श्री यदुनाथ सिंह : आप निर्णय करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी कहने का कोई औचित्य नहीं है, अभी कहने का कोई कारण भी नहीं है और रूल्स में प्रोविजन भी नहीं है। माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें आपके प्रिविलेज मोशन को आउट राइटली रिजेक्ट नहीं किया है। मैंने कहा है कि प्रिविलेज कमेटी उसको देखे, प्रिविलेज कमेटी देख करके राय दे कि दरअसल में क्या स्थिति है, प्रिविलेज का इश्यू बनता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्यवाही की जायगी। माननीय सदस्य, इसलिये इसमें आपको....

श्री यदुनाथ सिंह : हमको सुन लीजिये, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अगर सदन का या सदन के किसी माननीय सदस्य का अपमान हुआ है....

(व्यवधान)

कृपया बैठें, माननीय सदस्य। मैं अपनी बात कह रहा हूं तब आप मुझे कैसे कहते हैं। माननीय सदस्य कृपया ध्यान रखें। शब्दों का भी ख्याल रखें।

मैंने आपसे निवेदन किया कि प्रिविलेज मोशन मैं बहुत लाइटली नहीं लेना चाहता। प्रिविलेज मोशन आता है उसकी अहमियत होती है। सदन के किसी भी सदस्य का किसी भी तरह से कोई अपमान हो, किसी भी तरह सदन के सदस्य के अधिकारों का हनन किया जाता हो उसमें निश्चित बात है कि मुझे उसको इसको देखना है और सदन के सदस्यों के हितों की रक्षा हो सके, इस बात को भी देखना है। तो मैंने यह कहकर रिजेक्ट नहीं कर दिया कि प्रिविलेज

(श्री अध्यक्ष)

का इश्यू नहीं बनता है। सदन की प्रिविलेज कमेटी है, कमेटी की अभी घोषणा करने जा रहे हैं थोड़े समय बाद में। कमेटी को रेफर कर दिया गया है उस कमेटी की जो भी राय आयेगी उसको मैं सदन में भी प्रस्तुत कर दूंगा। कमेटी की राय के आधार पर अगर अभियोग बनता है तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे और जिस किसी ने भी प्रिविलेज तोड़ा है, माननीय सदस्यों के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया है तो निश्चित रूप से सदन सक्षम है इस बात के लिये कि जो भी सजा उचित समझेगा सजा देगा। इसलिये, माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें। अभी बोलने का, मैं समझता हूं, कोई औचित्य नहीं है, अभी कहने की कोई बात भी नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरी वाली बात को आप....

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मैं तो बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहा हूं। अखबार में लांछन मेरे ऊपर लगाये गये हैं, इसलिये प्रिविलेज मोशन मूव किया है। इस कारण से मैं बिल्कुल चुप बैठा हू ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : जो भी बात हम यहां कहते हैं बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं। उसके उपरांत भी अगर हम जो प्रिविलेज मोशन मूव करते है उसके ऊपर तुरंत निर्णय नहीं लिया जाता तो उनका हौसला और बढ़ता है। वे एक के बाद एक आक्षेप और गन्दे शब्द ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अखबार वाले अगर गलत सूचनाओं के आधार पर हमें बोलने से रोकेंगे, अध्यक्ष महोदय, तो फिर हमारे यहां बैठने का क्या तात्पर्य है ? कोई बात कहने का कोई सार नहीं है....

श्री अध्यक्ष : कोई बोलने से रोकने का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठें। कृपया बैठें।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैंने भी एक प्रिविलेज मोशन दिया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप हमको समझा दीजिये। सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रिविलेज क्या हैं मैं बता देता हूं आपको।

श्री मानिकचंद सुराना : मैं इस प्रक्रिया के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। प्रिविलेज मोशन की जो प्रक्रिया है मैं उसके संबंध में आपसे ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप जानते हैं तो क्या हो गया। मेरी जानकारी के लिये कहने दीजिये।

श्री मानिकचंद सुराना : आपकी अनुमति से, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मैं इस बात के लिये बहुत

(86)

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आभारी हूं कि आपने इन सारे मसले को प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दिया। जो मैटर हमने उठाया उससे प्रथम दृष्टया आप सतुष्ट हैं इसीलिये आपने उसको प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया है। कोई मामला जब प्रिविलेज कमेटी को दिया है, किसी मैटर को प्रिविलेज कमेटी को दिया है, तो अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा, आप उस मैटर के बारे में हाउस को सूचित कर दें कि कौन सा मैटर आपने प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया है ताकि सदन को जानकारी हो, सदस्यों और जनता को जानकारी हो कि किसी सदस्य के विशेषाधिकार के लिये इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसलिए आपसे कहा था कि मैंने प्रिविलेज मोशन मंगा लिये हैं। विषय आप जानना चाहते हैं, विषय मैं बता देता हूं। विषय बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा, कहीं आपने अगर इस पर चर्चा शुरू कर दी तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। मैं विषय बता देता हूं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय श्री मानिक चन्द सुराणा द्वारा प्रिविलेज मोशन प्रस्तुत किया गया है बीकानेर के पुलिस अधिक्षक रोहिताश्व कुमार के विरुद्ध। उन्होंने बताया है रोहिताश्व कुमार के (विराम) नहीं, यह रोहिताश्व कुमार के विरुद्ध नहीं है। यह प्रिविलेज मोशन मिला है, 'समाचार जगत' एक पत्र निकलता है उसके विरुद्ध। उन्होंने उसमें यह बताया है। मैं पढ़ ही देता हूं इसे।

"पुलिस अधीक्षक बीकानेर, श्री रोहिताश्वकुमार द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आर. डी. गोयल की पत्नी के साथ छेड़छाड़ व दुर्व्यवहार के मामले को लेकर जो स्थिति विधान सभा में उत्पन्न हुई और समाचार पत्रों में भी खबरें प्रकाशित हुई, के सम्बन्ध में समाचार जगत बुधवार दिनांक 27 मार्च, 1985 के पेज एक के कालम एक पर जो समाचार प्रकाशित हुए हैं उन समाचारों में यह भी प्रकाशित हुआ है कि "यह सारी कहानी बीकानेर जिले के जनता पार्टी के एक विधायक द्वारा गढ़ी हुई, पुलिस अधीक्षक रोहिताश्वकुमार इस जपा विधायक को फूटी आंखों नहीं सुहाते। इसका कारण है, इन्हीं पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल के दौरान इस विधायक को दो बार गिरफ्तार किया गया और विधायक के विरुद्ध हिस्ट्री शीट तैयार की गयी। पता चला है कि मौजूदा पुलिस अधीक्षक ने इसके खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत चालान पेश करने के भी पूरे कागजात तैयार कर लिये हैं। इन्हीं बातों से उक्त विधायक रोहिताश्वकुमार से चिढ़े हुए हैं।"

उपरोक्त सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इस समाचार पत्र ने इस समाचार को प्रकाशित करके श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, राजस्थान विधान सभा, जो जनता पार्टी के सदस्य के रूप में निर्वाचित हैं, तथा जिन्होंने इस मामले को भी सदन में भी उठाया था, के विरुद्ध अनर्गल प्रचार करके उनको सदन में अपने स्वतन्त्र विचार व्यक्त करने से रोकने का प्रयास किया है। जिससे माननीय सदस्य का अपमान हुआ है और सदन के विशेष अधिकारों का भी हनन हुआ है। अत: समाचार पत्र के सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं विशेष संवाददाता के विरुद्ध मैं सदन के

(श्री अध्यक्ष)

विशेषाधिकारों के हनन के नियम 158 के अन्तर्गत सूचना देकर इस मामले को सदन में उठाना चाहता हूं।"

एक तो यह प्रिविलेज मोशन आपका है।

और एक यदुनाथसिंह जी का है।

"राजस्थान विधान सभा में माननीय सदस्या श्रीमती सुमित्रा सिंह द्वारा पुलिस प्रशासन पर की गयी टिप्पणी के सन्दर्भ में पुलिस द्वारा "पुलिस बुलेटिन" निकालकर निन्दा की गयी है। यह स्पष्टत: माननीय सदस्यों एवं सदन के विशेषाधिकारों का हनन है। इस सन्दर्भ में दिनांक 28 मार्च, 1985 के जयपुर से प्रकाशित समाचार की प्रति संलग्न कर मेरा पुलिस डी. जी. के विरुद्ध यह विशेषाधिकार हनन का मामला प्रस्तुत है। कृपया इस गम्भीर मसले पर तुरन्त सदन में चर्चा की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।"

यह है यदुनाथ सिंहजी का।

नाथूसिंह जी का है "भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद प्रथम बार राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही के बारे में पुलिस विभाग द्वारा विपक्षी सदस्यों पर व्यंग्य करते हुए दिनांक 27-3-85 को एक पुलिस बुलेटिन निकाला गया, जो 28-3-85 को न्याय एवं 29-3-85 को पत्रिका समाचार पत्रों में छपा भी है। इस बुलेटिन में बलात्कार वर्ष पर टिप्पणी की गयी है एवं यह भी कहा गया है कि विधान सभा के सदस्यों को जानकारी के आधार पर बोलना चाहिये।

विधान सभा में सदस्यों द्वारा किसी भी मामले पर उठायी गयी बहस के बारे में कोई भी अधिकारी या विभाग सदन के बाहर टिप्पणी नहीं कर सकता। अत: यह मामला सदन के सदस्यों एवं सदन के विशेषाधिकारों के हनन का बनता है। अत: सम्बन्धित अधिकारी, पुलिस विभाग, एवं सम्बन्धित समाचार पत्रों के विरुद्ध सूचना देता हूं।"

यह तीन मसले हैं। दो एक विषय के हैं और एक अलग विषय पर है, जो मैंने आपके सामने रखे। इन दोनों-क्योंकि दो एक ही हैं इसलिए वह तो एक हो गये-मैंने प्रिविलेज कमेटी को रेफर किये हैं कि, वे इस पर अपनी राय दें कि क्या बनता है, क्या नहीं बनता है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहता हूं, इसमें अभी कोई चर्चा की बात नहीं है। इसलिए, माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें।

श्री यदुनाथ सिंह : चर्चा नहीं अध्यक्ष महोदय, हमको सुना तो जाय।

श्री अध्यक्ष : सुनने का सवाल तो तब आता अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया होता, तो जरूर कहते। सुनने का समय तब आता। उसकी क्या राय बनती है आपके सामने आयेगा मसला।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आज इस पर सदन में चर्चा नहीं की गयी, जिस तरह का आज पुलिस का हौसला होता जा रहा है, धमकी मिल रही है। धमकी मिल रही है कि आप पुलिस के खिलाफ रोजाना मामला उठाओगे तो, अध्यक्ष महोदय, अगली बार आपको शोक

(श्री यदुनाथ सिंह)

प्रस्ताव ही पास करना पड़ेगा। हम इस मुद्दे पर बहस करने के लिए आपके बीच में नहीं होंगे यहां पर।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया गम्भीरता से इसको लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर रहा हूं ..

श्री मोहन प्रकाश : उनको तो मार दिया यह तो दूसरी बार आये है।

श्री अध्यक्ष : जिस बात के प्रिविलेज मोशन आये मैंने सदन में पढ़कर सुनाये हैं, और यह चीज स्पष्ट हो गयी कि यह सदन के अन्दर आगया मामला और सदन में भी प्रिविलेज कमेटी में गया है। इसका भी बहुत बड़ा असर होता है। माननीय सदस्य, यह नहीं समझें कि आपने जो बात कही है वह लुका-छिपी की बात रह गयी और इसका कोई असर नहीं होता। इसका भी अपना असर होता है, इसका भी अपना प्रभाव पड़ेगा। माननीय सदस्य, अपने आप को इतना कमजोर क्यों मानते है।

माननीय सदस्य आपको पूरा अधिकार है।

श्री यदुनाथ सिंह : जब सात-सात वार रहने वाले विधायक को ही भून दिया, अध्यक्ष महोदय, तो मेरी तो औकात क्या है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं श्रीमान ने यह फर्माया कि वह आपको इस सम्बन्ध में सलाह देगी। मैं निवेदन यह करता हूं कि रूल 162 में वह आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 162 में यह है ..

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट आ जायेगी मेरे पास रिपोर्ट सदन में....

(व्यवधान)

रिपोर्ट आ जायेगी मेरे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था। बांसवाड़ा में जो एक हत्या हो गयी है उसके बारे में 25 तारीख को मैंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और कल भी चार माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर आपने कहा कि, मैं इस पर राज्य सरकार से जानकारी मंगा लूंगा। तो, 25 के बाद, 28 के बाद जानकारी आयी नहीं। आज अन्तिम दिन है। इसलिये हमको अवसर दें बोलने का। बांसवाड़ा से आये हुए माननीय विधायक को बोलने का अवसर दे दें, ताकि सरकार जो कार्यवाही करे उसमें कुछ न कुछ मार्ग दर्शन उनका हो जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जरा बैठेंगे। मैं समझ गया आपकी भावना को। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी किसी का उत्तर देने में लेकिन उसमें यह नहीं मान

(श्री अध्यक्ष)

लिया जाय कि सभी माननीय सदस्य, जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं, मुझे कह दें कि हमको भी इजाजत दे दें।

श्री शोपत सिंह : स्थगन प्रस्ताव का तो यही मतलब है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह तो सम्भव नहीं होगा। जितने माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव आये हुए हैं और जिन पर मैंने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है, मेरे पास जब वह आयी और मैंने जब यह कह दिया कि उनके ऊपर राज्य सरकार को कार्यवाही कर माननीय सदस्य को इसके बारे में सूचित करें। फिर सब माननीय सदस्य यह कहें, सब माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव की चर्चा की बात कहें तो सदन का समय जायेगा। माननीय सदस्य, मैंने इसी ख्याल से आपसे कहा कि इम्पॉर्टेंट मुद्दे को ले सकते हैं लेकिन सब माननीय सदस्य फिर यह कहें कि हम सबको इजाजत दें क्योंकि आपको इजाजत दे दी है, तो वह बात फिर सम्भव नहीं हो पायेगी मेरे लिए। इसलिए कृपया क्षमा करें। यह ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अत्यन्त आवश्यक इसलिए समझता हूं और इसीलिए स्थगन प्रस्ताव भी रखा था कि मुख्य मंत्रीजी की कॉन्स्टीट्यूएन्सी है, उनका जिला है। अब वह जो अपराधी हैं जयपुर में आ गये हैं। उनको छिपाया जा रहा है. प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, गिरफ्तार नहीं होने दिया जा रहा। मैं इसलिए चाहता हूं कि एक बार यह जानकारी सदन में सरकार के सामने आपके माध्यम से आये।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने कह दिया। आपने तो कह दी सारी बात। अब तो सदन में आ गयी बात, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किस तरह हत्या हुई, क्या हालात हो रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने कह दी बात, समझ में आ गयी। सरकार को नोटिस लेना है, सरकार नोटिस लेगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : सी. ए. डी. के सम्बन्ध में सात प्रस्तावों में से केवल एक प्रस्ताव पर बोला हूं। कोटा की ज्वलंत समस्या है सी. ए. डी.। माननीय सिंचाई मन्त्री से मैंने भेंट की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोल चुके हैं इस मामले में।

श्री दाऊदयाल जोशी : 245 लोगों का रिप्लेसमैण्ट फिर कर रहा है सी. ए. डी. का डिपार्टमेन्ट....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर बोला जा चुका है।

श्री दाऊदयाल जोशी : बड़ी कृपा होगी, साहब, इस पर बोलने का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा, उससे सरकार के नोटिस में आ गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप आश्चर्य करेंगे, हत्या के बारे में ज्ञापन देने के लिये जब लोग पहुंचे तो कलेक्टर कहता है, यह मुख्य मन्त्री का जिला है, मैं ज्ञापन नहीं ले सकता। लाठी चार्ज किया गया। ज्ञापन नहीं लिया गया, लाठी चार्ज किया गया लोगों पर। एक तरफ हत्या हो रही है, दूसरी तरफ ज्ञापन देने लोग जाते हैं तो लाठी चार्ज होता है। सारे अपराधी जयपुर आ गये, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं, इस घटना को आपके माध्यम से....

श्री अध्यक्ष : आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसमें यह सब विवरण है। वह मैंने राज्य सरकार को भेजा है।

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री पूरे प्रदेश को देख रहे हैं इसलिए अपना जिला भूल गये हैं। उनको याद दिलाने के लिये जरूरी है। हत्या भी हो रही है, लाठी चार्ज भी हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

आर्डर प्लीज।

श्री चम्पालाल बांठिया : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को समय दिया था बोलने का।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं।

श्री चम्पालाल बांठिया : चोरियां और डकैतियां हो रही हैं उसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से तो, मैंने कहा, सारा दिन इसी में चला जायेगा....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

सब स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिये गये हैं, उन पर कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को कहा गया है। माननीय सदस्य को सूचना देने तक के लिए कहा गया है उस पर कार्यवाही करके माननीय सदस्य को सूचित किया जाय।

श्री बिरदमल सिंघवी : मीटिंग नहीं हो रही है बोर्ड की। सूचना देने से क्या होगा ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा...

श्री अध्यक्ष : स्थिति देख रही हैं, माननीय सदस्या। माननीय सदस्या। अगर मैं आपको अलाउ करता हूं तो मेरे सामने कितनी समस्यायें आ जायेंगी। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूं। माननीय सदस्य, मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : स्थिति कितनी गम्भीर है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

(श्री अध्यक्ष)

याचिकाओं का उपस्थापन

जयपुर स्थित रामनगर, नाहरी का नाका (पूर्व) आवासीय योजना के कुछ हिस्से को गटर लाइन से जुड़वाना

जयपुर सीकर रोड़ पर अम्बावाड़ी मोड़ से चुंगी चौकी तक प्रकाश व्यवस्था

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, मैं, जयपुर स्थित रामनगर नाहरी का नाका (पूर्व) आवासीय योजना के कुछ हिस्से को गटर लाइन से जुड़वाये जाने सम्बन्धी तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

जयपुर सीकर रोड पर अम्बावाड़ी मोड से चुंगी चौकी तक प्रकाश व्यवस्था कराये जाने सम्बन्धी दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित....

याचिकायें प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं कानून का अक्षरशः पालन करता हूं और कोई करता नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने कानून का पालन तो नहीं किया, मैंने आपका नाम पुकारा भी नहीं और उसके पहले ही आप खड़े हो गये ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने आपका समय बचाने के लिये कार्यवाही की है।

श्री अध्यक्ष : आपने कानून की पालना की बात कही है उसके ऊपर कह रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था पर माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में कहेंगे कुछ ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कहना है।

श्री अध्यक्ष : नहीं कहेंगे तो ध्यानाकर्षण ही क्या रहा, थोड़ा कह दीजिये। संक्षेप में।

श्री शोपतसिंह : इनको नियमों का ज्ञान नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। संक्षेप में, माननीय मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद में 2-4 प्रश्न करना चाहें....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे मालूम है साहब। नियमों का ज्ञान तो आपको नहीं

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में ही निवेदन करूंगा। मुझे समय का पूरा ध्यान है।

मान्यवर, जयपुर नगर परिषद् में 11-12-1973 से प्रशासक कार्य कर रहा है जबकि म्युनिसपैलिटी के चुनाव, नगर परिषद् के चुनाव हो जाने चाहिये। 14 लाख से ऊपर की आबादी है। चुनाव करवाये नहीं गये और प्रशासक काल में जयपुर नगर की हालत दिनों दिन नारकीय स्थिति में जा रही है। सत्य यह है, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, पहले कभी एक आयुक्त हुआ करता था, आज 6-6 आयुक्त जयपुर नगर परिषद् में कार्य कर रहे हैं। जयपुर नगर में 4832 नियमित सफाई कर्मचारी हैं और 1154 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं।

मान्यवर आपको सुनकर आश्चर्य होगा जयपुर नगर में केवल सफाई के मद पर, केवल सेनिटेशन के मद पर 4 करोड़ 30 लाख 12 हजार 860 रुपये खर्च होते हैं। अब प्रतिदिन का आप हिसाब लगा लें। उसके बाद में भी, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने भी भली प्रकार देखा होगा, जयपुर नगर की हालत दिनों दिन खराब हो रही है, गलियां सड़ रही हैं, गटर का पानी बह रहा है, मरे हुये मवेशी पड़े हैं। नगर परिषद् को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये था प्रकाश व्यवस्था का कार्य क्योंकि जगह-जगह बल्ब फ्यूज पड़े हैं, ट्यूब लाइट्स बन्द पड़ी हैं, मर्करी लाइट्स बन्द पड़ी हैं, जगह जगह खड्डे हैं।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 62 गाड़ियां मय मेकेनिकल स्वीप के इनके पास हैं और ट्रैक्टर आदि अन्य किराये पर लिये जा रहे हैं। मान्यवर, निवेदन करना यह है कि आज हरिजनों के पास सामान नहीं है। सरकार का कहना है कि हम टोकरी देते हैं, फावड़े देते है, फाटिये देते हैं, नारियल की झाडू देते हैं, पन्नी की झाडू, गटर की चाबी, टोकरी, परात, खपच्ची, गटर डण्डा सेट्स देते हैं। गैस नाशक फर्स्ट एड बाक्स और गटर लाइन की सफाई करने की मशीन अलग उपलब्ध है।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, लगभग 8 लाख रुपये की एक मशीन गटर लाइन को साफ करने के लिये लाई गई थी, वह आज पिछले लगभग कोई 8 महीने से खराब दशा में पड़ी हुई है। अब एक मोटर जरूर है जो शाम को जाती है और धुआं उड़ाती है, लोग दरवाजे बन्द कर लेते हैं। उससे यह सरकार समझ लेती है कि मच्छर मर गये, इति श्री हो गई, जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था हो गई। मैं समझता हूं कि यह माकूलव्यवस्था नहीं है।

मेरा कल प्रश्न था दुर्भाग्य से वह लगा नहीं, सरकार ने कहा था कि हम जयपुर शहर की गलियों की सफाई करेंगे, जयपुर में जो गटर लाइन से जुड़े हुए हैं उनकी गटर लाइन की सफाई करेंगे और 20 पर्सेन्ट पानी के बिल, जो पूरा पानी खर्च हुआ है सीवरेज टैक्स लेंगे। मान लो 100 रुपये, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, पानी का बिल आता है तो उस पर 20 रुपये महीना सीवरेज टैक्स के नाम पर वसूल किया गया। पर जहां पर गटर लाइन नहीं हैं, जिन लोगों के शॉकपिट बने हुये हैं उनसे सीवरेज टैक्स की रकम की

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

वसूली की गई है। हालत यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जुलाई से सीवरेज टैक्स उनसे ले रहे है जब सरकार ने स्वयं यह माना है कि जयपुर शहर में 32700 फ्लश की लैट्रिन्स हैं। 2 लाख रुपया प्रतिमाह राज्य सरकार सीवरेज टैक्स के नाम पर वसूल कर रही है। आप हालत देख लीजिये, फिर भी जगह जगह गटर जगह के बम्बे उखड़ रहे हैं। टूट रहे हैं हम सब सरकार से कहते हैं कि भई, गटर के बम्बे क्यों उखड़ रहे हैं तो कहते हैं कि आप जब यू.आई.टी में रहे होंगे, तो आपने 1-2 फव्वारे बनाये होंगे लेकिन हमने गली-गली में फव्वारों की व्यवस्था कर रखी है। गटर पानी उगल रहा है उसके लिये सरकार कहती है कि हमने जगह जगह फव्वारे लगा रखे हैं गटर के पानी से...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, ये कूड़े के ढेर क्यों पड़े हुये हैं ? सरकार कहती है कि ग्रो मोर फूड, अधिक अनाज उपजाओ, इसलिये जगह जगह हमने कूड़े के ढेर लगा रखे हैं ताकि कहीं से खाद नहीं लाना पड़े। छत पर गेहूं उगाओ, छत पर सब्जी उगाओ इसलिये कूड़े के ढेर पड़े हुये हैं। जयपुर शहर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़ रहा है। और भी प्रश्न है। यह सारे माननीय सदस्यों से सम्बन्धित प्रश्न हैं। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आखिरकार नये नये मेम्बर जो आये है ये बीमार पड़ जायेंगे, इनके पेट में कीड़े पड़ जायेंगे क्योंकि गटर का जहां से पानी जाता है, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, वहां पर पानी की लाइनें पड़ी हुई है। मेरा निवेदन है, निर्धारित समय के बाद में पानी जिस समय में बन्द हो जाता है, अध्यक्ष महोदय, वह पानी उन सटे हुये नलों में घुस जाने के कारण गटर का पानी उसमें घुस जाता है। जब नल खोलते हैं तो उसमें पहले गटर का पानी आता है। एक बड़ी अहमियत का प्रश्न है, उसके कारण जयपुर नगर के

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लोगों के पेट में कीड़े हैं।

अन्त में राज्य सरकार से मांग करता हूं माननीय मुख्य मन्त्रीजी की जगह जो मन्त्री महोदया जवाब देंगी मेरी उनसे मांग है कि जयपुर शहर की गन्दी गलियां हैं उनकी युद्ध स्तर पर सफाई की व्यवस्था कराई जाय। इसीलिये इन गन्दी गलियों 4-4 पार्टनर हैं झगड़े चलते हैं और गटर लाइन नहीं डलवाते हैं अपने मकान में, उनमें गटर लाइन डालकर ड्राई लेट्रिन फ्लश में कन्वर्ट कर दे, वरना भाइयों में झगड़े होंगे। जयपुर की प्रत्येक गली सीमेन्टेड करवा दी जाय, राज्य सरकार के खर्चे पर गटर लाइन डलवायें। क्योंकि ये गन्दी गलियां केवल जयपुर में ही हैं इसलिये जयपुर शहर की बड़ी अहमियत का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसलिए गली में गटर लाइन डालकर उसको सीमेन्टेड करवायें।

मेरी एक मांग और आपसे है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कूड़े के जगह जगह

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

ढेर कर देते हैं उनके बजाय बस्ती से दूर डिपो बनाकर कूड़ा डाला जाय। सभी मोहल्लों में जगह जगह कूड़े की ढेरियां लगा दी हैं। कल मैं जब खजाने वालों के रास्ते में जा रहा था, तो लोगों ने कहा कि एम. एल. ए. साहब इधर आओ, 4 दिन से कूड़ा पड़ा है। क्या हमने वोट आपको इसलिये दिया था ? मैं समझता हूं कि जयपुर शहर में एम. एल. एज. का निकलना मुश्किल हो हो गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि दूर दराज डिपो बनाकर उनमें कूड़ा एकत्रित किया जाय, उनको भी नियमित रूप से साफ किया जाय।

अन्त में मेरा निवेदन है कि जयपुर शहर में सफाई क्यों नहीं होती है ? वह सफाई इसलिये नहीं होती है कि थ्री टायर सिस्टम लागू है। एक आदमी झाड़ू लगाता है, एक आदमी कूड़ा उठाता है, एक आदमी नाली साफ करता है। एक पर पूरी रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं है, एक दूसरा एक दूसरे पर डाल देता है। इसलिये एक टायर सिस्टम शुरू किया जाय। एक भाग की एक हरिजन की जिम्मेदारी हो, जो नाली भी साफ करे, कचरा भी उठाये और हो सके तो सायंकाल को पक्की गलियां भी साफ करे। राज्य सरकार को सुझाव है कि जहां पर भी गलियां हैं उनकी भी सफाई करा दें। निश्चित रूप से यह बड़ी अहमियत का प्रश्न है, चुनाव जल्दी करवा दिये जायें। चौमूं में नगर परिषद् है, आमेर में नगर परिषद् है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है फिर भी नगर परिषद के चुनाव नहीं हुये, अफसोस की बात है....

श्री अध्यक्ष : चौमूं में नगर पालिका है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : राज्य सरकार अपना वक्तव्य। जयपुर नगर की जो गरीब जनता है उसको बचाना हमारा कर्तव्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से उसी दृष्टि से उत्तर व कार्यक्रम सफाई व्यवस्था का आवे, यह मैं निवेदन करता हूं आपसे। आप भी जयपुर के निवासी हैं, गन्दगी आपको भी, मान्यवर, सताती होगी। इसलिये आप भी सरकार को ताड़ना दें कि आज की तिथी में वह अपना वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं करूंगा केवल कुछ सुझाव रखना चाहता हूं ?

श्रीमती कमला (मंत्री, स्वायत्त शासन): आप कई प्रस्ताव व सुझाव रखते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जैसा तरीका है, आपने प्रस्ताव रखा है....

श्री भंवरलाल शर्मा : कुछ सुझाव देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप मुझे दे दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : उत्तर के बाद में बोलना पड़ेगा, इसलिये पहले बोल लेने दें तो ..

श्री अध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रारम्भ में जो

(श्रीमती कमला)

विवरण दिया कि इतनी धनराशि है, इतने प्रशासनिक अधिकारी हैं, इतने कर्मचारी हैं, इतने उपकरण हैं. ये सब कायम हुए हैं। तो यह अपने आप में उन्हीं के शब्दों में इस बात की तो कम के कम स्वाकारोक्ति है कि सरकार और नगर परिषद इस काम को कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण मानती है। इतनी व्यवस्थायें की गई हैं और उस व्यवस्था के अनुरूप तकाजे से इस काम को करना भी चाहती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो जन-धन की लूट है।

श्रीमती कमला : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इतने कर्मचारी रखने के बावजूद भी सफाई जैसी व्यवस्था नहीं है यह तो निकम्मापन है।

श्री अध्यक्ष : आप वक्तव्य सुनें, माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : भंवरलाल जी क्या बोल रहे थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो जन धन की लूट है।

श्रीमती कमला : आपको बोलने की ऐसी मन में आती है क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत आती है।

श्रीमती कमला : इसका उपयोग आप बाद में करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिये भी ज्यादा आती है, इस वक्त सारी गन्दगी को ...

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप जब भी बोलते है, हम बहुत शान्ति से आपका व्याख्यान सुनते हैं।

मेरा उल्लेख करने का इतना ही तात्पर्य है कि आप भी इस बात को मानते हैं कि इस बात का पूरी तरह से तकाजा भी है। इस पर विचार हो रहा है कि इतने बड़े शहर की इतने पैमाने पर सफाई करने के लिये कितनी जरूरत है, वह जरूरत कायम भी हुई है। कुछ अन्य कमियां भी हैं कमियों को दूर करने के लिये व्यवस्था कायम हो, और भी तेजी से जो व्यवस्थायें कायम हैं उनको प्रभावी ढंग से उपयोग में लाया जाय, जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर तकाजा किया जाय कि वे अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से निभायें, ये सभी काम किये जा रहे हैं। आपको मालूम ही है कि इतने बड़े शहर के तमाम काम का एक केन्द्र से संचालन करना, जिसके माध्यम से उसको सम्पादित करना मुश्किल है इसलिए सारे शहर को चार संभागों के अन्दर बांटा हुआ है। प्रत्येक संभाग में पृथक पृथक आयुक्त कायम किये हुए हैं। वह अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्र को प्रभारी ढंग से और प्रभावी ढंग से उसकी देख रेख करते हैं। सफाई का निरीक्षण करने के लिए उनके साथ में दो स्वास्थ्य अधिकारी भी शहर के अन्दर सफाई व्यवस्था में सुधार हेतु कार्यरत हैं। इस प्रकार सफाई व्यवस्था हेतु निरन्तर प्रयत्न भी किये जा रहे हैं।

इस समय सफाई व्यवस्था में चार

(श्रीमती कमला)

जोन्स के आयुक्त लगे हुए हैं और दो स्वास्थ्य अधिकारी लगे हुए हैं उनके अलावा सफाई निरीक्षक लगा रखे हैं 39, जमादार लगे हुए हैं। 129 दैनिक वेतन भत्ते पर काम करने वाले कर्मचारी लगे हुए हैं 1154, कुल 4832 नियमित सफाई कर्मचारी भी लगा रखे हैं। सफाई के काम में 62 वाहन कार्यरत हैं। आवश्यकता पड़ने पर और भी वाहन किराये पर लाकर उनका उपयोग किया जाता है। सफाई के कार्य को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था को मैकेनाइज्ड करने की भी कोशिश की गई। इसके तहत नगरपरिषद एक मैकेनिकल स्वीप काम में ले रही है, जो प्रतिदिन आठ घण्टे में लगभग बीस से तीस किलोमीटर तक मुख्य मार्गों को साफ करती है वह 200 किलो ग्राम कचरा खींचकर ट्रक में डालती है। इसी तरह से एक और मैकेनिकल स्वीप तुरन्त ही नगर परिषद लेने जा रही है बहुत सारा काम उसके माध्यम से किया जा सकेगा।

गन्दगी के विषय में मुख्य समस्या 7000 सर्विस लेन्स की सफाई की है। सर्विस लेन्स ऊपर रहने वाले जितने भी शहरी निवासी हैं वह सारा कचरा सर्विस लेन्स के अन्दर डालते हैं। उन सर्विस लेन्स में इतनी कम जगह है कि कचरा डालने के बाद में जो सफाई कर्मचारी हैं उनका घुसना मुश्किल हो जाता है। इन सर्विस लेन्स की सफाई करने के लिये और इनमें सर्विस लेन्स में कचरा नहीं डालें इसके लिए दो व्यवस्थायें की गई। एक व्यवस्था तो यह की जा रही है कि जो भी सर्विस लेन्स आज कचरे से भरी हैं उनके लिये बाकायदा अलग-अलग एरिया वाइज गैंग्स तैनात कर दी गई हैं वह एक निर्धारित समय के अन्दर तमाम सर्विस लेन्स की सफाई करेगी। साथ में यह भी सोचा जा रहा है कि सर्विस लेन्स में कचरा डालने वाले व्यक्तियों पर कुछ न कुछ पाबन्दी भी लगाई जाय, कुछ न कुछ जुर्माना भी लगाया जाय। बड़ी भारी समस्या उनमें कचरा डालने से पैदा हो जाती है, क्योंकि हर समय उन सर्विस लेन्स की सफाई करना सम्भव नहीं है साल में एकाध बार ही उनकी सफाई कराई जा सकती है। लोग रोजाना उनमें न कचरा डालें इसके लिये कुछ न कुछ निवासियों को आगाह करना जरूरी है। इस बारे में भी कुछ प्रस्ताव लाने पर विचार किया जा रहा है। मुख्य स्थानों पर अतिरिक्त कचरा डिपो केन्द्र कायम करने पर भी विचार किया जा रहा है। कार्यवाही भी कई मोहल्लों में प्रारम्भ भी कर दी गई है, ईंट और सीमेन्ट के कचरे पात्र बनाने की।

श्रीमती उजला अरोड़ा : खिड़कियों के नीचे, जहां भी बनाते हैं, यह बिल्कुल अव्यवहारिक है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्रीमती कमला : इतनी क्या आतुरता हो रही है। इस बयान के बाद में—

श्री अध्यक्ष : आप नोट कर लीजिये। आपका बोलने का मौका दूंगा। बीच में व्यवधान नहीं माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदया, एक बार गाड़ी लेकर घूम तो आइये ।

श्रीमती कमला : मोहल्लों के अन्दर दूसरी बड़ी समस्या यह है कि कचरा जहां डाला जाता है वहां खुली जगह होती है ।

(व्यवधान)

वक्तव्य के बाद में बोलें तो कोई मनाही थोड़े ही है ।

तुरन्त वह कचरा नहीं उठ पाता है । सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह कचरा फैल भी जाता है, वदबू भी करता है और आने जाने वाले लोगों को भी परेशान करता है । इसलिए अभी एक प्रोग्राम हाथ में लिया गया है जो प्रारम्भ भी कर दिया गया है । माननीय सदस्य और सदस्या से मैं सहयोग भी चाहूंगी, कचरा पात्र जो बनाये जा रहे हैं उनको मोहल्लों के लोग बनाने नहीं दे रहे हैं, मेहरबानी करके उसमें सहयोग करें । जिससे कि यह दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत और समस्या सफाई के सम्बन्ध की है उसको हम दूर कर सकें ।

यह आक्षेप तो सही है कि सफाई की समुचित व्यवस्था जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं है लेकिन बिल्कुल नरक बन गया है यह आक्षेप तो मेरी समझ में सही नहीं है । शहर की प्रतिदिन सफाई प्रक्रिया से एकत्र किये हुए कूड़े को आम तौर से प्रतिदिन ही हटाने की व्यवस्था की गई है । आज के दिन लगभग 350 टन कचरा प्रतिदिन उठाया जा रहा है और...

श्रीमती उजला अरोड़ा : कैसे—

श्रीमती कमला : बीच में बोलने की परेशानी क्यों हो रही है । बोल लेना बाद में । सारा कुछ बोल लेना । ये आंकड़े गलत हों तो बाद में बता देना ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : कचरे से कंचन....

श्री अध्यक्ष : आप नोट कर लें बाद में बोल लें आपको जो कहना है ।

श्रीमती कमला : कोई गलती हो तो आप बता दें मैं उसको दुरूस्त करूंगी ।

बीमारियों की रोकथाम हेतु नगर परिषद जयपुर द्वारा कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है, अतः ऐसी कोई संभावना नहीं है कि शहर में कोई संक्रामक रोग फैले ।

जहां तक गटर का गन्दा पानी बहने का प्रश्न है यदा–कदा जब गटर लाइन बन्द होती है अथवा ओवरफ्लो होता है तो सीवर लाइन साफ की जाती है । गर्मी के मौसम में विशेषकर बड़े नालों व नालियों की सफाई की जाती है । गन्दी गलियों की सफाई भी की जाती है । गर्मी के मौसम में मच्छरों को मारने के लिये छिड़काव करने की मशीन का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कि मच्छर अपना प्रसार नहीं कर सकें और आबादी नहीं फैला सकें । शहर में पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी महामारी न फैले ।

इस समय स्वायत्त शासन विभाग के

(श्रीमती कमला)

द्वारा जयपुर शहर की सफाई तथा रोशनी की पूर्ण व्यवस्था देखी जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड में नालों तथा गलियों की सफाई की व्यवस्था तेजी से करवाई जा रही है। शहर की चारदीवारी के अन्दर लगभग 700 सर्विस लेन्स हैं तथा इनमें से 5000 कच्ची सर्विस लेन्स को पक्का करने की कार्यवाही प्राथमिकता से करवाई जा रही है। जहां कच्ची सर्विस लेन्स हैं उनमें कोई भी सफाई कर्मचारी न घुस सकता है और न घुसना चाहता है। इनको पक्का करने पर जो व्यय होगा उसका पचास प्रतिशत राज्य सरकार कर्ज देने वाली है और बाकी परिषद अपनी तरफ से काम करेगी।

इस कार्य में 20 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। सर्विस लेन्स पक्की करने के बारे में व्यवस्था की जा रही है। मच्छरों को मारने के लिए प्रबन्ध किया जा रहा है। जयपुर शहर में जो मच्छर पैदा होते हैं उनको काबू में करने के लिए जयपुर शहर के जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई के लिए जो कार्य प्रारम्भ किया जाना है, उसके लिए भी निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी हैं और उनको तुरन्त ठीक करने के लिए काम भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष, जो भी कमी रह गयी है उसको समझने और उसको तकाजे से दूर के लिए, सफाई की समुचित व्यवस्था करने के लिए खास तौर से माननीय सदस्यों ने जो बात उठाई है, परसों भी चर्चा के दौरान काफी सदस्यों ने कहा था कि कई जगहों पर पीने के पानी में लाइन में गन्दे पानी की लाइन टूट जाने से, व्यवस्था में गड़बड़ी होने से आ जाती है। सर्वाधिक प्राथमिकता से मैं इस बात को देखूंगी कि इस तरह कोई कहीं गटर में गड़बड़ी है तो उसको तुरन्त ठीक की जाने की व्यवस्था की जाय, क्योंकि यह तो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है।

एक जो आपने सीवरेज टैक्स के सम्बन्ध में बात कही, उस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि अभी कुछ समय से यह सीवरेज टैक्स लगना शुरू हुआ। एक साल भी नहीं हुआ है। उसकी जो भी धनराशि इकट्ठी होगी वह इसी काम के लिए उपयोग में ली जायेगी। वह नगर परिषद को वापस दे दी जायेगी। अपने खर्च में उसका उपयोग यह सरकार करने वाली नहीं है। इससे अतिरिक्त सुविधा सफाई के अन्दर मिल सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर गन्दगी से भरा है। जयपुर शहर की गन्दगी से सभी परिचित हैं। जिन-जिन को शहर में जाने का मौका मिलता है वह इस बात से सहमत होंगे कि....

श्री शिवराम शर्मा : वह तो दिल्ली में भी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : दिल्ली में भी आपका ही राज है।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके राज में जहां भी जायेंगे वहां पर मिलेगी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपस में चर्चा नहीं करें, आप अपना स्पष्टीकरण मांगे ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य, आप अपना स्पष्टीकरण मांग लें ।

श्री भंवरलाल शर्मा: माननीय अध्यक्ष, जयपुर शहर में

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेरी एक बात सुनलें । आप स्पष्टीकरण जो चाहे मांग ले । जयपुर शहर के बारे में लंबी चौड़ी बात नहीं करें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं केवल सुझाव ही दूंगा । एक तो जयपुर में सफाई नहीं है, इसलिए सफाई की ओर ध्यान देना होगा । सफाई से बयान देने से सफाई नहीं होगी; सफाई तो करने से होगी । उसके लिए एक सुझाव है कि जयपुर शहर की गन्दगी की कुछ समस्या है उस पर हमको ध्यान देना होगा । जैसा कि आपने कहा था कि सर्विस लेन्स अधिकांश में कच्ची है, आप उसको साफ भी कराते हैं लेकिन हमें इसके लिए अभी बहुत कुछ करना है । सफाई कराने के बावजूद भी वह ज्यादा दिन तक साफ नहीं रहती है फिर उन पर आपको खर्चा भी करना पड़ता है । उसका पूरा लाभ भी आपको नहीं मिलता है । मेरा सुझाव है कि ऐसी गलियां जो कच्ची हैं, को पक्का करायें । पक्की भी आप उनको सीमेन्ट से नहीं करायें क्योंकि सीमेन्ट में एक बहुत बड़ी डिफेक्ट है । सीमेंट धीरे धीरे सफाई करते करते एक जगह से टूटेगा और एक बार टूटेगा तो दिक्कतें पैदा करेगा । इसलिए आप कोई मजबूत पत्थर से ठीक कराने की व्यवस्था करेंगी तो यह समस्या आपकी सर्वदा के लिए समाप्त हो सकती है ।

दूसरी समस्या है नालियों की । जयपुर शहर में कुछ नालियां गहरी हैं, तीन तीन फीट, चार चार फीट, कुछ पांच फीट तक गहरी हैं और वह दो फीट चौड़ाई में हैं । उनमें रोज एक व्यक्ति उतर नहीं सकता है । घरों का पानी बहकर आता है वह मिट्टी और कूड़ा बहाकर ले आता है । तो पानी तो ऊपर से निकल जाता है लेकिन मलवा जमा हो जाता है । एक प्रकार से वह बीमारी और गन्दगी पैदा करता है । तो मेरा सुझाव है कि अधिकांश स्थानों पर कम गहराई की आप अगर नालियां बना देंगी तो रास्ते की चौड़ाई भी बढ़ जायेगी और जो यह परमानेन्ट प्राब्लम हरिजन की है वह मिट जायेगी । हरिजन उसको रोज साफ कर सकते हैं जिससे पानी भी बह जायेगा ।

तीसरी बात यह है कि कच्चे तहारत । जयपुर में कच्चे तहारत बहुत हैं बड़ी संख्या में है, पहले तो नगर परिषद की व्यवस्था थी और नगर परिषद ने भंगन और हरिजन रख रखे थे जो कि मलवा उठाकर ले जाते थे और दूसरी जगह ले जाकर वहा देते थे । लेकिन अब अगर कच्चे तहारत के मलवे को एक हरिजन ईमानदारी से उठाकर ले जाना चाहें तो वह उनको कहां पर डाले, आज जयपुर में कोई जगह नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : आपने ढाई साल में क्या किया ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हमने ढाई साल में क्या किया उसका अनुसरण करेंगे क्या ? आप हमारी शरण में आ जावो ना ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें । माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें । माननीय सदस्य, आपस में डाइरेक्ट बात नहीं करें ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर यह कहा है कि ढाई साल में आपने क्या किया । हम उसके लिए आपकी शरण में हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां मैंने गलती की कि इनकी बात पर ध्यान दिया । मुझे इनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए था ।

तो यह जो कच्चे तहारत हैं इन तहारतों को जब तक आप पक्का नहीं करायेंगे, तब तक आप इस समस्या को खतम नहीं करा सकेंगे । इसके लिए अनुदान दिया जा सकता है । अभी आपने पूछा था कि हमारे जमाने में हमने क्या किया । हमने हजारों तहारत पक्के करवाये । हमने अनुदान दिया । पांच साल का काम ढाई साल में कर दिया । बाकी काम आप करें ।

श्री अध्यक्ष : इसलिए छुट्टी दे दी ढाई साल में ।

श्री भंवरलाल शर्मा : छुट्टी ले ली या दे दी ।

श्री अध्यक्ष : पांच साल का काम ढाई साल में हो गया तो कुछ करने को रहा नहीं कार्य ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात आपके लिए....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आपके लिए ठीक नहीं रहती है, ढाई साल में छुट्टी हो गयी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यों तो कइयों की छुट्टी होती रहती है ।

(व्यवधान)

आपकी भी हुई है ।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो यही कहना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

अजी बाल बाल बचे हो ।

श्री शिवराम शर्मा : बाल बाल नहीं बचा हूं, दस हजार वोटों से जीत कर आया हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर । आपस में बातें नहीं करें ।

(101)

श्री भंवरलाल शर्मा : तो मेरा आपसे यह आग्रह होगा कि—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : अजी तीन लाख रुपये देकर टिकट लिया। साढ़े तीन लाख रुपये देकर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस प्रकार कच्चे तहारत हैं उन कच्चे तहारतों को पक्का करवायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में जो गरीब लोग हैं और मजदूरी करने जो बाहर से आते हैं, वह एक एक कमरे में तीन तीन चार चार रुकते हैं। उनके लिए तहारत की व्यवस्था नहीं है। वह लोग शौच जाने कहां जावें। ऐसे गरीब लोगों के लिए आप सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करें। मौहल्लों में गरीब लोगों, जो कि रास्ते में ही टट्टी करते हैं या खुले में ही टट्टी जाते हैं, के लिए शौचालय बनावें। इससे गन्दगी भी नहीं फैलेगी।

जयपुर का गटर सिस्टम है, बहुत ही बड़ा डिफेक्टिव है जिस समय यह गटर डाले गये थे तो कई जगह पर लाइन ठीक नहीं खोदी गयी, कई जगह पर यह लाइन बैठ गयी है कई जगह पर ठेकेदारों की गलती से गटर लाइन ऊंची हो गयी है और कई जगह पर नीची हो गयी है। परिणाम उसका यह होता है, चाहे हरिजन कितना ही साफ करे पर उसमें पानी उबलता ही रहता है। वैसे जयपुर शहर में पीने के पानी की बहुत कमी है पर गटर लाइन आपकी चलती ही रहती है। उसको ठीक करने का उपाय यह है कि जो लाइन खराब हो गयी है या जो नीचे बैठ गयी है या धंस गयी है उसको दुबारा से ठीक कराके व्यवस्थित करा दें।

एक समस्या यह है कि यहां आवारा पशु घूमते रहते हैं, बड़ी संख्या में घूमते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं चौपड़ हैं, बड़े-बड़े स्थान हैं, वहां पर पशु आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस कारण से एक्सीडेन्ट का डर लगा रहता है। जो गरीब लोग ठेला लगा-लगाकर सब्जियां व अन्य सामान बेचते हैं, यदा-कदा वह उनमें मुंह मारते हैं। इससे गरीब लोग मरते रहते हैं। इससे यातायात में भी व्यवधान पड़ता है। इन पशुओं का भी कोई इलाज करें।

यह मेरा आपसे निवेदन है कि आप खास कर कच्चे रास्तों को ठीक नहीं करायेंगे तब तक जयपुर शहर में सफाई की कठिनाई बनी रहेगी। यह तीन-चार सुझाव मैंने आपको पार्टी की सब बाधाओं को तोड़कर, सीमाओं को तोड़कर विचार करने के रखे हैं। यदि आप पार्टी में घुसी रहेंगी तो सफाई नहीं हो पायेगी इसीलिए आप....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जयपुर शहर के

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पार्क हैं, वह केवल नाम के हैं। उसके लिए पैसा यूं ही दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो गरीब लोग हैं, जिनको स्थान की आवश्यकता है, वह उसका वहां रहकर उपयोग करते रहते हैं। मेरा सुझाव है कि वो आइडेन्टीफाइड पार्क हैं, उनमें आप गेट लगवा दीजिए, पेड़ लगवा दीजिए, अगर पेड़ नहीं लगवा सकते तो प्रोवाइड कर दीजिए। जयपुर की जनता की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पेड़ों को आप लगवायेंगी तो उनकी पालना का काम, पेड़ बड़े करने का काम नागरिक करेंगे। इससे यह पार्क अच्छे हो सकते हैं, इनको मेनटेन करने से वहां गन्दगी के बजाय हरियाली दिखने लगेगी। यह मेरे सुझाव है, इनपर आप ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदया यहां पर उल्लेख किया....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, कोई स्पष्टीकरण चाहें तो पूछ सकती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां स्पष्टीकरण ही है।

आपके डायरेक्टर महोदय ने निर्णय लिये हैं उसके अनुसार बस्तियों में स्थाई रूप से कचरा पात्र बनाये गये हैं, मेरा कहना है आप उनका अवलोकन करें। जहां घरों में खिड़कियां खुलती हैं घरों से बिलकुल लगे वह बनाये हैं। मेरे इलाके में देखकर आई हूं, इतनी भयंकर स्थिति है कि लोग बड़े विद्रोह की मुद्रा में खड़े हैं, वह उनको तोड़ देंगे। आप देखें कि इसमें कितनी अव्यावहारिकता है। फिर कचरा पात्र बनाने की आवश्यकता क्या है? एग्रो इण्डस्ट्री को चार सौ,पांच सौ मैट्रिक टन मलवा रोजाना जा रहा है। आपके 70 वाहन सुबह और 20 वाहन शाम को जा रहे हैं। हमारी जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने यह तय किया था कि दो वर्ष तक हम पैसा नहीं लेंगे। फिर दो रुपया प्रति टन के हिसाब से हम लेंगे। 1978 के बाद इतना पैसा आ चुका है कि आप सारा मलबा तत्काल उठाकर भिजवा सकते थे और कमाई कर सकते थे। मेरा आपसे आग्रह है कि यह स्थाई कचरा घर मत बनाइये। जो आपके पास वाहन कम हैं, एग्रो इण्डस्ट्री को केवल सत्तर सुबह और बीस शाम को भिजवाते हैं, अगर इसकी वसूली पूरी हो तो ज्यादा वाहन आ सकते हैं। इससे कचरे को बेचने से कमाई होगी और गर्मियों में लोग सड़ेंगे भी नहीं। मंत्री महोदया लिख लें, 1978 का एग्रीमेंट लिखित में है। मेरा आपसे आग्रह है कि जहां भी पानी का निकास है उस पानी के निकास को गटर लाइन से जोड़ दें। एक तरफ कूड़ा निकला हुआ पानी बहकर कीचड़ हो जाती है वह नहीं होगी, दूसरी तरफ हम रोज उसे उठाते नहीं हैं जिससे मक्खी, मच्छर पैदा होते है वह नहीं होंगे। साथ ही आप शहर की सफाई की जो अव्यवस्था है उसको कम कर सकेंगे। बड़े नाले हैं, उनमें एक बार पूरी सफाई कराकर उनको ढकवा दीजिये जिससे उनमें लोग गिरें नहीं। आप रामगंज चौपड़ से निकलें, वहां बड़ा नाला है, उसमें एक बार हाथी गिर गया। इसी तरह पृथ्वीराज रोड से चौमू हाउस के नाले में एक बार गाय गिर गई, उसे बड़ी मुश्किल से निकाला गया। इस तरह की बड़ी नालियां हैं, आप उनको

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ढकवायें और कचरे को दैनिक रूप से उठाने की व्यवस्था करें।

आप जो कचरा पात्र बनवा रही हैं उनमें केवल कचरा गिरेगा, जानवर भी गिरेंगे, जो गिरते रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : संक्षेप में कह रही हूं।

इसका अपने आप अवलोकन कीजिये।

म्यूनिसिपेलिटी के लोग उश्रृंखल हो रहे हैं। सारे अधिकारी, कर्मचारी सिर्फ नेताओं की हाजिरी भरकर सफाई करने का काम बांध लेते हैं। मेरा कहना है इसका आप पुनर्गठन करें। वह सम्भव न हो तो नगर निगम के चुनाव करायें, नगर परिषद के चुनाव नहीं हुए हैं, इसके चुनाव हों जिससे यहां की समस्त सेवायें जयपुर को सुखी रख सकें। आप भी एक बार मेरे साथ चलें, गलियों में घूमें। मैं आपसे पूछूंगी और आप अगर कह देंगे कि जयपुर में सफाई हो रही है तो मैं आपको प्रमाण-पत्र दे दूंगी, नहीं तो मुझे दे देना कि सफाई ठीक ढंग से नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आपस में प्रमाण-पत्र देने से काम नहीं चलेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक बात मैं और कहना चाहूंगी। मेरे इलाके में सारा जल गिरता है जल महल में, और जल महल में पानी सीधा जाता था पहले। अब उसमें बाधा उत्पन्न हो गई है जिससे मलवा ठहर जाता है। सारा मलवा काकजी बाड़ा, छीजंलीवाड़ा, अपनी गूजर घाटी है वहां रुक जाता है। इससे मच्छर इतने हो जाते है कि दीवारों पर वह छा जाते है और मच्छर मुंह में आ जाते हैं। वहां पर मलेरिया की जो फोगिंग गाड़ी है, वह एक महीने में नहीं बल्कि चौथे दिन के बाद भेजनी चाहिए ताकि इलाके में सुधार हो पाये।

इसी तरह से जो हमारे यहां गलता को रोड जाती है, आजकल रामगढ़ रोड पर सरेआम कचरा डाला जा रहा है। मंत्री महोदया घूमिये, देखिये, कहां अव्यवहारिकता हो रही है और इस विभाग में सुधार करे। यही मेरा आपसे आग्रह है।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। आप सन्तुष्ट न हों उससे जो आपको लिखित में दिया गया है तो जो अलिखित है उसको देखिये। तब आपको मालूम होगा कि आपके अधिकारी कितने अकर्मण्य हैं, कितने अव्यावहारिक हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह हरिजनों से मिलना नहीं चाहते। उनकी सुविधाओं को सुधारना नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, आज तक एक भी महिला कर्मचारी को इन्होंने प्रमोशन नहीं दिया है। अपने नियमों के विपरीत चल रहे हैं। महिलाओं को सुविधा देनी चाहिए, जबकि उन्हें नहीं दे रहे हैं। आप बिल्कुल सुविधा नहीं देंगे तो वह काम आपका क्यों करेंगे। मालिक और कर्मचारी में प्रेम हो, काम करने की भावना हो तो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वह आदेश का पालन करेंगे । इन बातों पर आप विस्तृत नजर डालकर देखें और इनका पुनर्गठन करें तब जयपुर की समस्या हल होगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने विस्तृत जानकारी दे दी है, परंतु मैं दो-तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक तो जयपुर शहर के परकोटे के बाहर जो बस्तियां बसी हुई हैं वहां कई बस्तियों में नालियों की व्यवस्था नहीं है उनका निर्माण नहीं हुआ । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे इलाकों में जहां नालियां नहीं बनी हैं वहां नलियों का निर्माण कराये जाये, जिसके नहीं होने के कारण गन्दगी का निकास नहीं है ।

दूसरा मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक मार्केट बन रहा है । मार्केट है उसके कारण चौकड़ी घाटगेट की सब गटर लाइन रुकी पड़ी हैं । उसकी निकासी नहीं होने की वजह से सारा पानी वहां रुका हुआ है जिसके कारण उधर का जो मोहल्ला है संजय मार्केट के बाई ओर उसमें हर जगह जबर्दस्त गंदगी है यदि मंत्री महोदया वहां जायें तो वह दो मिनट भी खड़ी नहीं रह सकतीं । उदाहरण के तौर पर, चांदी के ताजिये का इलाका है, शराबियों की मस्जिद का इलाका है, रैगरों की कोठी का इलाका है । मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां निश्चित रूप से कोई न कोई व्यवस्था करवाई जाये ।

एक जो....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री कालीचरण सराफ : कचरा डालने के लिए जो डिपो बना रखे हैं वह शहर में और आबादी के बीच हैं । वहां कई दिनों तक सफाई नहीं होती । मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कचरा डिपो पहले शहर के बाहर बनाये गये थे परन्तु आबादी बढ़ने के कारण शहर के बीच में हो गये । उनको वहां से हटाकर दूर बनायें तो शहर से गंदगी कम हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री कालीचरण सराफ : एक सुझाव और मैं देना चाहूंगा । यह इतनी जबर्दस्त समस्या है कि इसका निराकरण नगर परिषद के माध्यम से नहीं हो सकता । यदि जयपुर नगर निगम बना दिया जाये तो सब समस्याओं का समाधान ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, मेरी एक बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : एक और सुन लीजिये मंत्री जी । संक्षेप में । केवल एक ही, और मत कहें ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप जरा सुनिये सही ।

श्री अध्यक्ष : बावजूद कहने के भी

(श्री अध्यक्ष)

आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए मैंने कहा है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : तीन टायर सिस्टम के बारे में मंत्री महोदया ने नहीं कहा। तीन टायर सिस्टम रहेगा तब तक सफाई की व्यवस्था होने से रही। बुधवार को पूरे दिन हरिजन काम नहीं करते, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मुर्दा मवेशी जगह जगह पड़े रहते हैं, इनको उठाने को देना भी एक समस्या है। बड़े-बड़े नाले हैं उनके नीचे भी सफाई की व्यवस्था नहीं है। मेरा कहना है शौचालय मूत्रालय कूड़े से भरे हुए हैं। अगर मैं नगर परिषद में होता तो मैं इनाम देता, जो ज्यादा कूड़ा करेगा उसको इनाम दिया जायेगा, क्योंकि कूड़ा आय का बहुत बड़ा साधन है। इसलिये मंत्री महोदया का यह कहना कि जुर्माना किया जायेगा, तर्कसंगत नहीं है। जन जागरण करें, हमसे भी सहयोग लें हम आपके साथ हैं। यह कहना कि जयपुर शहर की व्यवस्था बड़ी माकूल है, यह वक्तव्य मंत्री महोदय का बड़ा घिनौना है, तर्कहीन है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर शहर की सफाई के बारे में जो वक्तव्य दिया है, अध्यक्ष महोदय न इससे आपको सन्तोष होगा, न मुझे संतोष है। इन सब बातों पर मंत्री महोदया कुछ कहेंगी।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गिरधारी लाल जी और भंवर लाल जी ने कुछ सुझाव दिये हैं। उनमें से जिन पर और पैसा खर्च काफी होने वाला है उन सुझावों के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। जैसे कच्ची सड़कें हैं उनको पक्की बनाने की बात है, या कुछ और कंस्ट्रक्शन की बात है। लेकिन दो एक बातें उन्होंने कही हैं वह बहुत ध्यान देने योग्य हैं। उनके बारे में कुछ अपने विचार भी दिये थे। मैं अपने वक्तव्य में कहना भूल गई। एक तो जो कच्ची तहरात की बात कही है उनको फलश में कन्वर्ट करने के लिए कुछ काम पिछले दिनों में चला। 300 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से दिये भी गये और अभी दिये जा रहे हैं, लेकिन मैंने यह सोचा है कि यह 300 रुपये बहुत कम है। जितने में फलश लेट्रिन बनती है उसके हिसाब से एक भी परिवार इस राशि का पूरा उपयोग नहीं कर पायेगा। इसलिए चर्चा के बाद यह सोचा जा रहा है कि कुछ अनुदान और कुछ ऋण के रूप में परिवारों को पैसा दिलाया जाये जिससे सचमुच में वह फलश की लेट्रिन बनाने के लिये कुछ पैसा प्राप्त करके इस कार्य को सम्पादित करने में सहयोग कर सकें।

दूसरी जो गटर लाइन की बात कही है, दरअसल कई जगह ऐसी शिकायतें हैं कि गटर लाइन अवरूद्ध है, और इसका मुंह खुला होने की वजह से पानी बहता जाता है। उनको तत्परता से इसको सही किया जायेगा। दूसरी बात यह है कि जहां जहां पर गटर लाइन सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं उनको तुरन्त दुरस्त किया जाये और जो भी लाइन अवरुद्ध है उसको सही कर काम को चालू किया जाये।

माननीय सदस्या उजला जी ने कहा है कि पक्के कचरा पात्र बनाये जा रहे हैं वह ठीक नहीं हैं मलवा भरा रहेगा। वह इसलिए नहीं बना रहे हैं कि मलवा भरा रह जाय। मलबा तो रोजाना उठाया जाता है, उठाया

(श्रीमती कमला)

जा रहा है, लेकिन जिस वक्त मलबा उठाया जाता है उसके तुरन्त बाद आस पास के परिवार के लोग मलबा डाल देते हैं। मलबा उठाने वाली गाड़ी समय पर ही आयेगी। बीच में अगर डालेंगे और सड़क पर डालेंगे तो मलबा बिखरेगा, बदबू आयेगी। इसलिए कचरा पात्र में ही कूड़ा डालें और गाड़ी आते ही डाल दें, जिससे वह उसे उठाकर ले जाये और सड़क पर फैले नहीं बदबू फैले नहीं।....आप इतनी मदद करें कि कचरा घर खिड़की के नीचे नहीं बनने दें, दरवाजे के सामने नहीं बनने दें, कोई बरामदा हो उसके पास नहीं बनने दें लेकिन जहां बंद दीवार है उसके पास तो कम से कम बनने दें। यह तो आपके उपयोग की चीज है इसमें हमको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह हमसे कोई पूछेगा तब कहेंगे।

श्रीमती कमला : मोहल्ले के लोगों से पूछकर ही बनाना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमसे पूछकर देखिये न आप।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मोहल्ले के लोग विरोध कर रहे हैं।

श्रीमती कमला : विरोध तो आप करवा रहे हैं। यह क्या बात हुई।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नहीं, यह बात बिलकुल गलत है।

श्रीमती कमला : फिर आप क्या चाहते हैं सड़क पर फैला रहे ? सड़क पर फैला रहे, यह आप थोड़े ही चाह रहे हैं। यह हम भी नहीं चाह रहे हैं और आप भी नहीं चाह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : कभी कभी आप बहुत स्वीट होती हैं। सुनिये मेरी बात। यहां जो कचरा घर बनाने की बात कही गयी है .

श्रीमती कमला : देखिये दोनों बातें नहीं चल सकती कि कचरा फैले भी नहीं....

श्री शिवराम शर्मा : आप शहर में तो व्यवस्था करने नहीं देते हैं और यहां कचरे की आवाज उठाते हैं....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बनीपार्क के लोग आपको धिक्कार रहे हैं कि हमारा एम.एल.ए. बोल नहीं रहा है इस संबंध में।

श्री शिवराम शर्मा : खैर आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है बनीपार्क की।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदया, कचराघर आप बनायें तो जो प्रतिनिधि हैं उनसे अगर आप सलाह करें तो वह आपको स्थान बता देंगे।

श्रीमती कमला : इसमें हमको कोई एतराज नहीं है। आपसे पूछ लेंगे कि कहां बनायें। हमें एतराज नहीं है। हमको तो बनाने हैं, जिससे कचरा फैले नहीं।

एक बहुत जरूरी बात है जिसके ऊपर ध्यान दिया जाना जरूरी है और जिसको हम भी आते जाते बहुत दफा महसूस करते रहे हैं आमेर जाने वाली सड़क पर जलमहल की तरफ और जमुवा रामगढ़ जाने वाली सड़क

(107)

(श्रीमती कमला)

पर सड़क के किनारे और बस्तियों के बीच में जो ट्रक्स के भर भर कर मलवा ले जाकर डाला जा रहा है वह न तो इस शहर की सफाई के हिसाब से सही है और न इतने बड़े आप ट्रैफिक के रास्ते के हिसाब से सही है, न टूरिस्ट पाइन्ट आफ व्यू से सही है। इसलिए मलबा शहर से दूरदराज जगह डाला जाना चाहिए जिससे कि आम बस्तियों को नुकसान न हो और शहर की जो सुन्दरता और सफाई है उसके ऊपर भी आपत्ति नहीं आये। इससे बाबत मैं तुरन्त ही अधिकारीगण से बात करूंगी कि वह कोई दूसरा ऐसा दूरदराज में स्थान ढूंढें जहां पर इसको डाला जाये। आम तौर पर सभी माननीय सदस्य दिल्ली जाते हुए इस बात को महसूस करते हैं कि जलमहल के पास जो कचरा डाला जा रहा है वह सही नहीं है।

इसके अलावा जो माननीय सदस्य ने आवारा पशु और पार्कों को बाउन्ड्री वाल बना करके गेट बनाने के लिये कहा है, इस बारे में मैं चर्चा करके जो भी व्यवस्था सम्भव होगी आवश्यक रूप से करूंगी। आप का सहयोग इसमें वांछित है आपसे पूछकर मोहल्ले के लोगों से पूछकर वह बनाये पर बनाने जरूर दें।

धन्यवाद,

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : बुधवार की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में और थ्री टायर के बारे में कुछ नहीं कहा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ पालिसीज की बात होती है। सरकार को सोचकर करना पड़ेगा।

श्री भंवर लाल शर्मा : नहीं, नहीं, दो तीन बातें मैंने कहीं उनका कोई जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह सब सुझाव हो गये, माननीय सदस्य।

श्री भंवर लाल शर्मा : एक सुझाव और है..

श्री अध्यक्ष : और लिखकर भेज दीजियेगा मंत्री महोदया को।

श्री भंवरलाल शर्मा : मंत्री महोदया, जितने आपके अधिकारी हैं....

श्री अध्यक्ष : आप और लिखकर भेज दीजिए, माननीय सदस्य, कृपया।

श्री भंवरलाल शर्मा : मंत्री महोदया, जितने आपके अधिकारी हैं, हम सब उनसे बात करते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि राउण्ड पर गये हैं। चाहे आज पूछ लें, चाहे 10 दिन बाद पूछ लें। रोज पूछ लें, जवाब मिलता है, राउण्ड पर गये हैं। कृपा करके यह राउण्ड तो रोकें आप उनका। यह राउण्ड लगाते कहां हैं?

श्रीमती कमला : राउण्ड के बिना देखेंगे कैसे कि कहां क्या व्यवस्था हो रही है। जो कोई टेलीफोन पर बोले उसको काम लिखा दीजिए, वह राउण्ड से आने के बाद देख लेगा।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री अध्यक्ष)

दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री सी. पी. पी. जोशी ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । श्री सी. पी. जोशी ।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काल अटेन्शन मोशन एक दिन में एक ही लिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया । मेरी व्यवस्था है । माननीय सदस्य श्री सी. पी. जोशी ।

आज आखिरी दिन है । माननीय सदस्यों की सहूलियत के लिए मैंने कुछ ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लिये हैं । आज आखिरी दिन है । मुझे ख्याल है इस बात का । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

माननीय सदस्य श्री सी. पी. जोशी ।

नाथद्वारा टैम्पल बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन

श्री सी. पी जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक ऐसी समस्या की ओर जिस समस्या से सदन के माननीय सदस्य भी शायद परिचित नहीं होंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीनाथ जी का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान नाथद्वारा है उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, शायद मंत्री महोदया इस बात को जानेंगी कि दो तरह के वहां कर्मचारी हैं । एक तो एम्पलाई काम करते हैं क्लेरीकल स्टाफ का और दूसरे जो कर्मचारी हैं वह सेवा का काम करते हैं । सेवा का काम करने वाले कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष महोदय, को जो वेजेज मिलती है, जो उनको मिलता है यदि हम उसे केलकुलेट करें तो जो हमारे मिनिमम वेजेज हैं उसके मुकाबले में उनको नहीं मिल पाता । नाथद्वारा में कोई इन्डस्ट्री नहीं है । देश के कोने कोने से आकर आदमी वहां पर काम करते हैं यदि कोई फैक्टरी होती तो हजारों मजदूर हड़ताल कर देते और फैक्टरी बन्द हो जाती तो राजस्थान सरकार उस पर ध्यान देती । लेकिन पिछले 20–25 सालों से जो टेम्पल बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो क्लेरीकल स्टाफ के आदमी हैं वह बी. ए. पास हैं, एम. ए. पास हैं और उन पर आर. एस. आर. लागू हैं । हमारी विधान सभा ने प्रस्ताव पास किया कि वहां के कर्मचारियों पर आर. एस. आर लागू होंगे । पर नियम लागू होंने के बाद भी उन कर्मचारियों को आज दिन तक वेतन, महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों के मुकाबले नहीं मिलता । जो सेवा में काम करने वाले 325 आदमी हैं उनकी स्थिति तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, दयनीय है । जो मिनिमम वेजेज हैं उस वेजेज को भी हम मीट आउट नहीं कर सकते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि यूनिवर्सिटी और टैम्पल बोर्ड भी इन्डस्ट्री की केटेगरी में आते हैं । मैं मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुए आज चार या पांच साल हो गये हैं लेकिल टेम्पल बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को मिनिमम वेजेज आज भी हम प्रोवाइड करने की स्थिति में नहीं हैं । मैं चाहूंगा, मंत्री महो-

(श्री सी. पी. जोशी)

दया, आप इस स्थिति के बारे में गम्भीरता से सोचें। यह प्रश्न किसी इन्डस्ट्री का प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न से धार्मिक भावनायें जुड़ी हैं। देश के कौने कौने से आने वाले धार्मिक आदमियों की भावनायें श्रीनाथ जी के मन्दिर से जुड़ी हैं। उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को हम यदि महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों के मुकावले नहीं दे सकें तो वहां की व्यवस्था बिगड़ेगी, व्यवस्था बिगड़ेगी तो यात्री नहीं आयेंगे और यात्री नहीं आयेंगे तो वहां की इकानामी डिस्टर्व होगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन कर्मचारियों को हम राज्य कर्मचारियों के मुकावले महंगाई भत्ता दें और सेवा में काम करने वाले जो आदमी हैं उनको मिनिमम वेजेज दें। चाहे जो हम उनको जिन्स देते हैं उसको भी केलकुलेट कर लें, यदि उसके मुकाबले में नहीं देते हैं तो हम चाहेंगे कि उसको कम्पेनसेट करके उस बात को देखा जाये।

(3.07 म. प.)

(श्री दामोदर दास आचार्य, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली विधान सभा में तत्कालीन देवस्थान मंत्री ने इस सदन के सामने कहा था कि जिन जिन मन्दिरों के अन्दर आय ज्यादा है उनके सर्व कर्मचारियों को हम उतना वेतन देने की कोशिश करेंगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नाथद्वारा का जो एनुअल बजट है वह 2 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की बजट है एक साल का। उसकी जो प्रापर्टीज हैं उनको देखते हुए जो हमारे एक हजार कर्मचारी हैं उनको मिनिमम वेजेज नहीं दे सकें, उनको वेसिक फेसेलिटीज नहीं दे सकें, इतनी जमीन पड़ी है फिर भी उनको रहने के लिए मकान की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकें, यह आधारभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं करा सकें तो मन्दिर की व्यवस्था बिगड़ेगी, लोगों की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात होगा और जो सारी इकानामी है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की, वह डिस्टर्व होगा। उदयपुर में आने वाले जितने इन्डियन एयरलाइन्स से आदमी आते हैं, 60 से 70 पर्सेन्ट आदमी बाम्बे से आते हैं। उदयपुर की सारी इकानामी निर्भर करती है नाथद्वारा पर। उदयपुर में जो टूरिस्ट डवलपमेन्ट हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ी मूलभूत भावना श्रीनाथ जी का मन्दिर है। इस बात को देखते हुए मैं विनम्र शब्दों में, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि आपके विभाग ने जब व दिया है, वह शायद इस व्यवस्था को नहीं पहचानते हैं इसलिये वह सदन को सही बात नहीं कह पायेंगे। इसलिये चाहूंगा कि आप जवाब देते समय इस बात को देखें कि सेवा का मतलब वहां पर क्या है। सेवा का मतलब वहां पर यह है कि एक कर्मचारी, जो डेढ़ मन का धान लेता है, तीन साल में मन्दिर का एक वड़ा पुजारी भी बन सकता है, रोटेशन में आकर नीचे भी आ सकता हैं और 3 साल बाद उस आदमी को और काम करने का मौका मिल सकता है, आप कह सकते हैं कि यह बात कि हम उनको प्रसाद देते हैं, यह देते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपको जानकार आश्चर्य होगा कि केवल मात्र 20-25 याने वन

(श्री सी. पी. जोशी)

फिफ्थ, आदमी सेवा में हैं जिनको सेवा का लाभ मिलता है। बाकी अधिकांश आदमी 325 में से 300 आदमियों को इसका लाभ नहीं मिलता है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझें। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने के साथ साथ आप यह देखें, आज नाथद्वारा में एक भी इन्डस्ट्री नहीं है। सारे नाथद्वारा की पापुलेशन डिपेण्ड करती है इस मन्दिर पर। किसी का बेटा जवान है, किसी की बेटी जवान है। उसके घर की इकानामिक कन्डीशन आज बहुत दयनीय है। वहां ऐसी स्थिति नहीं बने, माननीय सभापति महोदय, जो आज धौलपुर के अन्दर है कि जवान आदमी अपने मां बाप के उदर-पोषण की व्यवस्था नहीं कर सके और सड़क पर गुण्डागर्दी करे। इसलिए भी यह आवश्यक है कि हम उनके माता पिता को मिनिमम वेजेज उपलब्ध करायें। मुझे विश्वास है कि टेम्पल बोर्ड जो बना हुआ है उसको देवस्थान मंत्री की हैसियत से आप डाइरेक्टिव्स देंगे। टेम्पल बोर्ड की मीटिंग के अन्दर हमारे जो मिनिमम वेजेज है वह बिना डिस्कस किये हुए वेजेज दे रहे है माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टैम्पल बोर्ड एक्ट में लिखा हुआ है कि हर एनुयल रिपोर्ट, आडिट रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखेंगे। मुझे कहते हुए दुख है कि मेण्डेटरी प्रोवीजन होने के बाद भी आज दिन तक विधान सभा के पटल पर एनुयल रिपोर्ट और एनुयल आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखी गई है। आप जवाब क्या देंगे मालूम नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बात के फैक्ट्स आप इस तरह वेरीफाई करें कि मन्दिर की आमदनी कितनी है, उसका व्यय कितना है, उसकी आमदनी और व्यय जो है उससे मिनिमम वेजेज की सुविधा दी जा सकती है। मैं चाहूंगा कि सारी स्थिति को देखकर सदन में आप ऐसा वक्तव्य दें जिससे उसके कर्मचारियों को लाभ मिल सके उनके जो नौजवान पुत्र और पुत्रियां हैं वे आने वाले समाज के सामने विषम स्थिति पैदा न करें। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप इस बारे में अपना वक्तव्य दें।

श्री सभापति : राजस्व मंत्री महोदया।

श्री शोपतसिंह : डैली वेजेज कहां सवाल है। वे तो 30 साल से काम कर रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : मिनिमम वेजेज।

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से नाथद्वारा मन्दिर के सिलसिले में जो स्थिति प्रकट की है उसके संबंध में कुछ तथ्य निम्नानुसार हैं :

मंदिर श्रीनाथजी, नाथद्वारा के प्रशासन तथा प्रबन्ध-व्यवस्था करने हेतु नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम, 1959 की धारा 16 के अनुसार इस मन्दिर तथा उसके समस्त धर्मस्वों का संचालन नाथद्वारा मन्दिर मण्डल में निहित है। इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमों के प्रावधान के अधीन नाथद्वारा मन्दिर मण्डल, मन्दिर की सम्पत्तियों एवं लौकिक कार्य का प्रबन्ध करता है। परन्तु पुष्टिमार्गीय वल्लभी सम्प्रदाय

(श्रीमती कमला)

की रूढ़ियों एवं प्रथाओं के अनुसार दैनिक सेवा-पूजा, मन्दिर में अन्य रस्मो रिवाज तथा उत्सवों के संचालन की व्यवस्था सम्बन्धित समस्त मामले गोस्वामी जी के सीधे नियन्त्रण में हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 21 के अनुसार बोर्ड अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार करता है। इस धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार ने सेवा वालों की सूची भी घोषित कर रखी है। सेवा वालों की नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं प्रसाद वितरण परम्परागत प्रथाओं एवं रूढ़ियों पर आधारित हैं और वह तिलकायत महाराज श्री के अधिकार में है।

बोर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तें उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में निर्धारित की गई हैं। कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मन्दिर मण्डल से नकद वेतन, महंगाई भत्ते नाथद्वारा मन्दिर नियम, 1973 के नियम 81 के अन्तर्गत निर्धारण करने का अधिकार मन्दिर मण्डल को है।

बोर्ड के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष भत्ता देने की मांग पर मन्दिर मण्डल ने अपनी बैठक दिनांक 25-1-85 में विचार किया। मण्डल ने यह अनुभव किया कि इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता राज्य सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष किया जाना संभव नहीं है क्योंकि यह एक धार्मिक संस्था है तथा इसकी आय के सीमित स्रोत हैं। यह उनका निर्णय बता रही हूं। तथापि बोर्ड ने अपनी आय को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 1-10-84 से वेतन वृद्धि की है। संशोधित भत्ते के अनुसार एरियर का भुगतान मन्दिर मण्डल ने कर भी दिया है।

नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मुखिया, भीतरिया व अन्य प्रकार के व्यक्ति सेवा वाले घोषित (पूजा कर्मचारी) किये हुए हैं। ऐसे सेवावाले कर्मचारी महाराज श्री तिलकायत के अधीन है तथा उनका नियंत्रण भी धारा 21 के परन्तुक के अन्तर्गत महाराज श्री द्वारा ही किया जाता है। उन्हें किसी प्रकार का नकद भुगतान नहीं किया जाता है उन्हें परम्परागत नेक के रूप में निर्धारित मात्रा में प्रसाद उपलब्ध कराया जाता है।

नाथद्वारा मन्दिर मण्डल एक स्वायत्तशासी संस्था है जो मन्दिर श्रीनाथजी की प्रशासन एवं सेवा पूजा की व्यवस्था मन्दिर की प्राप्त आय से करती है। मन्दिर मण्डल ने 1-10-84 से कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया है।

माननीय सदस्य ने 2, 3 बातों पर खास तौर से तवज्जह दिलाई है। एक तो यह कि कर्मचारियों को प्रसाद वगैरह देकर ही उनके वेतन का या सेवा का भत्ता प्रदान कर दिया जाता है। उन्हें नकद पैसा दिया जाये, जिस प्रकार से राज्य के नियम हैं जो सारे राज्य में काम कर रहे हैं, उनके मुताबिक दिया जाये। नाथद्वारा मंदिर मण्डल का जो अधिनियम बना हुआ है उसके तहत में बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स बना हुआ है उसमें महाराष्ट्र के दो व्यक्ति हैं, गुजरात के भी हैं, राजस्थान के भी हैं। जिलाधीश महोदय

(श्रीमती कमला)

भी उसके सदस्य हैं। बोर्ड समय समय पर इन मामलों में निर्णय लेने को अधिकृत है। राज्य सरकार सीधे इसके अन्दर कोई आदेश वर्तमान स्थिति में नहीं दे सकती। मुझे यह भी बताया गया है कितना सही है कितना गलत है, माननीय सदस्य इसको स्पष्ट करेंगे कि जो व्यक्ति सेवा पूजा के कार्य में लगे हुए हैं, उनको प्रसाद के रूप में ही भुगतान किया जाता है। आज अगर उनका वेतन बांधा जाये तो प्रसाद को बेचकर जो आमदनी करते हैं उससे कम पड़ेगा इसलिये वह देने को तैयार नहीं। यह स्थिति कितनी सही है, गलत है, मुझे नहीं मालूम लेकिन इस तरह का मुझे बताया गया है। वैसे मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिये बताना चाहती हूं नाथद्वारा मन्दिर के कर्मचारियों की बाबत कि नाथद्वारा मन्दिर की झांकियों आम आदमियों को उससे सम्बन्धित परेशानियों और इसकी अन्य व्यवस्थाओं के बाबत मैंने विभाग से, हमारे कमिश्नर देवस्थान से कहा है, वह बताएं कि जो अधिनियम में प्राविजन हैं, नियमों में प्रावधान है उसके अन्तर्गत जो कठिनाइयां हैं, जिन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, उनमें क्या सुधार किया जा सकता है, जिससे आज जो उस क्षेत्र की, उस मन्दिर की जो परम्परागत पद्धति है और धार्मिक भावना है उसको भी चोट नहीं पहुंचे, उन पर भी किसी प्रकार की आपत्ति न हो और जो दर्शनार्थी आते हैं उनको भी पूर्ण सुविधा हो, इस प्रकार का एक प्रस्ताव वे तैयार कर रहे हैं उनके साथ बैठकर चर्चा करके, जितना भी सीमा के अन्तर्गत किया जाना संभव है, उसमें तरमीम करके किया जाना संभव है उसको हम अपने स्तर पर देखने में लगे हुए हैं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए बहुत दुख है, मेरा मूल प्रश्न है वेतन के बारे में और मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया है कि टेम्पल बोर्ड क्या है, उसके फंक्शन क्या हैं। इसकी तो मुझे अच्छी जनकारी है वहां का मैं रहने वाला हूं। मेरा यह मूल प्रश्न नहीं था। मेरा मूल प्रश्न सेवा से सम्बन्धित है, जो अलग पार्ट है। उसकी धार्मिक रीति नीति के बारे में कोई इन्टरफियरेन्स नहीं करना चाहता। मेरे मतदाता हैं वहां पर, मुझे वोट दिये हैं उन लोगों ने। उन लोगों की अपेक्षा है है मेरे से। उनकी रीति नीति में कोई इन्टरफियरन्स नहीं करना चाहता। मेरा मौलिक प्रश्न यह था कि वहां दो तरह के कर्मचारी हैं। एक कर्मचारी वे हैं जो सेवा के अन्दर नियुक्त हैं, ऐसे कर्मचारी हैं कुल 325। जैसा अधिकारियों ने आपसे कहा केवल मात्र 25 अधिकारी ऐसे हैं 325 में से जिनको प्रसाद की व्यवस्था है। 300 बाको बचे हुए हैं उनको केवल मात्र डेढ़ मन जो मिलता है उसको प्रसाद भत्ता कुछ भी कह लें, वह जो आपका न्यूनतम वेतन है उससे भी कम रहता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि एक तो कर्मचारियों की समस्या है जिनकी संख्या 325 है। उन 325 में से केवल मात्र 25 आदमी ऐसे हैं जिनको मिलने वाले प्रसाद का मूल्य बाजार भाव से आप जो कह रहे हैं ठीक हो सकता है लेकिन 300 आदमियों को जो सुविधा मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। विभाग के अधिकारी हैं उनसे यह स्पष्ट करलें।

(श्री सी. पी. जोशी)

दूसरे माननीय सभापति महोदय, ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सेवा से कोई लेना नहीं। वहां बी. ए., एम. ए., पास लड़के हैं जिनका संबंध उनके अकाउण्ट्स, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था से है। पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय की धार्मिक रीति नीति में कोई इन्टरफियरेन्स नहीं होता है। उनके वेजेज़ को प्रोटेक्ट करने के लिये आपने यह नहीं बताया कि मन्दिर का आय-व्यय क्या है। आपने कह दिया उनका इन्टरनल मामला है। आपको उनकी आय-व्यय के बारे में वास्तविकता मालूम नहीं होगी मंत्री महोदया. मुझे कहते हुए तकलीफ है, मेण्डेटरी प्राविजन है कि एनुअल रिपोर्ट विधान सभा में हम हर साल रखेंगे। पर 1959 से लेकर आज तक इस विधान सभा में रिपोर्ट रखी हो तो मुझे बता दीजिये। वहां स्थिति यह पैदा कर दी गई है कि हम जोधपुर के आदमियों की तरह नाथद्वारा में गुण्डागर्दी करें। यदि आप चाहते हैं कि वहां के नौजवान मस्ती से गुण्डागर्दी करें तो मुझे कुछ नहीं कहना है वहां मैनेजमेंट में दो करोड़ रुपये की व्यवस्था है। माननीय मंत्री महोदया, हमें कहते हुए तकलीफ है, उस टेम्पल बोर्ड में जिसको वाइस प्रेसीडेन्ट बना रखा है, उसकी करोड़ों रुपये की एफ. डी. बैंक आफ बड़ौदा के अन्दर है। वह डाइरेक्टर डिसाइड करता है, उसके कहने से बैंक आफ बड़ौदा में फंक्शन हो रहा है और इन-ल्यू वह अपना बिजनस कर रहा है। वह बिजनस भी 25 लाख का है। गरीब लोन लेकर अपनी व्यवस्था कर रहे हैं उन गरीब आदमियों के लिये आप कहती हैं कि हम व्यवस्था नहीं कर पायेंगे। मैं चाहूंगा, मन्त्री महोदया, आप इस बात को स्पष्ट करें। दो प्रकार के कर्मचारी हैं। धार्मिक रीति-नीति के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। यह धार्मिक मामला है लेकिन जो दूसरे कर्मचारी हैं उनमें बी. ए. एम. ए. पास हैं। इस राजस्थान विधान सभा ने प्रस्ताव पास किया है कि वे आर.एस.आर. से गाइड होंगे। आप मुझे बता दें कि वेजेज आपने क्या घोषित कर रखे हैं ? जो सेवा के आदमी हैं, उनके क्या वेतन अ़ चला है, कितना मंहगाई भत्ता उनको मिलता है और मन्दिर की आमदनी क्या है ? आप देखकर आश्चर्य करेंगे कि राजस्थान सरकार के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनकी जो न्यूनतम पे स्केल निर्धारित कर रखी है, उससे भी कम उनकी पे स्केल है। माननीय मंत्री महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि यह टेम्पल बोर्ड मैनेजमेंट, या टेम्पल बोर्ड के परव्यू की बात नहीं है। वे लोग इस राजस्थान की विधान सभा के मतदाता हैं, विधान सभा में बैठने के नाते यह हमारी ड्यूटी है। जिन लोगों को मिनिमम वेजेज नहीं मिल रहे हैं या जिनकी इस प्रकार की स्थितियां हैं, उनके बारे में राजस्थान सरकार का मंत्री यह कह दें कि यह टेम्पल बोर्ड की व्यवस्था है, मैं कुछ नहीं कर सकता तो टेम्पल बोर्ड का एक्ट बनाया किसने ? इस विधान सभा ने टेम्पल बोर्ड एक्ट बनाया है। मंत्री महोदय यदि यह कहें विधान सभा में कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं चाहूंगा उस टेम्पल बोर्ड एक्ट को आप पढ़ें–You are competent आप उनको डाइरेक्शन दे सकते हैं, आप बोर्ड को भंग कर सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं, एक बात को टच नहीं करना चाहें लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ है, केवल मात्र माननीय भैरोंसिहजी इस व्यवस्था को जानते हैं या माननीय देवपुरा साहब आये हैं, वे

(श्री सी. पी. जोशी)
जानते हैं और इसमें मैं ऐसा भी नहीं समझता हूं कि मैं उनकी कोई खुशामद कर रहा हूं। इसके बारे में तो मंत्री महोदय जानते हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका स्पष्टीकरण तो आ गया।

श्री सी. पी. जोशी : मैं चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया इस व्यवस्था को गंभीरता से लें। यह प्रश्न जुड़ा हुआ है उस टाउन के सोश्यो इकानामिक स्टेटस्......

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका स्पष्टीकरण आ चुका है।

श्री सी. पी. जोशी : और वहां के रहने वाले नौजवानों की समस्या है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप दो तरह की स्थितियों को स्पष्ट करें। सेवा के बारे में अलग स्थिति है और कर्मचारियों के जो मिनिमम वेजेज प्रेस्क्राब्ड हैं और जो पे-स्केल प्रेस्क्राइब्ड है गवर्नमैंट आफ राजस्थान द्वारा उतनी उनको पे मिले। पे नहीं तो महंगाई भत्ता तो कम से कम राज्य कर्मचारियों के बराबर दें ताकि वे उसका लाभ तो कम से कम उठा सकें। यही मुझे निवेदन करना है। मैं चाहूंगा आप इसका स्पष्टीकरण अपने उत्तर में दें।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने मेरी पूरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने दोनों ही तरह के कर्मचारियों के लिए कहा है। यह भी कहा कि वर्तमान में व्यवस्था यह है। साथ में यह भी कहा है कि इन व्यवस्थाओं में तरमीम करके, अधिनियम और नियमों को तरमीम करके धार्मिक भावनाओं को भी कायम रखते हुए ..

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आवश्यकता ही कहां है।

(व्यवधान)

आप तो साइड ट्रेक कर रही हैं। इसमें कहीं तरमीम करने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री सभापति : आप बैठिये माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

जवाब सुन लीजिये पहले।

श्रीमती कमला : अब आप ही जवाब देना चाह रहे हों और आप ही सवाल करना चाह रहे हों तो मैं क्या करूं। आप थोड़ा शांति से सुनिए।

मैंने यह कहा है कि जो आपने उल्लेख किया है, उसके तहत सरकार मौजूदा स्थिति में कितना इन्टरफियर कर सकती है, कितना ऊपर से निर्देश भेज सकती है, कितनी व्यवस्था अपने हाथ में लेकर करवा सकती है और उसके अलावा जो मौजूदा अधिनियम और व्यवस्थायें हैं उनमें तरमीम करने की जरूरत पड़े तो क्या-क्या तरमीम की जा सकती है। जो आपने हाई कोर्ट का रेफरेन्स दिया है, और मौजूदा जो सरकार के पे-स्केल्स हैं या डेली वेजेज की व्यवस्था है उसको सीधे निर्देश देकर कितना लागू कर सकते हैं, इन सब बातों को देखकर तुरन्त उसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये मैंने सक्षम अधिकारी को पहले ही निर्देश दिए हैं। आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तो आज आया है, मैंने पांच दिन पहले ही इसके बारे में चर्चा करके दो मंदिरों के बारे में जो खास तौर से जिस तरह की

(श्रीमती कमला)

बातें आई थी. उसके लिये निर्देश दिये हुए हैं। इसलिये तत्काल में यह कह दूं कि मैं यह निर्देश देकर उनके वेतन बढ़ा रही हूं. ऐसा मैं क्या कोई भी नहीं कह सकता है। इस अधिनियम के तहत ऐसा किया जा सकता है, यह भी कहना सम्भव नहीं है। मैं आपकी एक बात जरूर तुरन्त करने के लिये समर्थ हूं, अगर ऐसा मेन्डेटरी है कि उनको हर साल यहां अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये वह नहीं की गई है तो मैं यह कह सकती हूं कि अगली बार विधान सभा जब बैठेगी तो जरूर प्रस्तुत कर दी जायगी।

श्री सी. पी. जोशी : क्या आप सिद्धान्ततः यह स्वीकार करती हैं कि उन कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के बराबर वेतन भत्ता मिलना चाहिये।

श्रीमती कमला : मैं आपको दो बार कह चुकी हूं. तीसरी बार फिर कह रही हूं कि जो मौजूदा व्यवस्थायें है, उनके अधिकार तथा मेरे अधिकार हैं और जो अधिकार लिये जा सकते हैं मेरे द्वारा, उन सबकी जांच करके ही कह सकती हूं।

श्री सी. पी. जोशी : यह नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो एक सैद्धान्तिक प्रश्न पूछ रहा हूं। हमारे भूतपूर्व मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जिन देवस्थान के मन्दिरों में ज्यादा आय है उनके कर्मचारियों को वेतन भत्तों की सुविधा उपलब्ध की जायेगी. क्या आप इससे सिद्धान्ततः सहमत हैं ?

श्रीमती कमला : मैं आपकी इस बात से और भी आगे मानती हूं, न सिर्फ इस तरह उनको भत्ते मिलने चाहिये, और सुविधायें मिलनी चाहिये, बल्कि जो मन्दिरों की आमदनी हो रही है, उसका समाज के लिये भी उपयोग किया जाना चाहिये। तिरुपति बालाजी के मन्दिर की तरह।

(व्यवधान)

मैं मानती हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कहिये।

श्री अब्दुल अजीज : यह देवस्थान का मामला है और देवस्थान के साथ वक्फ बोर्ड के अधीन जो व्यवस्थायें हैं..

(व्यवधान)

ऐसा है, सभापति महोदय....

श्री सभापति : ऐसा है, इसके सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण चाह रहे हैं या क्या ?

श्री अब्दुल अजीज : नहीं, स्पष्टीकरण नहीं, इसके साथ के मसले हैं।

श्री सभापति : तो फिर आप बैठिये।

श्री अब्दुल अजीज : सुनिये आप मेरी बात, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड....

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड और देवस्थान के साथ-साथ जुड़े हुए मसले हैं इसलिए इसके लिए....

श्री सभापति : ऐसा है, यह स्पेसिफिक मसला है। सिर्फ नाथद्वारा के बारे में उनका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है इसलिए आप बैठ जाइये।

श्री अब्दुल अजीज : इसके डाइरेक्टर्स वगैरह ....

श्री सभापति : इससे सम्बन्धित नहीं है, आप बैठ जाइये।

बस्सी एवं चाकसू के सरपंच द्वारा पंचायत कोष का दुरुपयोग

मानननीय सदस्य जगदीश प्रसाद जी तिवाड़ी पंचायत कोष के दुरुपयोग के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में पंचायत राज मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : माननीय सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन पंचायत समितियों के सरपंच आदतन शराबी हैं। उन सरपंचों से, उनकी गुण्डागर्दी से वहां के नागरिक इतने दुखी हो गये हैं....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अपने आस पास देख लें।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : मैं तो सामने ही देखूंगा, आस पास नहीं।

सभापति महोदय, ग्राम पंचायत, माधोगढ़ के सरपंच, भूतपूर्व जागीरदार है। जागीरदार होने के नाते उनका आतंक वहां छाया हुआ है। किसी भी गरीब आदमी को पकड़ कर उसकी पिटाई कर देना, रुपये छीन लेना ये सब आये दिन की घटनायें हैं। शराब पीने के बाद किसी के घर में घुस जाय...

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : ये कुलक तो नहीं हैं।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : जागीरदार हैं। कुलक-बुलक के बारे में मैं नहीं समझता हूं।

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय मैं माधोगढ़ पंचायत के सरपंच के बारे में कह रहा था, वह आदतन शराबी है। गुण्डागर्दी के वातावरण से वहां के लोग भयभीत हैं। उसके खिलाफ कोई शिकायत करने को तैयार नहीं होता है। उस सरपंच के खिलाफ बड़ी मुश्किल से एक आदमी ने साहस किया। आज से पांच साल पहले, छः साल पहले शिकायत की। वह शिकायत इन्सपेक्टर को जांच करने के लिये दी गई। इन्सपेक्टर डर के मारे जांच करने नहीं गया। वहां जांच करने फिर विकास अधिकारी को भेजा। उसके पास बिना लाइसेन्स का हथियार है इसलिये किसी भी इन्सपेक्टर में यह साहस नहीं हो सकता है कि वहां जाकर सरपंच के खिलाफ जांच कर सके। उन परिस्थितियों में जब विकास अधिकारी ने जांच कर रिपोर्ट भेजी, जिलाधीश महोदय को रिपोर्ट दे दी तो जिलाधीश महोदय ने विकास विभाग को पत्रावली भेज दी। विकास विभाग ने जांच के लिये उन सरपंच साहब के रिश्तेदार को नियुक्त कर दिया। एस. डी. ओ. को दे दें सरपंच की जांच, उसके बजाय सहायक जिलाधीश को जांच अधिकारी नियुक्त

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

किया । उसके बाद मैंने जब शिकायत की, कि सहायक जिलाधीश उसके रिश्तेदार हैं, उससे जांच नहीं कराई जाय । एक साल बाद जांच स्थानान्तरित की गई और एस. डी. ओ. को दी गई । एस. डी. ओ. के यहां तीन साल से जांच पड़ी हुई है । अब उसकी जांच कब हो पायेगी, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन जांच में इतना विलम्ब हो यह कहां तक उचित है ? जो आदमी पंचायत समिति के कोष से रकम ले जाय, छः महीने तक रोकड़ में जमा नहीं करे । सेक्रेटरी को अन्दर कमरे में बन्द कर पुरानी रोकड़ बदलवाना चाहे, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो, बचाव पक्ष को इतनी ढील दी जाय कि वह अपने रेकार्ड में परिवर्तन कर सके, इस प्रकार की अगर वारदात होती रही तो पंचायती राज की छवि बिगड़ेगी । पंचायती राज इससे कोई अच्छा नहीं कहला सकता है । वहां की पंचायत आज उस गांव के विकास के लिये शून्य बनी हुई है । कोई विकास का काम नहीं हो पा रहा है । अगर सार्वजनिक पेयजल कूप के लिये पैसा भी देते हैं तो जिस गांव में कुआ बनना चाहिये था, उस गांव में न बन कर सड़क के किनारे पर बना दिया गया, जहां आये दिन एक्सीडेन्ट होते है । एक-दो ट्रेक्टर उस कुए में गिर गये । गड्ढा खोद रखा है । आज भी वह कुआ पूरा नहीं हुआ है । जहां बनना था वहां नहीं बनाया गया । सड़क के किनारे खोद दिया, सड़क सीमा में खोद दिया, क्योंकि वे नशे की हालत में काम करते हैं । ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि उस सरपंच को बचाव के लिये इतना समय नहीं देना चाहिये । यदि आप निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं और दोषी को दण्ड देना चाहते हैं तो उसको तुरन्त निलम्बित कीजिये । दूसरी शिकायत मेरी चाकसू पंचायत समिति....

(3.30 म. प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री नाथू सिंह : ये, अध्यक्ष महोदय, सारे आरोप राजनैतिक आधार पर हैं । हमको बोलने की परमिशन दी जाय इस पर । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने झूठे केस लगाये हैं इनके अधिकारियों पर चोरी के आरोप हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें । माननीय सदस्य, संक्षेप में ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : मुझे मेरी बात कहने दें । मैं यह कह रहा हूं कि आरोप हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय सदस्य नाथूसिंह जी को अगर कहीं गलतफहमी है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें आप । माननीय सदस्य । मन्त्री महोदय जवाब देंगे, मन्त्री महोदय जवाब देंगे, तथ्य उनको देने हैं । माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित कर रहे हैं वह ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : छोटू पुत्र गंगाराम 18 माह पहले मर चुका, उस व्यक्ति को हुडको के अन्तर्गत

(118)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक एक सरपंच के खिलाफ, एक एक आरोप को सिद्ध करें । एक एक सदस्य के खिलाफ अगर हम आरोप लगायेंगे तो कैसे चलेगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक एक मन्त्री और एक एक सदस्य के खिलाफ आरोप लगेंगे ।

श्री शोपत सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

श्री शोपतसिंह - पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें । माननीय सदस्य, मुझे सुनने दीजिए ।

श्री बिहारी लाल पारीक : हमें बोलने का अधिकार नहीं है क्या ?

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री नाथू सिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर इन्होंने रेज किया है पहले । माननीय सदस्य ।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कोई भी व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं हो, वह चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सरपंच हो, जब हमने एक व्यवस्था दे दी कि उसके खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाये जा सकते तो यह इजाजत विशेष क्यों दी गयी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पंचायत के बारे में कुछ कहना हो तो कह दीजिए, व्यक्ति विशेष के विषय में कुछ नहीं कहें । व्यक्ति विशेष के बारे में आप कोई आरोप नहीं लगायें । पंचायत के बारे में कुछ कहना हो तो कह दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री बिहारीलाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय स्पीकर जी, मेरा भी पाइन्ट आफ आर्डर है, आप समझ लीजिए इसको । साढ़े दस हजार सरपंच हैं, बहुत गजब हो जायेगा....

(व्यवधान)

अगर अलाऊ करेंगे इसको ।

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया है, माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, व्यवस्था दे दी फिर क्यों बोल रहे हैं आप ।

श्री शोपतसिंह : फिर तो सारे मिनिस्टरों और प्राइम मिनिस्टर पर आरोप लगेंगे । बहुत अच्छी बात है, यह परिपाटी शुरू करो ।

श्री बिहारीलाल पारीक : माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायें। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री बिहारी लाल पारीक : माननीय सदस्य ने हमारे ऊपर सरकार पर नाम ले लेकर आरोप लगाये और उन उनकी बात सुनते रहे लेकिन हम अगर नाम लेकर आरोप लगायेंगे...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय सदस्य, नाम लेकर आप व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगायेंगे। पंचायत की एक्टिवटी के बारे में आप कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए। ऑर्डर प्लीज।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : ठीक है, साहब। माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम पंचायत कोट खावदा

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बहुत व्यवधान डालते हैं, माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज, कृपया बैठें।

श्री बिहारी लाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, मैं तो विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, कृपया बैठें।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : ग्राम पंचायत कोटखावदा के सरपंच चरागाह की जमीन को सरे आम नीलाम कर रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी फिर क्या चाहते हैं।

श्री नाथूसिंह : मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री शोपतसिंह : हिन्दुस्तान का प्रधान मन्त्री अगर मैं कह दूं और राजीव गांधी का नाम नहीं लूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छी बात कह रहे हैं। X X X बना रहे हैं। मैं हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री के नाम से बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : नियम 131 है, सर—

"Calling attention to matters of u gent public importance......(1) A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister...."

श्री अध्यक्ष : I have permitted him.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो मेरी परमीशन से आ रहा है।

श्री नाथूसिंह : हां, अब आगे सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह एक अर्जेन्ट, पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मैटर है क्या ? यह है क्वेश्चन।

श्री अध्यक्ष : यह तो सही है। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 157 में बहस कर सकते हैं।

श्री नाथूसिंह : "....to any matter of urgent public importance and the Minister make a brief statement "

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें। माननीय सदस्य, अपने सदन की परम्परा रही है, इस प्रकार के कई मसले इस सदन में उठाये गये हैं, चाहे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाये गये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठिये।

चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाये गये हों। स्थगन प्रस्ताव जितने आते हैं, आप स्वयं जानते हैं कितने अर्जेन्ट पब्लिक इन्ट्रेस्ट के होते हैं माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : बहुत अच्छा है, यह परम्परा शुरू हुई है।

श्री अध्यक्ष : तो परम्परायें तो एक सी रहेंगी, माननीय सदस्य। आइन्दा जो परम्परा बनायें उसका अपन ध्यान रखें, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने माननीय सदस्य को यह कह दिया है कि वह पंचायत की एक्टिविटीज और एक्शन के खिलाफ कुछ कहना चाहें, ध्यान आकर्षण करना चाहें तो कर दें। व्यक्तिगत किसी का नाम लेकर किसी के ऊपर आरोप न लगायें। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी उसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन कालिंग अटेन्शन मोशन उसी विषय पर आता है जो डेफिनेट मैटर हो....

एक माननीय सदस्य : कई दिन से चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और पब्लिक इम्पोर्टेंस का अर्जेंट मैटर हो। यह मैटर भी डेफिनेट नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, पंचायत समिति बस्सी व चाकसू के सरपंचों द्वारा। यह कोई डेफिनेट मैटर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और न यह अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है। आपने स्वीकार कर लिया इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। माननीय मन्त्री महोदय से ही जवाब दिला दें, इतना ही काफी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं दिला दूंगा। माननीय सदस्य, संक्षेप में। बहुत संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत कोटखावदा की आबादी की जमीन है, चरागाह की...

श्री शोपत सिंह : मिनिस्टर को धमकाओ, आपके हैं और बाकी लोगों को मत धमकाओ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : जमीन वह बेच नहीं सकते। चरागाह की जमीन में प्लाट काट दिये, दुकानें काट दीं, नीलामी का पैसा ले लिया, नीलामी के कागज अपने

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

घर रख लिये। पंचायत समिति में रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, उसका पैसा खा गये ...

श्री शोपतसिंह : अदालत में जाओ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। हर इश्यू का कोई न कोई समाधान तो है ही।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष जी, तहसील से और पंचायत समिति से रकम ली, पंचायत का मामला...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें न, आप तो

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : इससे ज्यादा मैं संक्षेप में नहीं कह सकता। मुझे इजाजत दी है तो मैं बोलूं तो सही।

श्री शोपत सिंह : ये तो धमकी से काम लेना चाहते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : अध्यक्ष जी, पंचायत समिति और तहसील से जो राशि मिली उस राशि का जमा खर्च नहीं है, यह एम्बेजलमेंट

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब मन्त्री जी देंगे, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय मन्त्री जी को भी इस बात का पता है कोटखावदा के सरपंच इनसे अच्छा काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जब मन्त्री जी जवाब देंगे तब इसका जवाब दे देंगे। माननीय सदस्य, कृपया बैठें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आप बैठें।

श्री नाथूसिंह : नहीं यह कोर्ट का मामला है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : X X X

श्री घनश्याम तिवाड़ी : X X X

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अगला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित न हो। आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : X X X

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, देखिए यह जो आप कह रहे हैं, कई बार ऐसे प्रश्न आये हैं जब आप भी पूछते हैं कभी प्रश्न, उनके भी जवाब आते हैं कि गलत है, सही है, गलत है, गलत है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें। मन्त्री जी इसका उत्तर दे देंगे। कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

X X X शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, I am on a point of order.

अध्यक्ष महोदय, चुनावों में कोई आदमी किसी के खिलाफ रहे, विधान सभा में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में दोनों तरफ से कहा गया है।

श्री यदुनाथ सिंह : यह अच्छी परम्परा नहीं होगी। दो मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दोनों पक्षों से कहा गया है।

श्री यदुनाथ सिंह : जो मामला कोर्ट में सबजुडिस है, कोर्ट में चल रहा है ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सबजुडिस मैं रोक दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : यह सब मामले सबजुडिस हैं। अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में केसेज चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जो सबजुडिस है उनको मैं रोकूंगा, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : ये सब मामले सबजुडिस हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बतायें कि क्या मामले सबजुडिस हैं। माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें कृपया माननीय सदस्य, मेरे सामने यह मामला नहीं आया कि यह सबजुडिस है। कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री श्योपत सिंह : ये सारी बातें मिनिस्टर साहब के घर जाकर बता दें तो हमें क्या तकलीफ है। आपको घर जाकर कहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें, कृपया। आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह सारी बातें चुनाव में विरोध करने के कारण कही जा रही हैं। सदन के प्रांगण को चुनाव प्रचार करने का ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य, क्षमा करें मुझे। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें।

श्री नाथूसिंह : कोर्ट में चल रहा है। इस मामले को आप उठा नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य, मैं कह चुका हूं कि इस प्रकार के आरोपों से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इस पक्ष की ओर से भी इस प्रकार के प्रश्न उठाये जाते रहे हैं इसलिए....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। व्यवधान न डालें कृपया।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम नागपुर का नाम लेते हैं तो ये उछलते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

आप एक मिनट में खत्म करिये अपनी बात। संक्षेप में, एकदम संक्षेप में।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां अभी बताया गया....

श्री अध्यक्ष : आप पाइन्ट पर आइये, अपने बिन्दु पर आइये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : ग्राम पंचायत कोटखावदा के सरपंच ने जो गबन किया उसका....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री बिहारीलाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे भ्रष्ट आदमी को संरक्षण देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य। मंत्रीजी कृपया जवाब दें। माननीय सदस्य बैठ जावें। आर्डर प्लीज।

श्री बिहारीलाल पारीक : आप पूरी बात तो सुनिये। साहब।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर, स्थान ग्रहण करें। कृपया बैठ जावें।

(व्यवधान)

श्री राम लाल सोलंकी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय की बात सुनी जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बैठ जावें इनकी बात सुन ली है। उनकी बात सुन ली है। आर्डर प्लीज।

श्री बिहारीलाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, यह तो अन्याय हो रहा है। यह तो अन्याय की बात हो रही है। इनकी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : बात नहीं सुनने का सवाल नहीं है। बात सुन ली है पूरी....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। कृपया बैठ जावें। माननीय अश्कअली जी।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के अन्तर्गत माननीय जगदीश प्रसाद जी तिवाड़ी ने पंचायत समिति बस्सी और चाकसू के सरपंचों के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है सदन का। इस बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मार्फत तीन सरपंचों के बारे में पूछताछ की गई है। ग्राम पंचायत माधोगढ़, ग्राम पंचायत कोटखावदा और गिरधारीलालपुरा। सरपंच माधोगढ़ के बारे में कुछ उन्होंने बिन्दु उठाये हैं जिसमें कहा कि इनके खिलाफ आरोप लगे हैं।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

वास्तव में लगे थे और उसकी जांच हो रही थी और हो रही है अभी। उनमें एक यह था, यह आरोप था कि साहब ये शराबी हैं। मैंने इन आरोपों को देखा, सूची मेरे पास है, अध्यक्ष जी। शराबी होने का कोई जिक्र है नहीं। अब मेरे पास जो सूचना और इन्फार्मेशन है उसके मुताबिक आपको अर्ज कर दूं कि ग्राम पंचायत माधोगढ़ के सरपंच के विरुद्ध प्राथमिक जांच के पश्चात् आरोप पत्र जारी कर उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। इस प्रकरण में विधायक महोदय खुद ने ही रिक्वेस्ट की थी, जैसा कि उन्होंने अभी फरमाया था, उसमें कहा था कि ए.सी.एम. के खिलाफ उनके कुछ खयालात थे। उनकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई 28-8-1982 को। उस रिक्वेस्ट या उस रिपोर्ट के कारण ही ए. सी. एम. से उस जांच को लेकर उन्हीं के बताए हुए एस डी ओ. साहब को वह जांच दे दी गई है। वह जांच दे दी थी, एक साल बाद नहीं, डेढ साल बाद नहीं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष जी, लेकिन 19-3-1983 को

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर आर्डर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इस प्रकरण में विधायक जी ने जिस अफसर को चाहा उसी अफसर को जांच दी गई, उसकी नियुक्ति हो गई और....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

अनेक माननीय सदस्य : शेम शेम।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्यगण

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसमें क्या शेम की बात है। एस.डी.ओ. साहब। जांच कर सकते हैं। अगर इनको किसी अफसर में विश्वास नहीं हो, इन्होंने कहा, साहब, इसमें हमारा विश्वास नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : इनको ही दे दो सारी जांच।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपको नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर आर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मेरी जानकारी के मुताबिक पुलिस ने छानबीन करके उसमें एफ.आर. की एप्लीकेशन दी है।....

(व्यवधान)

लेकिन अभी खुशी मत मनाइये, जांच चल रही है विभाग द्वारा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कृपया जवाब दें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : दूसरे सरपंच, जिनके बारे में माननीय नाथूसिंहजी बहुत उत्तेजित हो रहे थे, उन्होंने फरमाया कि साहब हमारी पार्टी के वह हैं, यह तो मुझे पता नहीं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री शोपतसिंह : पार्टी के तो कांग्रेस के भी हो सकते हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कोई जरूरी नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष जी, यह तो मुझे पता है कि वह सी.पी.एम. के नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सरपंच ग्राम पंचायत कोटखावदा के विरुद्ध तीन मामले चल रहे हैं। एक जांच प्राथमिक जांच के पश्चात् आरोप पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया जो प्राप्त हो चुका है। स्पष्टीकरण दिनांक 18-3-1985 को ही प्राप्त हुआ है। जांच एस.डी.ओ. जयपुर को दी गई है उस पर कार्यवाही हो रही है। दूसरे मामले में भी प्रस्ताव दिनांक 23-1-1985 को प्राप्त हुए थे। आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र देने की कार्यवाही की जा रही है जिलाधीश द्वारा। इसके अतिरिक्त सरपंच के विरुद्ध गबन के सम्बन्ध में एफ.आई.आर. धारा 409 और 477 के अन्तर्गत

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एफ. आर. होगी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसमें फाइनल रिपोर्ट नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। ऑर्डर ऑर्डर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसके अन्तर्गत थाना चाकसू में दर्ज कराई गई है जो अण्डर इन्वेस्टीगेशन है।

तीसरा मामला, अध्यक्ष जी, ग्राम पंचायत गिरधारीलाल पुरी के विरुद्ध प्राथमिक जांच हो चुकी है। अंतिम जांच के लिए आरोप पत्र देने की कार्यवाही हमारे विभाग द्वारा शीघ्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य, जांच का मामला है, जांच चल रही है।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : अध्यक्ष

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जांच सहायक जिलाधीश को दी गई है जब कि ग्राम तौर से सरपंचों की जांच एस डी. ग्रो. को दी जाती है। तो यह जांच उसे क्यों दी गई ? यही मेरी ग्रापत्ति थी।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। ग्रार्डर प्लीज।

चर्चा समाप्त हुई।

श्री देवीसिंह भाटी, ग्रपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय सदस्य, संक्षेप में।

मीनासर कस्बे की गोचर भूमि पर ग्रनधिकृत कब्जा

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं नियम 131 के ग्रन्तर्गत ..

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज माननीय नाथूसिंह जी, माननीय घनश्याम जी।

श्री देवीसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, भीनासर कस्बा, थाना गंगाशहर जिला बीकानेर में गोचर भूमि पर वन विभाग को धोखा देकर ग्रनधिकृत कब्जा ग्रौर कस्बावासियों के विरुद्ध दर्ज कराये गये एक वर्ष पूर्व के मुकदमे के संबंध में गृह मंत्री जी का ध्यान ग्राकर्षित करता हूं।

एक माननीय सदस्य : यह तो फारेस्ट का है, फारेस्ट मिनिस्टर को कहें।

श्री देवीसिंह भाटी : इनसे भी कनेक्शन हो गया है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बिजनेस की लिस्ट में भी एक तो वन मंत्री का इनक्लूड किया गया है ध्यान ग्राकर्षित करने को।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापको मालूम हो तो बता दीजिएगा, दोनों में गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मसला है, राज्य सरकार की जानकारी में है। चिपको ग्रान्दोलन के प्रणेता श्री सुन्दरलाल बहुगुणा ने जब ऐसा सुना कि भीनासर कस्बे की गोचर भूमि पर इस तरह का ग्रनधिकृत कब्जा कर लिया गया है तो वह सारे कार्यक्रम छोड़ कर भीनासर कस्बे में पहुंचे। इससे विषय की गंभीरता को ग्राप समझ सकते हैं, ग्रध्यक्ष महोदय। यह गोचर भूमि सार्वजनिक रूप से ग्रामवासियों ने गायों के लिए छोड़ी थी लेकिन एक करोड़पति भूमरमल जी सेठिया पुत्र हजारीमल सेठिया....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, नाम नहीं लेंगे।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मैं नाम लूंगा।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। माननीय सदस्य, ग्राप नहीं लेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है—

(श्री देवी सिंह भाटी)

(व्यवधान)

आप मेरा एक निवेदन सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : यह जन प्रतिनिधि नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जन प्रतिनिधि का सवाल नहीं है, माननीय सदस्य, आप एक तरफ तो कहते हैं कि किसी आदमी का नाम नहीं लिया जाये, दूसरी तरफ दूसरी बात कहते हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री शोपतसिंह : हम सब डाकुओं का नाम लेंगे। डाकू का नाम लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अगर चाहते हैं तो मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लूंगा। माननीय सदस्य, आप नाम नहीं लें। आप सेठ कह दें चाहे कुछ भी कह दें, नाम नहीं लें।

श्री शोपतसिंह : मतलब, डाकुओं का नाम नहीं लेंगे? जिसने डाका डाला उसका नाम नहीं लेगें? डाकू का नाम लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। मुझे लगता है, आप कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय शोपतसिंह जी।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पूर्व में नोटिस दिया है उसमें भी नाम लिखा है।

श्री अध्यक्ष : आप इतना सहयोग करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जब मैं एफ.आई.आर. पढ़ूंगा तो उसमें भी उनका नाम है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी बात संक्षेप में कह दें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इन्हीं झूमरमलजी सेठ ने इस गोचर भूमि पर नाजायज कब्जा किया 4.1.1983 को जिसकी बाबत तहसील से कार्यवाही हुई, उन्हें नोटिस दिया गया कि आपने अनधिकृत रूप से कब्जा किया है। उन्होंने नोटिस की परवाह नहीं की। आखिर में राज्य सरकार को सूचना दी गई कि इस प्रकार से जबरदस्ती पैसे के बल पर जमीन खाली नहीं कर रहे हैं। आखिर जिला प्रशासन को भी इस बारे में सूचित किया गया। एस.डी.एम. मौके पर आये। इस तरह का जो अनधिकृत कब्जा कर रखा था वह तहसीलदार के द्वारा उन्होंने हटवाया। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है, अध्यक्ष महोदय, इस गोचर भूमि पर सारे ग्रामवासी हमेशा से पैसा खर्च करते आ रहे थे। झूमरमल जी सेठिया ने—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री देवीसिंह भाटी : वन विभाग को अपनी तरफ से लिख कर दिया कि खसरा नं० 38 के अन्दर जो गोचर भूमि है, उन्होंने गोचर भूमि अपनी बताई और फारेस्ट विभाग से 15 हजार पौधे प्राप्त किये कि मैं निजी भूमि पर पौधे लगाना चाहता हूं। इस प्रकार से उन्होंने फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के साथ धोखाधड़ी की कार्यवाही की। उसके लिए फोरेस्ट विभाग ने 9-9-1984 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी लेकिन नौ दिन तक कोई कार्यव ही नहीं हुई। आखिर जनता का दबाव पड़ा, आन्दोलन हुआ, तब जाकर 18-9-1984 को मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन दुःख की बात है, अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी यह मसला उठा चुका हूं इसको गम्भीरता से कतई नहीं ले रहे हैं। मीनासर के निवासी हर माह की 12 तारीख को शांतिपूर्वक जुलूस निकालते हैं और बार-बार निवेदन करते हैं कि कार्यवाही होनी चाहिए। क्या राज्य सरकार यह चाहती है कि यह आसाम का रूप ले? आसाम के लोगों ने भी जिस तरह शांतिपूर्वक आंदोलन किया उसी तरह से मीनासर के निवासी हर माह की 12 तारीख को जुलूस निकालते हैं, ज्ञापन देते हैं, किन्तु राज्य सरकार कतई ध्यान नहीं देती। इस प्रकार से स्पष्ट जब फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने कह दिया कि उन्होंने जानबूझ कर धोखा दिया है, जब कि लिखित में है, ब्लैक एण्ड व्हाइट के अन्दर है, फिर पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? इसका सीधा-सादा कारण है कि पैसों का दबाव है या राजनैतिक कारण। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने षड़यंत्र करके इस गोचर भूमि पर कब्जा कर रखा था, उन्होंने देखा कि मैं फंस रहा हूं तो वहां एक बाड़ की हुई थी उसको रातों-रात जला कर जो भोले ग्रामवासी थे मीनासर के उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। उन्होंने बयान ले लिये, सारी की सारी स्थिति स्पष्ट हो गई, लेकिन उसके अन्दर भी पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। क्या कारण है कि सात महीने हो गये फिर भी दोनों केस दबाये बैठे हैं जबकि वन विभाग की सारी रिपोर्ट इनके पास आ चुकी है और स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, दूसरी तरफ जांच हो चुकी है। जो ग्रामवासियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया उसकी भी जांच करली है और पूरे तथ्य सामने आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, भारतवर्ष के जितने भी अखबार हैं उनके अन्दर यह मामला छपा है, पता नहीं इनका सी. आई. डी. विभाग क्या करता है, उनकी रिपोर्ट मिलती नहीं। जनसत्ता में भी छपा-सफेदे के पेड़ में काला हाथ। दूसरी तरफ सेठिया क्या कहता है, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया। इतवारी पत्रिका में—सफेदा काण्ड, सेठिया कहता है कि अभी तो मामला शुरू ही हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान पत्रिका में फिर छपा कि मुकदमें में सफेदे के खिलाफ जेहाद। मतलब चारों तरफ देखिए, कोई ऐसा अखबार नहीं जिसके अन्दर रिपोर्टिंग न हुई हो। स्पष्ट लिखा है राजस्थान पत्रिका में, पुलिस और राजनीतिक सांठगांठ से इस मामले को रोका गया। उसके बाद बिहु—

129

(श्री देवीसिंह भाटी)

गुणाजी आये और उन्होंने जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट की । तो अगर सुन्दरलाल वहुगुणा की भी सुनवाई नहीं होती है तो आम आदमी की क्या सुनवाई होगी ।

अध्यक्ष महोदय. मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । लोक सभा के चुनाव के दौरान भी यही स्थिति हुई कि जो भी कोई मन्त्री वहां गया वोट मांगने के लिए, वहां सवने सबसे पहले यह मांग रखी कि इसका निर्णय किया जाय । उसका निर्णय नहीं हुआ तो मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया । इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि कोई बात कहता है और उसकी सुनवाई नहीं होती है । अध्यक्ष महोदय, तो कौन सा ऐसा तरीका रह जायेगा जिससे वे सुनवाई करें ।

राज्यपाल महोदय बीकानेर पधारे तो राज्यपाल को भी इस प्रकार का यह नोटिस दिया, ज्ञापन दिया । राज्यपाल ने भी स्टेटमेंट दिया, राज्यपाल ने कहा कि यह अच्छा नहीं है, यह भी राजस्थान पत्रिका में छपा है । अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं राजस्व मंत्री....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री देवीसिंह भाटी : इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं. जिन्होंने यह प्रयास किया कि सही बात की सुनवाई हो, वहां के संवाददाता हैं पटवा, उनको यह धमकी दी गयी कि अगर इस प्रकार की आपने कार्यवाही की तो आप अपनी जान को सम्भाल कर रखना, आपको खतरा है पूरा । इसकी भी उन्होंने पुलिस में सूचना कर दी लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । पुलिस आखिर क्या कर रही है मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन राजस्व मन्त्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब तो आप आसन पर विराज रहे हैं, आप जब पधारे तो उस वक्त आपको यह ज्ञापन दिया, आपने स्वयं ने यह आश्वासन दिया कि ऐसा गलत काम हो रहा है तो निश्चित तौर पर ऐसा अनधिकृत कब्जा हटाया जायगा और उसके खिलाफ कार्यवाही होगी । लेकिन आपकी बात को भी ये मान नहीं रहे हैं, बड़े दुःख की बात है, अध्यक्ष महोदय । शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी बात कहते हैं, राजस्व मन्त्री को कहते हैं, राज्यपाल महोदय को कहते हैं, मुख्य मन्त्री महोदय को भी कहते हैं, उसके उपरांत भी सुनवाई नहीं होती है । अन्दर हमारे पूर्व मन्त्री अभी जो सचेतक हैं, उनके खिलाफ भी लांछन लगाये गये कि ये श्री बी. डी. कल्ला की साजिश है, यह भी मेरे पास कटिंग ज्ञापन की तैयार है । मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है, अध्यक्ष महोदय, ऐसा गम्भीर मसला है जिसके कारण भीनासर कस्बे का एक एक नागरिक परेशान है, क्योंकि उसको जगह-जगह पैसों के बल पर झूठा फंसाया जा रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि गृह मन्त्री जी स्पष्ट कर दें कि जब कि सारा कुछ यह

130

(श्री देवीसिंह भाटी)

पेपर्स में आ चुका है, गलत कार्यवाही हुई है और फोरेस्ट डिपार्टमेंट को धोखा दिया है, फिर भी चालान क्यों नहीं हो रहा है ? जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमें चलायेंगे। सारे बयान रिकार्ड हो चुके हैं बयान लिये गये हैं, फिर भी एफ. आई. आर. क्यों नहीं दर्ज हुई, इसका सरकार मुझे कारण बता दे। मैं इतना ही जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय मन्त्री महोदय। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सदस्य श्री देवीसिंह भाटी द्वारा नियम 138 द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर राज्य सरकार की तथ्यात्मक टिप्पणी इस प्रकार है—

ग्राम भीनासर के अन्दर राजस्व विभाग की खाली भूमि जो गोचर भूमि पर वर्ष 1984 में श्री झूमरमल सेठिया द्वारा नाजायज कब्जा करके इस भूमि पर करीब 15,000 पेड़ वन विभाग से लेकर लगा लिये गये। श्री झूमरमल सेठिया द्वारा की गई इस अनाधिकृत कार्यवाही का ग्राम की जनता ने भारी विरोध किया व गोचर भूमि पर अनाधिकृत रूप से लगाये पेड़ों को उखाड़ फेंका व भूमि के चारों ओर लगाई गई बाड आदि को नष्ट कर दिया।

श्री झूमरमल सेठिया द्वारा जनता द्वारा की गई इस कार्यवाही के विरोध में थाने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अभियोग संख्या 68 दिनांक 12-8-84 धारा 435, 436, 147 ता० हि० के अन्तर्गत थाना गंगाशहर पर कई ग्रामवासियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। इस अभियोग का अन्वेषण किया जा रहा है और अभियोग में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और ना ही किसी की गिरफ्तारी की गई है।

श्री झूमरमल सेठिया द्वारा अनधिकृत रूप से राजस्व विभाग की भूमि पर कब्जा करके अपनी भूमि बताते हुए वन विभाग से 15,000 पेड़ इस भूमि पर लगाने के लिए लिये गये जिसके बारे में जनता द्वारा विरोध किये जाने से स्थिति प्रकट में आने पर क्षेत्रीय वन विभाग के अधिकारी द्वारा वन विभाग को धोखा देकर पेड़ हासिल करने के संबंध में श्री झूमरमल के विरुद्ध थाना सदर बीकानेर पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर अभियोग संख्या 250 दिनांक 18-9-84 धारा 420 ता० हि० के अन्तर्गत थाना सदर बीकानेर पर पंजीबद्ध किया गया। अभियोग का अनुसंधान किया गया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा दोनों अभियोगों में शीघ्र अनुसंधान पूरा किया जाकर निर्णय लिए जाने के आदेश दिये जा रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का एतराज है कि मन्त्री महोदय ने अभी यह बताया कि इस प्रकार से ग्रामवासियों से कब्जा हटाया गया और उसके लिए मुकदमा दर्ज हुआ। मैं एक पत्र पढ़ना चाहता हूं जो राजस्व विभाग ने लिखा है। अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट है पटवारी और आर. आई. ई. की जिसके अन्दर उन्होंने तहसीलदार को लिखा है :–

"विषय : नोखा रोड़ पर भीनासर गोचर भूमि से नाजायज कब्जे हटाने के संबंध में।

(श्री देवीसिंह भाटी)

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नोखा रोड़ पर मीनासर गोचर भूमि पर हुए कब्जों के सम्बन्ध में हमारे द्वारा समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। दिनांक 16-8-84 को श्रीमान् एस. डी. ओ. साहिब (एन बीकानेर, आप एवं पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नगर परिषद के मजदूरों के सहयोग से हाल ही में जंगला के अतिक्रमियों द्वारा कब्जों को एवं भूमरमल सेठिया सन् ऑफ हजारीमल सेठिया निवासी, मीनासर, गोरधन सन् ऑफ हजारीमल सेठिया द्वारा किये गये कब्जों को सामूहिक तौर पर हटा दिये गये हैं। रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु पेश है।"

बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया है आपने। राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट है यह सही है या आप वाला स्टेटमेंट सही है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे वक्तव्य को ध्यान से सुना हो माननीय सदस्य ने तो मैंने यह कहा कि भूमरमल सेठिया ने पुलिस थाने में इस तरह की रिपोर्ट दर्ज करायी है। मैंने नहीं कहा, भूमरमल ने इस तरह की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करायी। आप जरा पूरा सुन तो लें।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : और भूमरमल सेठिया के खिलाफ भी वन विभाग ने 420 के तहत पुलिस में केस दर्ज कराया। दोनों मामले अनुसंधान में हैं, मैंने यह निवेदन किया।

आपने इस घटना के संबंध में राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया। मैं आपको यह बताना उचित समझता हूं कि उस संबंध में न्यायालय, बीकानेर ने उस भूमि को सरकारी भूमि, गोचर भूमि मानते हुए सेठिया को अतिक्रमी माना जाकर, उससे अविलम्ब कब्जा हटाये जाने के निर्देश, 14-8-84 को प्रसारित कर दिये और 195/- रुपये का जुर्माना भी उसके खिलाफ कर दिया।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री देवीसिंह भाटी : स्टेटमेंट हो गया?

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही के लिए कह दिया। शीघ्र कार्यवाही के लिए कह दिया।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, शीघ्र कार्यवाही तो पिछले सत्र में भी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, 9-9 महीने हो गये। अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुःख की बात है। यह स्पष्ट हो चुका है, यह बात यह स्वयं मान रहे हैं, सारी जांच हो चुकी है, फोरेस्ट डिपार्टमेंट में पुलिस से सारे पेपर्स आ चुके हैं...

श्री अध्यक्ष : पुलिस को रिपोर्ट तो देनी होगी, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : निवेदन इतना है कि मीनासर कस्बे के लोग शांतिप्रिय हैं। हर 12 तारीख को पूरा का पूरा कस्बा शांतिपूर्वक जुलूस निकालता है उसके उपरांत भी सुनवाई नहीं हुई। क्या यह चाहते हैं

(श्री देवीसिंह भाटी)

कि हिंसा हो, आन्दोलन हो, झगड़ा हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मन्त्रीजी ने कहा है, आर्डर्स दिये हैं जल्दी तहतीश खत्म करने के लिए।

श्री देवीसिंह भाटी : यह आश्वासन पिछले सत्र में भी, अध्यक्ष महोदय, दिया था।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन नहीं, अब तो आदेश दिया है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आदेश प्रसारित कर दिये हैं दोनों मामलों के।

श्री देवीसिंह भाटी : अनुसंधान में समय लगेगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इसमें कोई समय सीमा बांधें कि यह जांच, जो 9 महीने से पेंडिंग है, 15 दिन में आप समाप्त कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एस. डी. ओ. खुद जा कर मौके पर 15 हजार पेड़ों को उखाड़ता है। तहसीलदार मौके पर है जबकि राज्य सरकार की मशीनरी है, एस. डी. ओ. खुद उखाड़ रहा है उसके बावजूद निरपराध लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखें? उनके खिलाफ कार्यवाही किस बात की? इसलिए मंत्री जी, आप एस. डी. ओ. की रिपोर्ट, 6 आदमियों के खिलाफ जो रिपोर्ट है, वो स्वयं देखें और इसमें आवश्यक निर्देश दें। जो धोखाधड़ी का मामला झूमरमल सेठिया ने किया है राज्य सरकार के साथ उसके अन्दर चालान प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस जमीन पर आज किसका कब्जा है? क्या उसी सेठिया का कब्जा है? यदि सेठिया का कब्जा है तो राज्य सरकार उस भूमि को सेठिया के कब्जे से कब तक मुक्त करा देगी?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य का सवाल है, मैं दोनों ही मुकदमों की फाइल आज ही मंगाने के आदेश दे रहा हूं। यहां पर परीक्षण के बाद उन पर उचित कार्यवाही के आदेश दिये जायेंगे।

जहां तक माननीय विपक्ष के नेता महोदय का प्रश्न है, मैंने कहा कि वहां के तहसीलदार ने भूमि पर अनधिकृत कब्जा मानते हुये बेदखली करने के आदेश दे दिये हैं।

श्री मानिकचंद सुराना : आदेश की क्रियान्वित भी करवायें।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : गृह मन्त्री महोदय, प्रधान मंत्री निवास में जासूसी काण्ड ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर--ऑर्डर, माननीय सदस्य, बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

133

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री निवास में जासूसी कांड में जो श्री सेठिया हैं ये श्री भूमरमल सेठिया उनके ही कोई रिश्तेदार हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । चर्चा समाप्त हुई ।

श्री अब्दुल अजीज : पाइन्ट आफ आर्डर ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कॉल अटेंशन 26 तारीख को सचिवालय को दिया था । उस पर आपने यह आदेश फरमाया था कि मुख्य मंत्रीजी उसका उत्तर देंगे....

श्री अध्यक्ष : मैंने कोई आदेश नहीं दिया कि मुख्य मंत्री उसका उत्तर दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

कृपया बैठें । चेम्बर में मेरी आपसे बात हुई है उसकी चर्चा यहां न करें । माननीय सदस्य कृपया बैठें । मैं इसके विस्तार में जाने की आपको इजाजत नहीं दूंगा । माननीय सदस्य । कोई कॉन्फिडेंस में बात की जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वेश्म की बात बाहर करें । कृपया बैठ जायें माननीय सदस्य । मैं इसको इजाजत नहीं दूंगा ।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचित सदस्य

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा की वित्तीय समिति, अर्थात जन लेखा समिति 1985-86, प्राक्कलन समिति (क) 1985-86 प्राक्कलन समिति (ख), 1985-86 व राजकीय उपक्रम समिति, 1985-86 के लिए निम्नांकित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं :—

जनलेखा समिति—

1. श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (181)
2. ,, महेन्द्र शास्त्री (113)
3. ,, जगदीश तिवाड़ी (45)
4. ,, मानिकचन्द सुराना (119)
5. ,, महेन्द्र कुमार परमार (112)
6. ,, भरतलाल (102)
7. ,, किशन मोटवानी (20)
8. ,, भगराज चौधरी (101)
9. ,, मुलतानाराम (122)
10. ,, पंकज पंचोली (79)
11. ,, जीवराज सिंह राठौड़ (52)
12. ,, सी. पी. जोशी (172)
13. ,, ललित किशोर चतुर्वेदी (151)
14. ,, भंवर लाल शर्मा (98)
15. ,, घनश्याम तिवाड़ी (36)

प्राक्कलन समिति (क)

1. श्री चन्द्रशेखर (37)
2. ,, जगमाल सिंह यादव (48)
3. ,, लालचंद (157)
4. ,, रामचन्द्र (142)
5. ,, महादेव सिंह (111)
6. ,, मुलतानाराम (122)
7. ,, हरिशंकर भाभड़ा (189)
8. श्रीमती विद्या पाठक (162)
9. श्री मूलचन्द मीणा (123)
10. श्रीमती हमीदा बेगम (182)
11. श्री रघुनाथ परिहार (131)
12. ,, लक्ष्मण सिंह (154)

(श्री अध्यक्ष)

13. श्री मानसिंह देवड़ा (118)
14. ,, शिवराम शर्मा (168)
15. ,, सूरजपाल सिंह (177)

प्राक्कलन समिति (ख)

1. श्री उम्मेद सिंह (11)
2. ,, अब्दुल अजीज (1)
3. ,, चुन्नीलाल इन्दलिया (40)
4. ,, भैरूलाल भारद्वाज (103)
5. सुश्री गिरिजा व्यास (31)
6. श्री इकबाल अहमद (6)
7. ,, के. सी. विश्नोई (24)
8. ,, बाबूलाल बैरवा (92)
9. ,, शिवचरण सिंह (166)
10. श्रीमती डा. उजला अरोड़ा (9)
11. श्री नाथूसिंह (74)
12. ,, माधोसिंह दीवान (117)
13. ,, खेमराज कटारा (26)
14. ,, प्रताप सिंह (87)
15. ,, राजेन्द्र चौधरी (138)

राजकीय उपक्रम समिति

1. श्री कल्याण सिंह कालवी (17)
2. ,, हरजी राम बुरड़क (183)
3. ,, सुजानसिंह यादव (173)
4. ,, मांगीलाल आर्य (115)
5. ,, मुलतानाराम (122)
6. ,, हीरालाल इन्दौरा (193)
7. ,, हेमराज चौधरी (197)
8. ,, भैरोंसिंह शेखावत (105)
9. सुश्री पुष्पा जैन (82)
10. श्री दाऊदयाल जोशी (58)
11. ,, थानसिंह मीणा (55)
12. श्रीमती बीना काक (95)
13. श्री दीनबन्धु वर्मा (61)
14. ,, बिहारीलाल पारीक (94)
15. ,, भंवराराम (100)

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री गुलाब सिंह शक्तावत।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा (विभाजन संख्या 30) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उक्त प्रस्ताव...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रस्ताव तो सारे पहले रखे जायेंगे They will be put to vote one by one. प्रस्ताव तो पहले रखे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय भंवरलाल जी रखना चाहते हैं वह इस दृष्टि से रखा गया था कि उपाध्यक्ष का पद सरकारी पक्ष की ओर से विरोधी पक्ष को अगर दिया जाय, यह एक अच्छा कन्वेन्शन होगा, अध्यक्ष एक पार्टी का हो और उपाध्यक्ष दूसरी पार्टी का हो। महाराष्ट्र में...

135

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । कृपया सुनें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई चिन्ता की बात नहीं । नये मेम्बरों से कुछ बोलना सीखेंगे ।

मैं निवेदन कर रहा था कि 1952 में विपक्ष के एक सदस्य को उपाध्यक्ष का पद दिया गया था । उसके बाद में यह परम्परा नहीं रही थी । शायद आप यह कहें कि 1977 में इस परम्परा को क्यों नहीं रखा गया । मैं इसके लिये आपको निवेदन करूं कि 1977 में आपकी संख्या बहुत कम थी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त उस समय का विरोधी पक्ष इतना जागरूक भी नहीं था, न उन्होंने....

श्री अध्यक्ष : जागरूक नहीं होते हुए भी आज पुनः सरकार में है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर देऊं, न उन्होंने इस प्रकार की मांग रखी शायद रखते तो मैं अवश्य विचार करता....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, फिर उस समय जहां तक व्यक्ति की बात थी उस समय उनके पास उपाध्यक्ष होने के लायक कोई सदस्य नहीं था ।

एक माननीय सदस्य : आज हम भी यही समझते हैं ।

श्री रामसिंह विश्नोई : मांग रखी थी । यह शायद आप भूल गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मांग नहीं रखी थी । उस समय आप इतने खौफ खाये हुए थे कि बोलने की हिम्मत ही नहीं करते थे, मांग करने का तो सवाल ही नहीं उठता था । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन का संचालन अध्यक्ष महोदय करते हैं । लेकिन अध्यक्ष ज्यादा समय सदन में नहीं रहते सदन की बाकी अन्य कार्यवाही को निपटाने के लिये उनको चैम्बर में रहना पड़ता है और विधान सभा का पूरा संचालन उपाध्यक्ष के द्वारा होता रहता है । अध्यक्ष महोदय, आप जानते होंगे कि सारे देश में अब तक इस प्रकार की परम्परा थी कि जो भी व्यक्ति अध्यक्ष का पद ग्रहण करता है वह सबसे पहले अपनी पार्टी से त्यागपत्र देता है लेकिन यह परम्परा तो मैं समझता हूं कि इस समय खत्म कर दी गयी है ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, या तो उन्हें बोलने दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । कृपया सुनें ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष क्या होता है, उपाध्यक्ष क्या होता है, थोड़ा सा आप बता दीजिये।

मैं निवेदन कर रहा था कि आज तक मैं समझता हूं, जोशी जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो भी अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होता है वह सबसे पहले इस बात की घोषणा करता है कि मैं जिस पार्टी का सदस्य हूं उससे त्याग-पत्र देता हूं। हो सकता है कि दल बदल का कानून जो बना है, उसके कारण कोई कानूनी समस्या आपके सामने खड़ी हो गयी हो। उसका मैंने अध्ययन नहीं किया है। मेरा विश्वास है कि इसका अध्ययन करने के बाद यदि आप उससे मुक्त रहते तो....

श्री रामचन्द्र जाट : उसमें एक्जेम्पशन है। स्पीकर के लिये एक्जेम्पशन दिया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्जेम्पशन दिया हुआ है तो उस एक्जेम्पशन के पीछे भी कोई न कोई कोई बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड यही है कि अध्यक्ष किसी दल विशेष का सदस्य नहीं होगा। वह पूरी विधान सभा का सदस्य होगा और सब पार्टियों का उनमें कौंफिडेंस हो। इसलिये इस कानून में भी जो इस प्रकार की व्यवस्था की है उस व्यवस्था के पीछे इस प्रकार की भावना है। मेरा विश्वास है कि उसके ऊपर आप स्वयं चिंतन करेंगे लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जबकि विपक्ष की संख्या भी 85 है लेकिन आज 83 है, 83 जहां संख्या हो तो विपक्ष का भी अधिकार होता है कि इस सदन के संचालन में उनका भी सहयोग हो। वे भी सहयोग दें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम कोई पद के भूखे नहीं और इस आधार पर पद के लिये मांग नहीं कर रहे। अध्यक्ष महोदय, इस बात की हमें चिन्ता नहीं है कि हममें से एक मेम्बर तो उपाध्यक्ष के पद पर चला जायेगा, उनको कार मिल जायेगी या कोई सुविधा मिल जायेगी। उसके कारण सारे अपोजिशन को कोई न कोई सहूलियत होगी। व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से इस प्रकार की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है और न मैं इस प्रकार की मांग करता हूं। इस सदन के स्वस्थ संचालन की दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उपाध्यक्ष का पद विरोधी दल को दे दिया जाय तो एक स्वस्थ परम्परा होगी। चाहे परम्परा नहीं रही या बीच में टूट गयी लेकिन यदि स्वस्थ परम्परा है, हम उसको कहीं से भी यदि आरम्भ कर देते हैं तो वह एक अच्छी चीज होगी। आज इस बात की कोई आलोचना नहीं करेगा कि विपक्ष के किसी सदस्य को उपाध्यक्ष का पद दे दिया गया बल्कि मैं ऐसा समझता हूं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं वे निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा करेंगे और इस बात की भी प्रशंसा होगी कि जो परम्परा टूट गयी थी उसको नये मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने आकर फिर चालू किया।

अध्यक्ष महोदय, यह भी एक परम्परा टूटी है कि आज तक जो मुख्य मंत्री बना वह दुबारा नहीं आया। ये जोशीजी दुबारा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आये हैं। यहां भी परम्परा टूटी है लेकिन इसको कोई परम्परा मानकर बैठ जाय कि जो एक बार मुख्य मंत्री बना वह दुबारा मुख्य मंत्री बनेंगे तो वह कोई परम्परा का टूटना या परम्परा का बनना नहीं है। यदि स्वस्थ परम्परा बनती हो तो मैं आशा करता हूं सत्ता पक्ष से कि वह उत्कृष्ट...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप थोड़ा समझ लें तो ही ठीक है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उस आधार के ऊपर सरकारी पक्ष चिन्तन करे। हमने इस संबंध में मुख्य मंत्रीजी से निवेदन भी किया था। मैं समझता हूं: उन्होंने विचार भी किया होगा। यदि उनका विचार परिपक्व है, कहीं से निर्देश की आवश्यकता नहीं है और अपने अन्तर्मन से वे इस प्रश्न के ऊपर इस आधार पर विचार करेंगे तो उनका निर्णय निश्चित रूप से, इसी प्रकार का होगा जिस प्रकार की मांग हम कर रहे हैं। यदि वह नहीं करना चाहते तो मैं समझता हूं इस प्रस्ताव को मूव करने की आवश्यकता नहीं। हम उस परम्परा को भी नहीं तोड़ना चाहते कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव मत विभाजन के आधार पर हो। इसलिये उस परम्परा की हम तो सुरक्षा कर रहे हैं और उस परम्परा को बनाये रखकर चलना चाहते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाय, इस परम्परा को तोड़ने का श्रेय यदि मुख्य मंत्रीजी लेना चाहते हैं तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। भगवान् उनको इस प्रकार का श्रेय दे दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः मांग करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इस पर विचार करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। कृपया बैठें।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वैसे विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जो बात कही, बड़ी सुन्दर है। परम्पराएं अगर बनायी जाय तो वे एक तरफ से नहीं बनती हैं, दोनों तरफ से बनती हैं। जैसा मैंने कल कहा था, अब सौभाग्यवश इस देश के अन्दर कोई पार्टी ऐसी नहीं रही है जो पावर में नहीं आयी हो। इसलिये परम्पराएं बनाने की जिम्मेदारी केवल कांग्रेस की नहीं रह गयी है, जो अभी विपक्ष में बैठे हैं उनकी भी है। हम यह अपेक्षा करते थे, विरोधी पक्ष के माननीय नेता जब पावर में थे, जो भावनाएं उनकी हैं इन सबको ध्यान में रखते और कांग्रेस के साथ में भी वही व्यवहार करते जो आज हमसे चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं। परन्तु हमारी मुश्किल यह है कि हम भी परिस्थितियों से बंधे हुए है, परिस्थितियां क्या हैं...

श्री यदुनाथसिंह : दिल्ली परेशानी है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : कोई दिल्ली की परेशानी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है। मेरी और पार्टी की यह जिम्मेदारी है। जो

(श्री हरिदेव जोशी)

निर्णय हम ले चुके हैं वह मैंने ग्रापको बतला दिया था। मेरी परेशानी यह है कि ग्रगर यह उदारता जनता पार्टी जब बहुमत में थी उस समय उसने बतायी होती तो ग्राज मुझे सुविधा होती, यह निर्णय लिवाने में। ग्राज मैं ग्रपनी पार्टी को कैरी ही नहीं कर सकता ग्रपने साथ में। क्योंकि उस दिन ग्रापकी परेशानी थी, ग्रापकी भी परेशानी यही थी .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परेशानी मेरी नहीं। ग्रापके पास योग्य ग्रादमी नहीं था।

श्री हरिदेव जोशी : हमारे पास में योग्य था या नहीं था। ग्रापका ग्रॉफर ग्राता ग्रौर हम कह देते कि हम ग्रयोग्य हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रापने तो डिमांड ही नहीं किया ?

श्री हरिदेव जोशी : ग्रापने तो ग्रॉफर करने की कोशिश ही नहीं की। मेरी परेशानी यह है कि मुझे ग्रपनी पार्टी को ग्रपने साथ में कैरी करना है। उस चीज को ग्राप देखें कि....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : हमने कई बार डिस्कस किया है। ग्रब इस बारे में ज्यादा कहने का कोई ग्रर्थ नहीं है। मेरी मजबूरियां ग्राप जानते हैं ? मजबूरी यह है कि जनता पार्टी जिस समय शासन में थी उस समय उसने जेस्चर नहीं किया, मैं ग्राज करूं तो उसको ऐसा समझा जायेगा कि जैसे हम वो करते हैं। इसलिये जो बात मैं ग्रापसे पहले निवेदन कर चुका हूं, वही है।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जब से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह पद भार संभाला है तब से बार बार हमसे यही कह रहे हैं कि मैं विपक्ष का सहयोग चाहता हूं, मिलकर काम करना चाहता हूं। हम यही ...

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्राप प्रस्ताव रख रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह प्रस्ताव इसलिये रखा था लेकिन ग्राज उनकी बातचीत से ग्रौर माननीय भैरोंसिहजी के कहने के बाद भी यह लगता है कि ये उदारता नहीं दिखाना चाहते। ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव को विथड्रा करता हूं।

सुश्री पुष्पा जैन : एक मिनट। पाइंट ग्रॉफ ग्रॉर्डर।

श्री ग्रध्यक्ष : पाइंट ग्रॉफ ग्रॉर्डर क्या है ग्रापका, कहिये।

सुश्री पुष्पा जैन : इस बार भी सदन का सौभाग्य है कि

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्या, पाइंट ग्रॉफ ग्रॉर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : मुझे सुन लीजिये फिर उसके बाद ग्राप ग्रपनी बात कहें।

महिलाग्रों का रिप्रेजेंटेशन इस सदन में इस बार बहुत ज्यादा है। यह राजस्थान का सौभाग्य है। कंवेंशन तो यह बनना चाहिये था कि इस बार डिप्टी स्पीकर के पद पर एक महिला को....

(व्यवधान)

(सुश्री पुष्पा जैन)

अगर पंडितों के अनुसार मकर राशि को ही इस पद को सुशोभित करना है तो गिरीज प्रसादजी की जगह बहन गिरिजा यहां बैठतीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलालजी भी आपके बिरदमलजी का ही प्रस्ताव कर रहे थे, पुष्पाजी का नहीं कर रहे थे ।

श्री नत्थीसिंह : तिवाड़ीजी भी किसी महिला से कम नहीं रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री गुलाबसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी विभाजन संख्या 30 को उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इधर आ जाओ आप ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : जैसे लड़की ब्याह करके आती है न वैसे ही ।

श्री अध्यक्ष : संभाल कर रखना ।

श्री नत्थीसिंह : इस पक्ष को निभाना अब आप ।

सदन की अवमानना

श्री मुख्तारसिंह को क्षमादान एवं श्री दर्शन लाल कोंडा को सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक सजा देने का संकल्प

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है....

श्री सी. पी. जोशी : उमर के हिसाब से ठीक मिला है ऑर्डर लाइन ठीक मिली है।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, इस सदन में आज बारह बजकर पचास मिनट पर ऊपर की दर्शक दीर्घा से दो व्यक्तियों ने नारे लगाये। उनमें से एक व्यक्ति ने पर्चे सदन में फेंके। जांच करने पर हमने उनसे पूछताछ की। गंगानहर के व्यक्ति हैं उनका बयान लिया। उनमें से एक श्री मुख्तार सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति राय सिख आयु 26 वर्ष निवासी इन्दिरा कॉलोनी, गली नम्बर 9, मकान नम्बर 170, श्री गंगानगर, व्यवसाय, साइकल की मरम्मत, ने आज दिनांक 29 मार्च, 1985 को मध्यान्ह लगभग 12 बजकर पचास मिनट पर सदन की दर्शक दीर्घा से नारे लगाये, "गंगानगर की जनता की मांग पूरी करो" और "इन्कलाब जिन्दाबाद।" श्री मुख्तार सिंह ने अपने कृत्य के लिए अफसोस प्रकट किया और क्षमा प्रार्थना की है। श्री मुख्तार सिंह ने तो क्षमा मांग ली है। दूसरे सदस्य श्री दर्शन लाल कोंडा हैं जिन्होंने नारे भी लगाये और पर्चे फेंके। इन्होंने इस बात को स्वीकार किया लेकिन उन्होंने अपने कृत्य पर कोई अफसोस जाहिर नहीं किया, और क्षमा भी नहीं मांगी।

तो, माननीय सदस्यों से मैं चाहूंगा कि इस पर क्या निर्णय हो, सदन का अधिकार है।

मुख्य सचेतक महोदय ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपना नाम मुख्तार सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति राय सिख निवासी इन्दिरा कॉलोनी गली नम्बर 9 मकान नम्बर 170 श्रीगंगानगर बताता है, जिसने आज लगभग 12 बजकर पचास मिनट पर दर्शक दीर्घा से निम्न प्रकार के नारे लगाये: "गंगानगर की जनता की मांगें पूरी करो", और "इन्कलाब जिन्दाबाद"। इस प्रकार श्री मुख्तार सिंह ने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली तथा सदन का अवमान किया। उक्त श्री मुख्तार सिंह ने अपने कृत्य के लिए अफसोस प्रकट किया है और क्षमा की प्रार्थना की है।

यह सदन आगे यह संकल्प करता है कि उक्त श्री मुख्तारसिंह को माफ कर दिया जाय।

एक मिनट। दूसरा संकल्प।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपना नाम दर्शन लाल कोंडा पुत्र श्री काशीराम जाति अरोड़ा निवासी 42-एफ, बियाल, श्री गंगानगर विद्यार्थी तृतीय वर्ष विधि बताता है, जिसने आज लगभग 12 बजकर 50 मिनट पर निम्न प्रकार के नारे लगाये—"इन्कलाब जिन्दाबाद" और "गंगानगर की जनता की मांगें पूरी करो।" नारों के साथ उक्त व्यक्ति श्री दर्शन लाल कोंडा ने कुछ पर्चे भी फेंके। इस प्रकार श्री दर्शन लाल कोंडा ने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली तथा सदन का अवमान किया और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई। इसके लिए श्री दर्शन लाल ने कोई दुख प्रकट नहीं किया है और माफी भी नहीं मांगी है।

यह सदन आगे यह संकल्प करता है कि उक्त श्री दर्शन लाल कोंडा को आज सदन की बैठक समाप्त होने तक सशस्त्र परिचालक, राजस्थान विधान सभा की अभिरक्षा में रखा जाय।

एक माननीय सदस्य : पर्चे में क्या लिखा था ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्य सचेतक ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री दर्शन सिंह को सदन की आज की कार्यवाही के स्थगन तक सशस्त्र परिचालक के पास में रखा गया। और श्री मुख्तार सिंह को क्षमा मांगने पर उनके अपराध के लिये क्षमा प्रदान की है सदन ने अतः उनको मुक्त किया गया दोष से।

श्री सी.पी. जोशी : पर्चा कहां से आया, यह पता लगाया जाय।

श्री शोपत सिंह : युवक हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, इतनी जांच होती है, पर्चे से कहां से आये। यह पता लगाया जाय। व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया।

श्री शोपत सिंह : भगत सिंह बम ले गया था।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। विधायी कार्य।

एक माननीय सदस्य : प्रधान मन्त्री निवास में तो मालूम नहीं पड़ता है यहां क्या मालूम पड़ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

विचारार्थ लिये जाने वाला विधेयक।

श्री रामचन्द्र जाट : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाह रहा था। समितियों की घोषणा कर दी, चेयरमैन की घोषणा नहीं की।

श्री अध्यक्ष : वह अध्यक्ष का अधिकार है। सुरक्षित रखा है।

विधायी कार्य

राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) अध्यादेश, 1984

परिनियत संकल्प

राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) अध्यादेश, 1984 के सम्बन्ध में परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर के साथ राजस्थान के सैण्टिमैण्ट्स जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों से यह देख रहे हैं कि बराबर अनियमितता के आधार पर निरन्तर काम की पूर्ति में देरी हो रही है। इन सब को देखते हुए मैं निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करती हूं. "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 11 सन 1984) को अस्वीकार करता है।"

आज राजस्थान नहर का नाम श्रीमती गांधी के साथ जोड़ा जाय, इसमें मुझे आपत्ति नहीं। उनका नाम मैं बड़े आदर से लेती हूं। लेकिन एक परम्परा अगर पड़ गयी तो राजीव नहर पहले ही सोच ली जायेगी, प्रियंका नहर पहले ही सोच ली जायेगी। एक ही परिवार के नाम-नेहरू नगर, जवाहर नगर, कमला बाजार, इन्दिरा बाजार, इस तरह से रखे जाते हैं यह अपने आप में अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। बोल लीं आप? श्री गिरधारी लाल भार्गव।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकी दास कल्ला (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधान सभा की बैठक का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक के लिये बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

कार्य सूची होने तक के लिये समय बढ़ाया गया।

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

परिनियत संकल्प

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशन पोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

"यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1984) को अस्वीकार करता है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अध्यादेश के द्वारा एक इतनी महत्वपूर्ण नहर जिसका कि नाम प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है, नाम बदल कर इन्दिरा गांधी नहर किया है, उसका मैं विरोध इसलिए करता हूं कि राजस्थान नहर का नाम नवम्बर माह में ज्योंही बदल गया इसका परिणाम यह हुआ उसका पानी सूख गया। राजस्थान नहर का शुद्ध नाम बदलने से आखिरकार यह मालूम नहीं पड़ता कि यह कहां हैं। जब इन्दिरा गांधी नहर नाम कर दिया तो बाहर के लोग सोचेंगे कि इन्दिरा गान्धी नहर कर्नाटक में है या तमिलनाडु में है या उत्तर प्रदेश में है। आखिरकार प्रदेश के साथ उसका नाता था। प्रदेश के साथ लोग उसके नाम को जानते थे। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि इन्दिरा गान्धी नहर नहीं राजस्थान नहर ही इसका नाम रखना चाहिये वरना राजस्थान की आईडेण्टिटी के आधार पर जुड़ा हुआ जो नाम है इसका महत्व खत्म हो जायेगा।

मेरा दूसरा निवेदन करना यह है कि ज्योंही इसका नाम इन्दिरा गांधी नहर किया गया इसका पानी सूख गया। नाम बदलने के आधार पर, यह फैक्ट है, फसल जो है वह सारी खराब हो गयी। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, यह हो-हो जो कर रहे हैं इनको यह बता दूं कि जिन चन्दन मल जी के लिये कहा जाता था कि चन्दन मल जी भागीरथ हैं, राजस्थान में नहर को लाने वाले हैं, जिन चन्दन मल जी वैद ने राजस्थान नहर का नाम इन्दिरा गांधी नहर रखा, वह चन्दन मल जी भी उस नहर में बह गये।

श्री बिहारी लाल पारीक : हमने तो हो-हो किसी ने नहीं किया, साहब। हमने हो-हो कहां किया। हम हो-हो कहां कर रहे हैं, हम तो आपकी बात को सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : एक हमारा निवेदन करना यह है कि किसी व्यक्ति ने पूरे हिन्दुस्तान भर में माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल वाहवाही लूटने के लिहाज से यह किया है। तो शिवचरण जी माथुर ने किया है। आखिरकार अन्य जो प्रदेश थे उनको भी इस प्रकार के नाम बदलना चाहिए था। शिवचरण जी माथुर ने भी जब इन्दिरा गान्धी नहर नाम रखा तो मुख्य मन्त्री पद से चले गये। यह इन्दिरा गान्धी नहर की हालत है। हालत यह हुई, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गान्धी ने जो सफाई अभियान चलाया, 14 मन्त्री राजस्थान के जो अपने आप को बड़े तीस मारखां और सूरमा समझते थे, उनका भी सफाया हो गया। मेरा मतलब यह है कि राजस्थान के अलावा अन्य किसी प्रदेश ने इस प्रकार से नाम बदले नहीं। यह, मै समझता हूं, बड़ा आपत्तिजनक कृत्य राजस्थान की सरकार ने किया है। बहुत बड़ा योगदान था पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू का इस नहर

143

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

के निर्माण में, शुद्ध रूप से प्रजातान्त्रिक व्यक्ति वह थे, उन जवाहर लाल जी नेहरू के नाम से तो कहीं पर इस प्रकार से बड़ी बड़ी नहरों के नाम नहीं बदले गये। तो श्रीमती इन्दिरा गान्धी के अन्दर, मैं नहीं समझता, ऐसी कौन सी बात थी कि यह नाम बदला गया। मेरा निवेदन करना यह है कि यू अगर बड़े बड़े नेता मरते जायं और बड़े बड़े नेताओं के नाम पर परियोजनाओं के नाम बदलते जायेंगे तो आखिरकार आइडेण्टिफिकेशन नाम की चीज समाप्त हो जायेगी। राजस्थान नाम में राजपूतों की शान है, जिस शान पर राजस्थान का नाम बना है और जिस शान पर राजस्थान की नहर का नाम बना है, मैं समझता हूं, वह शान धीरे-धीरे खतम हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय आपको ध्यान होगा कि राजस्थान का निशान था ऊंट। राजस्थान का निशान है ऊंट। एक बार ऊंट के निशान को बदलने के लिए मोर का निशान प्रस्तावित किया गया तो पत्रकारों ने उसका घोर विरोध किया। घोर विरोध किया कि राजस्थान का निशान मोर नहीं हो सका। राजस्थान का जो सिम्बल है वह वही रहा ऊंट। मोर के निशान पर जब इतना....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : वाद-विवाद हो सकता है कि रेगिस्तानी इलाका है, ऊंट इसका प्रतीक है, वह राजस्थान के नाम से जाना जाता है तो मैं समझता हूं, राजस्थान नहर को नाम बदलकर यदि इन्दिरा गान्धी नहर कर दिया गया, तो फिर राजस्थान प्रदेश का नाम इन्दिरा प्रदेश कर दें...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : और इन्दिरा प्रदेश करके, जो 31 तारीख इस प्रदेश का दिवस है, इसका नाम तो फिर हो जायेगा इन्दिरा दिवस। फिर यह ही नहीं, विधान सभा का नाम क्यों नहीं बदल देते...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : फिर तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा का नाम इन्दिरा विधान सभा हो जायेगा और राजस्थान सचिवालय का नाम इन्दिरा सचिवालय और राजस्थान सरकार का नाम इन्दिरा सरकार और ये हरिदेव जोशी जी बैठे हैं वह राजस्थान सरकार के नहीं इन्दिरा सरकार के मुख्य मंत्री के नाम से जाने जायेंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसलिये मैं इस नाम के बदलने का, माननीय अध्यक्ष महोदय, घोर विरोधी हूं, घोर विरोधी हूं, घोर विरोधी हूं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा यह अध्यादेश जारी कर राजस्थान की शान को बट्टा लगाने का काम किया गया है। जब नेहरू जी के नाम से कहीं बदला नहीं है, अन्य किसी प्रदेश ने बदला नहीं है, तो केवल राजस्थान में श्री शिवचरण जी माथुर की भक्ति जो जागृत हुई है, मैं समझता हूं, यह

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

भक्ति जागृत नहीं होनी चाहिये। इसलिये मेरा आपसे सादर निवेदन है, विनम्र निवेदन है, माननीय सदस्यों को विचार करना चाहिये, इस नहर का नाम इन्दिरा गांधी नहर नहीं राजस्थान नहर ही रहना चाहिये। इसलिये मैंने इस अध्यादेश को निरस्त करने के लिये निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री डूंगरराम पंवार : राजस्थान को ख्वाहमख्वाह की गुलामी से मुक्त करिये, अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिये....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री डूंगरराम पंवार : इसका नाम राजस्थान कैनाल ही रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें।

श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1985) को अस्वीकार करता है, मैं इस अध्यादेश का विरोध इसलिये करता हूं, स्पष्टतः माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्ति पूजा समाज को ही नहीं देश को खाती है। यह राजथान शास्वत है, अजर है, अमर है। मैं पूछना चाहूंगा खासकर भाटी साहब से यह राजस्थान प्रदेश राजपूतों की आन, बान, शान, मान मर्यादा की गाथा गाने वाला है। आज भी अरावली की पहाड़ियां गुंजायमान हो रही हैं मीरां के संगीत से। नकली दुर्ग के लिये लड़ने वाले राणा कुम्भा की गाथा आज भी अमर है, शाश्वत है इन जवानों के लिये जो अपने जीवन को भूल जाते हैं। जो ऐसे रण बांकुरों को जीवन देता है क्या वह राजस्थान आज मृत प्राय हो गया, क्या उस राजस्थान को आप भूल जायेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, वह शायद इस बात को भूल गये होंगे, मुझे याद है कि स्वाधीनता संग्राम की जो लड़ाई हुई थी, केवल मात्र अरावली के बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, ख्वाजा .... मैं बनूंगा राव, कि उन्होंने कहा कि नहीं मैं बनूंगा राव। आज उस राजस्थान का आप नाम मिटाना चाहते हैं। लालबहादुर शास्त्री जिनसे एक गलत समझौता हो गया था जिसमें उनकी जान चली गई, ताशकन्द समझौता, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको भूल गए केवल एक गलत समझौता हुआ था उसको भूल गये। मैं पुनः उठाता हूं इस बात को। मुझे नाज होना चाहिये, जिन पर मुल्क को नाज होना चाहिए वह बदमाश कौन थे, उनको प्रश्रय देने वाले कौन थे और वह किसी को मारने के लिये भागा था या नहीं भागा था। मैं पुनः कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, पंजाब में जब हमारी मां बहिन गवर्नमेन्ट के टैंक और गर्वनमेंट के बम्ब पंजाब में जा रहे थे, भिण्डरवाला उनको मार रहा था, भून रहा था। तब आपको यह दया, वीरता, ममता क्यों नहीं उमड़ी थी। उस समय देश का प्रधान मंत्री कौन था कौन था, कौन था प्रधान मंत्री ? जब एक व्यक्ति ने हिट लिस्ट में नाम निकलवा दिया, उस समय भिण्डरवाला को वरदान देने वाला कौन था ? किसने भिण्डरवाले को वरदान दिया था,

(श्री हरीश शर्मा)

कौन उसको संरक्षण दे रहा था? माटी साहब बताइये मुझे। शक्तावत साहब बताइये मुझे। क्या वीरों की भूमि राज स्थान मिट गई? ××× अगर आज भी आप में जरा भी इनके प्रति त्याग की भावना है। और आपके दिल में यह है कि राजस्थान वह भूमि है जिसमें आन-बान-शान-मर्यादा के लिये अपने प्राण न्यौछावर कर दे वह राणा प्रताप जो घास की रोटियां खा ले, जिन्होंने कभी अपना नाम लिया, उनके नाम पर आपने पानी फेर दिया। आप चाहते है कि राजस्थान का नाम मिटा दें। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने राजस्थान की ऐसी भूमि में जन्म लिया, मुझे गर्व है कि मैंने इस भूमि में जन्म लिया और आप इस भूमि का नाम मिटा रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। कहता हूं कि व्यक्ति पूजा इस देश को खा जायेगी, खा जायेगी, व्यक्ति पूजा भाड़ में डाल देगी।

अध्यक्ष महोदय, यह मेरे अरमान जागृत हुये, जब मैंने यह पढ़ा और मुझे ज्ञात हुआ। मेरे दिमाग में यह सारी बातें ध्यान में आ गई। क्योंकि मेरे जीवन का निर्माण ही उन्हीं लोगों ने किया है। राजस्थान का इतिहास पढ़-पढ़ कर मैंने अपने आपका निर्माण किया है और इस निर्माण पर आज पूरा आघात हो रहा है और मुझे दुःख है ...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करूंगा और आप सब सदस्यों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि राजस्थान की वीरों की भूमि की रक्षा करने के लिये आप अपने राज्यपाल महोदय से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि राजस्थान का नाम बहुत महान् है, इसलिये इसका नाम राजस्थान नहर ही रहने दें न कि इन्दिरा गांधी नहर। इसका बहुत महत्व है। इसलिये मैं इसका बार बार विरोध करता हूं, और अस्वीकार करता हूं इस अध्यादेश को। और घोर निन्दा करता हूं उनकी जिन्होंने यह प्रस्ताव पास किया।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा परिनियत संकल्प इस प्रकार है—"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापित) अध्यादेश, 1984, (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1984) को अस्वीकार करता है।"

अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी का इस देश के इतिहास में, इस देश की राजनीति में, चाहे हमारे कितने भी मतभेद रहे हों उसके बावजूद महत्वपूर्ण स्थान है। आपके शब्दों में वह इस देश की ही नेता नहीं थी वह संसार की नेता थी, आप लोग यह बात भी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि राजस्थान नहर जिसे इंजीनियरों का, अधिकारियों का, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है कम से कम इतनी बड़ी नेता इन्दिरा गांधी का नाम उससे मत जोड़िये। इसी में आपका बड़प्पन है और आपकी भलाई होगी।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर 1957

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री यदुनाथसिंह)

से चलती चली आ रही है। राजस्थान नहर में अनाप-शनाप पैसा भी खर्च हो रहा है। राजस्थान नहर के निर्माण में इतनी डिले हो चुकी है कि अब तो ऐसा लगता है कि 1995 में जाकर, आपके कथनानुसार 8वें प्लान के बाद उसको आप पूरा कर पायेंगे। तो जो देरी के लिये बहुत मशहूर हो, जहां पर भारी भ्रष्टाचार हो, भारी अनियमिततायें हों, जहां विदेशियों को लाकर अपने देश की सीक्रेट्स को ले जाने का काम जिस नहर की मार्फत हुआ हो उस नहर से इन्दिरा गांधी का नाम जोड़ना आपको शोभा नहीं देता है। यह इन्दिरा गांधी का नाम बदनाम करना है, इन्दिरा गांधी के नाम पर धब्बा लगाना है।

अध्यक्ष महोदय, यह इन्दिरा गांधी की बेइज्जती करना तो है ही, साथ ही राजस्थान की बेइज्जती करना भी है। क्योंकि राजस्थान का अपना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। आपके जिन बुजुर्ग नेताओं ने राजस्थान का निर्माण किया और केनाल जब नहर निकल रही थी तब उसका नामकरण किया गया, तो राजस्थान नहर उसका नामकरण किया गया। तो राजस्थान के लिये भी यह एक कलंक की बात होगी कि हम उसका नाम बदलें।

मैं, अध्यक्ष महोदय, चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी नाम को, बेईमानी, भ्रष्टाचार के नाम से नहीं जोड़े, राजस्थान जिसका गौरवपूर्ण इतिहास है, के नाम को भी इसमें से हटाने का काम नहीं करें। इतना ही निवेदन करता हुआ चाहूंगा कि इस अध्यादेश को निरस्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1984) को अस्वीकार करता है।"

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे हिन्दुस्तान की हिस्ट्री में इन्दिरा जी के साथ एक पैरा पूरा हिस्टोरिकल रिफार्म जिसे हम कहते हैं जुड़ा हुआ है। उनका नाम अन्तर्राष्ट्रीय जगत में काफी मशहूर हुआ। हिन्दुस्तान में कम से कम 15 साल तक देश के प्राइम मिनिस्टर का पद उन्होंने संभाला और मजबूत नेतृत्व दिया। मतभेद होने के बावजूद भी मैं कह सकता हूं, बहुत मजबूत नेतृत्व दिया इस देश को उनकी पर्सनलिटी जो है टावरिंग, उनके शासन जो एक डिकेड था, 31 अक्टूबर को ड्रामेटिक एण्ड हुआ, जिसका, तब अफसोस किया सारे देश ने, सारी दुनिया ने क्या उन इन्दिरा गांधी की प्रतिष्ठा बढ़ जायेगी इस कैनाल के साथ उनका नाम जोड़ने से? कोई राशनल बेस तो है नहीं, अध्यक्ष जी। केवल इमोशन में आकर घोषणा कर दी किसी मंत्री ने, केबिनेट ने उसका इन्डोर्समेन्ट कर दिया और राजस्थान कैनाल का नाम इन्दिरा के नाम से जोड़ दिया। कोई नया इन्स्टीट्यूट बनाते आप, कोई नये इन्स्टीट्यूशंस पैदा करते तब भी मैं मान लेता। यदि आप सैवन्थ फाइव ईयर प्लान में इसको कम्पलीट कर दें तो भी मान लें कि आप इन्दिरा जी की शोभा बढ़ा रहे हैं। न तो वह काम कर रहे हो और न यह

(147)

(श्री केदार नाथ)

काम कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि जो भी आने वाले लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे आपकी वात वह इस पर अफसोस जाहिर करेंगे। इससे इन्दिरा की प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं। राजस्थान कैनाल के साथ इन्दिरा जी का नाम जोड़ कर जो इन्दिरा जी की पर्सनलिटी है जो स्टेट्स है, उसमें आपने कमी ही की है, कुछ जोड़ा या एडीशन नहीं किया। मैं जानता हूं कि वह आज हमारे बीच में नहीं है। हम उनके लिए एक लफ्ज भी नहीं कहना चाहते, पर राजस्थान की खुद की अपनी कल्चर है, खुद की अपनी पहचान है। इस कैनाल के नाम के साथ इन्दिरा जी का नाम जोड़ने से राजस्थान की पहचान समाप्त कर दोगे आप, इसमें कोई शक नहीं है। राजस्थान कैनाल से, अध्यक्ष जी, एक नयी कल्चर, एक नया रिफार्म पैदा हो रहा है राजस्थान में। राजस्थान के अपने ट्रेडिशन हैं उसके साथ आप इन्दिरा जी का नाम क्यों जोड़ना चाहते हैं। उनके नाम पर आप और कोई काम करते, या इसको सैविन्थ प्लान में कम्पलीट करते तब तो ठीक होता लेकिन अब आप कह रहे हैं कि 1994-95 में कम्पलीट होगी।

एट्थ फाइव ईयर प्लान में आप तीन करोड़ रुपया और मांगेंगे। आज तक जब से यह बन रही है, केवल 40 करोड़ रुपया सैन्टर ने अपना स्पेशल असिस्टेन्स दिया है। बाकी सारा पैसा आप अपने पास से खर्च कर रहे हैं। कौनसी विशेष रियायत मिली आपको। इसलिए मैं कहता हूं रेशनल बेसिस नहीं, इमोशनल बेसिस पर नाम को बदल दो। कहीं सुखाड़िया जी को जोड़ दो, मेरा कोई रिफ्लेक्शन करने का इरादा नहीं है, मगर यह जो आपकी अप्रोच है नाम बदलने की यह बहुत गलत अप्रोच है। आइन्दा मेहरबानी करें, यह तो कर दिया आपने। प्रोटेक्टेड सोल आज हमारे बीच में नहीं है, विथ ऑल रेवरेन्स एण्ड रेस्पेक्ट्स, मैं ज्यादा लफ्ज भी नहीं कहना चाहता हूं पर आयन्दा जब भी नाम बदलो किसी का उसका रेशनल बेसिस होना चाहिये। कुछ इस पर आप बैठकर विचार करें कि आयन्दा आप लोगों के सामने कौनसी कन्वेन्शन पेश कर रहे हैं। कौनसी नई चीज पेश कर रहे हैं। आप सोचने की मेहरबानी कीजिये।

माननीय मुख्य मन्त्रीजी नये आये हैं, लाजिमी तौर पर सोचेंगे, इतना मैं निवेदन करता हूं कि जब आपने नाम ही जोड़ दिया तो सैन्टर को प्रेस कीजिये कि सेवन्थ फाइव ईयर प्लान में हमारी सारी राजस्थान कैनाल कम्पलीट हो जाय। यह सैकण्ड डिफेन्स लाइन है, नई कल्चर देने वाली है। इसके साथ ड्रिन्किंग वाटर का आपने इन्तजाम किया है, 500 क्यूसेक की जगह 1200 क्यूसेक कर दिया। जो इर्रीगेशन स्कीम आपने जोड़ी है वह तो मालूम नहीं कब कम्पलीट होगी, अभी 70-80 लाख रुपया प्रोवाइड कर पाये हैं, कुल मिलाकर प्रोवाइड आपने कर दिया है। मैं आज नहीं कहना चाहता था कि इसमें कितने फेल्योर आपसे होंगे, 90 पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी करने के बाद कितना इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा आयेगा और कितना एरिया कवर कर पायेंगे। उस वक्त राजस्थान कैनाल का पता, सारा सिस्टम पूरा हो पाता क्या? आप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड नहीं करते। हमने प्रोवाइड किया था यह सारा पानी। ड्रिंकिंग परपज के लिये प्रोवाइड किया था। पशुपालन के लिये एक

(श्री केदारनाथ शर्मा)

विशेष बेल्ट बनाने की हमने स्कीम्स बनाई थी 5-7 किलोमीटर ताकि जब भी अकाल पड़े उसकी ग्रेविटी कम की जाय, पशुधन बचाया जाय। वह भी इन्तजाम किया था। मैं इसलिए निवेदन करता हूं आपकी मार्फत कि किसी ढंग से रेशनल बेसिस हो तभी नाम जोड़ें।

दूसरा निवेदन यह है स्पेशल असिस्टेन्स आपको मिल जायगी। जब इन्दिराजी का नाम जोड़ ही दिया तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी इसको नेशनल प्रोजेक्ट तो आप एलान करवा दें। जब नाम ही इन्दिराजी का जोड़ दिया आपने तो उसके नाम के बाद भी कमी आये पैसे की, उनके नाम के बाद भी देरी हो, इसके बीच में गड़बड़ ज्यादा हो, काम ठीक ढंग से चले नहीं, तो मेरे ख्याल से इन्दिराजी के नाम के साथ, आप कोई ज्यादा शान जोड़ने वाले नहीं हैं। उनके नाम का उल्टा असर न पड़े, एडवर्स इफेक्ट न हो। यह आपको देखना है। इतने शब्द कहते हुए जो मैंने प्रस्ताव पेश किया है अध्यादेश को निरस्त करने का, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय मैं परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 11, सन् 1984) को अस्वीकार करता है।"

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने राजस्थान नहर का नाम बदलने का जो अध्यादेश जारी किया है उसका मैं विरोध करता हूं। राजस्थान मंत्रिमण्डल को भी इस पर विचार करना चाहिये। जिन दिनों यह अखबार में खबर आई उस दिन मुझे एक एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर मिले। उन्होंने कहा कि राजस्थान नहर के इंजीनियरों को बदनाम कर रखा था, कम से कम नाम बदल दिया तो कुछ दिन तो हम बदनामी से बचेंगे। राजस्थान नहर में जो भी इंजीनियर हैं वे चोर हैं, बदमाश हैं, हेराफेरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, इस बदनामी से तो हम बच जावेंगे। जब तक यह नया नाम लोग बागों की जुबान पर चढ़ेगा, याद रखेंगे तब तक हम रिटायर हो जायेंगे, अगले देखेंगे और खायेंगे। तो इससे भी कोई लाभ नहीं होने वाला अगर आप इसका नाम इन्दिराजी के नाम के ऊपर रख देते हैं।

दूसरा यह भी सोचिये कि आज के दिन आम आदमी राजस्थान नहर के बारे में किस प्रकार की बातें करते हैं, यह तो साहब इतना बड़ा बखेरा खड़ा किया राजस्थान नहर में काम करके उसकी ऐसी तैसी करेंगे। इसके साथ में यदि दूसरा नाम ये जोड़ देते हैं और इसी प्रकार के अगर शब्द प्रयोग करेंगे तो स्वर्गीय नेता का कोई नाम नहीं होगा उल्टा अपमानित करने वाली बात होगी हमारे लिये। इस नहर में पानी किस प्रकार आता है यह सब जानते हैं। इस राजस्थान नहर के सिस्टम खेती करना तो दूर रहा लोगों को पन्द्रह पन्द्रह दिन, एक एक महीने तक पानी नहीं मिलता। उस वक्त राजस्थान नहर का नाम लेकर गालियां निकालते हैं। वह गालियां भी किस नेता के नाम पर

149

(श्री देवीसिंह भाटी)

आयेंगी, यह भी आप सोचें। अगर आपको कुछ करना ही था और राज्य सरकार को यह नाम रखना ही था तो आप उसके लिए अलग से संसाधन जुटाते, जोड़ते और उसके बाद में कोई नई नहर निकालते तब तो कोई बात होती। बना बनाया खेल है, किसी ने तो इसका निर्माण किया, किसी ने इसकी योजना बनाई, योजना बनाने वाले के ऊपर अगर शुरु में इसका नाम रख देते, तो बड़ी अच्छी बात होती, जवाहरलाल नेहरू के नाम के ऊपर रख देते या गोविन्द वल्लभ पन्त ने इसका उद्घाटन किया था, उनके नाम से रख देते।

अब राजस्थान प्रदेश के नाम से जो इसका नाम है, उसके पीछे क्यों पड़े हो ? आप तो हर जगह जो भी इन्स्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं हर एक व्यक्ति विशेष के नाम से उसको जोड़ते जा रहे हो। कुछ तो राजस्थान का अपना भी रहे। क्या राजस्थान का नाम ही आप मिटाना चाहते हैं ? राजस्थान के नाम पर सिर्फ यह रह जायेगा, सरकार की हर जगह यही चर्चा होगी, भ्रष्टाचार फैला या गबन या कबाड़ा हुआ इस पर जरूर राजस्थान का नाम सर्वोपरि रह जायगा। इस प्रकार की नहर बन रही है, ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है अगर उसके साथ आज यह नाम जोड़ते हैं तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। इससे स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम बदनाम ही होगा, अच्छा नहीं होगा। मैं तो यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप कृपया लोगों की भावनाओं को समझते हुए और गम्भीरता से सोचते हुए इसका नाम राजस्थान नहर ही रखें तो अच्छा है। सिर्फ कागजात के अन्दर नाम बदलने और नाम पट्ट बदलने के अन्दर इतना समय वर्बाद कर दिया और लाखों रुपये व्यर्थ में गंवा दिये, इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। इतना ज्यादा आज कार्य ऑफिस में चल रहा है कि सारे इसी काम में लगे हुए हैं। नाम बदलेगा, इसके लिए यह लिखना है, वह नाम पट्ट लगाना है, नहर के ऊपर यह लिखना है, इसी काम में सारे इन्जीनियर लगे हुए हैं। अगर नाम से ही कुछ प्रगति हुई नजर आती है तो आप जरा बता दें मुझे, सिर्फ नाम बदल देंगे इससे राजस्थान नहर शीघ्र दो वर्ष में या तीन वर्ष में पूरी हो जायगी ? बज्जू के पास में राजीव गांधी आये और आर. डी. 945 से पानी छोड़कर गये और कहा कि जैसलमेर और बाड़मेर तक हम पानी छोड़ने जा रहे हैं। आज तक सिर्फ 16 बीघा में पानी लगा और एक बीघा में फसल पकी तो इस बात में कुछ सार नहीं है। अगर आपको कुछ करना है राजस्थान नहर का भला करने के लिये तो उस काम में लगें। सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, महज बदनामी होगी। जो आज राजस्थान नहर के नाम पर ऐसी तेजी की बात करते हैं या कहते हैं, राजस्थान नहर पर पानी नहीं मिलता है तो गालियां निकालते हैं राजस्थान नहर के ऊपर व उस नेता के नाम पर निकाली जायगी। इसलिए मेरा तो निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार करे। यह गलती न हो तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने राजस्थान कैनाल के नाम को इन्दिरा गांधी

(श्री हरिदेव जोशी)

कैनाल नाम देने का जिन तर्कों के साथ विरोध किया है मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं कि संसार में भारत ही ऐसा देश नहीं है जो इमोशंस के अन्दर अपने नेता के नाम के साथ किसी स्थान का नाम जोड़ता हो बल्कि एक कृतज्ञ देश यदि अपने नेता के प्रति किसी प्रकार की भावना प्रकट करता है तो कोई गलती नहीं करता है। राजस्थान के पास में राजस्थान नहर से बडा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, इन्दिरा गांधी के समकक्ष नेता का नाम जिसके साथ में जोड़ा जा सकता।

आज मैं इस बात से सहमत हूं कि राजस्थान नहर का नाम इन्दिरा गांधी नहर रख देने से इन्दिरा गांधी के व्यक्तित्व में अथवा प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि होती हो, ऐसी बात नही है। यह तो हमारी ही भावनाओं की बात है। इन्दिरा गांधी की प्रतिष्ठा उनके कृत्यों से, इस देश और विदेशों में जो उन्होंने असर छोड़ा है। इसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष स्वीकार करेगा कि वो संसार के अन्दर एक अनपेरेलल नेता रही, उन्होंने इस देश का नाम उज्जवल किया और उनकी यशोकीर्ति संसार के अन्दर व्याप्त रही। इन्दिरा गांधी के व्यक्तित्व से भारत ही नहीं बल्कि संसार भी प्रभावित हुआ। यह पहला उदाहरण नहीं है संसार के अन्दर कि किसी बनी हुई चीज का नाम अथवा बन रही चीज का नाम किसी मृत के नाम के साथ में जोड़ा गया हो मैं अभी बैठा-बैठा याद कर रहा था केनेडी के मरने के बाद उनके सक्सेसर ने जिस ऐरोड्रम के ऊपर केनेडी के पार्थिव शरीर को उतारा गया उसका केनेडी ऐरोड्रम रखा, क्यों रखा? इससे तो कोई केनेडी का व्यक्तित्व बनता नहीं था। केनेडी जो छाप अमेरिका के ऊपर छोड़ गये, एक एरोड्रम का नाम रखने में कोई वो नहीं था। मगर उस समय यह भावनाएं पैदा हुईं उस आदमी के मन में, इसलिए उन्होंने इस नाम का प्रस्ताव किया और सारे कृतज्ञ देश ने उस चीज को बगैर किसी विरोध के स्वीकार किया। मैं ऐसा समझता हूं कि इन्दिरा गांधी का व्यक्तित्व आज बहस का विषय नहीं है। इन्दिरा गांधी का नाम जो है इन्दिरा गांधी की नीतियों से, इन्दिरा गांधी के कामों से हम में से कइयों को विरोध हो सकता है, कइयों को नाराजगी हो सकती है मगर यह अनडिस्प्यूटेड फेक्ट है, एक तथ्य है कि इन्दिरा गांधी जैसी नेता जिस देश को मिली वह देश अपने आपको सौभाग्यशाली समझेगा, अपने आपको बड़ा समझेगा, भाग्यशाली समझेगा। इसलिए अगर राजस्थान कुल जैस्चर में राजस्थान कैनाल का नाम इन्दिरा गांधी कैनाल करता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि बिफिटिंग है. इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। किसी ने एक प्रकार से यह बात कही, किसी ने दूसरे प्रकार से कही। सवाल तो यह है कि हमारे पास में जो कुछ भी था उसका नाम हमने इन्दिरा गांधी नहर रखा है। अब हमारे पास में छोटी चीज थी उसका रखा है जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कैनाल है, रास्ते में आती है जवाहरलाल नेहरू कैनाल जब यहां से दिल्ली जाते हैं तो सवाल यह नहीं है। जिसको जिस समय जो सूझा, उसको किया और ऐसे व्यक्तित्व के पीछे किया जो व्यक्तित्व महान था जिसकी सब पार्टियों ने, इस देश के ही नहीं संसार के सारे राष्ट्रों

(श्री हरिदेव जोशी)

ने भूरि-भूरि प्रशंसा की और उनकी क्षति को संसार की क्षति माना। इन्दिरा गांधी ने इस देश को प्रतिष्ठा दिलाई है। उसी देश के लोग अगर उनकी मृत्यु के बाद में एक छोटे से स्मारक के रूप में जिस चीज को रखा जाये उसके बारे में दूसरी प्रकार की बात करें तो वह बिफिटिंग नहीं है। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि जो प्रस्ताव रखा है उसको मेहरबानी करके वापिस ले लें तो मैं इसे उपयुक्त समझूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्री मोहन प्रकाश : श्रीमती इन्दिरा गांधी क्यों नहीं रखा ? इन्दिरा गांधी ही खाली है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री हरीश शर्मा, श्री देवीसिंह भाटी और श्री यदुनाथ सिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किये गये।

विधेयक को विचारार्थ लेने के लिए प्रस्ताव कीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) विधेयक, 1985 विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) विधेयक, 1985 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने समझ कर बात कही थी, मंत्री महोदय ने ध्यान नहीं दिया। जो सुपुत्र होते हैं जो सुपौत्र होते हैं वह पिताजी की सम्पत्ति को बढ़ाते हैं, यश को बढ़ाते हैं, क्या फर्क पड़ जाता यदि आप एक और नई नहर बना कर उसका नाम इन्दिरा गांधी नहर रखते, क्या अन्तर पड़ता यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया जाता और उसको यह नाम दे दिया जाता।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह जो मुख्य मंत्री जी ने ऐरोड्रम का नाम केनेडी ऐरोड्रम देने की बात कही, पुराना नाम —

एक माननीय सदस्य : आपने भी इंदिरा मार्केट का नाम बिहारी बाजार रखा था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मैसूर के एक बहुत अच्छे इन्जीनियर के बारे में निवेदन करती हूं एक डैम का नाम विश्वेशरिया के नाम पर रखा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जिन्होंने खूब बिजली और पानी दिया मैसूर स्टेट को। इसी तरीके से वास्तुकला के नाम पर कोई आप अगर बनाते राजस्थान के अन्दर तो आप यह नामकरण कर देते पर आपने तो कैनाल का नाम बदल दिया। मैं यह देख रही हूं पिछले कई दिनों से कि कोई नया काम करने की आपकी नीयत नहीं है और यही कारण है कि स्वर्गीय रामकिशोर जी व्यास का जब देहावसान हुआ तो उनके नाम के लिए यू. आई. टी. के पुराने भवन का नाम रामकिशोर व्यास नाम रख दिया। हम तो कहते हैं कि आप अगर कोई दूसरा नया भवन नहीं बना सकते तो हमें कहते हम चन्दा करके बनाने को तैयार हैं। इन्दिरा गांधी के नाम पर इन्दिरा बाजार, इन्दिरा कालोनी, इन्दिरा सर्किल रखा। बार-बार उसी को रिपीट करने से अच्छा नहीं लगता है। हम स्वर्गीय आत्मा का बड़ा आदर करते हैं, पर उनके उत्तराधिकारी जो हैं, मैं कहना च हूंगी, इन्दिरा गांधी का नाम इस नहर के रखना चाहते हैं जिसके लिए मैंने पहले यहां विध न सभा के अन्दर एक प्रश्न किया था और जिसके उत्तर में यह लिखा हुआ मुझे मिला कि दस इंजिनियर सीमेंट की चोरी के मामले में पकड़े गये और कई अधिकारी अनियमितता करते पाये गये। राजस्थान नहर के बारे में जब यह लोग पढ़ेंगे तब इन नामों की भी चर्चा होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इंदिरा गांधी नहर में अनियमितता हो रही है। भ्रष्टाचार तो स्थाई रहने वाला है, यह जायेगा नही यह आपने बार-बार उद्धृत किया।

(5-10 म.प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं यह कहना चाहती हूं कि इसका नाम आप शेतानसिंह या किसी अन्य के नाम पर अलग ही रखते तो जो गन्दगी है उसकी बू इसमें नहीं आती। मैंने बहुत ही अच्छा सुझाव रखा था, अभी पिछले दिनों एक किसी राजनेता ने यहां तक कहा था कि हम तो उन दिनों जेल में थे पर जब इतना सब कुछ हो गया और जब यह पर्यायवाची हो गया तब इसको इस तक सीमित रखने की क्या जरूरत थी, यह मेरी समझ में नहीं आता। आप जनता से पूछ लेते राजस्थान नहर का नाम बदलने जा रहे हैं जो राजस्थान नहर नाम बरसों से पड़ा हुआ है, लोगों की जुबान पर पड़ा हुआ है दूसरा नाम आसानी से चढ़ने वाला नहीं है। मेरा आग्रह है कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसको आप जनता की राय जानने के लिए तीन महीने के लिए परिचालित कर देते। जनता क्या चाहती है इसको जानने हेतु इसे तीन महीने के लिए परिचालित कर दिया जाये। इसके उपरांत भी मैं आपको कहना चाहूंगी कि किसी का नाम घसीटने की चेष्टा मत कीजिए। उनके नाम पर खर्चा करके आप कोई नया स्मारक बना सकें तो जरूर बनायें हम आपका पूरा-पूरा सहयोग करेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। श्री हरीश शर्मा।

(153)

श्री दिग्विजय सिंह : आपको बधाई देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। बहुत आभारी हूं।

श्री यदुनाथसिंह : हमारा ध्यान रखियेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बार मुस्करा तो दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप कहेंगे कि चेयर पर बैठकर मुस्कराना नहीं चाहिए।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है, मैंने लिखकर दिया। मैंने समय मांगा है।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) विधेयक, 1985 को 6 माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक को 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए निवेदन किया है। वह इसलिए किया है कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य आज इस बारे में बिलकुल मौन हैं। छोटी-छोटी बातों पर तो बड़ी आवाज उठाते हैं लेकिन जब कैनाल का नाम बदला जा रहा है तो वह मौन हैं।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। जो हमारे माननीय सदस्य महोदय हैं वह जब धीमे बोलते हैं तो हमें समझ में आता है, लेकिन जिस रूप में बोलते हैं, हमें उनके शब्दों को....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये। क्या तकलीफ है उन्हें. आसन को पता है। हरीशजी, कृपया बोलिये।

श्री हरीश शर्मा : मेरी आवाज खराब है।

श्री यदुनाथसिंह : जो नये सदस्य आये हैं सदन में, उपाध्यक्ष महोदय, उनको आप सूचना दे दें या मैं दे देता हूं कि माननीय सदस्य बहुत अच्छे वक्ता थे, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना होने की वजह से....

श्रीमती हमीदा बेगम : मुझे कहते शर्म नहीं आती कि मुझे मालूम नहीं था। मुझे ज्ञात हो गया है। मुझे कोई आब्जेक्शन नहीं है। Please.

श्री यदुनाथसिंह : इसलिए उनकी आवाज खराब हो गई है, जल्दी ही वह ठीक हो जायेगी फिर देखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता निर्णय करेगी कि राजस्थान का नाम रहे या मिटे। विधान सभा नहीं कर पायेगी, जनता निर्णय करेगी। मुझे आश्चर्य है कि आज जो राजपूती खून है, युवा हैं, जिनका लाल खून है, उनकी जवानी कहां चली गई। जिन्होंने राजस्थान के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया था, उनको कोई पदवी देते। उन्होंने अपने बच्चे दे दिये, पत्नी दे दी। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस नहर में घोटालेबाजी हो रही है, अभी दो

(श्री हरीश शर्मा)

दिन पहले मेरे सवाल का जवाब दिया था कि 15 इंजीनियर सस्पेंड किये गये। उनके नाम दिये, सूची दी पूरी और आज भी यह इसका नाश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि आपका क्या यह पहला उद्देश्य है राजस्थान नहर का निर्माण कर, भ्रष्टाचार को रोक कर खेतों को पानी देना है या केवल मात्र नाम से ही अपनी कुर्सी को कायम रखना है ? उपाध्यक्ष महोदय, राजनीति कितनी निम्न हो गई है कि अपनी कुर्सी की खातिर राजस्थान का सौदा कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता। मैं तो साफ कहना चाहता हूं यह बहुत गम्भीर मामला है। हो सकता है कि बहुत से लोग नाराज हों, किन्तु यह अपनी मां का सौदा है। राजस्थान मेरी मां है, मैं तो मां मानता हूं, पूजता हूं। यह देश मेरी मां है, मैं इसका बेटा हूं, कोई सन्देह नहीं है इसमें। जो इसको मां नहीं मानता है अपनी, वह कभी इसकी पूजा नहीं कर सकता। वह कभी साफ नीयत पर चल नहीं सकता। मैं तीन-चार सवाल करूंगा। भाटी साहब, क्या राणा प्रताप बेवकूफ थे, क्या कुम्भा बेवकूफ थे, क्या पद्मिनी बेवकूफ थी जिसने जौहर की ज्वाला जला दी, क्या शक्तावत और चूड़ावत बेवकूफ थे जो अला-उद्दीन से लड़े थे ? इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। राजस्थान का एक-एक नागरिक पूछेगा, हर राजपूत पूछेगा जिसने राजस्थान का इतिहास पढ़ा है। वह हर जवान पूछेगा जिसने राजपूतों के लडने का इतिहास पढ़ा होगा। दुर्गादास हुए थे, पन्ना धाय का नाम सुना होगा पन्ना धाय ने उनको साफ कहा था।

श्री देवी सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य सो रहे हैं, कृपया उन्हें जगाइये।

श्री उपाध्यक्ष : भजन कर रहे होंगे।

एक माननीय सदस्य : यह बड़ी गम्भीरता से सोच रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, हां कृपया।

श्री हरीश शर्मा : मैं तो उसकी अन्तिम लाइन बता देता हूं। जो प्रदेश में जन्म लेने वाले है उनका जब काम करोगे तब समझेगी। इनका काम पड़ेगा तब समझूंगी कि मैं माय हूं, मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। अगर इतना काम नहीं किया तो मैं समझूंगी कि मैं तो खुद बांझ रह गई। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कोख खाली हो गई है वीरों से, क्या सबने खो दी हैं भुजाएं, सब अपाहिज हो गये हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर राजस्थान की भूमि से रत्ती मात्र भी आपको प्यार है, आपके दिल के अन्दर रत्ती मात्र भी यह प्यार बचा है कि यह नहर मेरे लिये पूजनीय है तो इस राजस्थान नहर के नाम को मत मिटाइये। आप इस विधेयक को जनमत जानने के लिए भेजिये। जनता जो निर्णय दे उसको मान लें। बस इतना ही मैं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगन्नाथ।

(अनुपस्थित)

श्री हरजी राम बुरडक।

(श्री उपाध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का नाम जहां लिया जाता है वहीं प्रतीक रूप में हिन्दुस्तान में नहीं, दुनिया के हर क्षेत्र में यह समझा जाता है कि यह वीरों की भूमि है। राजस्थान का अपना एक इतिहास है । यह हमारे पूर्वजों की थाती है । इसी को पहले राजपूताना कहते थे और आज राजस्थान कहा जाता है । मैं समझता हूं कि इन्दिरा जी के नाम पर नहर का नाम रखना कोई आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन राजस्थान का जहां नाम आता है वहां बुनियादी लोग जो हिन्दुस्तान के कोने-कोने में बसते हैं, वह नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं राजस्थान की भूमि को । हमारे पूर्वजों ने राजस्थान कैनाल को बनाया तब कोई ऐसा भाव नहीं था । उस समय भी महान पुरुष थे, उस समय अनेक भारतीय इतिहास के व्यक्ति थे जिनके नाम पर राजस्थान कैनाल का नाम रखा जा सकता था, लेकिन आश्चर्य है कि आज राजस्थान की जो अपनी थाती है, राजस्थान का अपना इतिहास है, उसको झुठलाकर और एक नेता, जो महान हैं, सबने जिनकी महानता को स्वीकारा है, इन्दिरा जी के नाम पर रखेंगे । तो सबको छोटापन महसूस होगा ।

मैं आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं, मेरा जो प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाये उसे स्वीकार किया जाय सारे लोगों के पास यह भेजा जाय कि राजस्थाम के नाम को हटाकर दूसरा नाम रखा जा रहा है । हम जनमत के आधार पर राजस्थान की सरकार को झुकाने का प्रयास करके इस पर विचार करेंगे और माननीय भाटी जी और गुलाबसिंह जी शक्तावत जैसे जो दो व्यक्ति बैठे हैं इनको भी पुन: सोचने का अवसर मिलेगा । मैं समझता हूं कि अध्यादेश द्वारा राजस्थान कैनाल का जो नाम बदला गया है इसको रोक कर राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) विधेयक, 1985 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय, यह मेरा प्रस्ताव है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र जाट ।

(अनुपस्थित)

श्री दिग्विजय सिंह ।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव, करता हूं कि "राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) विधेयक, 1985 को तीन माह के लिये जनमत जांच हेतु परिचालित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये इसमें इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार शायद इस समय ज्यादा भावुक हो गयी है । अच्छा होता वह इतनी जल्दी नहीं करती और इसको जनता का मत जानने के लिए, जनता की मंशा जानने के लिए भेज देती । जनता की बात सामने आ जाती उसके बाद आप विचार रख देते कि मंत्रिमण्डल में निर्णय कर लिया गया है कि इसका नाम राजस्थान कैनाल से बदल करके इन्दिरा गांधी नहर करने जा रहे हैं । इसलिए मैंने भी एक प्रस्ताव आपके समक्ष रखा

156

(श्री दिग्विजयसिंह)

है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, बात तो मैंने पूर्व में कह दी मुझे यह पता है कि ट्रेजरी बेन्चैज के पास वोट ज्यादा हैं। हम जो बात कहेंगे उसके ऊपर यह गौर नहीं करेंगे, इसलिए कहना व्यर्थ समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी कृपया उत्तर दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिन्होंने संशोधन नहीं दिये हैं वह भी विचारार्थ प्रस्ताव पर बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : काफी हो चुका है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं साहब, विचारार्थ प्रस्ताव पर तो बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट लीजिए आप।

श्रीमती हमीदा बेगम : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी दो मिनट का समय मांगा था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको मेरे बाद में मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष का यह विषय नहीं है।

श्रीमती हमीदा बेगम : अच्छा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह विधेयक लेकर आज माननीय मंत्री जी यहां पधारे हैं मैं यह समझता हूं कि जिस समय माननीय माथुर साहब के मंत्रिमण्डल ने फैसाला किया था उस समय तीन बातों की अनदेखी की थी। पहला तो यह किया कि अध्यादेश जारी करने का जो सरकार का अधिकार है उसका सरासर दुरुपयोग किया गया है, उपाध्यक्ष महोदय। अध्यादेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब राज्य विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी हों कि जिनका तुरन्त निराकरण करना जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार राज्यपाल से यह निवेदन करती है कि अध्यादेश जारी किया जाये। यह सही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की उस समय हत्या हो गयी थी लेकिन नामकरण का कोई ऐसा काम नहीं था कि अध्यादेश उस समय अगर सरकार जारी नहीं करती तो कोई विपत्ति या पहाड़ टूटने वाला था। राजस्थान नहर का नाम बाद में बदला जा सकता था। लेकिन सरकार ने पहला पहला काम यह किया कि अध्यादेश जारी करने के अधिकार सरकार को दिये गये हैं उन अध्यादेश जारी करने के अधिकारों का सरासर दुरुपयोग किया और एक तरह से इसका मजाक बनाया।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी की महानता में या उन्होंने जो देश को नेतृत्व दिया उसमें किसी को अविश्वास नहीं हो सकता। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, बात सोचने की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह है कि इस राजस्थान से इस प्रदेश में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी महान हो बड़ा नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, जब भगवान राम लंका गये थे तो उनको कहा कि लंका में रहिये।

अति स्वर्णमयी लंका !
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपिवगरिय सी

इन्दिरा जी महान थीं लेकिन इन्दिरा जी राजस्थान की जनता से बड़ी नहीं हो सकतीं। राजस्थान की धरती की मां नहीं हो सकती। अगर इन्दिरा जी का नाम इसके साथ जोड़ा जाता है तो इन्दिरा जी के नाम पर अगर चर्चा होगी तो आपातकाल की परिस्थितियों की भी चर्चा होगी। उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा जी के नाम पर चर्चा होगी तो 19-19 महीने तक जिन लोगों को बिना मुकदमा चलाये जेलों में बंद किया था उनकी भी चर्चा होगी। इन्दिरा जी का नाम जो राजस्थान के साथ जोड़ा जा रहा है यह राजस्थान की भूमि के साथ एक प्रकार का अन्याय किया जा रहा है। राजस्थान नहर राजस्थान की एकता का प्रतीक बनकर रह गयी थी, उपाध्यक्ष महोदय। क्या इन्दिरा जी ने इस नहर को शुरू किया था ? माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो एक बात कही केप केनेडी की। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि केप केनेडी वह स्थान है जहां से राकेट ऊपर भेजे जाते हैं आकाश में, वह छोड़े जाते हैं। वह उनकी मृत्यु के पश्चात वहां की सरकार ने बनाया था। मैं पूछना चाहता हूं कि कुल मिलाकर इन्दिरा जी के काल में केवल 40 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार से मिला और 436 करोड़ से ज्यादा रुपया हमने उस समय खर्च किया सुखाडिया जी जिस समय मुख्य मंत्री थे। राजस्थान कैनाल के लिए केन्द्रीय सरकार अगर सारा का सारा अनुदान देती, इस नहर को बनाने के लिए अगर इन्दिरा जी ने कोई काम किया होता, या केन्द्रीय सरकार सारा का सारा धन लगाकर राजस्थान कैनाल के लिए इन्दिरा जी देती तो समझ में आता कि इन्दिरा जी का नाम रखा जाता। यह सब नहीं किया तो फिर किस बात के ऊपर उनका नाम रखा गया ? उपाध्यक्ष महोदय, एक ही बात के लिए रखा गया था उस समय × × × होड़ चल रही थी कौन मुख्य मंत्री कितना ज्यादा कर लेगा। श्री शिवचरण जी माथुर के ध्यान में इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा इस प्रशस्ति गान के अन्दर अपना भी नाम लिखाओ। तो प्रशस्ति गाने वालों में अपना भी नाम लिखाने के लिए इन्दिरा नहर नाम कर दिया।

अभी माननीय भारद्वाज जी ने कहा कि आपने बिहारी मार्केट नाम लिख दिया था। इन्दिरा मार्केट फिर दुबारा कर दिया। अगर नाम बदलने की यह परम्परा चलेगी तो इसका मतलब यह होगा कि राजस्थान की सरकार ने काम तो किया नहीं केवल नाम बदलने का काम करती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको...

श्री उपाध्यक्ष : ज़रा संक्षेप में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले नाम उदयपुर विश्वविद्यालय था। उदयपुर विश्व-

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विद्यालय का नाम बदलकर कृषि विश्व-विद्यालय किया । फिर मोहनलाल जी सुखाडिया का देहान्त हो गया तो उसका फिर नाम बदला गया और मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उसका नाम कर दिया गया । यह नाम बदलने की एक्सर-साइज हो रही है । पहले बिहारी मार्केट था फिर नाम बदलकर दुबारा इन्दिरा मार्केट नाम कर दिया ..

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : पहले इन्दिरा मार्केट नाम था उसको बदलकर आपने बिहारी मार्केट कर दिया था और फिर उसको इन्दिरा मार्केट करना पड़ा....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, पहले इन्दिरा मार्केट था फिर बिहारी मार्केट हुआ और फिर इन्दिरा मार्केट हुआ ।

श्रीमती हमीदा बेगम : आप राजस्थान की दुहाई दे रहे हैं लेकिन 1977 के अन्दर मंत्रि परिषद की मीटिंग बुलाकर आपने पांच लिफ्ट योजनाओं जो कि रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए थीं, बन्द करने की बात क्यों की थी ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जवाब दे रहा हूं माननीय बेगम साहिबा ।

यह नहीं है कि नहर का सारा काम ठप्प करने की योजना बनाई गई थी । जिस समय माननीय नरेन्द्र सिंह जी भाटी थे मिनिस्टर उन्होंने उस नहर का सारा का सारा प्लानिंग बदलने की चेष्टा की थी । राजस्थान की विधान सभा में इसका विरोध हुआ इसके कारण से राजस्थान नहर का जो वर्तमान प्रारूप है वह प्रारूप बना का बना रह गया । मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान नहर का नाम आज राजस्थान के स्वाभिमान के रूप में लिया जा रहा है और वर्तमान सरकार राजस्थान की उस स्वाभि-मान को ठेस पहुंचाकर व्यक्ति पूजा के रूप में एक व्यक्ति को राजस्थान से महान मानकर राजस्थान की सारी साढ़े तीन करोड़ जनता का अपमान करने पर उतारु हो रही है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को जैसा हमने संशोधन रखा है एक बार विचारार्थ जनता को भेजा जाये ।

श्रीमती हमीदा बेगम : उपाध्यक्ष महो-दय, अगर राजस्थान नहर को इन्दिरा गांधी नहर का नाम दिया जाता है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं । कांग्रेस सरकार ने यह चालू करवाई, इन्दिरा जी ने इसमें इन्ट्रेस्ट लिया और 40 करोड़ उन्होंने पैसा दिया । इससे नाम बढ़ेगा, घटेगा नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी जवाब देंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिस समय इन्दिरा जी शासन में नहीं थीं और शासन का क, ख, ग, घ, ङ भी नहीं जानती थीं उस समय राजस्थान नहर प्रारम्भ हुई थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय । इसलिए यह कहना कि इन्दिरा जी का इसमें योगदान था, उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यही है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसका मतलब यह है कि इन्दिरा जी ने इसके लिए क्या किया ? इसका नाम इन्दिरा गांधी नहर हो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसके लिए बहस हो जानी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी के टाइम में राजस्थान के अधिकारों की कटौती हुई। उस समय राजस्थान को जितने कोयले की जरूरत थी, राजस्थान को जितनी सीमेन्ट की जरूरत थी; पिछले 5 साल में, इन्दिरा जी के शासन काल में राजस्थान को सबसे कम सीमेन्ट और सबसे कम कोयले का आवंटन हुआ। एक तरह से राजस्थान नहर की गति को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया। केवल 40 करोड़ रुपया एडवान्स प्लान असिस्टेन्स में दिया गया। सवाल यह नहीं है कि इन्दिरा जी ने इसके लिए क्या किया, क्या नहीं किया. यह तो साफ है कि राजस्थान नहर राजस्थान की जनता के खून पसीने से बनी है लेकिन व्यक्ति पूजा के नाम पर अगर 3।। करोड़ जनता का अपमान करके राजस्थान का नाम मिटाकर इन्दिरा गांधी नाम करना चाहते हैं तो यह एक बहुत बड़ी ज्यादती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा .

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। इसका कोई अंत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट में समाप्त करता हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार देवकांत बरुआ ने कहा था Indira is India'। मैं कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के नाम पर राष्ट्र को नहीं जोड़ा जा सकता. प्रदेश को नहीं जोड़ा जा सकता। प्रदेश की पूंजी एक व्यक्ति से बड़ी है। क्या आज राजस्थान का नाम राणा प्रताप के नाम से नहीं जाना जा सकता ? राजस्थान को राणा प्रताप ने पूज्य माना है। हम राजस्थान प्रदेश का नाम राणा प्रताप प्रदेश नहीं कर सकते, दुर्गादास राठौड़ के नाम से राजस्थान प्रदेश का नामकरण नहीं कर सकते। तो मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की 3।। करोड़ जनता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए इन्दिरा नहर नाम करने पर राजस्थान की जिस जनता का पैसा लगा है उसके साथ धोखा है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को सरकार वापस ले या जनमत जानने के लिए भेजे।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा टाइम हमें भी दें।

श्री उपाध्यक्ष : अंत नहीं है इसका।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में कहा कि हमने भावनाओं के आधार पर यह नाम रखा। मैं तो इस प्रवृत्ति का ही विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कोई भी काम भावनाओं के आधार पर नहीं कर सकती, सरकार को हर निर्णय हक के आधार पर, जनता की भलाई के आधार पर लेना होता है। एक व्यक्ति के नाम से कोई भी नाम रखें यह सामन्तवाद का प्रतीक होता है। और जैसा अभी उन्होंने अमरीका का एक उदाहरण दिया। मैं अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को कोट करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। उन्होंने कहा था एक बार जब वे इनआगरल स्पीच दे रहे थे, "The nation has placed its destiny in the hands of its people."

(श्री नाथूसिंह)

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं उन्होंने अपनी इनआगरल स्पीच में यह कहा कि इस पूरे राष्ट्र ने इसका भाग्य यहां का करोड़ों जनता के हाथ में रख दिया। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं इस डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश में यह कांग्रेस जो अपने आपको लोकतांत्रिक प्रणाली की प्रतीत बताती है, इस देश को आजाद कराने वाली संस्था बताती है इसमें सामन्तवाद कहां से आ गया? मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह भावना जारी रही तो कल को गंगा नदी का नाम भी बदला जायेगा, यमुना नदी का नाम भी बदला जायेगा हिमालय का नाम भी बदला जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय सदस्यों, आप लोगों से पूछना चाहता हूं....

(व्यवधान)

तिवाड़ी जी, आपको तो एक ही काम से फुरसत नहीं है....

श्री रतनलाल ताम्बी : आप भी कान्स्टीट्यूएन्सी बदलते हो कि नहीं। वैसे ही बदल सकते हैं नाम तो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : जगदीशजी, आप तो पता नहीं क्या बदलते हो, मैं तो कान्स्टीट्यूएन्सी बदलता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : मैं आपकी तरह का कान्स्टीट्यूएन्सी नहीं बदलता।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो तीन-तीन शादियां करवाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पुराने जमाने में जब राजा कोई काम कराया करते थे तो उस राजा के नाम से उस चीज का, उस कार्य का नाम रखा जाता था। यह सामन्ती प्रवृत्ति है। आज जब देश में लोकतंत्र है तो आखिर जनता को श्रेय मिलना चाहिये। मैं यह नहीं चाहूंगा जो व्यक्ति है उसके नाम से रखें। जनता के नाम से रखें, प्रदेश के नाम से रखें। आखिर राजस्थान का हिन्दुस्तान के नक्शे में कहां नाम आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या कोई एक भी ऐसी चीज बनी हुई है जिससे राज्य का नाम हिन्दुस्तान में रोशन होता हो। केवल एक राजस्थान नहर ही ऐसी थी जिससे राजस्थान का नाम हिन्दुस्तान में जाना जाता, विश्व में जाना जाता, उसको आपने छीन लिया। यह राजस्थान की जनता के गाल पर तमाचा है, उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिये मैं इसका विरोध कर रहा हूं। आपने और कोई काम तो किया नहीं। आप स्वयं जानते हैं, आप पण्डित हैं, नामकरण संस्कार कब होता है। जब कोई नई चीज प्रारम्भ करें या कोई नई चीज पैदा हो। लेकिन इनको नामकरण संस्कार का पता नहीं है। यह तो जो चालू चीज है उसका नाम बदल रहे हैं स्थान-स्थान पर। आप नया प्रोजेक्ट बनाते, हमें खुशी होती। आप दूसरी नहर राजस्थान में निकालते और उसका नाम इन्दिरा जी के नाम से रखते, हमें खुशी होती। आप दूसरा विश्व-विद्यालय खोलते, सुखाडिया जी के नाम से उस विश्व-विद्यालय का नाम रखते तो हमें खुशी होती। कोई नया प्रोजेक्ट लाते और किसी नेता का नाम रखते। लेकिन जो पुराने नाम हैं उनके बदलें यह

(श्री नाथूसिंह)

प्रवृत्ति रही तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस लोकतांत्रिक प्रणाली में बार बार सरकारें बदलती हैं, आप एक नेता के नाम से रखेंगे दूसरी सरकार आयेगी वह उस नेता के नाम को बदलेगी और दूसरे नेता का नाम रखेगी वह चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो। क्या यह प्रवृत्ति अच्छी है ? इस नाम बदल से कितना रुपया खर्च हुआ है ? इस पैसे का प्रयोग उस राजस्थान नहरें बनाने में करते तो अच्छा होता। माननीय भाटी जी, आपको मालूम है राजस्थान नहर को सीमेंट नहीं मिला, कोयला नहीं मिला और उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल में राज्य विधान सभा इस बात की गवाह है राजस्थान नहर भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुकी है। रामसिंह जांच रिपोर्ट का मामला मैंने स्वयं कई बार उठाया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सूक्ष्म में।

श्री नाथूसिंह : उस मामले में कई इंजीनियर्स दोषी पाये गये। उन इन्जीनियर्स को बचाने का प्रयास किया गया। अच्छा यह होता कि आप उन भ्रष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते कोयला प्रोवाइड करते, सीमेंट की व्यवस्था करते राजस्थान नहर को जल्दी से जल्दी पूरा करते। आज स्थिति यह है राजस्थान नहर, जिसका नाम बदल रहे हैं, 1995 से पहले पूरी नहीं होगी। 1962 से यह चल रही है। उपाध्यक्ष जी, इन्दिरा जी एक इन्टरनेशनल लीडर थीं, जैसा यह लोग कहते हैं और अब तो इन्दिरा जी को विश्व का नेता बना दिया....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट समय नहीं रहा, नहीं तो स्पेस की नेता भी उनको बताने की कोशिश करते। मैं इस नाम बदलने का विरोध करता हूं। लेकिन आप बदलेंगे, मुझे मालूम है क्योंकि आपके पास बहुमत है। हमें भी इस बात का पता है, उस बहुमत के आधार पर सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। लेकिन चाहे आप नाम बदलें, इन्दिराजी को जैसे आप इन्टरनेशनल लीडर मानते हैं, इन्टरनेशनल लीडर के नाम से इस नहर का नाम रख रहे हैं तो यह इन्टरनेशनल प्रोजेक्ट के इक्वलेंट माना जाये। अब इन्टरनेशनल प्रोजेक्ट के इक्वलेंट रखेंगे तो उसी आधार पर इन्टरनेशनल की सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये। जो प्रायेरिटीज दी जाती हैं, जितना धन सेन्टर उसको देता है, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय और यह सरकार प्रयास करके केन्द्र से उतना पैसा प्राप्त करके इस प्रोजेक्ट को उसी गति जैसी इन्टरनेशनल प्रोजेक्ट को मिलती है, आगे बढ़ायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ सरकार की यह, जो प्रवृत्ति है जो यह भावना है, जिस अन्धी भावना के आधार पर सरकार चल रही है, भावना अन्धी नहीं होनी चाहिये, जिस अन्धी भावना के आधार पर जो नाम परिवर्तन कर रहे हैं मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती पुष्पा जैन।

एक माननीय सदस्य : सुश्री।

श्री उपाध्यक्ष : करेक्ट करता हूं।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : उपाध्यक्ष

(सुश्री पुष्पा जैन)

महोदय, अभी चूरू से आने वाली मोहतरमा फरमा रहीं थीं कि इस राजस्थान नहर को कांग्रेस ने चालू किया है लिहाजा कांग्रेस जैसा चाहे उसका नाम रखेगी। मैं उनकी बुद्धि की दाद दूं या क्या करूं यह यहीं छोड़ दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं, आपकी जब पैदाइश हुई थी इस राजस्थान की धरती पर, राजस्थान की जननी ने आपको जन्म दिया था उसका भावात्मक रिश्ता आज भी आपके मन में कहीं रोमांच पैदा करता होगा। उस समय इन्दिराजी नहीं थीं। श्रीमती इन्दिरा गांधी से आपका रिश्ता बाद में जुड़ा। इस धरती पर जन्म लेते ही इस राजस्थान की धरती से आपका रिश्ता पहले जुड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के खून-पसीने का एक-एक पैसा इस राजस्थान की नहर पर लगा हुआ हैं और लग रहा है। लिहाजा राजस्थान की जनता और राजस्थान नहर का भावात्मक रिश्ता है, एक आत्मिक रिश्ता है। आज स्वर्ग में बैठी हुई श्रीमती इन्दिरा गांधी आपसे ऐसा कभी नहीं चाहेंगी कि इस राजस्थान का नाम उनके नाम से जोड़कर कलंकित करो, इस राजस्थान की धरती पर राजस्थान नहर के नाम को इन्दिरा नहर रख दें। मैं समझती हूं कि यह कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा को बहुत बड़ा आघात पहुंचा रहे हैं। यदि आप वास्तव में इन्दिरा गांधी के सच्चे भक्त हैं, वास्तव में आप चाहते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम अमर रहे तो, मंत्री महोदय, मैं आपको धोरांरी धरती की याद दिला कर कहना चाहती हूं कि जिस जननी ने आपको जन्म दिया उस जननी के साथ विश्वासघात मत कीजिये, इन्दिरा गांधी इस तरह से खुश नहीं होंगी। एक बार पहले आपसे कोई नाखुश हुआ था उसका तो इनाम आपको मिल चुका है। दुबारा इस तरह का गुनाह मत कीजिये। मैं आपकी बड़ी शुभचिन्तक हूं, इतना आपको विश्वास दिलाती हूं। मंत्री महोदय, राजस्थान की जनता और राजस्थान नहर के बीच एक भावात्मक रिश्ता है। श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम जोड़ने से वह भावात्मक रिश्ता टूट जायेगा और इस राजस्थान की जनता का बहुत बड़ा अपमान होगा। आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस राजस्थान की नहर पर राजस्थान की जनता का पहला अधिकार है, कांग्रेस का दूसरा अधिकार है और उसके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी का अधिकार है। उस अधिकार के नाते मैं आपसे कहना चाहती हूं इस राजस्थान की धरती से आपका जननी से भावात्मक रिश्तों को याद दिलाकर कहना चाहती हूं, आपकी आत्मा आपको झकझोरेगी, अगर एक पल भी आपके मन में अनुभूति हो, वास्तव में इस राजस्थान की धरती से आपका कोई रिश्ता हो तो भगवान के लिये ऐसा गुनाह मत कीजिये तभी आप श्रीमती गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ जायेगा। श्रीमती इन्दिरा गांधी का इतना बड़ा व्यक्तित्व है इस देश के लिये, एक राजस्थान नहर से उसका नाम जोड़ दें तो आप क्या समझते हैं कोई बहुत बड़ा कमाल कर लेंगे आप। इस राजस्थान में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, अब तो आपकी सरकार आई है हम तो आपसे ऐसी आशायें लगाये बैठे हैं, न जाने कितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आप राजस्थान में लायेंगें और राजस्थान की

(सुश्री पुष्पा जैन)

जनता का उद्धार करेंगे। तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्दिरा गांधी का लेबल न लगाइये और उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दीजिये लेकिन जो राजस्थान की जनता और राजस्थान की नहर के बीच में आत्मिक और भावनात्मक रिश्ता है उस रिश्ते को खत्म करने का गुनाह मत कीजिये।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

बहुत हो गया। वही भावना है सबकी।

श्री मानिक चन्द सुराणा (लूणकरणसर) : मैं निवेदन करना चाहता हूं नाम के बारे में बहुत झगड़ा है और नाम पर बहुत विवाद है। मैं सिर्फ नाम पर नहीं जाना चाहता हूं। मै माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर नाम रखने के बाद भी राजस्थान का जो पूरा हिस्सा पंजाब से आने वाला है पानी का वह 7.6 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान नहर को मिलना चाहिये। यह जो हिस्सा है हमारे राजस्थान का 7.6 उसके हिसाब से 7.6 ही इस नहर को मिलना चाहिये। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस नहर में आज तक राजस्थान सरकार पंजाब से अपना पूरा हिस्सा लेने में असमर्थ रही है। नाम बदलने के बाद में कृपया इस बात का प्रयत्न कीजियेगा। राजस्थान का जो हिस्सा है, जिस नहर से इन्दिरा गान्धी का नाम भी जुड़ रहा है उस नाम को जोड़ने के बाद में भारत सरकार पर दबाव डालियेगा कि वह हिस्सा मिले। जो अप्रेल 1981 में भारत सरकार को आपने सुपुर्द किया और जिस पर भारत सरकार चार साल से लगभग सो रही है अब जगा लीजियेगा भारत सरकार को। जो हिस्सा है इस नहर का पंजाब के पानी में, उसको प्राप्त करने में आप पूरा प्रयत्न करेंगे तो यह आपका नाम बदलना भी सार्थक होगा, अन्यथा नाम बदलना भी सार्थक नहीं होगा।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो द्वितीय चरण बना रहे हैं नहर का, इस द्वितीय चरण को सीधा आप मोहनगढ़ ले जा रहे हैं मोहनगढ़ ले जाने के लिये यह जो आपने 150 किलोमीटर लम्बी नहर बना दी है सीधी, मोगल से लेकर सीधी नहर बना दी है उसके बीच में एक भी वितरिका, एक भी डिस्ट्रिब्यूटरी, एक भी माइनर आपने नहीं बनाई है। मोहनगढ़ नहर ले जाकर पांच हजार क्यूसेक्स पानी आप यदि वहां पहुंचा देंगे तो भी एक बूंद पानी का उपयोग इस द्वितीय चरण में नहीं होगा जब तक वितरिकायें नहीं बनेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यही मुद्दे की बात है। नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, यही रहने दें। आपके लिये इर्रेवेलेन्ट है क्योंकि आपकी कान्स्टीट्यएन्सी बहुत दूर है पर मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी का पार्ट है इसलिये यह मेरे लिये बहुत रिलेवेन्ट है कि उसका एक एक बून्द पानी किसान को मिले। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप नये मंत्री आये हैं इस नीति को बदलिये। जहां तक नहर बन चुकी है, जहां तक मेन कैनाल बन चुकी है वहां तक बीच-

(श्री मानिक चन्द सुराणा)

बीच बीच में डिस्ट्रिब्यूटरीज बनायें, वित-रिकाम बनायें। डिस्ट्रिब्यूटरीज के साथ माइनर्स बनाये ताकि उसका पानी खेतों में जा सके। जब तक आप इस नीति को अख्तियार नहीं करेंगे, सीधा पानी मोहनगढ़ ले जायेंगे तब तक राजस्थान नहर का पूरा पानी जितना हमको लेना है पंजाब से हिस्से का और जिसका रोज प्रश्न उठता है कि हमारे पास उपयोग की क्षमता नहीं है, उस उपयोग की क्षमता का तर्क भी हमेशा के लिये खतम करना जरूरी है। मोहनगढ़ के नीचे यह जो लीलवा का सिस्टम है जो डीगा का सिस्टम है जिसमें 50 प्रतिशत पानी का उपयोग हो सकता है आप उसको बनायें। चारण वाला को बनायें, बरसलपुर की नहरों को बनायें ताकि इसका पूरा उपयोग हो और इस नहर को बनाने के लिये जो 52 करोड़ रुपयों का इस साल आपने प्रावधान किया है उसका उपयोग किसानों के लिये हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने 5-5 लिफ्ट कैनाल्स की घोषणा कर दी। लिफ्ट कैनाल की घोषणा करके आपकी सरकार खुश है। माननीय उपाध्यक्ष जी, इन लिफ्ट कैनाल्स का उद्घाटन कर दिया गया लेकिन इस बजट में कोई प्रावधान किया कि आप लिफ्ट कैनाल को बनायेंगे? घोषणा आपने कर दी, नींव का पत्थर आपने रख दिया लेकिन बजट में प्रावधान नहीं किया कि लिफ्ट कैनाल को बनायेंगे। आपने उद्घाटन तो कर दिया, नींव लगा दी। आपने जैमनसर में नींव लगा दी लेकिन बजट में पैसा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लिफ्ट कैनाल की घोषणायें करना ही काफी नहीं, लिफ्ट कैनाल को बनाना जरूरी है।

इसके साथ ही साथ राज्य सरकार से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह दामोदर वैली अथारिटी बनाई थी, उसी तरीके से राजस्थान कैनाल की अथारिटी बनाना जरूरी है। यह राजस्थान कैनाल बोर्ड अलग कमांड एरिया डवलमेंट का अलग मिनिस्टर, कोलोनाइजेशन का काम अलग, यह जो विभेद है इससे काम नहीं चलेगा। जिसके पास नहर है उसको यह पता नहीं कि कमांड एरिया कितना है। नहर का मन्त्री अलग और कमांड एरिया डवलपमेंट का मिनिस्टर अलग, कोलोनाइजेशन का मिनिस्टर अलग। जो समस्या नहर को बनाने और कमांड एरिया के डवलपमेंट में आयेगी, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि कौन से माननीय मन्त्री महोदय उस पद को सुशोभित करें लेकिन इन तीनों विभागों राजस्थान नहर, कमांड एरिया डवलपमेंट और कोलोनाइजेशन इनको एक मन्त्री के नीचे रखें और एक कोआर्डिनेटिंग अथारिटी, एक हायर अथारिटी इन तीनों विभागों को राजस्थान कैनाल अथारिटी के नाम से बनायें। और किसी नाम से बनायें लेकिन इसका सारा कामकाज एक की देख-रेख में चले तभी कोई सिंथेसिस समीकरण उत्पन्न हो सकेगा। अन्यथा, उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने राजस्थान कैनाल के चेयरमैन से बात की कि अनूपगढ़ शाखा में पानी नहीं चल रहा है तो उन्होंने मुझे कहा कि इस बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कमांड एरिया डवलपमेंट कमिश्नर,

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सी. ए. डी. का कमिश्नर इस बात को देखेगा कि वितरण प्रणाली कैसी है, पानी कब जायेगा किस तरफ जायेगा और किस मात्रा में जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विभेद है, इस विभेद को खत्म करना है। यह नीतिगत प्रश्न है और इस पर राज्य सरकार को चिन्तन करना चाहिए। यह जो विभेद की नीति है इसको निश्चित रूप से समाप्त करना चाहिए। इसमें कई तरह की बातें आती हैं। कमांड एरिया के डवलपमेंट के साथ में आपने पत्थर बन्दी कर दी मोगा बन्दी कर दी। कागजों में आपने सब कुछ कर दिया लेकिन मौके पर पत्थर बन्दी नहीं है, मोगा बन्दी नहीं है। माननीय कोलोनाइजेशन मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उपनिवेश विभाग जहां यह मोगा बन्दी कागजों में हो गई उसको आधार ले लेता है कि हम अब पुख्ता आवंटन करेंगे। जिनके एक एक-साल के नवीनीकरण है, नवीनीकरण रोक दिये गये। सैकड़ों, हजारों की तादाद में नवीनीकरण रोक दिए गये सिर्फ इस आधार पर कि कागजों में मोगा बन्दी हो गई। मौके पर मोगा बन्दी नहीं है, पत्थर गड़ी नहीं है। उपनिवेश के अधिकारी संतुष्ट हैं कि वाकई में मौके पर कुछ नहीं हुआ लेकिन एक विभाग दूसरे विभाग को कहता है कि आप 55 लाख रुपया दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, डिस्कशन छोटा होना चाहिए, बहुत लम्बा चला गया। कृपया समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं केवल नीतिगत तौर पर निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि पत्थर गढी का सवाल है, कोलोनाइजेशन का सवाल है और नवीनीकरण का सवाल है। आखिर यह किसान इससे जुड़ा हुआ है इसलिए इन सारे मुद्दों को, तीनों समस्याओं को प्रआरिटी बनाकर हल करें। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं नीतिगत तौर पर कहना चाहता हूं कि राजस्थान नहर से राजस्थान के रेगिस्तान को रोकने का भविष्य जुड़ा हुआ है। 52 करोड़ रुपया जो खर्च कर रहे हैं, कितने साल में इस सैकन्ड फेज को पूरा करेंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सैकन्ड फेज को भी जल्दी से जल्दी कम्पलीट करना राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए जरूरी है। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। जितना हम भरसक प्रयत्न कर सकते हैं, सैकन्ड फेज की सारी डिस्ट्रिब्यूट्रीज पर हमको सबसे पहले जोर देना चाहिए। मेन कैनाल जहां तक बन चुकी है, उपाध्यक्ष महोदय, उनकी डिस्ट्रिब्यूट्रीज बने, उनकी माइनर बनें, उनके खाले बने, कमांड एरिया का डवलपमेंट हो तभी आपका नाम बदलने का काम सार्थक हो सकेगा।

इसी निवेदन के साथ में मैं अपने विचारों को, बातों को कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह कृपया दो मिनट में।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि सिर्फ

(166)

(श्री यदुनाथसिंह)

×××के लिये, सिर्फ ××× देश के गौरव को, देश के इतिहास को, देश के स्वाभिमान को तोड़ा जाय, नष्ट किया जाय, भ्रष्ट किया जाय। यह गलत परिपाटी होगी, उपाध्यक्ष महोदय, कि किसी नेता के नाम पर हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हमारे देश के मानूमेंट्स हैं, नाम इस तरह लगातार रखते चले जायं। मुझे खतरा नजर आता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि कल को कहीं गंगा का नाम सोनिया गांधी हो जाय, जमुना का नाम प्रियंका हो जाय, हिमालय का नाम राहुल गांधी हो जाय तो यह देश के लिये, हमारे इतिहास के लिये, जो गौरव है, उसके लिये बहुत ठेस की बात होगी। उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर राजस्थान नहर का नाम जोड़ना क्योंकि राजस्थान नहर पर लगभग एक हजार करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, हम अपनी जेब से पैसा खर्च करते चले आ रहे हैं इतने लम्बे अरसे से, केवल 40 करोड़ रुपया राजस्थान कैनाल को सेन्ट्रल असिस्टेन्स का मिला है यानि उनकी रूचि इस राजस्थान कैनाल में थी यह इसी से स्पष्ट होता है। जिनकी राजस्थान कैनाल में कोई रूचि नहीं हो, जिन्होंने राजस्थान कैनाल को पैसा केन्द्र से दिया नहीं हो, उनके नाम पर राजस्थान कैनाल का नाम रखना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राजस्थान कैनाल आज पर्याय बन चुकी है, उपाध्यक्ष महोदय, किसान के खेत की बरबादी की। एक तरफ खेत सूख रहे हैं, खेत तबाह हो रहे हैं, दूसरी तरफ खेत डूब कर तबाह हो रहे हैं। किसान या तो फसल सूखने से तबाह हैं या फसल डूबने से तबाह हैं। यह क्या विसंगति है राजस्थान कैनाल की? उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो पीने के पानी को तरस रहे हैं। फसल खड़ी खड़ी सूख रही है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े भू-भाग में जमीन के ऊपर पानी भरा हुआ है उसकी वजह से खेती बरबाद हो रही है, जमीन बरबाद हो रही है। इन विसंगतियों के रहते आप राजस्थान कैनाल का नाम इन्दिरा गांधी पर रखिये लेकिन आप यह परिपाटी अच्छी नहीं डाल रहे हैं। राजस्थान के नाम को बदलें कितने शर्म की बात है। सद्बुद्धि दी आपको कि आपने अपने आपको यहीं तक सीमित रखा। क्या पता, उपाध्यक्ष महोदय, यह ज्यादा प्रभावित हों और ज्यादा ××× किसी आने वाले नेता की करना चाहें और राजस्थान का नाम ही कहीं इन्दिरा गांधी प्रदेश रख दें। तो यह हमारे और हमारे देश के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाने वाली बात होगी। इस तरह की परिपाटी हमें नहीं डालनी चाहिये। आज राजस्थान कैनाल में किस प्रकार का भ्रष्टाचार है? आप राजस्थान कैनाल के लिये केन्द्र से सीमेन्ट ले नहीं पाते, राजस्थान कैनाल के लिए कोयला ले नहीं पाते। राजस्थान कैनाल की मिट्टी उठाने-डालने में आज भ्रष्टाचार है, राजस्थान कैनाल का कोयला आज बेचा जा रहा है, राजस्थान कैनाल में आज सीमेंट के लिए जिन चीजों का उपयोग किया जा रहा है चाहे वह कोई भी चीज हो, टाइल-सीमेन्ट से लगाकर कोई भी चीज हो वह चीज घटिया स्तर की उसमें लगायी जा रही

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री यदुनाथसिंह)

है और आप सिर्फ उसका नाम बदलकर संतुष्ट होना चाहते हैं यह उचित बात नहीं होगी। इसलिए जो राजस्थान का गौरव है प्रदेश की जो गौरवपूर्ण परिपाटियां हैं, इतिहास है, वह खण्डित न हो, उस इतिहास को बचाने के लिए मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि उसको सद्बुद्धि आये और वह इसका नाम राजस्थान कैनाल ही रहने दे। किसी एक मन्त्री का नाम रख दीजिए "इन्दिरा गांधी मंत्री", जिनका ज्यादा संबंध है। तो ये डिपार्टमेंट रहेगा "इन्दिरा गांधी डिपार्टमेंट।" जी हां, खोल दीजिए। तो यह अच्छी × × × परिपाटी आप कभी भी पनपा नहीं पायेंगे। देश में आपको चारों तरफ नेहरू और कमला और फिर इन्दिरा गांधी राहुल गांधी नजर आते हैं जैसे इस देश में किसी और आदमी का वजूद नहीं है। यह अच्छी परिपाटी नहीं होगी। इतिहास को खण्डित करने की बात होगी इसलिए सरकार को सद्बुद्धि आये और इसका नाम जो है वही रहने दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंह जी।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : इधर के लोगों को भी मौका दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लक्खन ही नहीं हैं बोलने का।

एक माननीय सदस्य : नाम दीजिए न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से यह मामला विवादास्पद नहीं होना चाहिए। स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति इस सदन की ही नहीं पूरे देश की भावनायें हैं। पूरे देश ने उनकी हत्या की निन्दा की है और पूरे देश ने उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अच्छा होता कि राज्य सरकार उनके नाम को विवादास्पद बनाने की कोई कार्यवाही नहीं करती। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उस विधेयक के उद्देश्य और कारणों का कथन यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें राजस्थान सरकार ने स्वर्गीय मन्त्री प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में राजस्थान नहर का नाम 'इन्दिरा गांधी नहर' किये जाने के लिये लिखा है, "समस्त लिखतों, करारों, संविदाओं, अनुबन्धों, सनदों पट्टा–विलेखों, समस्त अन्य दस्तावेजों तथा लम्बित कार्यवाहियों में पढ़ी जायेगी और तदनुसार अर्थ लगाया जायगा।" अब इस उद्देश्य के लिए आर्डिनेन्स इश्यू किया। आर्डिनेन्स में लिखा है, 'राजस्थान विधान सभा का सत्र नहीं था और मामला अत्यावश्यक तथा लोक महत्व का था।" उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय प्रभारी मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह मामला लोक महत्व या अत्यावश्यक था क्या, जिसके कारण सरकार को एक आर्डिनेन्स इश्यू करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, ईमानदारी से कोई भी आदमी यह विचार करेगा तो इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि न तो मामला लोक महत्व का था और न यह मामला अत्यावश्यक था। अगर नाम बदलने का ही निर्णय सरकार ने ले लिया तो विधान सभा में विधेयक प्रस्तुत करके भी किया जा सकता था। विधेयक को जन-

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मत जानने हेतु परिचालित करने के पश्चात् भी किया जा सकता था। इन्दिरा गांधी का नाम एक दिन में ही इस देश से मिटने वाला नहीं है। इन्दिरा गांधी के प्रति जो देश में भावनायें जुड़ी हुई हैं वे कोई 2-3 महीने में समाप्त होने वाली नहीं हैं। कांग्रेस के नेताओं को शायद यह भय हो गया हो कि इन्दिराजी का नाम रखने का मौका यही है उसके बाद में शायद विस्मृत हो जाय और लोग इस बात को पसन्द नहीं करें, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि इन्दिरा गांधी के प्रति भावनाओं के साथ जो सही श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए उस प्रकार की स्थिति में काम नहीं करती। उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक कारण और भी है कि आज राजस्थान कैनाल का सम्बन्ध केवल राजस्थान के राज्य से नहीं है। राजस्थान कैनाल का नाम इन्टरनेशनल ट्रीटीज में आया हुआ है। 1960 में जो वर्ल्ड बैंक का अवार्ड मिला जिसके ऊपर इन्टरनेशनल ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी में राजस्थान कैनाल का नाम रहेगा। आपने कोई कानून भी बना दिया तो उस ट्रीटी से राजस्थान नहर का नाम नहीं हटेगा, वहां इन्दिरा गांधी का नाम प्रतिस्थापित नहीं होगा। उसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब

(म. प 5-55)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

पार्टीशन एक्ट बना उस पंजाब पार्टीशन एक्ट में भी राजस्थान कैनाल का नाम आया है। वह एक सेन्ट्रल एक्ट है। राजस्थान की सरकार या राजस्थान की विधान सभा कोई भी कानून बनाकर उस सेन्ट्रल एक्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि सैन्ट्रल एक्ट में तो राजस्थान कैनाल का ही नाम रहेगा, इन्टरनेशनल ट्रीटीज में राजस्थान कैनाल का ही नाम रहेगा, बनेगा हरियाणा के जितने भी विधि-विधान इस सम्बन्ध में बने हुए हैं उनमें नाम राजस्थान कैनाल चलेगा, पंजाब में जितने भी विधि-विधान इस सम्बन्ध में बने हुए हैं उनमें भी राजस्थान कैनाल चलेगा और जम्मू-कश्मीर में भी इस सम्बन्ध में कानून बना हुआ है उस कानून में भी राजस्थान कैनाल का नाम रहेगा। अब सवाल यह आता है कि हम अपने कानून में राजस्थान कैनाल का नाम परिवर्तन कर दें। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को तो शायद इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि हमें नाम परिवर्तन करने के लिए विधान सभा में कोई विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा और यह उसी का कारण है आर्डिनेन्स इश्यू करने के दो दिन पहले केबिनेट ने फैसला किया और उस फैसले के आधार पर 7 नवम्बर, सन् 1984 को एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। यह आर्डिनेन्स तो है ? तारीख का और सरकार ने नाम बदल दिया 7 तारीख को। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि आर्डिनेन्स की आवश्यकता थी तो आपको किसने अधिकार दिया था कि आप 7 तारीख को नाम बदल लें। आपने अपनी इस विज्ञप्ति में लिखा हैं, राजस्थान नहर का नाम तुरन्त प्रभाव से "इन्दिरा गांधी नहर" रखा जाता है।" इस सरकार को किसने अधिकार दिया था कि आप इस प्रकार की विज्ञप्ति निकालकर राजस्थान कैनाल का नाम बदल दें ? राजस्थान कैनाल का नाम बदलने का जब

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

फैसला हुआ, उसके बाद में चर्चा हुई कि जब तक इसके सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बनेगा, नाम नहीं बदला जा सकता। उसके बाद आर्डिनेन्स लाने का डिसीजन लिया गया। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आर्डिनेन्स से नाम बदलकर यदि इन्दिराजी की प्रतिष्ठा को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया है तो राजस्थान की सरकार ने पहुंचाया है। इन्दिरा जी को यदि पूछा जाता और आज मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री राजीव गांधी को भी इस बात के लिए पूछा जाय कि इन्दिराजी का नाम बदलने के लिए क्या आर्डिनेन्स की आवश्यकता है तो हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री इतने समझदार अवश्य हैं कि राज्य सरकार को सलाह देंगे कि इन्दिरा जी के नाम के साथ आर्डिनेंस लाने की कोई आवश्यकता नहीं है और आर्डिनेन्स के द्वारा उनका नाम नहीं बदला जाय। यह आज भी उनकी राय होगी। लेकिन इस समय तो सरकार शेर की सवारी कर चुकी। सरकार को यह भी डर लगता है कि यदि शेर की सवारी से नीचे उतरे तो शेर खायेगा और यदि शेर पर बैठे रहे तो भी शेर खायेगा। मन में मैं समझता हूं कि कोई भी बुद्धिमान आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि हम इन्दिरा जी का नाम नहर के साथ जोड़ने से इन्दिरा जी के प्रति कोई श्रद्धांजलि के रूप में कर रहे हों या इन्दिराजी का हम सम्मान बढ़ा रहे हों या इन्दिरा जी की प्रतिष्ठा ऊंची कर रहे हों। मैं समझता हूं, इन्दिरा जी की प्रतिष्ठा इतनी ऊंची है कि राजस्थान कैनाल से उनका नाम जोड़ा जाय या नहीं जोड़ा जाय उसको करने से उनकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगाने वाले नहीं हैं। लेकिन हमने एक गलती कर दी और उस गलती को आज दुरूस्त हम करना चाहें तो करने की राजस्थान सरकार में हिम्मत नहीं है। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री से ही सलाह ले लें कि इस कैनाल का नाम बदलकर क्या हमें इन्दिरा गांधी नहर करना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह आपको कभी सलाह देने वाले नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार करते, इतनी जल्दी क्या थी। हमने राजस्थान में कई प्रोजेक्ट लिये हैं। आपको पता होगा गांधीसागर हमने बनाया। उसको बनाने के पहले जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैं उसमें उसका नाम गांधीसागर है। उसके बाद हमने राणा प्रताप सागर बनाया। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में राणा प्रताप सागर का नाम है। आगे हमने जवाहर सागर बनाया उस रिपोर्ट में जवाहर सागर का नाम है। आज अगर आपको नाम बदलना था और हमें किसी प्रोजेक्ट के साथ इन्दिरा गांधी का नाम जोड़ना था तो राजस्थान में बहुत से प्रोजेक्ट थे जिन प्रोजेक्ट्स को कोई हमने विशेष नाम से अलकृत नहीं किया है। नाम से चलते तो आज माखड़ा कैनाल का नाम बदला जा सकता था। लेकिन राजस्थान का सम्बन्ध इस राजस्थान कैनाल से दो चार-वर्षों से नहीं है या राजस्थान कैनाल का निर्माण शुरू हुआ तब से नहीं हुआ। यदि आप राजस्थान नहर की सारी पत्रावलियों का अवलोकन करें तो महाराजा गंगासिंहजी ने जिस समय राजस्थान कैनाल की कल्पना की थी उस समय से राजस्थान कैनाल का नाम चला है। जिस समय स्वर्गीय पंतजी ने इसका

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उद्घाटन किया उस समय हमने कोई राजस्थान कैनाल या राजस्थान नहर का नाम दिया हो इस प्रकार की स्थिति नहीं है। महाराजा गंगासिंह जी की जितनी भी पत्रावलियां हैं उन पत्रावलियों में उन्होंने लिखा है कि इस नहर का राजस्थान और अन्य राज्यों में प्रभाव होगा इसलिए इसका राजस्थान कैनाल नाम दिया जावे। मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार की भावनायें इस सदन में व्यक्त की गई हैं मैं उनसे सहमत हूं कि राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का महत्व और इन्दिरा जी का इतिहास और इन्दिरा जी के महत्व के बीच में कोई तुलना की जाय तो मैं कह सकता हूं कि जो हिन्दुस्तान का पूरा पूरा इतिहास है इसमें से राजस्थान का इतिहास निकाल दें तो हिन्दुस्तान का कोई इतिहास नहीं रहेगा। राजस्थान का एक इतिहास है जिस इतिहास को लेकर हिन्दुस्तान का इतिहास आज गौरवांवित हो रहा है, हिन्दुस्तान का व्यक्ति गौरवांवित हो रहा है। आज राजस्थान के लोगों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है, देश को आजाद बना कर रखा है। देश के ऊपर विदेशियों का कब्जा नहीं हो जावे इसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। राजस्थान एक भावात्मक शब्द है और उस शब्द के साथ हम इन्दिरा जी को जोड़ कर इन्दिरा जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहें तो इसका दूसरा अर्थ यह होगा कि इन्दिरा जी की तुलना में हम राजस्थान का कोई महत्व नहीं समझते। मैं समझता हूं कि राजस्थान का महत्व यदि आप कम करने की कोशिश करेंगे तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इन्दिरा जी के प्रति आपकी भावनायें इस कदर सामने आयेंगी जिसके कारण से इन्दिरा जी या इन्दिरा जी का परिवार प्रसन्न हो जावें। मैं कहना चाहता हूं आप इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें। कोई चिंता की बात नहीं, आज अगर कानून बनाना चाहते हैं, तीन महीने बाद में यह कानून बना सकते हैं। मैं जनमत जानने की दृष्टि से केवल एक ही बात कह रहा हूं कि कम से कम इन्दिरा जी के परिवार के लोगों से तो आप पूछें, उनके परिवार के लोगों से तो इस बात की सहमति लें कि इन्दिरा जी की नाम राजस्थान का महत्व घटा कर इस कैनाल से जोड़ दिया जावे तो यह उचित होगा या नहीं होगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि आज कई जगह ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि जिन परिस्थितियों में लोग नाम जोड़ने की इतनी जल्दी करते हैं इतना तकाजा करते हैं कि जैसे कल तक हमने कोई नाम नहीं बदला तो हालत खराब हो जाएगी। मैं माननीय प्रभारी मंत्रीजी से एक बात कहना चाहता हूं, आप कानून से नाम बदल रहे हैं, भावना के आधार पर नाम नहीं बदल रहे हैं। आज आपके बाद कोई दूसरी सरकार आई और उस दूसरी सरकार ने अपने बहुमत का प्रयोग करते हुए फिर कानून रखा और कानून रख कर राजस्थान कैनाल का नाम वापस ले लिया तो हालत क्या होगी ? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति में भावनाओं के आधार पर कोई काम नहीं किया जावे और यह भावनायें इस प्रकार की हैं कि जिन भावनाओं से इस राजस्थान कैनाल के नाम को जोड़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, इस देश में हमने राजा-महाराजाओं का राज खतम किया। मैंने इसी विधान सभा में भाषण सुने हैं कि हम व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। यदि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा कोई बाधक तत्व है तो वह व्यक्ति पूजा है। यदि व्यक्ति पूजा होगी तो लोकतंत्र का विकास नहीं होगा। लोकतंत्र में सामूहिक लोकशक्ति का विकास होना चाहिए। उसमें व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होता। व्यक्ति पूजा का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन आपने व्यक्ति पूजा के आधार पर ये सारी व्यवस्थायें की हैं। मैं समझता हूं कि मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं जितनी भावनायें और जितनी श्रद्धा श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति आप लोगों की हैं उससे हमारी भी कम नहीं हैं। मैं इस आधार पर कोई जिक्र नहीं करना चाहता कि यह नाम देने से हमको ज्यादा पानी मिल जाएगा या नाम देने से ज्यादा कोयला मिल जाएगा या नाम देने से ज्यादा सीमेंट मिल जाएगी या भारत सरकार से हमको ज्यादा आर्थिक सहायता मिल जाएगी। इससे कोई अन्तर आने वाला नहीं है और इससे भी कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला कि इन्दिरा जी का नाम रहने के कारण इस राजस्थान कैनाल के निर्माण में भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और काम ठीक प्रकार से चलेगा। यह तो केवल नाम बदला है लेकिन नाम बदलने की स्थिति भी ठीक प्रकार से नहीं की गई। अगर नाम बदलना था और आपको यही नाम लाना था तो कम से कम राजस्थान में और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है जिन प्रोजेक्ट्स के साथ राजस्थान की भावनायें जुड़ी हुई नहीं हैं, हम उनका नाम इन्दिरा जी के नाम से जोड़ देते। इन्दिरा गांधी के नाम से उनको स्थापित कर देते, यह तो कुछ समझ में आ सकता था। लेकिन एक पुरानी व्यवस्था का परिवर्तन करने में हमने राजस्थान की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है राजस्थान के इतिहास को महत्वहीन बनाने की हमने कोशिश की है। इन्दिरा जी और राजस्थान के इतिहास, दोनों की तुलना करें, माटी साहब, तो किसी आधार पर मैं आपके मुंह से तो कम से कम यह सुनने की स्थिति में नहीं हूं कि राजस्थान का कोई इतिहास नहीं है। राजस्थान की भावनायें इससे जुड़ी हुई हैं, इन भावनाओं को आप ठेस पहुंचायें तो मैं समझता हूं कि स्वर्गीय इन्दिरा गांधी के प्रति आपने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, हमने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, आप उनकी उस श्रद्धांजलि के अनुसार आचरण नहीं करेंगे।

इसलिए मैं तो अभी भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा कोई भूकम्प नहीं आने वाला है, इस बिल को आप थोड़े से दिन पोस्टपोन कर दें। चाहे वह सलेक्ट कमेटी के नाम से पोस्टपोन कर दें, चाहे इसको पब्लिक ओपिनियन इलिसिट करने के नाम से पोस्टपोन कर दें लेकिन इस पर आप गम्भीरता से विचार करें। इस कैनाल का नाम कुछ रिकार्ड्स में राजस्थान कैनाल के नाम से रहेगा, कुछ रिकार्डस के अन्दर राजस्थान कैनाल की जगह इन्दिरा गांधी कैनाल रहेगा। आगे जाकर इससे कई काम्पलीकेशन्स हो सकते हैं। अलग अलग इण्टरप्रिटेशन हो सकते हैं। इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बिल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को वापस तो लेंगे नहीं, जैसा मैंने कहा कि आपने शेर की सवारी कर ली, न उतरने की हिम्मत है और न चढ़ कर इस पर सवारी करने की हिम्मत है। आप तो उसके मुंह से किस प्रकार से बचें उसका केवल मात्र एक ही तरीका है कि यह विधेयक पास करने की स्टेज अभी नहीं आए. भारत सरकार से आप इसकी अनुमति लें और लेने के बाद ही यह व्यवस्था करें।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में निवेदन करना चाहूंगी इस विधेयक के सम्बन्ध में। सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने अनेक बातें कही हैं उनके बारे में तो चर्चा नहीं करूंगी, प्रभारी मंत्री जी इसका उत्तर अपने स्तर पर देंगे। सिर्फ एक मुद्दे पर मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अनेक माननीय सदस्यों ने और खास तौर से पाली से आने वाली माननीय सदस्या ने जन्म देने वाली मां का हवाला देकर कहा कि इसे इन्दिरा के नाम पर न रखा जावे। इसकी बहुत पुरजोर अपील प्रभारी मंत्री जी से की। इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया के किसी भी छोर में कोई भी धर्म और जाति के लोग हों, जन्मदायिनी मां को अपने जीवन की शक्ति मानते हैं। इसको तो कभी भूला ही नहीं जा सकता। इस देश की धरा पर, इस देश की मरु भूमि पर अन्य अनेक माताओं ने अपने पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया और इस धरा के साथ उनका जीवन-मरण सम्पर्क और सम्बन्ध जोड़ा। लेकिन महान् गर्मी से तपती हुई, बहुत बड़े बड़े टीलों से, आंधियों से भरी हुई उस राजस्थान की मरु भूमि को, इसके बेटे और बेटियों को बिना पानी के, बिना अनाज के और बिना जल के और बिना जीवन शक्ति के जब उस दूसरी मां ने देखा तो हिमालय की चोटी से भागीरथी को उतारकर मरु गंगा के रूप में उसी जन्मदायिनी मां की कोख में उस जलधारा को ला करके प्रवाहित करके जन्म दायिनी मां के साथ में जीवन शक्ति दायिनी मां ने भी एक बहुत महान् जीवन इस राजस्थान की धरती को दिया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जन्म देने वाली और जीवन शक्ति देने वाली मां में कहां अन्तर कर पायेंगे ? आप नहीं कर सकते हैं। उस जन्म देने वाली मां और जीवन शक्ति देने वाली मां का यह संगम इस देश की और इस राजस्थान की धरती पर बहता रहेगा और इस मरु की गर्मी को शीतलता, हरियाली और जीवन देता हुआ सदैव हमें छाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। इसलिए यह बिल्कुल असंगत नहीं है। बिल्कुल उनकी सीमा और उनकी उच्चता के अनुकूल है कि हम इन दोनों मां की शक्तियों और भावनाओं को और उनकी छाया को बराबर लेते हुए चलते चलें और इस विधेयक को पारित करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री जी। माननीय सदस्य, चुपचाप बैठ जांय।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं बीच में मौका दे दूंगा। प्रभारी मंत्री जी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (मंत्री, राजस्थान

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

नहर परियोजना): अध्यक्ष जी, जो राजस्थान नहर के नाम परिवर्तन की योजना थी उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी और मेरे बुजुर्ग साथी कमलाजी ने काफी भावात्मक स्थिति से और इमोशन से जो केबिनेट का का निर्णय था और जो कारण थे उसके पीछे, वह सदन के सामने पेश किये। मैं इन भावनाओं से बिल्कुल सहमत हूं। अभी दोनों तरफ से जो भावनाएं प्रकट की गई हैं और काफी कुछ कहा गया है सब्जेक्ट के विपरीत भी प्योरली इमोशनल ग्राउण्ड पर उसमें ज्यादा नहीं फंसते हुए मैं इस सब्जेक्ट को फैक्चुअली लेते हुए माननीय सदस्यों, विपक्ष के नेता महोदय ने जो बिन्दु रखे हैं उन पर ज्यादा जोर दूंगा। राजस्थान नहर जिसका नाम अभी अपन परिवर्तन कर रहे हैं, कर दिया है, उनके लिये आज मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सदन भारी बहुमत से अनुमति दे देगा।

आज राजस्थान नहर, इन्दिरा गांधी नहर इस एरिया में पश्चिमी राजस्थान में आई है। पश्चिमी राजस्थान का पुराना नाम थार डेजर्ट, मरू रेगिस्तान। अगर आप नाम पर ही पधारते हैं और विपक्ष के नेता महोदय ने तो शायद बिन्दु उठाने के लिए कहा, धमकी के रूप में नहीं कहा कि आज नाम परिवर्तन हो रहा है, कल इस इन्दिरा गांधी नहर का नाम और किसी नाम में परिवर्तन कर दिया जाएगा। इसी भावना से शेर का उदाहरण दिया। शेर पर चढ़े हुए हैं, हमारी हिम्मत नहीं कि वापस उत्तर जायं। केन्द्र से एक बार और बहस करें कि नाम परिवर्तन करें या न करें। हमारे युवा प्रधान मंत्रीजी का भी जिक्र किया कि अगर हम उनसे वापस पूछें तो शायद वह अनुमति नहीं देंगे। मैं तो सिर्फ आपको, विपक्ष के नेता महोदय, यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप इतिहास में ही पधारें तो आज से कुछ साल पहले, कुछ युग पहले राजस्थान राजपूताना कहलाता था और राजपूताना से पहले इस एरिया, प्रदेश या जो स्टेट थी और स्टेट्स के पहले अगर आप इन सब नामों में पधारें तो हरेक चीज की एक भावना होती है। यह आज जो ट्रिब्यूट पे की गई राजस्थान मंत्रिमण्डल के द्वारा, जो उन्होंने विज्ञप्ति का जिक्र किया, चूंकि विपक्ष के नेता महोदय हर समय काफी डिटेल में पधारते हैं और मेरा अनुभव है पिछले 5-6 साल का, फैक्ट्स अगर नहीं भी हों तो भी ऐसा पुरसते हैं कि एक बार तो अगले को मना लेते हैं। मेरा ख्याल है विपक्ष के नेता महोदय वह दिन याद करेंगे जब रामसिंह कमीशन का जिक्र यहां उठा था और इतने विस्तार में उन्होंने यहां पर पेश किया कि जब पूछा गया कि आपने इतने डिटेल में रामसिंह कमीशन की रिपोर्ट, जो इस नहर से ताल्लुक रखती है, पढ़ी है तो उसके कवर का कलर बता दीजिए, दूसरी चीज तो कही गई उनके पास सिर्फ उत्तर यही था कि तुम्हारे चेहरे जैसा रंग था। अब विज्ञप्ति और आर्डिनेंस के जो आपने बिन्दु उठाये....

(व्यवधान)

नाम वास्तव में बदला गया था विज्ञप्ति से 7 नवंबर को, आर्डिनेंस से नाम नहीं बदला। आर्डिनेंस बाद में इसलिए जारी किया गया कि जो एक्ट में प्रावधान करना था नाम का और अधिनियम में संशोधन किया जाय। उसके लिए जैसा आज नाथूसिंह जी

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

ने और भाई घनश्याम तिवाड़ी ने फरमाया, और केनेडी का कहा, लिंकन का जिक्र किया, नाथूसिंहजी को तो मैं अर्ज कर दूं—And I should, because you spoke in English, so I should reply you in English. अध्यक्ष महोदय, Lincon was a very great man and what he did say about his nation, I think it is a part of history and a part of historical record. And the emotions that he brought-out was the similar sort of emotions that we are bringing in front of you to-day. It is we are paying a tribute to that great lady, to that great national leader, who has contributed to the utmost that she had in her. you may say a lot of thing but I am sure that no greater tribute could be paid by the State of Rajasthan than this.

और घनश्यामजी तिवाड़ी, यों तो उनकी जनरल नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज तो इतनी है कि मुख्य मंत्री महोदय ने जो कैनेडी एयर पोर्ट का जिक्र किया, उनको आज की तारीख में यह पता नहीं कि कैनेडी एयर पोर्ट कहां है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कैंप केनेडी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह वापस आप अपनी बात को कमिट कर रहे हैं, अपनी इग्नोरेंस में। कैनेडी एयर पोर्ट तो है यू.एस. ए. के नार्थ ईस्ट में और कैंप केनेडी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वह है फ्लोरिडा में, जो कि साउथ में है।

एक माननीय सदस्य : समझ गये ना। योग्यता का परिचय दे रहे थे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आदरणीय मानिकचन्दजी के बारे में कहूं जब मैं इस सदन का सदस्य नहीं था, आप जनता पार्टी शासन में वित्त मंत्री थे, उस समय काफी कुछ पढ़ा था अखबारों के द्वारा और काफी रेस्पेक्ट थी। लेकिन आज रेस्पेक्ट तो है, मुझे अचंभा आ रहा है। मानिकचन्दजी साहब उस मंत्रिमण्डल के सदस्य थे, बाद में हुए, जो मंत्रिमण्डल उस समय का था और विपक्ष के नेता उस समय जनता पार्टी के नेता थे, आपने पश्चिमी राजस्थान के बारे में काफी विस्तार से कहा। पश्चिमी राजस्थान की प्रगति के लिए, थार डेजर्ट को कंट्रोल करने के लिए आपके मन में और माननीय भैरूंसिंह जी के मन में बहुत भावात्मक विचार हैं और आप बहुत कुछ उसका भला करना चाहते हैं। मैं इस सदन को सिर्फ इसलिए कुछ बताना चाहता हूं क्योंकि मेरे पक्ष के लोग हैं, मेरे पक्ष के जो सहयोगी हैं इसमें मेरा ख्याल है हमारे करीब 60 प्रतिशत विधायक नये हैं और मैं इन फैक्ट्स के मार्फत यह सूचना देना चाहता हूं, इन्फोर्म करना चाहता हूं कि थार डेजर्ट के लिए....

(व्यवधान)

नाथूसिंह जी, वह तो पार्टी की मीटिंग में हम बाद में करते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : थार डेजर्ट के

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

लिए मुझे पता है कि जैसे ही मैं पढ़ूंगा तो सबसे पहले विपक्ष के नेता महोदय फरमायेंगे कि बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। थार डेजर्ट के लिए जितने घातक डीसीजन, मैं पॉलीटीकली नहीं अर्ज कर रहा हूं, सन् 1977 से लेकर 1979 तक हुए माफ करना, कभी नहीं हुए। उस समय जनता पार्टी की सरकार पावर में थी। आज सौभाग्य है कि सन् 1976 में जो सदन के नेता थे, आज भी नेता हैं। जितनी लिफ्ट कैनाल की योजनायें पास हुई वह उन्हीं के समय में 76 में हुई उसकी ओर मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से ध्यान दिलाना चाहता हूं सदन का। 17 दिसम्बर, 1976 मंत्रिमण्डल की आज्ञा 21476 राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण के पुनरीक्षण के बारे में आयोजना विभाग के पूरक विज्ञापन संख्या–एफ–8/6/प्लान/74/पार्ट–2 दिनांक 17 दिसम्बर, 76 को मंत्रिमण्डल ने अधिकतम लिफ्ट 60 मीटर रख कर लिफ्ट स्कीमों के जरिये 2 6 लाख हैक्टेयर भूमि को इसके अन्तर्गत लाना सुनिश्चित किया था। मुख्य सचिव और राजस्थान नहर मण्डल के अध्यक्ष द्वारा भारत-सरकार और आयोजना आयोग से इस विषय में विचार-विमर्श करके इत्यादि। ये लिफ्ट कैनाल योजनाएं 17 दिसम्बर, 1976 को मन्जूर हुईं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किससे हुईं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मंत्रिमण्डल से। विपक्ष के नेता महोदय, आखिर एक सिस्टम होता है। आप भी जब नेता थे, आपको भी प्लानिंग कमशीन के सामने पधार पर आपकी जो योजना थी वो पास करवानी पड़ती थी। सन् 1976 के बाद में राजस्थान की राजनीति में एक परिवर्तन आया। प्लानिंग कमीशन को मौका किसने नहीं दिया वह मैं पढ़ना चाहता हूं।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ऑर्डर, आर्डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यदुनाथ सिंह जी, मैं जानता हूं अभी फार्मेलिटी के लिए इनका सहयोग दे रहे हैं मन में आपकी भावना नहीं है क्योंकि आपने इस बारे में मेरे से काफी चर्चा करली है।

श्री यदुनाथ सिंह : मुझे याद नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इससे ज्यादा क्या सौभाग्य होगा, भैरोंसिंह साहब, कि शिवचरण माथुर साहब के 9 नवम्बर, 1984 के उस निर्णय का मैं प्रभारी मन्त्री होकर सपोर्ट कर रहा हूं, उसका समर्थन कर रहा हूं यह हमारी पार्टी की ग्रेटनेस है। अध्यक्ष महोदय, समय लूंगा थोड़ा, आप माफ करेंगे : 11.2.78 राजस्थान नहर परियोजना विभाग के विज्ञापन संख्या: एफ-6/21 दिनांक 20 जनवरी, 1978 में वर्णित राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण का पुनरीक्षण संबंधी प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि सिंचाई आयोग के लिए राजस्थान नहर की खुदाई जिस चौड़ाई की की जा रही है उसे बदस्तूर चालू रखा जाये। बाद में जब श्री शिवरामन के साथ इस संबंध में विचार-विमर्श हो जायेगा तब आवश्यकतानुसार

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

विभाग द्वारा पुनः ज्ञापन विचारार्थ मंत्री परिषद को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

यह तो आपका 11,2.78 का है। अब 23.5.78 जब आप काफी एक्टिव थे, राजस्थान नहर परियोजना विभाग के ज्ञापन संख्या: प-6/21 राजस्थान मंत्रिमण्डल/78/भाग-4 दिनांक 21 मई, 78 पर विचार-विमर्श करके ज्ञापन में वर्णित राजस्थान नहर द्वितीय चरण की परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया और साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि लिफ्ट सिंचाई के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पुनः विचार किया जायेगा ....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पढ़ा हुआ माना जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : इसको पढ़ने के बाद में मैं तो आपको सिर्फ यही अर्ज कर सकता हूं कि लोगों को भ्रमित करना आपको जितना आता है मुझे नहीं आता है अपने भाषण से। अभी आपने जो कुछ किया है बीकानेर में उससे आप भली-भांति परिचित हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आज याद आती है माननीय मदेरणा साहब की। यह भी उनकी तरह धीमी गति के समाचार हैं....।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करेंगे मंत्री महोदय, उनसे मैं एक जानकारी करना चाहूंगा। बैठो आप भी। मैं तो आपसे इजाजत लेकर ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हुक्म फरमाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो मुझे यह बता दें कि राजस्थान कैनाल के बारे में आपने एक परियोजना बनायी थी उसका क्या हाल है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : भैरोंसिंहजी साहब इन अगले 5 सालों में आप देखेंगे कि हमारी पार्टी क्या-क्या करती है राजस्थान में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो पता लग गया। लेकिन आप जो कर रहे हैं, आपने एक बड़ा अच्छा पौधा तैयार किया था, उस पौधे का क्या हुआ ? दीमक खा गयी या है किसी के पास।

(व्यवधान)

पाइंट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कैनाल के संबंध में जो प्रस्ताव रखे गये उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, कैबिनेट के डिसीजन आप किस सीमा तक कान्फीडेन्सी मानते हैं, क्या आपने जिस समय ओथ ली थी उस बात को नहीं स्वीकार किया कि इस प्रकार के जितने भी

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

सीक्रेट्स हैं उन सीक्रेट्स को मेनटेन करने की बात करेंगे और क्या, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने किस परिपाटी के आधार पर केबिनेट के डिसीजन्स जो मेरे जमाने में लिए गए थे, को पढ़ा ? क्या मैं इस सदन में बैठ कर सुना सकता हूं या उनको यहां रख सकता हूं ? यह मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सदन में कई बार केबिनेट के निर्णय का रेफरेन्स आया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : रेफरेन्स आया होगा मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो केवल आपसे यह अनुमति चाहता हूं कि कहीं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या ब्रीच ऑफ ओथ यह न हो जाये, मैं केवल उस प्रोटेक्शन के मामले में आपसे कह रहा हूं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो माननीय सदस्य जो स्वयं यहां कहते हैं उनके सोचने की बात है। यह तो उनके सोचने की बात है जो केबिनेट के मेंबर हैं। वह सोचें इस बात को कि उनको क्या कहना है क्या नहीं कहना है। अध्यक्ष से इस पर आप क्या व्यवस्था चाहेंगे ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, केबिनेट के डिसीजन अखबारों में आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसमें अध्यक्ष से व्यवस्था क्या चाहेंगे। अध्यक्ष की व्यवस्था तो नहीं आयेगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की व्यवस्था इसलिए कि आपके सामने उन्होंने शपथ ग्रहण की है, गवर्नमेंट के सामने उन्होंने शपथ ग्रहण की है और जहां तक मैं समझ पाया हूं कि शपथ ग्रहण के सम्बन्ध में जितना मैंने अवलोकन किया है या अध्ययन किया है, मैं इस आधार पर चलता हूं कि केबिनेट की कुछ मैटर्स इस तरह के होते हैं, जो मैटर्स डिसक्लोज नहीं किये जायें। मैं इस मामले में इस नाते से नहीं कह रहा हूं....

(व्यवधान)

आप मेरी बात तो सुनिये...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति इस आधार पर नहीं होगी कि यह मसला एक बार भूतपूर्व राजस्थान केनाल मंत्री जी ने उठाया था और मैंने इसी सदन में कहा था कि केबिनेट के डिसीजन्स मेरे पास हैं। मैं उन डिसीजन्स को यदि यहां रखूं कि उस समय की केबिनेट ने क्या डिसीजन लिया था, केबिनेट ने लिफ्ट इरिगेशन के बारे में स्कीम बनायी और उसके ऊपर अपना निर्णय लिया, उस स्कीम का बैकग्राउन्ड क्या था, तो मैं समझता हूं कि सारी सही स्थिति सदन के सामने आ सकती है। मुझे उस समय कहा था कि केबिनेट के डिसिजन्स को इस प्रकार से डिसक्लोज नहीं किया जा सकता है। मैं यही चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरी मान्यता यह है कि केबिनेट डिसीजन्स को डिसक्लोज करना या नहीं करना है कितनी गोपनीयता रखनी है और कितनी गोपनीयता नहीं रखनी है, गोपनीयता की शपथ जो केबिनेट के सदस्य या मुख्यमन्त्री जी लेते हैं उसके आधार पर उनको फैसला करना होता है कि केबिनेट के अन्दर जो मैटर्स आये हैं उनको किस हद तक डिसक्लोज करना है और किस हद तक नहीं करना है। इस आसन से इस संबंध में क्या व्यवस्था दी जा सकती है।

श्री हरिदेव जोशी : इन बातों के संबंध में, अध्यक्ष महोदय, आपका कहना और सुझाव देना यह है कि माननीय मंत्री महोदय को यह कहना चाहिए था कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने पांच लिफ्ट की स्वीकृति दी थी जिसको कि जनता पार्टी की सरकार ने एबन्डन कर दिया था। यह बात कहनी चाहिए थी, दूसरी बात नहीं कहनी चाहिए थी, यह मतलब है, ना आपका ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मतलब नहीं है।

(व्यवधान)

मेरा मतलब यह है कि आपने बिना विचारपूर्वक, बिना फाइनेन्शियल प्रावधान किये, बिना तकनीकी राय लिये केवल वोट लेने के लिये पांच लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम केबिनेट के सामने रख दीं जाने लगे उस समय, जिस समय आपका पदार्पण हो रहा था उस समय।

श्री हरिदेव जोशी : सन् 1976 में पदार्पण हो रहा था ? सन् 1976 में ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?....हां उस समय आप तो आ गये थे।

(व्यवधान)

मेरी सुन लें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ज्यादा अच्छा हो, अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जितने निर्णय जोशी जी ने लिये वे सारे निर्णय, उनकी सारी पृष्ठभूमि सदन की मेज पर रखी जाय एक। जिस समय हमने परिवर्तन किया निर्णय में, परिवर्तन क्या किया, परिवर्तन और उसका जो केबिनेट के लिये मीमो बना हुआ है वह दोनों सदन की मेज पर रखा जावे तो इस सदन को ही नहीं पूरी राजस्थान की जनता को मालूम हो जायेगा कि आपने किस प्रकार के निर्णय किस आधार पर लिये थे और हमने किस आधार पर किस सीमा तक निर्णय बदले।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो यही कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार ने 1976 में यह सोचकर के कि राजस्थान कैनाल का पानी अगर थार रेगिस्तान में पहुंचाया जा सके, पीने का पानी और पशुओं के लिये भी अगर पानी पहुंचाया जा सके तो यह एक बहुत बड़ा काम और ऐतिहासिक काम होगा, और उसको करना चाहिए। अगर मैं उसके लिये कुछ कह सकता हूं तो यही कह सकता हूं कि दूसरी आने वाली सरकार ने इसकी उस भावना को नहीं समझकर के राजनैतिक दृष्टि से यह फैसला लिया कि वह जो लिफ्ट इरिगे-

(179)

(श्री हरिदेव जोशी)

शन की स्कीम थी उसकी पूर्ति नहीं की जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह उस समय के केबिनेट मंत्री बैठे हैं, यह असलियत बतायेंगे।

एक माननीय सदस्य : On a point of information sir

श्री अध्यक्ष : माननीय छंगाणी जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी): माननीय विपक्ष के नेता ने जो बात कही यहां पर वह बहुत हद तक सही नहीं है। इसलिये सही नहीं है कि लिफ्ट योजनाओं के बारे में जो शुरूआत हुयी वह 1972 के चुनावों के बाद ही शुरूआत हुयी। हम उस क्षेत्र के वाशिन्दे हैं हम पानी चाहते थे। हमारी लड़ाई शुरु हुई। प्लानिंग कमीशन इसके फेवर में नहीं था। उस समय लड़ाई इस बात की थी कि लिफ्ट का जो कोस्ट-बेनिफिट रेश्यो है, उसको माना जाय या ग्रेडिंग के आधार से पानी दिया जाय। इस लड़ाई को प्लानिंग कमीशन काफी हद तक आगे ले गया। यह भी सवाल उठा कि इरिगेशन की कोस्ट कितनी रहेगी, इन्टेन्सिटी क्या रहेगी? उस समय वर्ल्ड बैंक का एक कन्सेप्ट 200 प्रतिशत इन्टेन्सिटी का आया था, उस आधार से सारा प्लानिंग कमीशन घिरा हुआ था। यह भी बात उठी थी कि अगर लिफ्ट से सिंचाई की जाय तो जो सारे के सारे गांव लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत आते हैं, उनको गंगानगर की तरह एक सोश्योलोजिकल एक एनक्लेव बनाना चाहते हैं अगर गवार की बिक्री ही वहां ज्यादा है और इसी तरह की कोई प्रोब्लम पैदा हो तो सारी तरह की बातें हुयी थी। यह 72 से ही शुरु हो गया था। उस समय डी. पी. धर चैयरमैन थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन बैठा हुआ था, जिसके चैयरमैन नाथूराम जी मिर्धा थे और उसके जो सैक्रेटरी थे वे प्लानिंग कमीशन के मैम्बर भी थे। उस समय यह चर्चा चली और बहुत जोर से चली। उस समय मुख्य मंत्री हरिदेव जी जोशी थे। उस चर्चा का विषय यह था कि इसकी तकनीकी जांच की जाय। इस पर भी विचार हुआ कि आज पर्पज क्या है लिफ्ट इरिगेशन का? पर्पज पर भी डिसकशन हुआ बहुत जोर शोर से और कंवरसेन कमेटी का निर्माण हुआ। कंवरसेन के लिये आज माना जाता है कि वह विश्व का बहुत बड़ा इन्जीनियर है, यहां तक कि मिकोउल्टा की जो योजना है, उसके लिए भी वर्ड बैंक ने, और देशों ने उसी को मुकर्रर किया था। उन योजनाओं के आधार पर सिंचाई की योजनायें वहां पर बनायी जायं। कंवरसेन कमेटी की रिपोर्ट आयी। उसके बाद में उसकी सोश्योलोजिकल स्टडी वगैरह की रिपोर्ट आयी। उसका आधार यह माना गया कि इस एरिया की जो अर्थ-व्यवस्था है वह कृषि आधारित अर्थ व्यवस्था है, घाटे की अर्थ व्यवस्था है। तो सिंचाई की योजना, लिफ्ट इरिगेशन की योजना है, उसका पर्पज यह ही होगा कि जो खेती की घाटे की अर्थ व्यवस्था है, उसको बदलकर

(श्री मोहन छंगाणी)

के मिल्क और मटन इकानामी की व्यवस्था की जायेगी। यहां पर न तो 200 इन्टेंसिटी का सवाल लागू होगा और न दूसरा सवाल लागू होगा। प्राथमिकता पीने के पानी की होगी आदमियों के लिये और पशुओं के लिये, क्योंकि पशुधन आधार होगा, अर्थ-व्यवस्था का इसके लिये उसकी व्यवस्था की जायेगी। एफोरेस्टेशन, पाश्चर डवलपमेंट को प्रोग्राम लिये जायेंगे और सिर्फ पांच बीघा एरिया ऐसा रखा जायेगा जिसमें या तो खेती की जाये, और पांच बीघा एरिया ऐसा होगा जहां एफोरेस्टेशन का कुछ प्रोग्राम हो जैसे खजूर की खेती अगर सफल हो जाये दाडम की खेती अगर सफल हो जाये, उस एरिया में तो इस तरह के पेड़ लगाये जायें।

माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने जो कहा है कि 1976 में जाते जाते इस योजना को पास कर दिया, इस बात से मैं असहमत हूं यह तो सिर्फ इन्सीडेंशियल था। जब कंवरसेन कमेटी की रिपोर्ट आ गयी तो यह भी सवाल था कि लिफ्ट 95 फीट की होनी चाहिए कि 100 फीट की होनी चाहिए या कि 105 फीट की होनी चाहिए, इस पर काफी बहस हुयी थी। उसके बाद इन योजनाओं के सर्वे के लिये सैंट्रल गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन के थ्रू 40 लाख रु. दिये थे। 30 लाख रु. सर्वे के लिये और 10 लाख रुपया सोइल सर्वे के लिये ताकि क्रोपिंग पेटर्न वगैरह हम तय करना चाहें वह भी हो सके। इसलिये मेरा यह मानना है कि लिफ्ट की जो योजना है उसका उस एरिया के लिये बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जनता पार्टी के समय में भैरोंसिंह जी शेखावत मिला भी था, मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की थी क्योंकि वह फलौदी का एरिया है और फलौदी की दृष्टि से मैं लिफ्ट के लिये बहुत इन्ट्रेस्टेड था। यह भी मैं चाहता था कि यह जो ग्रेडेड पत्रों की लिये आप वापस जा रहे हैं वह न जाया जाये और वापस लिफ्ट को लिया जाय क्योंकि कोस्ट-बेनीफिट रेश्यो का सवाल इस तरह की लिफ्टों के अन्दर नहीं उठता है, हम सारी की सारी अर्थव्यवस्था का आधार ही बदल रहे हैं। इतना ही मुझे निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी जारी रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट का समय लूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं। आप कृपया सुनें। सदन के नेता अभी बोल चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की जानकारी दे दी। मैं उनकी जानकारी के लिये बता दूं कि राज्य सरकार ने जो लिफ्ट स्कीम मंजूर की है वह आपने जो आधार बताये उस आधार पर नहीं हुयी। यदि आप किसी प्रकार से विस्मृति में हों ...

एक माननीय सदस्य : वह प्रभारी मंत्री जी अब करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय छंगाणी जी ने जो बात कही, उस आधार पर तो श्री नरेन्द्र सिंह भाटी जिस समय राज्य मंत्री थे उन्होंने एक स्कीम बनायी थी और उसको शिवचरण जी माथुर की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। आपने जो आधार बताया वह स्कीम तो आलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है। अब ये दुबारा मंत्री आये हैं, ये फिर लायेंगे मैं कह नहीं सकता। यहां यह सवाल था, लिफ्ट इरिगशन के पीछे कि लिफ्ट इरिगेशन के लिये तकनीकी राय नहीं ली गयी। जनता पार्टी ने तो केवल इतना सा ही किया कि इस पर ओपीनियन ले ली जाय और उस ओपीनियन लेने के बाद में इसके ऊपर काम किया जाय।

(व्यवधान)

आप बतायें किससे ली है।

श्री हरिदेव जोशी : प्लानिंग कमीशन ने पैसा दिया है, खोज के लिये। प्लानिंग कमीशन ने पैसा दिया है और प्लानिंग कमीशन ने संतुष्टी के बाद दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिया है, उसके बाद वह रिपोर्ट आयी, कहां वह बता दीजिये। आपकी केबिनेट की नोटिस में होगा, बता दो किस टेक्निकल....

(व्यवधान)

आपके सारे रिकार्ड में यह लिखा हुआ है कि शिवरमन् से इस संबंध में जानकारी की जाये। उनकी यह राय थी कि बोर्ड से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जाय और तब तक इसको पोस्टपोन किया जाय।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, अब जब चर्चा चल गयी है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन के नेता महोदय, कुछ कहना चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत विवाद में नहीं जाना चाहता। विरोधी दल के नेता जिस समय मुख्य मंत्री थे अगर ये रिज्योल्यूशन करवाते कि यह टेक्निकली साउंड नहीं है और हम इसको टेक्नीकली साउंड करके फिर कोई फैसला करते तो मैं यह समझता कि गुड इन्टेंशन थे। मगर उस समय की सरकार ने इसको स्क्रेप कर दिया और पश्चिमी राजस्थान को आगे बढ़ाने वाली स्कीम को रोक दिया गया, यह फैसला अच्छा नहीं था।

श्री अध्यक्ष : प्रो. केदार। संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री केदार नाथ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि 1976 में जो केबिनेट का फैसला कांग्रेस का था, माननीय मुख्य मंत्री जी उस समय मुख्य मंत्री थे आपने प्लानिंग कमीशन को रेफर करने से पहले इसको वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन को रेफर नहीं किया। हमने न तो अबन्डन किया, न इसको स्क्रेप किया। हमने केवल टेक्निकली री-एक्जामिन करने के लिये इसे वापस वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन को रेफर किया। अध्यक्षजी, मैं यह भी कहता हूं कि किसी भी रूलिंग पार्टी के करेक्टर को असेस करने के लिये केबिनेट के सीक्रेट्स को यहां पर डिस्क्लोज करना पड़े तो करना चाहिये। क्योंकि आपने डिबेट इनीशियेट की है, बहुत लवली डिबेट है,

(श्री केदार नाथ)

बड़ी कुशल डिबेट है, इस पाइंट पर आपका करेक्टर क्या रहा, हमारा करेक्टर क्या है सारे कैबिनेट डिसीजन्स हमारे और आपके आप यहां पढ़कर सुना दीजिये, हम स्वागत करेंगे आप बहस इनीशियेट कर दीजिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री केदार नाथ : तो मालूम पड़ेगा कि आपके 25 साल के राज में राजस्थान का हित अधिक हुआ था या ढाई साल के राज में यह हित अधिक हुआ । आपने पंजाब को कितना पानी दे दिया और कितना ले लिया, इंटर-स्टेट मसले पर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या अपनी स्टेट की इंडिविजुअलिटी के लिये एफर्ट्स किये, यह सारे तथ्य हमारे समाने आ जाय, हम इसका स्वागत करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइंट ऑफ ऑर्डर । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कैबिनेट के कुछ रिजोल्यूशन्स हाउस में रेफर किये हैं । वह सारे रिजोल्यूशन राजस्थान कैनाल की लिफ्ट इरींगेशन के सम्बन्ध में हैं । सबका उन्होंने थोड़ा-थोड़ा रेफरेंस दिया है । जो ट्रीटीज की पढ़ी हैं कॉपीज, उनकी जरूरत नहीं है । यह सारे जो कैबिनेट के रिजोल्यूशन्स हैं मैं चाहूंगा वह सदन की मेज पर रख दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : Those which have been referred here.

जो रेफर किये गये हैं वह कॉपियां मंगवा लें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन रेफर करने में, मैं बता दूं....

श्री अध्यक्ष : जो भी रेफर किये हैं, it is on the record वह तो रिकार्ड पर हैं....

श्री शोपतसिंह : वह तो धुरी है । वह तो सब अपने काम को रेफर किया है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । मैं जो रेफर किये हैं उनकी बात कर रहा हूं । Those which have been referred.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं बता....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री हरिदेव जोशी : जो रेफर किये हैं वह रिकार्ड पर हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप डरते क्यों हैं । आप डरते क्यों हैं --

श्री हरिदेव जोशी : इसमें डरने की क्या बात है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप लाइये सारे ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा न कि जो रेफर किये हैं वे रिकार्ड पर हैं ।

183

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप डरते क्यों हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : डरने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप डर रहे हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : डरने का क्या प्रश्न है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको डर नहीं है तो

श्री हरिदेव जोशी : डरने का कोई प्रश्न ही नहीं है । जो रेफर किये हैं वे रिकार्ड पर हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, कृपया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह तो रूल्स का क्वेश्चन है, यह हमारा प्रिविलेज है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो भी डाक्युमेंट इन-पार्ट या इन-फुल इस हाउस के अन्दर रेफर किये जायं वह हाउस की प्रॉपर्टी होते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा न कि जो रेफर किये गये हैं । उनके लिये मैं कह चुका हूं, जो बातें यहां रेफर की गयी हैं उनकी कॉपी सदन में आ जायेंगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रेफर जो इन्होंने किया, जैसे आपने कहा कि हमने टेक्निकल ओपीनियन ली है....

श्री अध्यक्ष : कैबिनेट डिसीजन । अभी आप बात कर रहे हैं कैबिनेट डिसिजन की ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Any reference of any document. जिस डाकुमेंट का अभी इन्होंने रेफरेंस दिया जिसको बेस बनाया आगू मेंट का, आप चाहें तो रूल बता दूं । जिन डाक्यूमेंट्स का रेफरेंस दिया है या जिन डाक्यूमेंट्स के आधार पर माननीय मंत्री महोदय या मुख्य मंत्री जी बोले हैं वे सारे डाक्यूमेंट्स हाउस की प्रॉपर्टी हो जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा कि जो भी रेफर किये हैं, कैबिनेट डिसीजन्स या उससे संबंधित कोई डाक्यूमेंट्स if there are any documents यहां वर्ड डाक्यूमेंट है, वह अगर कोई रेफर किये then I will see that they are laid on the table of the house.

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज । प्रभारी मंत्रीजी । प्रभारी मंत्रीजी । माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह : पाइंट ऑफ आर्डर । मेरा दूसरा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सदन का समय ले रहे हैं । ऑर्डर प्लीज । पाइंट ऑफ ऑर्डर सुन लूंगा आपका मैं ।

श्री नाथूसिंह : आपका ध्यान इस बिल

(श्री नाथूसिंह)

की ओर दिलाना चाहूंगा। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन के लिये...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आप बोल चुके हैं। तीसरी बार बोल दीजिये।

श्री नाथूसिंह : प्रभारी मंत्रीजी की जगह कमलाजी का नाम लिखा हुआ है .

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया बैठें। नो पाइंट ऑफ ऑर्डर, कृपया बैठें। माननीय पंकज पंचोली, पाइंट ऑफ ऑर्डर किया है आपने....

श्री पंकज पंचोली : पाइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर।

श्री अध्यक्ष : मुझे पाइंट ऑफ ऑर्डर की बात बताइये।

श्री पंकज पंचोली : बात यह है, श्रीमान, विपक्ष के नेता महोदय ने यह कहा कि कैबिनेट के जो सीक्रेट्स हैं....

श्री अध्यक्ष : मैंने इस पर व्यवस्था दे दी है, माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय और....

(व्यवधान)

श्री बिहारीलाल पारीक : पाइन्ट आफ आर्डर...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आपका लक मी है कि पाइंट ऑफ ऑर्डर।

(व्यवधान)

प्रभारी मंत्रीजी, पाइंट ऑफ आर्डर आ गया। बैठें।

आप तो पाइंट ऑफ आर्डर बताइये ..

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं एक मिनट का समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं भाषण नहीं सुनूंगा। आप पहले पाइंट ऑफ ऑर्डर बताइये।

श्री बिहारी लाल पारीक : पाइंट ऑफ ऑर्डर पर ही तो आ रहा हूं मैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया सुनिये।

श्री बिहारी लाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में हमने बार बार पाइंट ऑफ आर्डर उठाकर आपसे प्रार्थना की कि हमारे हितों की रक्षा कीजिये ताकि हम विपक्ष को अपनी बात कुछ बता सकें। आज हमें बड़ी खुशी है कि आपने हमें मौका दिया। माननीय विपक्ष के नेता के पास कोई अब उज्र नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय, सदस्य, आपका पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है। कृपया बैठें।

(व्यवधान)

कृपया बैठें। प्रभारी मंत्रीजी। आर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्षजी, माननीय विपक्ष के नेता महोदय बहुत ही एमिनेंट पार्लियामेंटेरियन हैं, यह मैं मानता

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

हूं । इनकी और हमारे सदन के नेता महोदय जितनी तो शायद मुझे पार्लियामेंटरी फंक्शन्स की जानकारी न हो लेकिन मैं उनको सिर्फ एक ही अर्ज करूंगा कि you have stolen the word from my mouth ऑक्सफोर्ड की यदि डिक्शनरी कंसल्ट करें और वर्ड डाक्यूमेंट की डेफिनेशन अगर....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आप अपने मूल मुद्दे पर आ जाइये। ऐसे तो बिल पास करने में और समय लगेगा...

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : डाक्यूमेंट की डेफिनेशन उसमें है, विश्व भाषा कोष ऊपर रखा है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : प्रिविलेज मोशन का भी जिक्र हुआ । अध्यक्ष महोदय, कौन से डाक्यूमेंट मैंने कंसल्ट किये हैं, किसको रेफर किये हैं, वह कोई ऑफिशियल डाक्यूमेंट नहीं है । मेरा राइट है रेफरेंस देने का....

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज मोशन का जिक्र नहीं हुआ । प्रिविलेज की बात को कि हमारा प्रिविलेज है । प्रिविलेज का इतना जिक्र हुआ कि हमारा प्रीविलेज है ...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : प्रिविलेज का जिक्र हुआ था....

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज का यह हुआ कि हमारा प्रीविलेज है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : I am jumping straight-forward sir;

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आप....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो आपको सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं, विपक्ष के नेता महोदय को सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान के डेजर्ट की समस्या को सोल्व करने के लिये अगर यह हाउस मुझे इम्पीच भी करे on certain grounds, then I am prepared to be impeached.

श्री अध्यक्ष : इम्पीच करने का प्रश्न ही कहां है, माननीय मंत्री महोदय, कहाँ प्रश्न है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अब document, things, especially deed; inscription that furnishes evidence : this is the definition.

अब इस पूरी डिबेट को समाप्त....

श्री केदार नाथ : इस डेफिनेशन में एक नहीं तीन हैं । आप पढ़िये जरा ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप पढ़वायेंगे तो मैं जरूर पढ़ूंगा । मैंने नहीं सोचा था, चूंकि इतने वुजुर्ग और एक्सपीरियेंस्ड सदस्य भार्गव साहब ने फरमा दिया कि भार्गव

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

डिक्शनरी पढ़ रहे हो तो मैंने सोचा कि House is not in the mood to listen to the definition.

लेकिन आप फरमा रहे हैं माननीय केदारजी साहब It can be a verb, transi ive or a noun 1. thing, especially deed, wri ing or inscription, that furnishes evidence–human document–description, incident, etc. illustrating human nature, hence the word–documentary; adjective also film dealing with the natural history, archi logical, industrial travel, or similar subject usually accompanied by an explanatory talk.

श्री केदार नाथ : लिट्रल मीनिंग है।

श्री अध्यक्ष : Dictionary always gives literal meaning. Dictionary always gives that.

श्री केदार नाथ : इसके लीगल आस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके टैक्निकल आस्पेक्ट्स क्या हैं। Without the referrenc of the context or the content, document means nothing.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपकी वह घण्टी-वण्टी बजाओ तो छुट्टी हो जाये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मुझे इससे ज्यादा तगमा नहीं मिल सकता कि देवीसिंह जी जैसे कह दें कि वह सैटिसफाइड हैं।

श्री शोपतसिंह : वो तो लारो छुड़ावो चावें है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा क्या खुशी हो सकती है कि पूरी डिबेट हुई, विपक्ष के काफी सदस्यों ने काफी कुछ फरमाया, सदन के माननीय नेता महोदय ने बड़ा इमोशनली इन्टरवीन किया....

श्री शोपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, पांच-सात महीने रहना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज कृपया बैठें।

श्री बिहारी लाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, "धन ओछो, बलद थाक गया, चारो न कीदो एक। गेला मैं पानी फूट ग्यो रे।" जनता पार्टी के नेता महोदय अब तो इन्दिरा गान्धी री नहर की तरफ देख।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पहले राजाओं के जमाने में होती थी आज हरिदेवजी के जमाने में भी हो रही है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जिस एरिया का, नाथू सिंह साहब, इतने इमोशनली आज ऑब्जेक्शन ले रहे थे कि इसका नाम परि-

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

वर्तन मत करिये, आपको जरा पता होना चाहिए। आप तो बहुत ही चतुर हैं, एजूकेटेड हैं, जिस एरिया में आज पानी जा रहा है वह एक जमाने में गुर्जर प्रदेश कहलाता था ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मेरे जो सहयोगी थे, इधर जो विराजमान हैं, उनकी जो भावना प्रकट हुई, माथुर साहब के मन्त्रिमण्डल के समय नाम परिवर्तन, इन्दिरा गान्धी नहर–नाम करने का जो सुझाव था उसका समर्थन करते हुए मैं यही अर्ज करता हूं कि यह रेगिस्तान जो पश्चिमी राजस्थान और सिन्ध का है, आपके और मेरे बुजुर्गों ने ही इसको रेगिस्तान बनाया था, और गलतियों से बनाया था । गलतियों से मैन-मेड डेजर्ट यह बना है, इस कारण ही बना । इतना एग्रेरियन और इतना अच्छा ग्रास-लैण्ड था । जैसा फलौदी से पधारे माननीय सदस्य ने फरमाया, आगे भी सैकण्ड स्टेज की जो लिफ्ट कैनाल योजना मंजूर हुई, जो 1976 में मंजूर हुई थी, मेरी कल्पना के अनुसार इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विश्लेषण नहीं हो सकता कि इसी मैन मेड डेजर्ट को अपन वापस एक हरियाला और एक ऐसा एरिया बना दें जहां दूध की नदियां बहें । जो लिफ्ट कैनाल पास होगी वह इसी नाम के नीचे रिकग्नाइज़ होगी—इन्दिरा गान्धी नहर ।

आप सबका मैं....

श्री मानिक चन्द सुराणा : इस साल का प्रावधान बता दीजिए जरा । कितने सालों में लिफ्ट कैनाल को पूरा करेंगे ? यह भी बता दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : खाली भावनाओं में बहने से काम नहीं चलेगा, ठोस जमीन पर आ जाइये । आप पूरे प्रावधान बताइये कि इस साल प्रावधान क्या रखा है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें । माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपको खुशी होगी यह सुनकर कि 1984-85 में लिफ्ट कैनाल पर जो खर्चा होना चाहिए, आपके समय में नहीं हुआ, पहली बार अगर हुआ है ...

श्री मानिक चन्द सुराणा : आप ऐसे बचेंगे नहीं । प्रावधान बताइये कितना है लिफ्ट कैनाल का ।

श्री केदार नाथ : केवल सत्तर लाख का ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : सत्तर लाख का कोई प्रावधान है । आप 25 किलोमीटर लिफ्ट कैनाल नहीं बनायेंगे, 25 किलोमीटर भी । खोदेंगे भी नहीं ।

एक माननीय सदस्य : रेगिस्तान को हरा-भरा कर देंगे ।

श्री हरिदेव जोशी : आप जिस इलाके-लूणकरणसर से पधार रहे हैं, वहां पर तो उस वक्त पूरा हुआ ही है न ?

श्री मानिक चन्द सुराणा : पूरा हुआ उस वक्त आप नहीं दूसरे थे मुख्य मन्त्री ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि मैं और डाक्टर केवलराम जी निर्णय लेने वाले थे । मैंने ही इसका फैसला किया था ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : इसके पहले सुखाड़िया जी थे उनके जमाने में ही शुरू हो गयी थी ।

श्री हरिदेव जोशी : मुख्य मन्त्री वह थे मगर इरिगेशन मिनिस्टर मैं था ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : अब आप रहे होंगे इरिगेशन मिनिस्टर, मुख्य मन्त्री वही थे ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपकी जानकारी के लिए कहूं, प्रोफेसर केदार इसके गवाह हैं कि गंगानगर में खड़े रहकर मेरे सामने यह फैसला हुआ ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री हरिदेव जोशी : आप लूणकरणसर में....

श्री मानिक चन्द सुराणा : लूणकरणसर की लिफ्ट से यह पांच लिफ्ट नहीं बनेंगी । वह काम पूरा हो चुका, अब आगे की बात करिये ।

श्री हरिदेव जोशी : हां, हम आगे की करेंगे ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : आगे की बात कहिये, पीछे की न कहिये ।

श्री हरिदेव जोशी : लूणकरणसर में हमारे जो इन्टेन्शस थे वही इन्टेन्शंस इसके लिये भी हैं । हमारी अपनी जितनी भी औकात है उसके अनुसार कहना चाहते हैं कि इसको हम करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : एक साल में सत्तर लाख के प्रावधान से लिफ्ट कैनाल पूरी नहीं होती ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान (नहर प्रतिस्थापन) विधेयक, 1985 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

खण्डशः विचार । खण्ड संख्या दो ।

ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । हाथ से इशारा न करें, माननीय सदस्य ।

श्री देवी सिंह भाटी : नाथू सिंह जी, आप तो कुंवारे हो, बैठ जाओ ।

189

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह अमेण्डमैण्ट दिया था कि विधेयक के खण्ड-2 में प्रस्तावित प्रतिस्थापित अभिव्यक्ति "इन्दिरा गांधी नहर" जो अभिव्यक्ति "इंदिरा नहर" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय।" उसको यह देखते हुए कि यह लोग पहले से ही हार मान रहे हैं, वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री नाथू सिंह : वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : संशोधन जो प्रस्तुत किया था, विथड्रा किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड दो स्वीकार किया गया।

खण्ड–3 प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड–3 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री जी।

विधेयक का पारण

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) विधेयक, 1985 को पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा विश्वास था कि प्रभारी मंत्री जी इस विधेयक से सम्बन्धित मसले पर चर्चा करेंगे लेकिन परिवर्तन के सम्बन्ध में सिवास इस बात के कुछ नहीं कहा, मैं जो विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं, विधेयक प्रस्तुत करते हुये एक बात भी उन्होंने ऐसी नहीं कही कि किस कारण से आर्डिनेन्स लाये, आर्डिनेन्स क्यों लाना पड़ा, किन कारणों से नाम परिवर्तन करना पड़ा ? केवल राजस्थान कैनाल के लिफ्ट इरीगेशन का मसला उन्होंने उठाया। उस आधार के ऊपर राजस्थान कैनाल का नाम परिवर्तित किया जाय यह उन्होंने अपना आरग्यूमेन्ट दिया। मैं ऐसा समझता था कि प्रभारी मंत्री जी को कम से कम यह तो ध्यान रखना चाहिये कि हरिदेवजी जोशी के मंत्रिमण्डल ने लिफ्ट इरीगेशन के सम्बन्ध में केबीनेट में जो निर्णय लिये थे वह सारे निर्णय तकनीकी जांच के लिये भेजे हमने थे। शायद मुख्य मंत्रीजी भी जोश में बोल गये कि हमारे प्रस्तावों को स्क्रैप कर दिया गया या उसका काम बन्द कर दिया गया। यह बात बिलकुल असत्य है। प्रभारी मन्त्री जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब वह राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कैनाल के मिनिस्टर थे, इन्होंने एक कैनाल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी। आज मेरा वह संदेह भी सही निकला, मैंने उस समय भी कहा था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य की सलाह से बनायी गई....

श्री मोहन छंगाणी : आपका सर्टिफिकेट एनकेशेबल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको तो क्रेडिट दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : पर आपका सर्टिफिकेट एनकेशेबल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं, एनकेशेबल है या नहीं है...

(व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : लेकिन मैं एनकेश करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन मैं आपकी बुद्धि की दाद देता हूं कि आप बाहर बैठे बैठे भी मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों को किस प्रकार से प्रभावित करते थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपको इस बात का बड़ा दुःख हुआ कि 1976 में केबीनेट ने जो निर्णय लिये उनमें जनता शासन में संशोधन किस प्रकार से किया गया और क्यों किया गया ? हमने जो केवल संशोधन किया, उनको इस पर आपत्ति थी। मैं प्रभारी मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी उस रिपोर्ट का क्या हुआ ?

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अब आ रही है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब नहीं आयेगी।

जिस मन्त्रिमण्डल में आप सदस्य थे उस मन्त्रिमण्डल की एक उप समिति बनी, चीफ सैक्रेटरी को उसकी जांच के लिये दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख हुआ कि मन्त्रीजी ने रिपोर्ट तैयार की और सैक्रेटरी लेवल पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वह मामला मन्त्रिमण्डल में वापस क्यों नहीं रखा गया ? मैंने इसी सदन में इनका भाषण सुना है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में कि यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मैं लाया हूं यही राजस्थान के मरुस्थल का विकास करेगी, बाकी कोई विकास नहीं कर सकती। मैं ऐसा समझता हूं कि एक मन्त्री ने छंगाणीजी के सहयोग से एक अच्छा डाक्यूमेंट तैयार किया उस डाक्यूमेंट को आप केबीनेट से नहीं मनवा सके। मतलब आपकी बात का केबीनेट ने भरोसा नहीं किया ...

श्री सी. पी. जोशी : छंगाणीजी उस समय हाउस में नहीं थे, अब आ गये हैं। अब हो जायेगा।

श्री मोहन छंगाणी : मैं विपक्ष के

(श्री मोहन छंगाणी)

नेता महोदय से कहूंगा कि मेरा कोई सहयोग नहीं था और मेरी कभी श्री नरेन्द्रसिंहजी भाटी से इस बारे में बात-चीत हुई। आप अगर सर्टिफिकेट दें, आपके लिये मेरी बेहद रेस्पेक्ट है, हालांकि लोग आपके सर्टिफिकेट को नहीं मानते हैं लेकिन मैं मानूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर, अच्छे कामों के लिये आपका सहयोग हो और विपक्ष के नेता महोदय माने तो आपको क्या एतराज हो सकता है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शायद आपको भी थोड़ा संकोच महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी, वह इतनी खराब थी कि उसमें "आपका सहयोग" शब्द कहा जाय तो इसको भी आप स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री मोहन छंगाणी : मैंने वह रिपोर्ट देखी ही नहीं कि अच्छी थी या बुरी थी। मैं नम्रता से कहूंगा कि मैं उसके बारे में राय व्यक्त नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब जो मंत्री दो वर्ष की मेहनत करने के बाद भी अपनी बात को अपने ही मन्त्रिमण्डल से नहीं मनवा सके, मन्त्रिमण्डल में अपनी स्कीम को एप्रूव नहीं करवा सके, आज वह राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में कह रहे हैं कि राजस्थान कैनाल में अमुक समय का फैसला बदल गया, अमुक समय का फैसला नहीं बदला। मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी का शासन तो 1980 में चला गया। 1980 से लेकर 1985 तक लिफ्ट इरीगेशन के सम्बन्ध में आपने क्या किया? यदि इतना ही आवश्यक मामला था, आप यह समझते थे कि 1976 में ही इसको इम्पलीमेंट करने चाहिये। मान लीजिये हमने ढाई वर्ष तक तकनीकी राय के लिये इसको कुछ कन्सलटेन्ट्स को रेफर कर दिया। आपने क्या किया? मुझे आप बता दीजिये, 1980 में लिफ्ट इरीगेशन के लिये आपने एक पैसा खर्च नहीं किया, सन् 1981 में आपने एक पैसा खर्च नहीं किया, सन् 1982 में आपने एक पैसा खर्च नहीं किया, 1983 में आपने एक पैसा खर्च नहीं किया और 1984 में जो आपने प्रावधान रखा है वह प्रावधान भी बजट के हिसाब से बिलकुल नोमिनल है। अब 5 वर्ष तक जो आप किसी स्कीम को नहीं ले सके, अच्छा होता जिन कन्सलटेन्ट्स को हमने कन्सलट किया था, कन्सलट करने के लिये अपाइन्ट किया था उनको यदि आप कन्सलट करते तो ज्यादा अच्छा होता। अध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं...

(व्यवधान)

मेरी सुन लीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, फिर विपक्ष के नेता महोदय फरमायेंगे कि मैं उनकी काट कर रहा हूं। जिस टेक्निकल कमेटी का आपने पहले जिक्र किया है बेग-पोज की, माफ करना वह कन्सलटेशन प्रोग्राम 1976 में हुआ था। आपके समय में नहीं हुआ था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या हुआ फिर?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : बेगपोज रिपोर्ट जो आई है उसकी रिपोर्ट जोशीजी के मंत्रिमण्डल के सामने आई। उसके तहत 90 मीटर्स का जो उनका सजेशन्स था आप लोगों से 60 मीटर्स की लिफ्ट कैनाल योजना मन्जूर हुई। आपका उसमें न तो कोई सहयोग था न आपकी उसमें कोई मंशा थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं माननीय मन्त्री महोदय सारे केबीनेट रिजोल्यूशन्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब लेकर आये हैं और सरकारी अधिकारी भी इनकी सहायता पर भी बैठे हैं....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक अर्ज और कर दूं। आप फरमा ही रहे हो, राजस्थान कैनाल के लिये, अध्यक्ष जी, पाइन्ट टू पाइन्ट आप बाद में फरमायेंगे. आप फरमायें तो

(व्यवधान)

आप फरमायें तो बैठ जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इकट्ठा जवाब दे देना मेरा मतलब यह है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे अगर कोई जानकारी होती कि राजस्थान कैनाल की लिफ्ट इर्रीगेशन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय कोई रेफरेन्स करने वाले हैं, तो हम भी तैयार होकर आते। आपने सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख ली, केबीनेट के सारे रिजोल्यूशन्स लेकर आ गये, सब रिपोर्ट्स लेकर आ गये लेकिन फिर भी मैं अपनी याद के आधार पर बताना चाहता हूं कि जिस समय तकनीकी ओपीनियन लेने के सम्बन्ध में निर्णय लिया, हम तो चले गये 1980 में, 1980 से लेकर 1981 तक इस गवर्नमेंट ने क्या किया ? उस समय आप भी मन्त्रिमण्डल में थे, चार वर्ष तक तो आप चुपचाप बैठे रहे और पांचवां वर्ष आया। इतने अर्से में यदि तकनीकी जांच आपने करवा ली और इसको इम्पलीमेन्ट करने की बात कर दी तो इसमें आपत्ति क्या हो गई ? इसमें आपत्ति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आज भी, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं, माननीय जोशी जी मेरी बात की ताईद करेंगे, राजस्थान में 1976 में जिस समय आपने निर्णय लिया उस समय आपके सामने मुद्दे तीन थे, जिन मुद्दों का आप फैसला नहीं कर पाये। पहला मुद्दा यह था कि लिफ्ट इर्रीगेशन की जो कोस्ट ऑफ इर्रीगेशन आती है वह कोस्ट ऑफ इर्रीगेशन केवल उस क्षेत्र के काश्तकारों से वसूल की जाय, या पूरे राजस्थान के ऐरिया को कवर किया जाय। मुझे आप करेक्ट करेंगे उस एरिया के काश्तकारों से वसूल की जाती तो 160 रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से वसूल होती वह अनप्लेजेन्ट निर्णय था जो नहीं ले सके। आप यह भी तय नहीं कर सके कि 160 रु० इन काश्तकारों से वसूल किया जाय या पूरा राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के ऊपर उसको बांटा जाय जिसके आधार पर कोस्ट ऑफ इर्रीगेशन प्रति काश्तकार कम हो जाय। एक क्वेश्चन तो यह था जिसका आप निर्णय करके नहीं आये। दूसरा क्वेश्चन था कि 60 मेगावाट पावर चाहिये। राजस्थान के पास उस समय 60 मेगावाट पावर नहीं थी इसलिए आप पावर की प्रतीक्षा करते रहे कि इसके लिए पावर की किस प्रकार से बुक किया जाय और किस प्रकार से पावर को इसके लिए रिक्वीजिट किया जाय। तीसरा, अध्यक्ष महोदय, उस समय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष था, राज्य सरकार के पास फाइनेन्सेज नहीं थे। प्लानिंग कमीशन ने उसकी तकनीकी अप्रूवल वह भी कन्सल्टेन्ट्स के बाद में दी थी लेकिन फाइनेन्शियल अप्रूवल नहीं हुई थी, उस स्थिति में आप यूं निर्णय लेकर आये। फाइनेन्सेज की आपके पास व्यवस्था नहीं थी, पावर की आपके पास व्यवस्था नहीं थी, उसके रिटर्न्स किस प्रकार के होंगे उसका आपने निर्णय किया, तकनीकी जांच आपने नहीं कराई उस आधार के ऊपर शिव रमन साहब का जो हम रेफरेन्स देते हैं, मुझे अब अच्छी तरह से याद है शिवरमन साहब ने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में भी उन्होंने यह लिखा था कि दुबारा इन सारे इश्यूज के ऊपर कन्सलटेन्ट को और पूछा जाय। उस पूछने के सम्बन्ध में हमने तो मान लीजिये गलती की, टाइम ले लिया, 1976 से लेकर 1977 तक आ गये लेकिन भाटी साहब आपकी सरकार 1980 से लेकर 1985 तक क्यूं सोती रही ? इसका कोई कारण बतायें तो मैं समझता हूं कि आपने कोई व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा अब जो अगला सत्र होगा, इसमें एक बार राजस्थान कैनाल के इस मसले पर फिर चर्चा कर ली जाय तो आपको भी पता लग जाय, हमको भी जानकारी हो जाय कि वास्तविकता क्या है। मैं चाहूंगा कि, आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट केबिनेट ने रिजेक्ट कर दी उसको उस समय तक केबिनेट से आप दुबारा अप्रूव कराकर इस सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे तो आपके लिये भी अच्छा रहेगा कि हमारे भाटी साहब ने बड़ी मेहनत करके, छंगाणी जी तो इन्कार करते हैं, लेकिन इनके सहयोग से जो रिपोर्ट तैयार की थी वह रिपोर्ट इन्होंने किसी न किसी प्रकार से अप्रूव करा ली।

(व्यवधान)

जैसी उन्होंने बात कही वैसा ही मैंने रिप्लाई दे दिया।

(व्यवधान)

एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री मोहन छंगाणी : माननीय विपक्ष के नेता ने जो बात कही, मुझे ले करके कई बातें—मजाक में या किसी तरह से कह दीं, पर जो मुद्दे उठाये गये वह मुद्दे वास्तव में उस समय उठे थे कि लिफ्ट जो की जायेगी उसकी कास्ट बहुत ज्यादा रहेगी, पहली बात। 160) रु० एकड़ का आपने मुद्दा उठाया ...

(व्यवधान)

नहीं, नहीं, वह कोई बात नहीं, इधर उधर हेरा फेरी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : हेरा फेरी ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अपनी याददाश्त के आधार पर कह रहा हूं वह...

श्री अध्यक्ष : माननीय छंगाणीजी, कृपया जारी रखें।

श्री मोहन छंगाणी : वास्तव में मुद्दा यह था कि यह जो कास्ट इतनी बढ़ेगी, 160) रु० एकड़ या जो भी रहेगी वह काश्तकार सहन कर पायेगा कि नहीं कर पायेगा। उस समय क्रोपिंग पैटर्न कैसा रहेगा। अगर बाजरा और जिस तरह की यहां खेती होती है वह ही क्रोपिंग पैटर्न रहे तो इस तरह की नहर, लिफ्ट की नहर से कोई फायदा नहीं है। यह शुरूआत हुई थी बात की। दूसरी बात, जो आपने मुद्दा उठाया वह था बिजली का बिजली का सही है। बिजली की अभी बहस नहीं चल रही है पर बिजली की, मेरा खयाल है, राजस्थान में सातवीं योजना तक भी शायद पूर्ति नहीं कर पायेंगे। मेरी बहुत ही खराब राय है बिजली के मैनेजमेण्ट के बारे में, जहां कि 40 पर्सेण्ट तक लॉस होता है, ट्रांसमीशन लॉस। एक पर्सेण्ट लॉस आप कम कर दें तो दो करोड़ रुपया साल का फायदा होता है। यह सारा आठ पर्सेण्ट और दस पर्सेण्ट के ऊपर का बिजली का जो लॉस है वह मैनेजमेंट लॉस है और हम भुगतते हैं। खैर छोड़िये आप बिजली की बात, ये जो मुद्दे उठाये, सारे के सारे मुद्दे उठे थे, उठ करके यह तय हुआ कि हम फ्रूट कल्चर को प्रोत्साहन देवें, एग्रीकल्चर बेसिक आब्जेक्टिव लिफ्ट कैनाल का नहीं रहेगा इसलिए बिजली भी जैसे-तैसे आयेगी बावजूद मिसमैनेजमेन्ट के तो इस नहर की लिफ्ट योजनाओं को कामयाब किया जा सकता है।

दूसरा मुझे, अध्यक्ष महोदय, यह कहना है कि विपक्ष के नेता महोदय ने जो बात उठाई है, जिसके जरिये इनके पास बातें आई हैं, वह भी काफी मजबूत आदमी हैं और कैनाल से जुड़े हुए आदमी थे यह मुझे पता है, उनको भी पता है, अध्यक्ष महोदय, तो उस समय तो यह बात उठी थी, जब वह दूसरी योजना बनी, योजना फोरमेटिव स्टेज में थी, वह योजना थी कि नहीं, दूसरी बात है। आज मैं कोई योजना बनाकर भेजूं और उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं हो, वह योजना उस तरह से मन्जूर नहीं हो और दूसरी तरह से मन्जूर हो तो योजना नहीं है। एक तरह से मैंने योजना बनाई सबमिट की। उस योजना के अन्दर सेक्रेटेरियट ने निश्चित रूप से आब्जेक्शन उठाये थे। वह योजना मैंने नहीं देखी। आपको जिस आदमी ने सूचित किया वह आदमी मुझे पहले सूचित करके गया था, इतना ही मेरा आपका सम्बन्ध है। तो वह योजना बनी, मसलन हाजीजी बैठे हैं यहां चोहटन से आने वाले माननीय सदस्य, चौहटन भी पानी पहुंचाया जाय सब जगह पानी पहुंचाया जाय। पानी की दिक्कत है, बाड़मेर में भी दिक्कत है, जोधपुर में भी दिक्कत है, सब जगह पानी से प्यासे मर रहे हैं। तो किसी आदमी की यह इच्छा हो जाय कि भाई प्यासा नहीं रहे, पश्चिमी राजस्थान का आदमी है, राजस्थान कैनाल आती है तो प्यासा नहीं रहे और हम किसी तरह से इस प्यास को कम कर सकें पूरी कम नहीं कर सकें तो भी बहुत अच्छी बात है। तो जिस समय योजना बनी तब उन्होंने कहा, साहब, इसकी दो बातें हैं, एक तो कास्ट फिजिबिलिटी देखी जाय और एक टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जाय यह सैक्रेटरी के मुद्दे थे। यह डाउटफुल है कि जिन्होंने ये मुद्दे उठाये उनकी जानकारी कितनी है। आज मैं यह मुद्दा उठाऊं कि टैक्निकली मैं राजस्थान कैनाल के बारे में

(श्री मोहन छंगाणी)

जानता हूं हालांकि सुपरफिशियल मेरा ज्ञान हो सकता है, पर यह कहूं कि भई कैनाल का ऐसा हो जायगा, वैसा हो जायगा। कैन्टूर ऐसे चलेंगे, वैसे चलेंगे तो मेरी जानकारी के बारे में निश्चित तौर से लोगों को संशय होगा। तो उनकी जानकारी के बारे में मैंने उन्हें कहा था कि आपको यह क्या अधिकार है कि आप ये मुद्दे उठाओ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपके पास क्यों गये थे ?

श्री मोहन छंगाणी : इसलिए कि मैं उसको आपके पास लेकर आता पहले।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह यह जानते थे कि भाटी साहब ने नहीं बनाई, बनाने वाले के पास चलो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपसी गोपनीय बातें यहां क्यों खोली जा रही हैं ?

श्री मोहन छंगाणी : तो, अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अब तक राजस्थान कैनाल का माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने जो सवाल उठाया वह बहुत ही मौजूं सवाल है। 1980 मे 1985 तक इस कैनाल पर कोई काम हुआ नहीं, जो भी आप करना चाहें लिफ्ट के बारे में, जैसा भी करना चाहें उसे जल्दी कीजिये। यहां तक कि पाइप लाइन के लिए वहां पावर नहीं मिलती है तो उसके लिए भी आपको जनरेटर वगैरह ले जाने हैं। ये सारी कमियां दूर करेंगे मुझे निश्चित तौर से उम्मीद है। मैं तो आपसे अभी डेफिनेट कह रहा था। नरेन्द्रसिंहजी भाटी के बारे मे कम से कम मेरी राय है कि बहुत ईमानदार आदमी हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : दोनों मिलकर काम करते रहे हैं।

श्री मोहन छंगाणी : ऐसी बात नहीं है। इसलिए इस कैनाल को जल्दी पूरा किया जाय जिससे हमारी प्यासी धरती पर पानी की बहुतायत हो और हमारी प्यास बुझ सके, इतना ही निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कहेंगे, वह कहेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : चलो साहब, पास करो इसको।

श्री अध्यक्ष ; प्रभारी मन्त्रीजी

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्षजी, बस एक बिन्दु मैं आपकी नॉलेज के लिए अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह बहुत जरूरी है, किसी की नॉलेज कम नहीं रहनी चाहिये। सबकी नॉलेज की पूर्ति होनी चाहिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : क्योंकि विपक्ष के नेता महोदय ने मुझे एक्यूज किया कि मैंने मेरी पूरी चर्चा या डिबेट सिर्फ सैकण्ड स्टेज इन राजस्थान नहर और लिफ्ट योजना तक सीमित रखी, तो मैं इस सदन को सिर्फ यह सूचना देना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना 1983, अध्यक्ष महोदय, पहली बार, मेरा ख्याल है, कोई भी स्कीम के लिए 1984-1985 में स्टेट प्लान सीलिंग के अतिरिक्त सेन्टर से करोड़ों रुपये दिये इस राजस्थान

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

नहर के लिए, जिसका कि नाम आपने परिवर्तन किया, वह चालीस करोड़ रुपये हमको मिले थे। इण्डिया में मेरा ख्याल है यह सिंगल स्टेट है, विपक्ष के नेता महोदय के पास शायद कोई दूसरी सूचना होगी। मैं तो उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं।

जहां तक मेरी और छंगाणी साहब की रिश्तेदारी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी जानकारी नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ताल्लुकात हैं। मैं तो उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। साथ ही साथ यह अर्ज करना चाहता हूं, सदन मुझे एक्सक्यूज करेगा. विपक्ष के नेता महोदय की आदत है छेड़ने की, बार-बार फरमाते रहे कि आपकी स्कीम का क्या हुआ जिसको भूतपूर्व मुख्य मन्त्री शिवचरण जी साहब ने सैक्रेटेरीज को दी। मैं माननीय नेता महोदय, विपक्ष, को सूचना देना चाहता हूं कि शिवचरण जी माथुर के समय में मन्त्रिमण्डल ने जिस लिफ्ट स्कीम को मंजूरी दी उसमें कम से कम 65 पर्सेन्ट वह है जो कि मेरी स्कीम में था। आपको एक ही अर्ज कर दूं, छंगाणी साहब भी जानते हैं, हादी साहब भी जानते हैं, कि गड़रा रोड़ में फ्लो सजैशन पहली बार इधर से ही गया था आपके समय में नहीं आया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने इस सम्बन्ध में सुखाड़िया जी का भाषण सुना है इसी सदन में।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था जो कि आपके समय में नहीं लिया गया था, जोशी साहब के समय में लिया गया था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोशीजी ने मन्त्रिमण्डल में ले लिया। तारीफ करते जाओ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : वह पेयजल के लिए ही था, जिसकी बार बार इस सदन में चर्चा उठी है....

एक माननीय सदस्य : निकलने का डर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तो पाल्सन के डिब्बे बाजार में नहीं मिलेंगे। आज तो भाटी साहब इतना सामान खरीदकर लाये हैं पाल्सन का कि बाजार में बहुत महंगा हो गया है। आप चले जाइये।

श्री हरिदेव जोशी : आप जनता पार्टी की तरह हमें देखना चाहते हो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह कहता हुआ कि कांग्रेस सरकार ने ही वापस पिछले साल बारह सौ से पन्द्रह सौ क्यूसेक पानी उस कैनाल के पानी में से एलोकेट किया है पेयजल के लिए, मैं, अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) विधेयक, 1985 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) विधेयक, 1985 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गयी।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.24 अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

197

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न सं. 105 की सूची

निर्मित/निर्माणाधीन मकानों का विस्तृत विवरण

1– निर्मित :—

क्र.सं.	योजना	ई डब्लू एस	एल आई जी	एच आई जी	एम आई जी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1-	जवाहर नगर	22	1709	1536	299	3566
2-	नाहरी का नाका	861	636	86	—	1583
3-	लाल कोठी	....	320	30	....	350
4-	वन विहार	....	576	176	....	752
5-	घाट की गूनी	342	....	....	....	342
6-	मालवीय नगर	2227	1760	1707	111	5715
	कुल					12308

2– निर्माणाधीन :—

1	2	3	4	5	6	7
1-	मालवीय नगर	1560	1398	499	326	5783
2-	मानसरोवर	3560	2405	3287	802	10004
3-	जवाहर नगर	....	....	30	130	160
					कुलः-	13947

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न सं. 107 का विवरण

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने सम्बन्धित सूची (सत्र 1984-85)

जिला	माध्यमिक विद्यालय का नाम	पंचायत समिति/तहसील
1	2	3
बीकानेर	1. कोलायत	कोलायत
	2. लूनकरणसर	लूणकरणसर
	3. वारहगुवाड़ (कन्या)	बीकानेर
जालौर	1. जसवन्तपुरा	जसवन्तपुरा
	2. सायला	सायला
सवाईमाधोपुर	1 बौंली	बौंली
	2. मांसलपुर	करौली
	3. नांगल शेरपुर	टोड़ाभीम
	4. महुवा (कन्या)	
अलवर	1. किशनगढ़वास	किशनगढ़वास
	2. नीमराना	नीमराना
	3. बड़ौद	बहरोड़
	4. बड़ौदामेव	लक्ष्मणगढ़
	5. चांदपुर	मुण्डावर
	6. प्रतापगढ़	थानागाजी
	7. मुबारिक पुर	रामगढ़
	8. खैरथल (कन्या)	खैरथल
बाड़मेर	1. शिव	शिव

1	2	3
	2. बालोतरा (कन्या)	बालोतरा
	3. भूणिया	बोहटन
चित्तौड़गढ़	1. भोपालसागर	भोपालसागर
	2. भादसोडा	कपासन
	3. बेंगू (कन्या)	बेंगू
	4. लावा	चित्तौड़गढ़
	5. बस्सी	गंगरार
जयपुर	1. मोजमाबाद (तहसील मुख्यालय)	दूदू
	2. आमेर	आमेर
	3. चौमू (कन्या)	गोविन्दगढ़
	4. बांदीकुई (कन्या)	बांदीकुई
	5. सांगानेर (कन्या)	सांगानेर
	6. आंतेला	विराटनगर
	7. चांवण्डिया	जमवारामगढ़
	8. दूदू	दूदू
	9. सिकन्दरा	सिकराय
	10. रामगढ़ पचवारा	लालसोट
	11. विराटनगर (कन्या)	विराटनगर
	12. कोटपूतली (कन्या)	कोटपूतली
	13. लवाण	दौसा
	14. वाटिका	सांगानेर
	15. मूंडियारामसर	झोटवाड़ा
	16. गणपतिनगर	जयपुर शहर
जोधपुर	1. भोपालगढ़	भोपालगढ़
	2. भावी	बीलाड़ा

200

1	2	3
जोधपुर	3. लोहावट	फलौदी
	4. साल्वांकलां	मण्डोर
	5. चैराई	ओसिया
कोटा	1. अन्ता	अन्ता
	2. रामगंजमण्डी (कन्या)	रामगंजमण्डी
उदयपुर	1. खमनोर	खमनोर
	2. गिलूण्ड	रेलमगरा
	3. भिण्डर (कन्या)	भिण्डर
	4. सलूम्बर (कन्या)	सलूम्बर
	5. ज़ीवावलावाड़ा	खैरवाड़ा
बून्दी	1. कापरेन	केशोरायपाटन
	2. बांसी	नैनवा
पाली	1. तखतगढ़	सुमेरपुर
	2. कंटालिया	सोजत
	3. खोड़	देसूरी
	4. सुमेरपुर (कन्या)	सुमेरपुर
चुरू	1. रतननगर	रतनगढ़
	2. राजलदेसर	राजलदेसर
	3. लालासर	सुजानगढ़
	4. जैतपुरा	राजगढ़
भीलवाड़ा	1. सहाड़ा	सहाड़ा
	2. काछोला	मांडलगढ़
	3. रायला	बनेड़ा
	4. राजेन्द्रमार्ग विद्यालय भीलवाड़ा (शहर)	भीलवाड़ा शहर

1	2	3
	5. शक्करगढ़	जहाजपुर
	6. कोठिया	शाहपुरा
झुंझनू	1. खेतड़ी (कोपर प्रोजेक्ट)	खेतड़ी
	2. टमकोर	अलसीसर
	3. सूरजगढ़ (कन्या)	सूरजगढ़
	4. गुढ़ा मौड़जी (कन्या)	उदयपुरवाटी
गंगानगर	1. श्रीकरणपुर (कन्या)	श्रीकरणपुर
	2. मादरा (कन्या)	मादरा
	3. रायसिंह नगर (कन्या)	रायसिंह नगर
भरतपुर	1. पथेना	वैर
	2. अस्तावन	कुम्हेर
	3. उच्चैन	रूपवास
धौलपुर	1. सपेऊ	धौलपुर
	2. मनिया	धौलपुर
	3. सरमथुरा (संस्कृत)	बाड़ी
डूंगरपुर	1. भीलूड़ा	सागवाड़ा
	2. सरोदा	आसपुर
अजमेर	1. राजगढ़	पीसांगन
	2. डिग्गी मोहल्ला, ब्यावर (कन्या)	ब्यावर
	3. जेठाना	पीसांगन
सीकर	1. थांय	दांतारामगढ़
	2. छाजा का नांगल	नीम का थाना
	3. फागलवा	धोंद
बांसवाडा	1. कुशलगढ़ (कन्या)	कुशलगढ़

1	2	3
बांसवाड़ा	2. गांगड तलाई	बागीदौरा
	3. परतापुर (कन्या)	
	4. बड़ौदिया	
टोंक	1. देवली (कन्या)	देवली
	2. लावा	मालपुरा
सिरोही	1. जावाल	सिरोही
नागौर	1. गुढ़ा साल्ट	नावां
	2. रिड़	परबतसर
	3. मेड़तारोड़	मेड़ता

परिशिष्ठ–3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

पचपदरा क्षेत्र में हैण्डपम्पों की मरम्मत

109. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र, पचपदरा में अब तक कुल कितने हैण्डपम्प लगाये गये एवं कितने चालू हैं ? इन पर कुल कितनी लागत आई ?

(2) क्या सरकार खराब पड़े हैण्डपम्प को ठीक कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(3) खराब पड़े हैण्ड पम्प्स के कारण कुल कितने ग्रामों पर पेयजल का असर पड़ा है ?

उत्तर

(1) पचपदरा क्षेत्र में 83 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं एवं 43 हैण्ड पम्प चालू हैं। इन पर करीब 13.50 लाख रु० की लागत आई है।

(2) जी हां। खराब हैण्ड पम्पों को शीघ्र ठीक कराने की व्यवस्था की जायेगी।

(3) कुल 9 ग्रामों की पेयजल व्यवस्था पर असर पड़ा हैं।

जिला कोटा एवं झालावाड़ के विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था

110. **श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा), **श्री जगन्नाथ** (मनोहर थाना), **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर)–क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा एवं झालावाड़ जिलों के ग्रामों में ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें पेयजल की न तो सरकारी कोई व्यवस्था है और न हैण्ड पम्प हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि पेयजल के अभाव में कितने ही छात्र कुएं में पानी खींचते हुए गिर जाते हैं ?

(2) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के हर विद्यालय में हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दोनों जिलों के 1759 प्राथमिक विद्यालयों में से 216 विद्यालय ऐसे हैं जहां पीने के पानी की सरकारी व्यवस्था या हैण्ड पम्प नहीं है। वहां विद्यालय के स्तर पर ही व्यवस्था की जाती है। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है।

पेयजल के अभाव में किसी छात्र के कुयें से पानी खींचते हुए गिरने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। हैण्ड पम्प लगाने की योजना केवल समस्याग्रस्त गांवों के लिये है। हैण्ड पम्प लगाने के सम्बन्ध में पहला

(श्री हरीश शर्मा)

हैण्ड पम्प अनुसूचित जाति/जनजाति के मौहल्ले में तथा दूसरा हैण्ड पम्प बस स्टेण्ड पर या विद्यालय के पास लगाये जाने के राजकीय निर्देश हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था राजकीय अनुदान या निजी आय से करने के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गये हैं।

जिला–कोटा की पंचायत समितियों के प्राथमिक विद्यालयों की सूची जिनमें पेयजल की व्यवस्था नहीं है

पंचायत समिति लाड़पुरा

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	क्र.सं.	विद्यालय का नाम
1.	रंगपुर	24.	बक्षपुरा
2.	देवली मछियान	25.	जोधपुरा
3.	नोटाना	26.	भंवूरिया
4.	गांवडी	27.	सोहनपुरा
5.	रोटेडा	28.	पदमपुरा
6.	गंगायचा	29.	मन्दरगढ़
7.	शम्भुपुरा	30.	काल्याखेड़ी
8.	ग्रांवली	31.	उम्मेदपुरा
9.	रतकांकरा	32.	सिहपुरा
10.	रोझड़ी	33.	नया नोहरा
11.	रानपुर	34.	राजनगर
12.	बन्धा	35.	मानपुरा
13.	धर्मपुरा	36.	झालीपुरा
14.	बावड़ी खेड़ा	37.	मण्डानिया
15.	खेड़ा जगपुरा	38.	हनुमन्त खेड़ा
16.	लखावा	39.	शंकरपुरा
17.	श्यामपुरा	40.	दीपपुरा
18.	कोलाना	41.	कीतल हेड़ा
19.	केवल नगर	42.	भीलोता
20.	रानक्याखेड़ी	43.	बीलखेड़ी
21.	पचपहाड़	44	घघटाना
22.	मान्दलिया	45.	रामखेड़ली
23.	हनोतिया	46.	भीमपुरा

1	2	1	2
47.	नगपुरा	59.	अभयपुर
48.	प्रहलादपुरा	60.	अरन्ड खेड़ा
49.	जामपुरा	61.	भगवानपुरा
50.	रामनगर	62.	चारणहेड़ी
51.	ढोल्या	63.	मंवासा
52.	गिरधरपुरा	64.	ढाणी
53.	किशनपुरा	65.	डाहरा
54.	चांदबावड़ी	66.	अरनिया
55.	खेड़ा रसूलपुर	67.	राजपुरा
56.	जालखेड़ा	68.	बोराबास
57.	मोजपुरा	69.	गोदल्याहेड़ी
58.	गलाना		

पंचायत समिति किशनगंज (जिला-कोटा)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	क्र. सं.	विद्यालय का नाम
1.	कन्या शाला किशनगंज	17.	दण्ड दलपुरा
2.	रानी बडोद	18.	सवरीकला
3.	हीरापुर	19.	सवरी खुर्द
4.	गाडीधरा	20.	स्वास
5.	खेडली	21.	भवानीपुरा
6.	ठूगंनी	22.	सुहावन
7.	अमलावदा	23.	खण्डेला खेडी
8.	शोवरचा	24.	पीपल्दा कलां
9.	भगला वमोरी	25.	असनावर
10.	सोडावा	26.	अर्जुनपुरा
11.	राघापुरा	27.	उदयपुरिया
12.	पीपल्दा छीनोद	28.	महतावपुरा
13.	लालगंग खेड़ी	29.	विश्नाइपुरा
14.	इकलेरा	30.	चन्द्रपुरा
15.	सेवनी	31.	पृन नगर
16.	भोमदा	32.	ब्रह्मपुरा

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	क्र. सं.	विद्यालय का नाम
33.	मामता	45.	भगवानपुरा
34.	बिनोदा	46.	नैसवां
35.	कुण्डा	47.	पगारा
36.	पीतमपुरा	48.	बनपुरा
37.	किशनपुरा	49.	अमरौली
38.	रणवासी	50.	जनकपुरा
39.	कुन्दा	51.	नैतपुरा
40.	टिलोनिया	52.	माधोपुरा
41.	फल्दी	53.	टोडिया
42.	नयागांव	54.	भिमलोद
43.	बिलासपुर	55.	गीगचा
44.	रामपुरिया		

पंचायत समिति, अन्ता, जिला कोटा

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	क्र. सं.	विद्यालय का नाम
1.	तामखेडा	2.	बगूलिया जोगियान
3.	काचरी	4.	देवपुरा
5.	सोरखाण्ड कलां	6.	बीजोरा
7.	अलीपुरा	8,	रायपुरिया
9.	रूपपुरा	10,	पलसटाफ
11.	धतूरिया	12.	योडीगांव
13.	सोरखण्डखुर्द	14.	टारडीखेडा
15.	सरकन्ध	16.	टारड़ा
17.	डाबरी कामारी	18.	बूंदी
19.	खजूरनाखुर्द	20.	माण्डपुर
21.	बरखेडा	22.	मूण्डला
23.	पचेवरखुर्द	24.	बटावदी
25.	नियाना	26.	मोलकी

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	क्र. सं.	विद्यालय का नाम
27.	ठीकरिया	28.	जयनगर
29.	चहेडिया	30.	श्रमलसरा
31.	दुगारी	32.	मानपुरा
33.	गोविन्दपुरा	34.	भौंरीजेडी
35.	ग्रामां की झोंपड़िया	36.	लिसाडी
37.	केवडा	38.	गोपालपुरा
39.	कल्याणपुरा	40.	बखाडीखेडा
41.	धावड़खेड़ी	42.	गुलाबपुरा
43.	खान की झोंपड़िया	44.	हनुवत खेड़ा
45.	ग्रांवडी	46.	देलाहेड़ी
47.	कोटडी	48.	मुण्डली
49.	पाकवखेडा	50.	भैरूपुरा
51.	कनाड़ा	52.	सोनवा
53.	सीगोला	54.	पटपड़ा
65.	श्रीनाल	56.	शाहपुरा
57.	छत्रपुरा	58.	पापड़ली
59.	घूकरखेडी	60.	कालूपुरा
61.	तिखोद	62.	खोखन्दा
63.	जावल	64.	जडावदियां
65.	चैनपुरिया	66.	किशनपुरा
67.	हरसोली	68.	कालून्दा
69.	बठेडियां	70.	रत्तपुरिया
71.	ईशरपुरा	72.	रीझिया
73.	बोरदा	74.	कुण्डवा
76.	भोज्याहेडी	76.	रेणगर
77.	हिगोनिया	78.	पापड़ली
79.	खानपुरिया	80.	रामपुराभगतान
81.	बालापुरा	82.	मूण्डला

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	क्र. सं.	विद्यालय का नाम
83.	झाडवा	84.	गुदरावनी
85.	मखागढ़	86.	जारेला
87.	भगवानपुरा	88.	बलदेवपुरा
89.	मूडया	90.	केलाखेडी
91.	कासीपुरा	92.	श्यामपुरा

फतेहपुर (सीकर) में उच्च माध्यमिक विद्यालय की मांग

111. **श्री अश्क अली** (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार फतेहपुर जिला सीकर में नया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी नहीं। अभी फतेहपुर जिला सीकर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दूदू क्षेत्र में अकालग्रस्त ग्राम

112. **श्री जयकिशन तोसावड़ा** (दूदू) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र, दूदू, में कौन-कौन से गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं तथा कौन-कौन से नहीं? कृपया दोनों प्रकार के गांवों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) जिन अकालग्रस्त गांवों को अकालग्रस्त गांवों की सूची में नहीं लिया गया है उसके क्या कारण हैं? अकालग्रस्त घोषित करने के क्या नार्म्स हैं?

(3) जिन गांवों को अभी तक अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, उन्हें अब कब तक अकालग्रस्त सूची में सम्मिलित किया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू के 45 गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं व 147 ग्राम अकालग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं। दोनों प्रकार के गांवों की सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा जयपुर जिले के दूदू विधान सभा क्षेत्र के 75 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक के खराबा वाले ग्राम जो अभावग्रस्त घोषित होने से अवशेष हैं, उनको अभावग्रस्त घोषित करने के आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार की यह नीति रही है कि जिन ग्रामों में खरीफ फसल में 50 प्रतिशत या इससे अधिक की क्षति होने पर उसे अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है।

(3) इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है।

सूची अकाल ग्रस्त ग्राम तहसील दूदू, विधान सभा क्षेत्र दूदू ।

क्रम संख्या	नाम ग्राम
1.	तन झाग
2.	दूदू
3.	झकोलड
4.	ममाना
5.	नीमली
6.	मोकडवास
7.	पींगून
8.	मोडकिला
9.	पानवाकला
10.	मरवा
11.	मोरडा
12.	कादरवा
13.	खाजपुरा
14.	सूरी
15.	गागराडू
16.	श्रीरामनगर
17.	गोपीपुरा
18.	चरसडा
19.	भोजपुरा
20.	छप्या
21.	सेवा
22.	नोरंगपुरा
23.	खुडियाला
24.	मांगलवाडा
25.	सवाईमाधोसिंहपुरा
26.	मीरापुरा
27.	चक मीरापुरा
28.	झाग

तहसील फुलेरा के अकालग्रस्त ग्रामों की सूची जो विधान सभा क्षेत्र दूदू में आते हैं

क्र. संख्या	नाम ग्राम
1.	कोरसीना
2.	डीडवाडा
3.	सरथला
4.	नांगल
5.	छापरी
6.	जावली
7.	हबसपुर
8.	हचुकड़ा
9.	सीगंला
10.	मीरावना
11.	दोबडी
12.	रिणगो
13.	काल्या
14.	शेखपुरा
15.	मोरडी खुर्द
16.	सीतारामपुरा
17.	पानवा

सूची ग्राम तहसील दूदू विधान सभा क्षेत्र जो प्रभावग्रस्त घोषित नहीं हैं

क्र. सं. 1	नाम ग्राम 2	क्र. सं. 1	नाम ग्राम 2
1.	सावरदा	32.	चक महेशपुरा
2.	कचनार	33.	पालूकला
3.	बिचून	34.	पालूखुर्द
4.	महराना	35.	गिदानी
5.	उगेरियावास	36.	चांदरमुल
6.	गुढावेरसुल	37.	मालिडा
7.	बोराज	38.	बीगोलाव
8.	महला	39.	नारदपुरा
9.	गिरधारीपुरा	40.	नानण
10.	झरना	41.	जेकमपुरा
11.	कल्याणसर	42.	उदयपुरा
12.	केसरीसिंहपुरा	43.	बीगोलाव
13.	गाडोता	44.	दांतडा
14.	गाडोती	45.	पचालिया
15.	सीतारामपुरा	46.	साखून
16.	श्योसिंहपुरा	47.	जडावता
17.	नासनोता	48.	साली
18.	कापडियावास कलां	49.	छिरं
19.	कापडियावास खुर्द	50.	गहलोता
20.	चक नासनोता	51.	सिरोहीकलां
21.	गोपालपुरा	52.	लदेरा
22.	कोटजेवर	53.	दांतरी
23.	मंगाती कलां	54	पछासोली
24.	खटवाड	55.	गेजी
25.	चक दूदू	56.	रहलाना
26.	किशनपुरा	57.	महतगांव
27.	मंगाती खुर्द	58.	केरिया बुजुर्ग
28.	श्री निवासपुरा	59.	घाघोती
29.	अखेपुरा	60.	ईटाखाई
30.	मानपुरा	61.	कचनारिया
31.	महेशपुरा	62.	नगरी

क्रम संख्या	नाम ग्राम	क्रम संख्या	नाम ग्राम
63.	गोठडा	80.	रैंटा
64.	गेगा	81.	रैंटी
65.	लापोडिया	82.	रोशनपुरा वनेडिया
66.	केरिया खुर्द	83.	डोगरा
67.	सनोदिया	84.	डोगरी
68.	हरसोली	85.	श्रीरामपुरा (अमरपुरा)
69.	सुनाडिया	86.	फरीयादपुरा
70.	उरसेवा	87.	गणेशपुरा
71.	खेडी चारणाना	88.	लोरडी
72.	छापरवाडा	89.	सवाईमानसिहपुरा
73.	तन छापरवाडा	90.	घमाना
74.	गुढ़ासायपुरा	91.	खेडीसुवा
75.	बागेत	92.	मोजमाबाद
76.	ककराला	93.	सावली
77.	श्योसिंहपुरा उर्फ बासडा	94.	रामपुरा भूरटिया
78.	बाढ़ ककराला	95.	विहारीपुरा
79.	रसीली	96.	डेडू

सूची ग्राम तहसील फुलेरा जो विधान सभा क्षेत्र दूदू में आते हैं और अकालग्रस्त घोषित नहीं हैं।

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
1.	गोविन्दपुरा	6.	सोलावता
2.	श्रीरामपुरा	7.	मण्डपी
3.	मौरुदा	8.	वरडोटी
4.	सिरोही खुर्द	9.	मोण्डवया
5.	कोटेडा	10.	नरैना

क्रम संख्या	नाम ग्राम	क्रम संख्या	नाम ग्राम
11.	चैनपुरा	32.	महेशवास
12.	नारदपुरा	33.	ढानी बोराज
13.	पीथ्यावास	34.	ढीढा
14.	कन्देवली	35.	ग्रासलपुर
15.	मोरसर	36.	वाढ मथुरादासपुरा
16.	रामनगर	37.	बोबास
17.	भावसा	38.	चन्दपुरा
18.	शार्दुलपुरा	39.	बुद्धजीका वास
19.	श्योसिंहपुरा	40.	चक बुद्धजी का वास
20.	शामलपुरा	41.	ढानी चन्दपुरा
21.	हरिपुरा	42.	बांमणियांवास
22.	भागपुरा	43.	डाकनियावास
23.	मातरडा	44.	कंवरपुरा
24.	रोजडी	45.	खेड़ी हलूका
25.	माल्यावास	46.	ग्राईदान का वास
26.	सुरसिंहपुरा	47.	बस्सीझाझडा
27.	माजीपुरा	48.	गुढाकुमावतान
28.	ग्रकोदा	49.	रामपुरा
29.	पालवास	50.	सरदारपुरा
30.	खेड़ीराम	51.	चारणवास
31.	हिरनोदा		

भूमि के नियम विरुद्ध बेचानों पर सरकारी रुख

113. **श्री हेमाराम चौधरी (गुडामलानी)** :- क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

क्या यह सही है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार न्यूनतम सीमा से कम कृषि भूमि के बेचान (Fragmentation) के कारण, जो कानून का स्पष्ट उल्लंघन है, राज्य में लाखों की संख्या में कृषि भूमि बेचान हो चुकी है परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत इजेक्टमेंट की कार्यवाही किये जाने से काश्तकारों को कृषि भूमि से बेदखल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार नियम विरुद्ध बेचानों को नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रभावशील होने के पूर्व धारा 42 के खण्ड (क) के उल्लंघन में किए गए विक्रय, दान या वसीयत को विधि मान्य करने के लिए धारा 42 क में प्रावधान विद्यमान है ।

नगर परिषद जोधपुर का बजट

114. **श्री बिरदमल (जोधपुर)** :— क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) जोधपुर नगर परिषद की अंतिम बैठक किस तारीख को हुई और उसके बाद बैठक न होने के क्या कारण है ?

(2) जोधपुर नगर परिषद के अध्यक्ष का त्यागपत्र कब स्वीकार हुआ और नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) जोधपुर नगर परिषद का बजट पारित हुआ या नहीं ? क्या नगर परिषद की व्यय स्वीकृति के लिए इस कारण राज्य सरकार के पास बार-बार स्वीकृति आवेदन आते हैं ? राज्य सरकार ने अब तक कितनी राशि स्वीकृत की हैं ?

(4) यदि बजट पारित हो गया तो अलग स्वीकृति क्यों ली जाती है ? यदि नहीं हुआ तो, तो राज्य सरकार इस विषय में क्या कदम उठाने का विचार करती है ?

उत्तर

(1) जोधपुर नगर परिषद की साधारण बैठक दिनांक 21-11-84 को हुई । इस तिथि के बाद अध्यक्ष द्वारा बैठक नहीं बुलाई गई ।

(2) जोधपुर नगर परिषद के अध्यक्ष द्वारा दिए गए त्यागपत्र के प्रभावशील होने के उपरांत दि. 17-11-84 को अध्यक्ष पद का कार्यभार नगरपरिषद के उपाध्यक्ष को संभालने के आदेश दिए गए थे । नए अध्यक्ष का चुनाव अभी नहीं हुआ है । चुनाव विभाग को, चुनाव की तिथि निश्चित करने के लिए सूचित कर दिया गया है ।

(3) जोधपुर नगर परिषद का बजट पारित हो चुका है । पूर्व में बजट स्वीकृत नहीं होने के कारण बजट में प्रस्तावित राशि का 20 प्रतिशत व्यय करने की

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

स्वीकृति दी गई। तत्पश्चात् नगरपरिषदें से व्यय करने की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्रों पर कर्मचारियों के वास्तविक वेतन चुकाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई थी।

(4) बजट पारित हो गया है। अलग से स्वीकृति देने का प्रश्न ही नहीं है।

जिला जयपुर के विद्यालयों में आवश्यकतानुसार अध्यापकों की व्यवस्था

115. **श्री भूदर मल** (दौसा).

श्री परसादी लाल (लालसोट):—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में जिला जयपुर में राज्य सरकार ने किस-किस प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में एवं माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्रमोन्नत विद्यालयों में अध्यापकों की पूर्ति कहां-कहां की जा चुकी है?

(3) किस-किस विद्यालय में आवश्यकतानुसार अध्यापक नहीं है और क्यों? वहां अध्यापकों की कब तक नियुक्ति कर दी जाएगी?

उत्तर

(1) वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में जिला जयपुर में प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत विद्यालय की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) क्रमोन्नत कुल 282 विद्यालयों में से 234 में अध्यापकों की पूर्ति की जा चुकी है। जिन विद्यालयों में अध्यापकों की पूर्ति नहीं की जा सकी है उसकी सूची संलग्न है।

(3) सत्र 83-84 में 27 तथा 84-85 में 21, वर्तमान में 48 विद्यालयों में आवश्यकतानुसार अध्यापक नहीं हैं। वरीयता सूचियों का निर्माण कराया जा रहा है। रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र ही सत्रारम्भ से पूर्व कर दी जाएगी।

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप 1) विभाग

सत्र 1983-84 में स्वीकृत किए गए उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची
जिला जयपुर

क्रमांक	विद्यालय का नाम	प. स./तहसील	स्वीकृति क्रमांक व दिनांक
1.	विमलपुरा	गोविन्दगढ़	प. 13 (7)सी-1/83 24.10.83
2.	किशनमानपुरा (कन्या)	गोविन्दगढ़	"
3.	गोविन्दपुरा बासड़ी प. बिलान्दपुरा	शाहपुरा	"
4.	जयसिंहपुरा	विराटनगर	"
5.	केशोपुरा (माग्यावास)	जयपुर	"
6.	ठीकरिया	जयपुर	"
7.	गोरदा	कोटपूतली	"
8.	दातिल (कन्या)	कोटपूतली	"
9.	रोजवाड़ी	बस्सी	"
10.	ठीकरिया गूजरान (कन्या)	बस्सी	"
11.	पड़ासोली	दूदू	"
12.	आसलपुर (कन्या)	दूदू	"
13.	जाहोता (कन्या)	आमेर	"
14.	रोजदा	आमेर	"
15.	चूनियावास	सांभर	"
16.	पचकोडिया (कन्या)	सांभर	"
17.	बीरासना	जमवारामगढ़	"
18	माथासूला (कन्या)	जमवारामगढ़	"
19.	कपूरवाला (कन्या)	सांगानेर	"
20.	चांवड का मण्ड (कन्या)	जमवारामगढ़	"
21.	खारकड़ा	जमवारामगढ़	"

217

1	2	3	4
22.	झापदा	लालसोट	24-10-83
23.	राहूवास (कन्या)	लालसोट	,,
24.	धरणावास (हाथावास)	दौसा	,,
25.	पापड़दा (कन्या)	दौसा	,,
26.	खाजलपुरा	चाकसू	,,
27.	हरसूलिया	फागी	,,
28.	घाटगेट (कन्या)	जयपुर शहर	2.11.83
29.	चांदपोल गेट	जयपुर शहर	11.11.83
30.	पुलिस अकादमी	जयपुर शहर	,,
31.	तोपखाना (कन्या)	जयपुर शहर	,,
32.	हेमल्यावाला	लालसोट	,,
33.	गुल्लाणा	बांदीकुई	,,
34.	तापड़िया (कन्या)	चाकसू	,,
35.	वामनवाड़ा	सिकराय	,,
36.	बूड़थल	बस्सी	28.11.83
37.	गहलोता	दूदू	,,
38.	सामथेड कलां	जमवारामगढ़	22.11.83
39.	सोठाना	विराटनगर	,,
40.	धवली (कन्या)	शाहपुरा	,,
41.	पांचोली (कन्या)	सिकराय	28-11-83
42.	पुन्दरपाड़ा (कन्या)	बांदीकुई	,,
43.	बांसा (कन्या)	गोविन्दगढ़	,,
44.	सुन्दरपुरा	कोटपूतली	,,
45.	भोम्याजी विद्यालय (कन्या)	जयपुर शहर	,,
46.	खजूरिया पंचायत करडासर	सांभर	,,
47.	इन्दावा	लालसोट	,,
48.	ठीकरिया मीनान (माडा योजना)	चाकसू	17-12-83

1	2	3	4
49.	धूमना (माडा योजना)	सिकराय	17-12-83
50.	हरिपुरा	दौसा	20-12-83
51.	तालवा बिहाजर	विराट नगर	,,
52.	रेटा	दूदू	,,
53.	थली ढाणी	चाकसू	26-12-83
54.	बिन्दरवाड़ा	सिकराय	,,
55.	नीझर	विराट नगर	,,
56.	पंडितपुरा	बांदीकुई	,,
57.	मालवीय नगर	जयपुर शहर	,,
58.	अजबपुरा बड़ का पाड़ा	लालसोट	,,
59.	दातला मीणान (माडा योजना)	जमवा रामगढ़	,,
60.	बनेठी (कन्या)	कोटपूतली	,,
61.	मन्डावरी	फागी	,,
62.	माण्यावास	सांगानेर	,,
63.	प्रतापपुरा	आमेर	,,
64.	महेसरा खुर्द	दौसा	6-1-84
65.	भिन्डरवाड़ा	सिकराय	,,
66.	जमात	लालसोट	,,
67.	मोरीजा (संस्कृत विद्यालय)	चौमू	4-1-84
68.	जसवन्तपुरा (संस्कृत विद्यालय)	शाहपुरा	,,
69.	नांगलबेला (संस्कृत विद्यालय)	जमवा रामगढ़	,,
70.	सरूंड	कोटपूतली	11-1-84

वर्ष 1983-84 में माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

1– राजकीय रामकरण जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय
दौसा (जयपुर)

सत्र 1984-85 में जयपुर जिले में स्वीकृत किये गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची :—

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	पंचायत समिति/ तहसील
1	2	3
1.	बालाहेड़ा	बांदीकुई
2.	देलाड़ी	बांदीकुई
3.	नांगल झामरवाड़ा	बांदीकुई
4.	रूपवास (कन्या)	बांदीकुई
5.	धूलकोट	सिकराय
6.	छोकरवाड़ा	सिकराय
7.	पाड़ली (कन्या)	सिकराय
8.	नांगल सुवावतान	आमेर
9.	खन्नीपुरा	आमेर
10.	ईसराला	आमेर
11.	माचवा	झोटवाड़ा
12.	दुर्जनियावास	झोटवाड़ा
13.	हरमाड़ा (कन्या)	आमेर
14.	भगतपुरा	दूदू
15.	गिदानी	दूदू
16.	सुनाड़िया	दूदू
17.	अरिदान का बास	दूदू
18.	सांखून (कन्या)	दूदू
19.	त्योदा ग्राम पं. त्योद	सांभर
20.	जैतपुरा	फुलेरा
21.	अनलपुरा	सांभर
22.	प्रतापपुरा (कन्या)	फुलेरा
23.	शीतल निवास	जयपुर शहर

1	2	3
24.	विद्याधर नगर	जयपुर शहर
25.	मुरलीपुरा	जयपुर शहर
26.	तोपखाना देश हरिजन बस्ती (कन्या)	जयपुर शहर
27.	हस्तेड़ा (कन्या)	गोविन्दगढ़
28.	कानरपुरा	गोविन्दगढ़
29.	खादी बाग, चोमू	गोविन्दगढ़
30.	सोरसा	गोविन्दगढ़
31.	देबका हरमाड़ा	आमेर
32.	माजीपुरा	जमवारामगढ़
33.	अर्जुनपुरा	जमवारामगढ़
34.	धामस्या	जमवारामगढ़
35.	पालड़ी	विराटनगर
36.	खवा रानीजी (कन्या)	जमवारामगढ़
37.	कचोलिया	बस्सी
38.	दनाउकलां	बस्सी
39.	कोसिया	चाकसू
40.	कोटखावदा	(कन्या) चाकसू
41.	दामोदरपुरा	बस्सी
42.	बाणकाबरखेड़ा	दौसा
43.	घमड़ी	दौसा
44.	कालीपहाड़ी	दौसा
45.	कामलेश्वर	दौसा
46.	मानपुरिया पं. प्यारीबास	दौसा
47.	सीतापुरा	सांगानेर
48.	दारिया	सांगानेर
49.	शिकारपुरा	सांगानेर
50.	जयपुरा	सांगानेर
51.	मांकरोटा (कन्या)	सांगानेर
52.	विदरख्या	लालसोट
53.	पासून्दा	लालसोट
54.	डोब	लालसोट
55.	कुटक्या	लालसोट
56.	रतनपुरा	लालसोट

1	2	3
57.	पाथरेडी	कोटपूतली
58.	डाडय	कोटपूतली
59.	द्वारिकापुरी	कोटपूतली
60.	कुनेडतन छोलना	कोटपूतली
61.	नारेडा (कन्या)	कोटपूतली
62.	सेपचा वाली	शाहपुरा
63.	पिपलोद	शाहपुरा
64.	रावपुरा	शाहपुरा
65.	कैरली (ग्रातेला)	विराट नगर
66.	छितेली	विराट नगर
67.	माभरू (कन्या)	विराट नगर
68.	पहाड़िया	फागी
69.	किशोरपुरा	फागी
70.	दातेरा	फागी
71.	भोजपुरा	फागी
72.	रूपवास	जमवारामगढ़
73.	सांउ	जमवारामगढ़
74.	भवपुरा ग्रखाडी	जमवारामगढ़
75.	नाभावाला	जमवारामगढ़
76.	चावण्डिया (कन्या)	जमवारामगढ़
77.	घूशी ग्रहिरान	चाकसू
78.	पुराना घाट	जयपुर शहर
79.	सेठी कालोनी	जयपुर शहर
80	खो नागोरियान	जयपुर शहर
81.	लालकोठी	जयपुर शहर
82.	सुशीलपुरा	जयपुर शहर
83.	सांभलपुरा	दूदू
84.	खेड़ी	जोवनेर
85.	रणजीतपुरा	गोविन्दगढ़
86.	छांदेल	चाकसू
87.	शीतलामाता (कन्या)	चाकसू
88.	मुही	बांदीकुई
89.	सवड़ावली	बांदीकुई

1	2	3
90.	मिश्रों की ढाणी पं. जूण	दौसा
91.	मिर्जापुरा	लालसोट
92.	जयसिंहपुरा	कोटपूतली
93.	शेरपुरा (खोरी)	शाहपुरा
94.	भुरानपुरा जाटान	जमवा रामगढ़
95.	करेड़ा खुर्द	चाकसू
96.	राजपुरा	शाहपुरा
97.	आखाड़ी	जमवा रामगढ़
98.	मांगलनाड़ा	दूदू
99.	मांगलवाड़ी	आमेर
100.	ऍंचाड़ी	बांदीकुई
101.	बिवाई (कन्या)	बांदीकुई
102.	कूकस	आमेर
103.	रूण्डल (कन्या)	आमेर
104.	शेखावाटियों की घेर आनन्दपुरी	जयपुर शहर
105.	जोघूला	विराट नगर
106.	हणुतपुरा (खोरालाडखानी)	शाहपुरा
107.	हरीपुरा	चाकसू
108.	हबसपुरा	दूदू
109.	अखेपुरा (जढानी)	दूदू
110.	मुण्डवारा	सांभर
111.	कल्याणपुर (गिलावरी जोहड़ी)	मनोहरपुर नगर पालिका
112	करतारपुरा	जयपुर शहर
113.	मानावाली पं. कानोता	शाहपुरा
114.	मालियों की ढाणी पंचायत (नायन)	शाहपुरा
115.	उदयपुरिया (कन्या)	गोविन्दगढ़
116.	सांघरसर	गोविन्दगढ़
117.	श्री बालाजी (पं. आंतेला)	विराट नगर
118.	रामपुरा	कोटपूतली
119.	केशवाना राजपूत	कोटपूतली

1	2	3
120.	रालावास	लालसोट
121.	शेरसिंह रनवास	दौसा
122.	मण्डाना	दौसा
123.	कोठी कोलियान	जयपुर शहर
124.	मुरलीपुरा	सांभर
125.	कल्याणपुरा	लालसोट
126.	अम्बेडकर (कन्या)	जयपुर शहर
127.	मण्डला (कन्या)	दूदू
128.	खातोलाई (पं. जवानपुरा)	(विराट नगर)
129.	नान्दरी	सिकराय
130.	सुमेल	झोटवाड़ा
131.	चांदहेड़ा (नागलवैरसी)	दौसा
132.	गुढासरवन	आमेर
133.	निजामपुरा	लालसोट
134.	मोजाड़ा	चाकसू
135.	हंसमहल	बस्सी
136.	टोडामाटा	बस्सी
137.	मलारना	दौसा
138.	कुन्दनपुरा	सांगानेर
139.	गीजगढ़	सिकराय
140.	जवाहर नगर	जयपुर शहर
141.	श्रीमा	लालसोट
142.	कानोता (कन्या)	शाहपुरा
143.	छारसा (कन्या)	शाहपुरा
144.	मामोद (कन्या)	विराट नगर
145.	किशनगढ़ रेनवाल (संस्कृत)	सांभर
146.	खेमावास (संस्कृत)	लालसोट
147.	नारदपुरा (संस्कृत)	बस्सी
148.	चारणवास (संस्कृत)	चौमू
149.	रतनपुरा (संस्कृत)	जमवा रामगढ़
150.	हणुलिया (संस्कृत)	शाहपुरा
151.	बस्सी नागा (संस्कृत)	सांभर
152.	सुन्दर का वास	आमेर

(224)

1	2	3
153.	बागावास अहीरान (कन्या)	विराट नगर
154.	जाजेखुर्द उर्फ बिशनपुरा	विराट नगर
155.	अमरपुरा	शाहपुरा
156.	मरया का बास	शाहपुरा
157.	भामोद (कन्या)	विराट नगर
158.	झाक (कन्या)	दूदू
159.	हसनपुरा (ओल्ड) कान्ती चन्द्र रोड	जयपुर शहर

सत्र 1984—85 में स्वीकृत किये गये माध्यमिक विद्यालयों की सूची :—

जिला—जयपुर

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	पं. स./त.
1.	पालड़ीमीना	जयपुर शहर
2.	हीरापुरा	झोटवाड़ा
3.	धनावड़	बांदीकुई
4.	कोलाना	बांदीकुई
5.	सिकराय (कन्या)	सिकराय
6.	रामपुराडाबड़ी	आमेर
7.	खीरामीणा	आमेर
8	बोबास	दूदू
9.	महला	दूदू
10.	मोजपुरा	फुलेरा
11.	रामजीपुराकलां	फुलेरा
12	आष्टीकलां	गोविन्दगढ़
13,	सेजरोली (कन्या)	गोविन्दगढ़
14.	थोलाई	जमवारामगढ़
15.	बूज	जमवारामगढ़
16.	सीमल्या	चाकसू
17.	भमोरिया	सांगानेर
18.	सोनड़	लालसोट
19.	सिवसिंहपुरा	लालसोट
20.	पवाना	कोटपूतली
21.	त्रिमनपुरा	कोटपूतली
22	हणुतपुरा	शाहपुरा

1	2	3
23.	मनोहरपुर (कन्या)	शाहपुरा
24.	मेहन्दवास	फागी
25.	नीमोड़िया	चाकसू
26.	घोला	ज मवारामगढ़
27.	जोता	दौसा
28.	देवगांव	वस्सी
29.	रामनगर	चाकसू
30.	खावारावजी	दौसा
31.	अमरसर (कन्या)	शाहपुरा
32.	झोटवाड़ा	झोटवाड़ा
33.	रामपुरारूपा	बरकतनगर (टोंक फाटक) जयपुर
34.	भाण्डारेज (कन्या)	दौसा
35.	टोडामीम	जमवारामगढ़
36.	जसवन्तपुर (संस्कृत)	शाहपुरा

जयपुर जिले में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची (सत्र 1984-85)

क्र.सं.	माध्यमिक विद्यालय का नाम	पंचायत समिति/तहसील
1	2	3
1.	मौजमाबाद (तहसील मुख्यालय)	दूदू
2.	आमेर	आमेर
3.	चौमू (कन्या)	गोविन्दगढ़
4.	बांदीकुई (कन्या)	बांदीकुई
5.	सांगानेर (कन्या)	सांगानेर
6.	आंतेला	विराट नगर
7.	चांवण्डिया	जमवा रामगढ़
8.	दूदू	दूदू
9.	सिकन्दरा	सिकराय
10.	रामगढ़ पचवारा	लालसोट
11.	विराट नगर (कन्या)	लालसोट
12.	कोटपूतली (कन्या)	कोटपूतली
13.	लवाण	दौसा
14.	वाटिका	सांगानेर
15.	मूडियारामसर	झोटवाड़ा
16.	गणपति नगर	जयपुर शहर

उन विद्यालयों की सूची जहां अध्यापक आवश्यकता के अनुसार नहीं :—

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	पंचायत समिति	कमी
1.	राउप्रावि. हरसूलिया	फागी	2
2.	,, गहलोता	दूदू	3
3.	,, रेटा	दूदू	1
4.	,, सुन्दरपुरा	कोटपूतली	4
5.	,, मोरदा	,,	4
6.	,, सरूण्ड	,,	3
7.	,, पड़ासोली	दूदू	4
8.	,, खजूरिया	सांभर	1
9.	,, लुनियाबास	,,	3
10.	,, विरासना	ज० रामगढ़	5
11.	,, खरकड़ा	,,	6
12.	,, सामरेड़कलां	,,	2
13.	,, खाजुलपुरा	चाकसू	2
14.	राबाउप्रावि. दालिल	कोटपूतली	5
15.	,, पचकोडिया	सांभर	4
16.	,, माधासूला	जमवारामगढ़	4
17.	,, आसलपुर	दूदू	5
18.	,, धवली	शाहपुरा	5
19.	,, तामडिया	चाकसू	4
20.	,, राहूवास	लालसोट	2
21.	,, पुन्दरवाड़ा	बांदीकुई	2
22.	,, बांसा	गोविन्दगढ़	1
23.	,, किशनमानपुरा	गोविन्दगढ़	2
24.	,, कपूरवाला	सांगानेर	1
25.	,, पापड़दा	दौसा	2
26.	,, जजहोता	आमेर	1
27.	,, ठिकरिया गुजरान	बस्सी	1

सत्र 1984-85 में क्रमोन्नत उ.प्रा.वि./मा.वि./उ.मा.वि. की सूची जिनमें आवश्यकता अनुसार अध्यापक नहीं है :—

क्र.सं.		विद्यालय का नाम	पंचायत समिति	कमी
1.	रामावि.	महला	दूदू	1
2.	,,	बूज	ज.रा.	1
3.	,,	थोलाई	ज.रा.	1
4.	,,	सीमलीया	चाकसू	1
5.	,,	चिमनपुरा	कोट	1
6.	,,	निमोड़िया	चाकसू	1
7.	,,	मेन्दवास	फागी	1
8.	,,	झोटवाड़ा	जयपुर	1
9.	,,	टोडा मीणा	ज.रा.	2
10.	राउप्रावि.	हब्सपुरा	दूदू	1
11.	,,	गागरेडू	,,	1
12.	,,	आईदनिकावास	,,	1
13.	,,	अमरपुरा	शाहपुरा	1
14.	,,	भरया का बास	,,	1
15.	,,	हसनपुरा ओल्ड	जयपुर शहर	1
16.	,,	जाजेखुर्द उपनिवेशनपुरा	वि.नं.	1
17.	,,	दूदू	दूदू	2
18.	,,	मजिमाबाद	दूदू	2
19.	,,	चावण्डिया	ज.रा.	2
20.	,,	आन्तेल	वि.नं.	2
21.	,,	गणपतिनगर	जयपुर	1

अजमेर नगर में बाढ़ की समस्या का समाधान

116. **श्री राजकुमार जयपाल** (अजमेर पूर्व) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में बाढ़ आये वर्ष आती रहती है और उससे निचली बस्तियों के डूब का भय बना रहता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि लगातार तीन इंच वर्षा हो जाने पर सारी सड़कों पर अजमेर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोगों का आना-जाना अवरुद्ध हो जाता है ?

(3) इसके हल हेतु राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अजमेर में सन् 1975 से गत 10 वर्षों में सिर्फ 2 बार सन् 1975 तथा 1979 में बाढ़ आई थी लेकिन यह सही है कि बाढ़ के समय निचली बस्तियों में पानी भर जाता है।

(2) यह सही है कि लगातार तीन इन्च वर्षा होने पर कचहरी रोड तथा निचली बस्तियों की सड़कों पर पानी बहता है तथा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। किन्तु शहर की मुख्य सड़कों पर आवागमन चालू रहता है।

(3) इसके हल हेतु राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा अजमेर शहर के बाढ़ से बचाव हेतु 870 लाख रुपये की एक योजना बनाई गई थी। इस योजना के अन्तर्गत कार्य चल रहा है।

तहसील लालसोट में अध्यापकों की कमी

118. **श्री परसादी लाल** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील लालसोट की माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कहां कहां कितनी कमी है और क्यों ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) अध्यापकों की कमी की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) तहसील लालसोट में माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद स्थानान्तरण के कारण रिक्त हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का प्रयास किया जा रहा है।

क्र.सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पत्र		कार्यरत पद		रिक्त पद	
		II	III	II	III	II	III
	माध्यमिक विद्यालय						
1.	रा.बा.मा.वि., लालसोट	5	3	4	3	1	—
	उच्च प्राथमिक विद्यालय						
1.	रा.बा.उ.प्रा.वि., रामगढ पचवारा	1	4	1	2	—	2
2.	रा.बा.उ.प्रा.वि., मण्डावरी	1	7	1	5	—	2
3.	रा.बा.उ.प्रा.वि., राहूवास	1	2	1	1	—	1
						1 + 5 = 6	

महुवा क्षेत्र में सड़क निर्माण

119. **श्री किरोड़ी लाल** (महुवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र, महुवा में वर्ष 1982-83 से अब तक कौन-कौन सी सड़कें कब-कब मन्जूर हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) किस-किस सड़क का काम कब कब प्रारम्भ किया गया तथा अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई ?

(3) क्या यह सच है कि इन सड़कों पर चल रहा कार्य वर्तमान में बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ? यदि नहीं तो कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा और सड़कें बनकर कब तक पूर्ण हो जावेंगी ?

उत्तर

(1) एवं (2) सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं, वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर जल्दी ही पूर्ण कर दी जायेगी ?

सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का क्र. व दिनांक	कार्य प्रारम्भ किये जाने का दिनांक	माह फरवरी, 85 तक व्यय राशि लाखों में
1	2	3	4	5
1.	महुवा से श्रोड सड़क का निर्माण	एफ-2(32) पी. डब्लू/एस.एस./92/ दि. 22-10-82	19-4-83	6.91
2.	रसीदपुर ग्राम तक नदी के किनारे पहुंच सड़क का निर्माण कार्य	,, ,,	23-1-85	0.16
3.	पाखर के रसीदपुर तक सड़क निर्माण कार्य	,, ,,	15-10-83	0.96
4.	काली पहाड़ से पाली गोपर तक सड़क निर्माण कार्य	,, ,,	25-1-85	0.41
5.	महुवा से हुडला तक सड़क का निर्माण कार्य	,, ,,	1-1-85	0.61
6.	पीलवा से रसीदपुर तक सड़क का निर्माण कार्य	,, ,,	25-1-85	0.24
7.	मिसिंग लिंक गढ़ हिम्मतसिंह से घोसराना सड़क का निर्माण कार्य	,, ,,	2-3-85	0.44
8.	मिसिंग लिंक सांथा से रनधीरगढ़ सड़क का निर्माण कार्य	,, ,,	27-2-85	0.69
9.	एल/श्रार वालाहेरी से हुडियाना	,, ,,	4-2-85	0.46
10.	एप्रोच रोड़ जटवाड़ा से नागलमीना तक सड़क निर्माण कार्य	,, ,,	कार्य जमीन के विवाद के कारण बंद है।	0.11

1	2	3	4	5
11.	एप्रोच रोड़ ढंड तक	एफ-2(5) विकास/राज्यमार्ग पाजा/184/दि. 9-11-84	2-3-85	—
12.	एप्रोच रोड़ नाहिडा तक गूजरमल के बाग से	,, ,,	कार्य भूमि विवाद के कारण नहीं किया जा सकता।	—
13.	एल/आर लेडला से वॉल	,, ,,	2-3-85	0.13
14.	एप्रोच रोड़ खेडला से करेरी	,, ,,	2-3-85	0.84

जिला चूरू में पेयजल व्यवस्था

120. **श्रीमती हमीदा बेगम** (चूरू) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चूरू जिले के गांवों में पीने के पानी की सुव्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार इस जिले के व्यक्तियों के लिये भीषण अकाल को देखते हुये पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु प्रयास कर रही है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) चूरू जिले की कुल 818 समस्या-ग्रस्त गांवों में से 620 गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करादी गई है। इनमें से अन्तिम छोर के 82 गांवों में पेयजल व्यवस्था अपर्याप्त है।

(2) जी, हां। विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं के अधिवर्धन के अन्तर्गत कुओं में बोरिंग का कार्य करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अकाल राहत के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु नलकूपों के निर्माण, कुओं की बोरिंग एवं परीक्षात्मक नलकूपों के निर्माण के प्रस्तावों पर धन की उपलब्धता एवं तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार कार्य करवाया जायेगा।

अजमेर नगर परिषद् सीमा व तहसील में अवस्थित देशी सुरा की दुकानें

121. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले की अजमेर तहसील व अजमेर नगर परिषद् सीमाओं में देशी शराब की दुकानें कहां-कहां अवस्थित हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन दुकानों के स्थान चयन के विरुद्ध क्या जन प्रतिनिधियों ने समय-समय पर आवाज उठाई ? यदि हां तो कहां-कहां के लिये व क्या कार्यवाही की गई ?

(3) सरकार के इस सम्बन्ध में क्या नीति निर्देश हैं कि कहां-कहां दुकानें नहीं खोली जानी चाहियें ?

उत्तर

(1) अजमेर तहसील की देशी शराब की दुकानों की सूची परिशिष्ट "क" एवं अजमेर नगर की दुकानों की सूची परिशिष्ट "ख" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

दुकानें प्रारम्भ होने के बाद निम्न दुकानों के बारे में जनप्रतिनिधियों से आक्षेप प्राप्त हुए—

1. माखुपुरा
2. नागेलाव

शिकायतों पर निम्न कार्यवाही की गई :—

1. माखुपुरा :—अनुज्ञाधारी को दुकान हटाने का नोटिस दिया गया जिस पर वह न्यायालय में चला गया तथा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(ग्राबकारी मंत्री)

2. नागेलाव :—शिकायत की जांच करने पर स्थान नियमानुकूल पाया गया अतः शिकायत फाइल कर दी गई।

(3) राजस्थान ग्रावकारी नियम 1956 के नियम 75 में दुकानों के स्थान निर्धारण के बारे में प्रावधान है। जिसके अनुसार जिला ग्रावकारी दुकानों का स्थान तय करता है। इस नियम में शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, पूजा स्थलों एवं लोक मनोरंजन के स्थानों के पास स्थित नहीं होनी चाहियें। उसी प्रकार इन्हें किसी फैक्टरी, लेबर कालोनी और हरिजन बस्ती से भी दूर रखा जाना चाहिये।

इसी प्रकार लाइसेंस की शर्त संख्या 11 में भी कहां दुकान नहीं खोली जा सकती है उसका उल्लेख किया गया है। टेम्परेन्स प्रोग्राम में भी दुकानों के स्थानों के बारे में दिशा निर्देश है।

सूची "क"

अजमेर तहसील में स्थित देशी शराब की दुकानात

क्र.सं.	नाम दुकान	उप दुकान
1.	नारेली	—
2.	श्रीनगर	1. बडालिया
3.	गनाहेड़ा	—
4.	गगवाना	—
5.	वीर	—
6.	सराधना	—
7.	तविति	—
8.	गोविन्दगढ़	—
9.	पीसांगन	—
10.	जठाना	—
11.	पीछोलिया	—
12.	नरवर	—
13.	नागेलाव	—
14.	कालेसरा	—
15.	दान्तड़ा	—

क्र. सं.	नाम दुकान	उप दुकान
16.	भवता	—
17.	लाड़पुरा	—
18.	केसरपुरा	—
19.	नसीराबाद	1. फूलागंज नसीराबाद
		2. भवानीखेड़ा
		3. नालंदा
		4. राजोशी
20.	त्रिकचियावास	—
21.	डबरेला	—
22.	झड़वासा	—
23.	रामसर	1. कानपुरा
24.	बाव्सुरी	—
25.	न्यारा	—
26.	राजगढ़	—
27.	बुवाणी	—
28.	सरदारसिंह की ढाणी	—

सूची "ख"

अजमेर शहर नगर परिषद सीमाओं में देशी मदिरा दुकानों की सूची

क्र.सं.	दुकान का नाम	उप दुकान
1.	किशनगंज	लोहागल रोड़
2.	गंज	1. मीरशाली
		2. भजनगंज
3.	कहार मोहल्ला	तोपदड़ा
4.	जी.पी.ओ. से केसरबाग चौकी	सुभाषनगर
5.	मार्टिंडिल ब्रिज से आदर्श नगर	कल्याणीपुरा
6.	जादुगर	1. गुलाबबाड़ी

235

क्र. सं.	दुकान का नाम	उप दुकान
		2. मदरपुरा
7.	रामगंज	जोन्सगंज
8.	उसरीगेट	—
9.	रामनगर	—
10.	परवतपुरा	1. माखुपुरा 2. खाजुपुरा
11.	पहाडगंज	—
12.	फाईसागर	—
13.	नोसर	—

सिकराय क्षेत्र में सड़क निर्माण

122. **श्री प्रभुदयाल** (सिकराय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सिकराय (जयपुर) की कौन कौनसी सड़कें मास्टर प्लान में ली गई हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) वर्तमान में इस क्षेत्र में कौन-कौनसी सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) वर्तमान में इस क्षेत्र में मिसिंगलिंक नादोती गीजगढ़ से टोडाभीम वाया नाहर-खोडा सड़क का कार्य चल रहा है ।

सूची

जिला जयपुर **तहसील सिकराय**

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	सड़क का नाम
1	2	3
1.	सिकराय	ठीकरिया से चन्देरा वाया कोरोडी वाण गंगा नदी की सीमा तक ।
2.	,,	सिकराय से मीना शिमला रा. उ. मार्ग-11 हिगवा उदयपुर नांदरी ।
3.	,,	सिकराय से दादा बसेडी वाया कुण्डेरा डूंगर ।

1	2	3
4.	सिकराय	सम्पर्क सड़क नेमतर से सिकराय गीजगढ़ रोड़।
5.	,,	सिकदरा से लंका बंदेराज सड़क किमी० 21 वाया गंगेदवरी, गंववारा टोरड़ा, बरेंदा तक।
6.	,,	सिकदरा से गर्थ वाया छोकरवाड़ घोली का शेखपुरा गुमानपुरा तक।
7.	,,	गुमाना से बरामदा वाया गडोराकाला खो।
8.	,,	सिकदरा से बामनपारा।
9.	,,	सम्पर्क सड़क कलाई तक।
10.	,,	टोरडा से काला खों वाया फीरसपुरा।
11.	,,	ग्रमान वराया से सिकराय वाया कलवा।
12.	,,	सम्पर्क सड़क ग्रचलपुरा तक।
13.	,,	बंदरराज लालसर सड़क से खबा वाया मोहिगपुरा
14.	,,	सम्पर्क सड़क पीपलकी तक।

परिवहन निगम की हाड़ौती क्षेत्र में संचालित बसें

123. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) **श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन-निगम ने जयपुर-छबड़ा, ग्रजमेर-छबड़ा एवं कोटा-भोपाल वाया बारां, छीपाबड़ौद, इकलेरा बसों का संचालन प्रारंभ किया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उक्त मार्गों पर संचालित बसों को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बसों को बन्द करने से सामान्य जनता, किसानों तथा व्यापारियों को भारी धक्का लगा है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों पर निगम का पुन: कब-से बसें संचालित करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी नहीं। इन मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा बस सेवाग्रों का संचालन ही प्रारम्भ नहीं किया गया है। ग्रत: इनको बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटपूतली गोलीकांड जांच ग्रायोग

124. **श्री नाथूसिंह** (टोड़ाराय सिंह), **श्री दाऊदयाल जोशी**, (दीगोद) : क्या

(श्री नाथूसिंह)

गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटपूतली गोलीकाण्ड से सम्बन्धित मामले में कोई जांच आयोग गठित किया गया था ?

(2) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन व्यक्ति शामिल थे व इसकी रिपोर्ट कब तक देने को कहा गया था ?

(3) क्या उक्त सम्बन्ध में जांच का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) (i) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. के. शर्मा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग की नियुक्ति की गई।

(ii) जांच आयोग से 31-7-85 तक रिपोर्ट देने हेतु कहा गया है।

(3) जी नहीं, आयोग द्वारा जांच जारी है।

कृषि भूमि पर बने भवनों का नियमन

125. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) : क्या नगर विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि भूमि पर बने मकानों को नियमन करने के लिए कितनी धन राशि जयपुर नगर की विभिन्न कालोनियों के स्वामियों से वर्ष 1982 में जमा कराई गई ? कृपया बस्तीवार स्वामी संख्या एवं कुल राशि का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त गृह स्वामियों में कितने को मकानों के नक्शे पास कर पट्टे उपलब्ध करा दिये गये हैं ? कृपया बस्तीवार विवरण सदन के पटल पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) नगर विकास प्राधिकरण के द्वारा कितने दिन में नक्शे पास किये जाने व पट्टे दिये जाने की योजना घोषित की गयी थी ? कृपया तत्सम्बन्धी विवरण सदन के पटल पर रखें। क्या उक्त मकानों के नियमन में जिनका पैसा 3 वर्ष पूर्व में जमा हो चुका है पट्टा दिये जाने में कठिनाई है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण जहां की तहां बसे उप-नगरों व विभिन्न कालोनियों को ध्यान में रखते हुए बगैर उन्हें नुकसान पहुंचे जयपुर के मास्टर प्लान में परिवर्तन करना चाहता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) जयपुर के मास्टर प्लान का खाका कौन और कहां बनाता है ? इस पर आने वाले व्यय की राशि कितनी होती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982 में रुपान्तरण नियम 1981 के अन्तर्गत 918.33 लाख रुपए रूपान्तरण शुल्क के रूप में जमा कराई गई। बस्तीवार भूखण्डधारियों की संख्या का विवरण संलग्न है।

(2) पट्टे उपलब्ध कराना व मकानों के

(नगर श्रायोजना मंत्री)

नक्शे पास करना दोनों पृथक-पृथक कार्य है। रुपान्तरण कर लीज डीड जारी करने का कार्य जिलाधीश भूमि रुपान्तरण के द्वारा होता है तथा मकानों के नक्शे पास करने का कार्य विकास प्राधिकरण द्वारा होता है। रुपान्तरण कार्यालय द्वारा अब तक 5 लीज डीड जारी किये गये है व 15029 में अन्तिम रूप से आदेश दिये जा चुके हैं।

(3) रूपान्तरण नियम' 1981 के नियम 8 के अन्तर्गत जे. डी. ए. से योजनाओं की तकनीकी जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और उसी के पश्चात भूमि रुपान्तरण कार्यालय से आदेश पारित किये जाते हैं।

भूखण्डों के नियमितिकरण के पश्चात पट्टा दिये जाने के संबंध में निम्न बातों का होना आवश्यक है :—

अ– परिधीय विकास शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य प्रभार जमा होना।

ब–भूमि अवाप्ति से मुक्त होना।

स–भूखण्डधारी द्वारा प्रावधित प्रक्रिया न अपनाया जाना।

उपरोक्त बातों का अभाव होने के कारण पट्टा अभिलेख जारी करना संभव नहीं होगा।

(4) मास्टर प्लान नियोजन की यह सामान्य नीति रहती है कि उप नगरों एवं कालोनियों को नुकसान न पहुंचाया जाय। जयपुर मास्टर प्लान में इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं।

(5) वर्तमान जयपुर मास्टर प्लान का नियोजन नगर नियोजन विभाग द्वारा सन् 1976 में किया गया था जो 1991 तक के लिए बनाया गया है। सन् 1991 के बाद के मास्टर प्लान का नियोजन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। मास्टर प्लान नियोजन के लिए पूरा प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाया जा रहा है। आने वाले व्यय के संबंध में पूरी सूचना इसके पश्चात् ही निश्चित हो सकेगी।

विवरण विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

सांचौर में अकाल ग्रस्त ग्रामों में राहत कार्य

126. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर की तहसील सांचौर में कई ग्राम अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से कितने गांव हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभावग्रस्त गांवों में अब तक सरकार द्वारा क्या क्या अकाल सहायता कार्य खोले गए हैं? उन कार्यों को कब तक शुरू करवा दिया जायगा?

(3) क्या तहसील सांचौर के अभावग्रस्त गांवों की वसूलियां स्थगित कर दी गई हैं? यदि हां तो कब तक से? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(4) अभावग्रस्त गांवों में पीने के पानी का अब तक क्या क्या प्रबंध किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां । जिला जालौर की तहसील सांचौर के कुल 69 ग्राम संवत् 2041 में अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) उक्त अभावग्रस्त गांवों में सहायता कार्य खोलने की स्वीकृतियां दिनांक 18.3.85 को जारी कर दी गई है । मुख्यत: बांध के कार्यों की स्वीकृति दी गई है । जिलाधीश स्तर से कार्यों के शीघ्र प्रारम्भ किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

(3) अभावग्रस्त घोषित गांवों के लिये चालू भू-राजस्व की वसूली दिनांक 30-9-85 तक स्थगित कर दी गई है । ये आदेश दिनांक 15.1.85 को जारी कर दिये गये थे । सरकारी वसूलियों के स्थगन के आदेश शीघ्र ही जारी किये जा रहे हैं ।

(4) तहसीलदार, सांचौर की मांग के अनुसार तहसील सांचौर के छ: ग्रामों में पीने का पानी टैंकर के माध्यम से सुलभ करवाया जा रहा है ।

अभावग्रस्त गांवों की सूची तहसील-सांचौर

1.	सांचौर	18.	पलादरा
2.	धमाणा	19.	नेनोल
3.	कमालपुरा	20.	दांता
4.	मिवेश्वर	21.	लूणियासर
5.	पालड़ी सोलकियान	22.	कांटोल
6.	जाखल	23.	गोलासण
7.	डेडवा	24.	गरड़ाली
8.	कारोला	25.	पहाड़पुरा
9.	लाछड़ी	26.	अगार
10.	फालना	27.	मड़वल
11.	हाड़ेसर	28.	धूड़वा
12.	जाजूसण	29.	कोड
13.	पथपंडा	30.	लालपुरा
14.	बड़सम	31.	छजारा
15.	मेड़ा	32.	कूड़ा
16.	विरोल	33.	वोढ़ा
17.	प्रतापपुरा	34.	धाणा

1	2	3	4
35.	दौरा	53.	रतनपुरा
36.	भोदरड़ा	54.	डाबल
37.	लियादरा	55.	हिण्डवाड़ा
38.	भाब	56.	सांगड़वा
39.	ग्रण्खोल	57.	वरण्पुरी
40.	ग्राकोली	58.	परावा
41.	खिरोड़ी	59.	भोटड़
42.	करावड़ी	60.	वासन चौहान
43.	हरियाली	61.	डबाल
44.	डांगरा	62.	किलवा
45.	बनाना	63.	हाडेवा
46.	भड़कुग्रा	64.	ग्रामली
47.	देवड़ा	65.	भीम गुड़ा
48.	भूसेल	66.	ग्रारवा
49.	जेलातरा	67.	वेड़िया
50.	विजरोल	68.	कलजी की वेरी
51.	पमाणा	69.	ग्राकोडिया
52.	जेरोल		

ग्राम उदासर (बीकानेर) के कृषकों की भूमि का अवाप्तिकरण

127. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि जिला बीकानेर के ग्राम उदासर के कृषकों की कृषि भूमि बिना अवाप्ति कार्यवाही के कब्जे में ले ली गई है ? यदि हां, तो क्या उन कृषकों को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में द्वितीय चरण में भूमिहीन काश्तकार की हैसियत से एक ही स्थान पर भूमि आवंटित करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

यह सही है कि जिला बीकानेर के ग्राम उदासर के खातेदार कृषकों की भूमि को भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किए बिना भारत सरकार के रक्षा विभाग को दी थी। उस भूमि के बदले में जिला बीकानेर ग्राम काउनी में उन्हें तथा अन्य गैर खातेदार कृषकों को अन्य भूमि दे दी गयी थी परन्तु उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। खातेदार कृषकों को तथा सक्षम अस्थाई कृषकों को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के द्वितीय चरण में भूमि आवंटन करने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

निवाई-बौंली सड़क का निर्माण

128. **श्री ग्यारसीलाल** (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निवाई-बौंली सड़क पर 1980 से अब तक निविदायें कब-कब आमंत्रित की गई व किस ठेकेदार के नाम स्वीकृत हुई ? कृपया निविदाओं की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि टेण्डर के अनुसार सड़क निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों एवं दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? अब यह कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) निवाई-बौंली रोड पर 1980 से अब तक पुलियाओं के निर्माण कार्य हेतु सिर्फ दिनांक 25-1-82 को ही निविदायें आमंत्रित की गई थीं, जो श्री भंवर लाल कुमावत के नाम स्वीकृत की गई थीं। निविदा स्वीकृति की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं।

उक्त ठेकेदारों ने एक पुलिया के स्लेब के अलावा बाकी कार्य पूर्ण कर दिया है, जो अप्रेल, 85 तक पूर्ण हो जायेगा।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER P.W.D. DIVISION TONK

LETTER OF ACCEPTANCE

No. Dated ... .

To, Shri Bhanwar Lal Kumabawat

....

P. W. D. Contractor Sanghpwar Purar i Tonk

Subject : Const. of C. D. Works and Bauli Newai Road (Job No. 87/537/MNP/Plan/81-82)

Referenee : Your tender dated 25-1-82

Dear Sir,

Your tender for the work mentioned above has been accepted on behalf of the Governor of the state of the Rajasthan at your percentage 39.25% above the estimated cost. (Tendered cost. Rs. 1,79,506/-)

You are hereby directed to start the work at once. Please note that the time allowed for carrying out the work as entered in the tender shall be reckoned from the tenth day after the date of issue of this letter. (The work is to be completed within a perid of six month(S)

The letter of acceptance toghter with the tender submitted by the embodying all the conditions there in constitute the contract agreement between you and the Governor of the State of Rajasthan for the aforesaid work, (You are further requested to attend the office within a fortnight to sign the contract documents.

Agreement No. 184 B of 81-82. Date of commencement 4-3-82 Date of completion 3.9.82

your faithfully

Executive Enginner
P.W.D. Divison, Tonk
Signed on behalf of Governor
of the state of Rajasthan

No. 11977-82 Date 6-3-82

Copi forwarded to-

1. The Assistant Engineer P.W.D. sub Divison II Tonk for information. The lay out of the work may be given to the contractor at once. The work should be got executed as per specification and detailed drawings.
2. The J. En. P. W. D. ( ) Memo-C/OA, En. P. W. D. ( ) Sub-Dn II Tonk for similar action.
3. Assistant Engineer Mining Department, Tonk.
4. For Agreement

Executive Engineer
P. W. D. Dn. Tonk

True Copy

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-3-85)

इन्दिरा गांधी नहर से समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा):—

क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कितने ग्राम ऐसे हैं जहां पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों को इन्दिरा गांधी नहर से पानी सप्लाई किया जा सकता है ?

(2) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर से पचपदरा क्षेत्र में पेयजल सप्लाई किया जाय ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के 172 समस्याग्रस्त गांवों को इन्दिरा गांधी नहर से पानी दिया जा सकता है ।

(2) जी हां । इंदिरा गांधी नहर से लिफ्ट केनाल योजना प्रस्तावित है । स्वीकृति के पश्चात इस योजना की क्रियान्विति धन उपलब्धता के अनुसार की जावेगी ।

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 103 की सूची

सूची "अ"

दिनांक 10.6.81 पूर्व नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा समयावधि में मूल्य जमा न होने से विक्रय निरस्त कर दिये परन्तु उसके बाद बकाया मूल्य व ब्याज जमा कर विक्रय वैध किये गये——सूचना——

क्र.सं.	विक्रेता का नाम	भूखण्ड की स्कीम का नाम व संख्या	भूखण्ड की बकाया राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि	बकाया राशि एवं ब्याज की जमा राशि एवं दि.	पुन: वैध के समय भूखण्ड का बाजार मूल्य	पुन: वैध से न्यास को हानि
1	2	3	4	5	6	7
1—	श्री धनराज पुत्र श्री नथमलजी	"सो" 67 कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार योजना	21.7.79	राशि–4589-20 ब्याज–3437·70 दि.–14.9.83	रु. 46,558/-	38,531·10
2—	श्री प्रहलाद राम पुत्र गोपीराम	"सी" 197, उप-रोक्त	8.8.79	राशि–2814 ब्याज–2133·85 दि.– 15-11-83	रु. 29,200/-	24,252-15

245

1	2	3	4	5	6	7
3—	श्री मनमोहन पुत्र अम्बालाल	"बी" 85 उप-रोक्त	16.8.79	राशि–4589-40 ब्याज–1996-45 दि.–12.12.83	रु. 38,932-36	32,446-51
4—	श्री अ. अजीत पुत्र अ. करीम	"बी" 83, उप-रोक्त	26.8.79	राशि–4589-20 ब्याज–2800 दि.–18.4.83	रु. 37,473-82	30,084-62
5—	श्री उमरावमल पुत्र श्री उगमचन्द	"ए" 11 कमला नेहरू नगर द्वितीय	23-12-78	राशि–3770 ब्याज–2859-60 दि.-28-11-83	रु. 29,200	22,571
6—	श्री खीवराज पुत्र उमाराम जी	"बी" 124, कमला नेहरू	21-7-79	राशि-1000 ब्याज–720/– दि.–3-12-82	रु. 22,897-18	21 177,18

कार्यालय नगर सुधार न्यास, जोधपुर (ब)

भूखण्डों की सूचि जिसका पूरा मूल्य समयावधि में जमा न होने के कारण विक्रय निरस्त कर दिया एवं तत्पश्चात् बकाया मूल्य एवं ब्याज जमा कर विक्रय पुनः वैध कर दिया दिनांक 10-6-81 से आज तक

क्र.सं.	विक्रेता का नाम	भूखण्ड सं.	स्कीम का नाम	बकाया राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि	बकाया राशि एवं ब्याज जमा कराने की राशि एवं दिनांक	राशि जमा कराने के समय बाजार मूल्य	पुनः वैध करने से न्यास को हुई हानि।
1.	श्री मोहनलाल पुत्र मूलचन्द	17	सेक्टर डी सरस्वती नगर	10-9-79	बकाया रु. 1014/- ब्याज रु. 600/- दिनांक 17-12-81	16,000/-	14,386
2.	श्री सत्यप्रकाश पुत्र शंकरलाल	214	सेक्टर डी सरस्वती नगर	10-9-79	बकाया रु. 2814/- ब्याज बकाया है। 21-7-82	16,000/-	13,186/-
3.	श्रीमती मरियम पुत्री इब्राहिम	228	सेक्टर डी सरस्वती नगर	10-9-79	बकाया रु. 2814/- ब्याज 1872/- 31-3-83	16,000/-	11,314/-

2472

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	अब्दुल हुई पुत्र अब्दुल हकीम	108	सेक्टर डी सरस्वती नगर	10-9-79	बकाया रु. 2814/- ब्याज बकाया है। 13-4-83	16,000/-	13,186/-
5.	श्रीमती जमान बाई पत्नि गुरोजी	45	सेक्टर डी सरस्वती नगर	23-11-79	बकाया रु. 1314/- ब्याज रु. 523/- 30-7-82	16,000/-	14,163/-
6.	श्रीमती सलमा पुत्री मो० युसुफ	41	सेक्टर डी सरस्वती नगर	4-9-79	बकाया रु. 2814/- ब्याज रु. 1214/- दि. 1-9-82	16,000/-	11,972/-
7.	श्रीमती सलमा पुत्री मो० युसूफ	242	सेक्टर डी सरस्वती नगर	10-9-79	बकाया रु: 2814/- ब्याज रु. 886/- दि. 10-8-82	16,000/-	12,300
8.	आत्माराम पुत्र सरदारमल	131	सेक्टर ए सरस्वती नगर	11-9-79	बकाया रु. 1418/- ब्याज रु. 596/- दि. 4-8-81	16,000/-	13,986

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	श्रीमती दुर्गादेवी पत्नि नन्दकिशोर	337	सेक्टर ए सरस्वती नगर	16-8-79	वकाया रु. 3628/- ब्याज रु. 1795.36 दि. 18-5-82	16,000/-	10,576.64
10.	श्री राजेन्द्रप्रकाश पुत्र देवप्रकाश	325	सेक्टर ए सरस्वती नगर	16-8-79	बकाया 4806 ब्याज 2232.40 दि. 11-2-82	26,666.40	19,627.40
11.	श्री ज्योतिलाल पुत्र अम्बालाल	329	सेक्टर ए सरस्वती नगर	16-8-79	वकाया 4956.66 ब्याज 2100.00 4-12-81	26,666.40	19,609.74
12.	श्री नारायणलाल पुत्र श्री तुलसाराम	79	सेक्टर ए सरस्वती नगर	16-8-79	वकाया रु. 300/- ब्याज रु. 499.50 दि. 9-6-82	21,275.20	20,475.30
13.	जोगा राम पुत्र घीसुजी	81	सेक्टर ए सरस्वती नगर	16-8-79	बकाया रु. 36281- ब्याज 2000/- 17-8-82	16,000	10,372

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	सतार पुत्र अल्लादीन	259	सेक्टर ए सरस्वती नगर	12-10-79	बकाया 1818/– ब्याज 225/– 26-6-82	16,000/–	13,957
15.	श्री हेम सिंह पुत्र पाबुदान-सिंह	183	सेक्टर बी सरस्वती नगर	9-9-79	बकाया 2814/– ब्याज 1040/– 18-8-81	16,000/–	12,146
16.	श्री बीजराम पुत्र कनजी	238	सेक्टर बी सरस्वती नगर	4-9-79	बकाया रु. 1314/– ब्याज रु. 532.50 19-10-81	16,000/–	14 153.50
17.	श्रीमती आनन्दी देवी सागर मल	13	सेक्टर बी सरस्वती नगर	16-8-79	बकाया 1628/– ब्याज 685/– 15-2-82	16,000	13,687
18	मो० सदीक पुत्र इस्माइल	203	सेक्टर सी सरस्वती नगर	4-9-79	बकाया 2814/– ब्याज 1434/– 14-5-82	21,333.60	17,085.60
					अधिक एरिया 1000+ब्याज 560/–		
19.	श्री गुलाम मो. पुत्र अकबर	239	सेक्टर सी सरस्वती नगर	10-9-79	बकाया 2814 ब्याज 1030 18-12-82	16,000	12,156

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	श्री भेरू दास पुत्र ग्रन्तराम	14	सेक्टर सी सरस्वती नगर	10-9-79	बकाया रु. 1314/– ब्याज 744.40	16,000	13,941.60
21.	श्रीमती लीला देवी पुत्री मगराज	81	सेक्टर सी सरस्वती नगर	4-9-79	बकाया रु. 2814/– ब्याज 1586/– 6-9-82	16,000	11,600,00
22.	श्री मोहम्मद खां पुत्र बुफा खां	52	सेक्टर सी सरस्वती नगर	10-9-79	बकाया 1614/– ब्याज 837/– 11-6-82	16,0001–	13,549 00
23.	श्री पुख राज पुत्र जोग जी	118	सेक्टर सी सरस्वती नगर	10-9-79	बकाया 1814/– ब्याज 844/– 24-2-82	16,000–	13,342/–

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 107 की सूचना

कार्यालय नगर सुधार न्यास, जोधपुर

मानचित्र

क्र.सं.	क्रेता का नाम	भूखण्ड की संख्या एवं योजना का नाम	निलामी की दिनांक	3/4 राशि मांगने की पत्र संख्या, दिनांक	1/4 राशि लौटाने की दिनांक
1.	श्री जोरासिह् पुत्र श्री मोहन सिह्	गोल्फ कोर्स भूखण्ड सं. 1	17.1.82	128, 21.1.82	50 से 54, 6.12.82
2.	श्री रमेश रमनानी पुत्र श्री नेनमल	गोल्फ कोर्स भूखण्ड सं. 2	17.1.82	129, 21.1.82	395 से 399, 4.6.83
3.	श्री जगनसिह् पुत्र श्री पीरूसिह्	गोल्फ कोर्स भूखण्ड सं. 3	17.1.82	130, 21.1.82	400 से 404, 4.6.83

सचिव
नगर सुधार न्यास,
जोधपुर

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न सं. 111 के निर्देश

GOVERNMENT OF RAJASTHN
URBAN DEVELOPMENT & HOUSING DEPARTMENT
(GR. IV)

No. F. 9(98) UDH/Gr. IV/82 Jaipur, Dated 9 March, 84

Sub :—Regularisation of illegal or unauthorised transfer and conversion of agricultural lands for various non agricultural purposes, including residential, industrial and commercial purposes.

With a view to regularising unauthorised constructions on agricultural lands, the Rajasthan Land Revenue (Allotment), Conversion and regularisation of Agricultural land for Residential & Commercial Purposes in Urban Areas) Rules, 1981 were notified by the Government. In pursuance of the said Rules, conversion of agricultural lands in Jaipur is being carried out by Collector, Jaipur in consultation with the Jaipur Development Authority.

Some difficulties are, however, being faced with regard to compounding of the said unauthorised consturctions and approval of the building plans by the Jaipur Development Authority. Since the said houses were constucted without conversion, approval of lay-out plans and building plans, they may not conform to the prescribed building bye-laws. For want of approved plans. these houses were constructed by the citizens as per their own convenience or understanding. Demolition of such houses would cause undue hardships and therefore, it has been decided to compound them. For ensuring expeditious approval of building plans, without cauing undue hardship to the citizens, as well as maintaining the minimum norms of town Planning, Government hereby issue the following directions to the Jaipur Development Authority :—

(1) Unauthorised constructions raised on agricultural lands prior to 20.8.1981 and in respect of which conversion charges as well as penalty for unauthorised construction has been paid

254

prior to 31.5.1982 under the said Rules and have been converted might be compounded at the rate of Re. 1/–per sq.yd of total plot area where the plot size is less than 200 sq.yds. For larger plots the compounding fee would be Rs. 2/– per Sq-yds.

(2) In view of the intention to aviod demolition, relaxation in the existing set of rules is hereby allowed for this purpose. Despite this the residential building lines should be maintained to the extent possible, so that there is no commercial use of residential area and roads of the layout plans approved by the J. D. A. can be maintained.

This will come into force with immediate effect.

Sd/–
(B. L. Shishoo)
Deputy Secretary to Government.

255

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न सं. 114 का विवरण

नोन स्कीम एरियों में किये गये व्यय का विवरण

क्र. सं.	एरिये का नाम	81-82	82-83	83-84	84-85
1.	रातानाडा	1,23,923	8,87,907	25,75,976	3,36,197
2.	सरदारपुरा	2,16,543	10,77,739	23,56,143	9,20,862
3.	कागा रामबाग	2,34,522	2,33,134	1,34,627	—
4.	चांदपोल	42,510	3,18,278	3,64,180	91,379
5.	पावटा	2,61,867	3,61,190	86,45,883	2,40,094
6.	सूरसागर	56,229	1,59,194	10,24,571	50,268
7.	चौपासनी	—	26,984	1,96,431	41,080
8.	महामन्दिर	5,80,594	12,84,922	5,63,199	1,975
9.	मण्डोर	4,63,238	19,34,042	27,60,496	11,97,375
		18,79,426	63,33,390	1,07,21,506	28,79,230

उपरोक्त खर्चा नोन स्कीम एरीया में सड़क, नाली, बिजली, पानी इत्यादि के निर्माण कार्य में किया गया।

परिशिष्ट–8

अता. प्रश्न सं. 116 की सूची

विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पद I	II	III
1.	राउमावि, गीगला	1	—	—
2.	,, फलासिया	3	—	—
3.	,, धरियावद	4	—	—
4.	,, खमनौर	1	—	—
5.	,, कोटडा	2	—	—
6.	,, केलवाड़ा	2	—	—
7.	,, सराड़ा	2	—	—
8.	,, गोगुन्दा	1	—	—
9.	,, बम्बोरा	1	—	—
10.	,, चारभुजा	1	—	—
11.	,, वावलवाडा	1	2	—
12.	,, गिलन्ड	4	1	—
13.	,, चावन्ड	2	1	—
14.	,, बबराना	1	2	—
15.	,, खेरवाड़ा	1	1	—
16.	,, कल्याणपुर	—	2	—
17.	रावाउमावि, सलूम्बर	3	—	—
18.	,, नाथद्वारा	1	—	—
19.	,, भिण्डर	1	—	—
20.	रावामावि, कोटडा	—	4	—
21.	रा उ प्रा वि, प्रतापपुर	—	—	2
22.	,, छारखण्डा	—	—	1
23.	,, चडावदा	—	—	1
24.	,, मटूण्दा	—	—	1
25.	,, जियाडी	—	—	1
26.	,, मिकरली	—	—	1
27.	,, जुड	—	—	1
28.	,, करदा	—	—	1

1	2	3	4	5
29. ,,	उट्ड़ी	—	—	1
30. ,,	करेल	—	—	1
31. ,,	वरदा	—	—	1
32. ,,	ख्वाजीकाहाडा	—	—	1
33. ,,	मेरपुर	—	—	1
34. ,,	खण्डेल	—	—	1
35. ,,	माण्डवा	—	1	1
36. ,,	केलवाड़ा	—	—	1
37. ,,	आदरलाई	—	—	1
38. राप्रावि,	लम्बदार, उदयपुर	—	—	1
39. ,,	माण्डल, उदयपुर	—	—	1
	योग :—	32	14	20

परिशिष्ट 9

अता. प्रश्न संख्या 122 की सूची

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के विद्यालयों में स्टाफ की कमी का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	प्र.अ.	द्वि.वे.श्रे. अध्यापक	तृ.वे.श्रे. अध्यापक	व.लि.	क.लि.	प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला सेवक	च.श्रे.कर्म.	दे.वे.भोगी कर्मचारी
1.	रा.उ.मा.वि., छबड़ा	—	1	—	1	—	—	—	1	—
2.	रा.उ.मा.वि., छीपाबड़ोद	—	—	1	—	—	—	—	—	—
3.	रा.मा.वि., हरनावदा शाहजी	1	—	—	1	—	—	—	—	—
4.	रा.मा.वि., बमोरी घाटा	—	1	—	—	—	—	—	1	—
5.	रा.मा.वि., फलिया	—	—	—	1	—	—	—	1	—
6.	रा.मा.वि., कोटड़ी	—	—	—	—	—	—	—	1	—
7.	रा.मा.वि. जेपला	—	1	—	1	—	—	—	—	
8.	रा.बा.मा.वि., छबड़ा	—	—	—	—	—	2	2	—	
9.	रा.बा.मा.वि., छीपाबडोद	—	—	—	—	1	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	रा.उ.प्रा.वि., बटवदापार	—	—	1	—	—	—	—	—	—
11.	रा.उ.प्रा.वि. झनझनी	—	—	1	—	—	—	—	—	—
12.	रा.उ.प्रा.वि., सेतूकालू	—	—	1	—	—	—	—	—	—
13.	रा.उ.प्रा.वि., मीलवाड़ा नीचा	—	1	—	—	—	—	—	—	1
14.	रा.बा.उ.प्रा.वि.; मावपुरा	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	योग	1	4	6	4	2	2	2	4	1

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न सं. 123 की नीलामी की शर्तें

कार्यालय नगर सुधार न्यास, जोधपुर

सिनेमा स्थल के लिए नीलामी की शर्तें और नियम

सिनेमा प्लाटों का निलाम मौके पर सचिव नगर सुधार न्यास, जोधपुर व अन्य अधिकारी जिसकी नियुक्ति जिलाधीश, जोधपुर करेंगे ।

1—बोली देने वाले को बोली देने से पहले व सिनेमा होटल भूखण्ड की आरक्षित दर की कीमत का 2 प्रतिशत राशि रोकड़ मौके पर जमा करानी होगी जो बोली समाप्ति एवं स्वीकृत हो जाने पर वह राशि समायोजित की जायेगी । अन्यथा राशि नीलामी समाप्ति के बाद पुनः लौटा दी जायेगी ।

2 भूमि वार्षिक किराये पर आवंटित की जायेगी और यह किराया सबसे अधिक बोली आने वाली भूखण्ड की कीमत का 10 प्रतिशत होगा । ये वार्षिक लीज भूमि नीलामी स्वीकृति तिथि से 15 वर्ष पश्चात प्रथम चरण में और बाद में 10 वर्ष पश्चात नवीनीकरण की जायेगी । लीज की धन राशि (किराया) प्रत्येक नवीनीकरण के समय बढ़ाई जायेगी परन्तु यह वृद्धि प्रत्येक नवीनीकरण के समय 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

3—निलामी की आखिरी बोली मंजूर करना अध्यक्ष (चेयरमैन) के अधिकार में रहेगा जो बिना कारण बताये भी बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकते है ।

4—अधिकारी जो निलामी करवायेंगे उनको किसी बोली को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा यदि दी गई बोली को किसी भी रूप से उचित नहीं समझे ।

5—राज्य सरकार द्वारा नियमित एवं निर्धारित किरायेदार पत्र लिखा जावेगा जिस पर राज्य सरकार की ओर से चेयरमैन (अध्यक्ष) नगर सुधार न्यास, जोधपुर हस्ताक्षर करेंगे । जिसके स्टाम्प व रजिस्ट्री का व्यय खरीददार वहन करेगा ।

6—निलाम में खरीदे हुए थाले (प्लाट) के खंड नहीं किये जायेंगे और खरीदे हुए प्लांट पर एक ही भवन बनाया जायेगा ।

7—प्लाट पर निर्माण इस क्षेत्र की स्वीकृत योजनानुसार निर्धारित प्रतिशत खुला छोड़ना एवं सम्मुख साईं भाग पृष्ट भाग में स्वीकृत जगह छोड़ कर निर्माण किया जायेगा ।

8—भवन निर्माण कराने से पूर्व उसका नक्शा न्यास से स्वीकृत कराना होगा। नक्शा न्यास के नियमों व उप नियमों के अनुसार होना आवश्यक है। भवन भूमि खरीद के दो साल के अन्दर-2 निर्माण कराना होगा अन्यथा आवंटन रद्द समझा जावेगा और जमा राशि जब्त की जावेगी।

9—राज्य सरकार और नगर सुधार न्यास, जोधपुर समय-समय पर जो नियमों व शर्तों की पाबन्दी लगायेगी या उपयुक्त शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन करेगी तो खरीददार व उसके उतराधिकारियों को हर तरह से मान्य होगी।

10—नियम 17 में संशोधन हो जाने के अनुसार दिनांक 24.8.82 के पश्चात प्रत्येक बोली लगाने वाले से बोली का प्रतिग्रहण करने पर उसकी बोली की 10 प्रतिशत तत्काल जमा कराने की अपेक्षा की जायेगी तथा बोली की विशिष्ट रकम 10 प्रतिशत उसके द्वारा बोली के एक वर्ष पश्चात जमा कराया जाएगा तथा अगले वर्ष निश्चित तिथि में जमा कराने में विफल होने की दशा में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज बोली प्रतिग्रहण की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से प्रसारित किया जायेगा।

परन्तु बोली की शेष राशि ऊपर विदित कालावधि के भीतर जमा कराई गई बोली में व्यक्ति कर्मी विफल होने की दशा में बोली लगाने वाले द्वारा जमा कराई गई बोली की 10 प्रतिशत रकम समाग्रहित हो जाएगी और भूमि की नीलामी स्वत: ही रद्द हो जायेगी। परन्तु अध्यक्ष महोदय को 10 मास की कालावधि में ऐसे रद्दकरण को नियमित करने हेतु बकाया राशि मय 15 प्रतिशत ब्याज तथा निम्नलिखित दर से शास्ती की रकम भी संदाय करने को भी तैयार होगा।

बोली राशि रु. 10,000/- से अधिक	शास्ती रु. 1,000/- प्रति माह

11—यह भूमि केवल सिनेमा/होटल निर्माण में ही ली जायेगी।

12 - लहज राशि व्यवसायिक भूखंड की आरक्षित दर की ढाई प्रतिशत वार्षिक देय 99 वर्षों के लिए होगी। प्रति वर्ष निर्धारित दर से लीज राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा। वह नीलामी बोली की किश्त (प्रिमियम) राशि के अतिरिक्त देय होगी। यह लीज वार्षिक ढाई प्रतिशत आरक्षित दर से ली जायेगी तथा प्रथम दो वर्ष तक यह 1.25 प्रतिशत ही देय होगी।

13—अन्य शर्तें, नियम, नाप व नक्शा मौके पर बतला दी जावेगी।
सिनेमा स्थल भूमि का क्षेत्रफल-3750 वर्ग मीटर
सरकारी बोली—315/- (तीन सौ पन्द्रह रुपए) प्रति वर्ग मीटर

Government of Rajasthan
Home (Group V) Department

Mo : F. 1/7 (13) Home-V/83

dated, Jaipur November, 22, 1983

ORDER

Shri Mukan Chand Bhansali S/o Ghewar Chand Bhansali, Promoter, Arihant Theaters Pvt., Ltd, Lakhara Bazar, Jodhpur Tehsil, Jodhpur, District Jodhpur was granted 'No. objection Certificate' by the Licensing Authority Constituted vide Home department Notification No : F. 1/7 (2) Home V/82, dated 26.3.83 for construction of a permanent cinema in the land belonging to Shri Mukhan Chand Bhansali Promoter, Arihant Theaters Pvt. Ltd., Lakhara Bazar, Jodhpur, at Manji Ka Hatha near Mandor Road, Tehsil Jodhpur, district Jodhpur, vide this department order No. F1/7(13) Home V/83 dated 4.5.83. In pursuance of this 'No Objection Certificate; the applicant submitted a building plan to the Urban Improvement Trust, Jodhpur for a twin cinema. The applicant has approached the Licensing Authority that the Chief Town Planner is not clearing his case for a twin cinema with a commercial complex on this site.

2- The Licensing Authority considered the case of the applicant in its meeting held on 19.10 83, and felt that there should be no problem in granting NOC for a twin Cinema on this site. It was therefore decided that the NOC issued vide order dated 4 5.83 be ammended accordingly.

3. In pursuance of the above decision, the 'No Objection Certificate, already granted to Shri Mukhan Chand Bhansali S/o Sh. Ghewar Chand Bhansali Promoter. Arihant Theaters Pvt. Ltd., Lakhara Bazar, Jodhpur, for construttion of a permanent cinema in the land belonging to the applicant at Jodhpur, vide this department order of even number dated 4.5.83 (copy enclosed for reference) is there by modified to a 'Twin Cinema' on the same terms and

conditions as prescribed in the 'No Objection Certificaie' issuded vide order dated 4.5.83.

4. The applicant will sumit the revised building plan of the proposed cinema to the district Magistrate, Jodhpur by 31.12.83. failing which the NOC is liable to de withdrawn.

5. This 'No Objection Certificate' is valid for period of two years as defined in Rule 4-A of the Rajasthan Cinema (Regulation Rules, 1959.

Given under my hand this 22nd day of November, 1983.

Sd/- N. K. Verma
Member Secretary,
Licensing Authority.

Copy to :—

1. The District Magistrate, Jodhpur.

2. The Chief Town Planner, Rajasthan, Jaipur.

3. The Superintendent of Police, Jodhpur.

4. The Secretary, Urban Improvement Trust, Jodhpur.

5. The Commissioner, Municipal Council, Jodhpur.

6. Shri Mukhan Chand Bhansali, Promoter, Arihant Theaters Pvt. Ltd. Lakhara Bazar, Jodhpur.

Sd/-
True Copy — Assistant Secretary to Govt.

(264)

परिशिष्ट "ख"

कार्यालय नगर सुधार न्यास, जोधपुर

क्रमांक एफ 37, तामीर । 2398　　　　　　दिनांक 30-12-1983

श्री अरिहन्त थियेटर प्राईवेट लिमिटेड
मानजी का हत्था, मण्डोर रोड़ जोधपुर

विषय :—श्री अरिहन्त थियेटर प्राईवेट लिमिटेड के भूखण्ड पर निर्माण हेतु स्वीकृत हेतु नक्शा सं.............प्लाट सं...............क्षेत्र पावटा मानजी का हत्था, जोधपुर।

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य स्वीकृति हेतु प्रार्थी के द्वारा प्लान इस न्यास में पेश किया जो नगर परिषद-न्यास के उप नियम को ध्यान में रखते हुए नक्शों की उचित व आवश्यक जांच के बाद नगर सुधार न्यास की योजनाओं एवं सुधार नक्शों के अन्तर्गत उक्त निर्माण मय नक्शे के स्वीकृति दी जाती है।

1. गन्दे पानी को सौंखने का सोकपीट और मकान से निकले हुए भाग एवं छज्जे, बालकनी आदि सरकारी भूमि पर स्वीकृत नहीं होंगे। साथ ही भूखण्ड के आहते की दीवार साढे चार फुट ऊंची व 12 इन्च मोटाई तक की स्वीकृत की जाती है।

2. मूल प्लान निम्न आपत्तियों के साथ आवश्यक संशोधनार्थ लौटाया जा रहा है।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित आवश्यक सुधार व संशोधन व त्रुटियां ठीक करें। आपसे सम्बन्धित नगर सुधार न्यास से निर्माण हेतु केस सं. 424/83 तथा स्वीकृत नक्शा सं ......है।

यह अवधि लाइसेन्स की अवधि समाप्त होने तक अथवा स्वीकृति से एक वर्ष तक जो भी पहले समाप्त होगी को मान्य है। प्रार्थी अपनी चार दीवारी के अन्दर न्यास द्वारा निर्धारित संख्या में स्वयं के निजी खर्चे पर वृक्ष लगायेंगे।

प्रार्थी तामीर प्रारम्भ तिथि एवं भवन निर्माण पूर्ण करने की तिथि की सूचना नगर सुधार न्यास को तुरन्त देगा।

निर्माण स्वीकृति रहवासीय/व्यवसायिक/ओटोमोबाईल वर्कशोप अन्य सिनेमा हाऊस हेतु प्रदान की जाती है।

उपरोक्त दर्शाई गई स्वीकृति उपयोग के अलावा अगर निर्माण किया गया तो उसे हटाने के लिये न्यास कानूनन बाध्य होगा।

2398+20400
―――――
31-12-83

Sd
सचिव
नगर सुधार न्यास, जोधपुर
30-12-83

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
वसूली शाखा अधि दर्शक

Sd
सचिव
नगर सुधार न्यास, जोधपुर
30-12-83

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सरकार

नगर विकास एवं आवासन विभाग

सचिव,
नगर विकास न्यास, जयपुर।

क्रमांक :—व. 3 (बी) (18) एस. एस. बी./61 जयपुर, दिनांक 14-5-1970

विषय :--होटलों के लिए भूमि का चयन तथा आवंटन।

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि होटलों के भूमि चयन एवं वर्णित किराये पर दिये जाने हेतु भविष्य में निम्न पद्धति अपनाई जावे :—

होटलों के लिए लाइट तथा भूमि का भवन चीफ टाउन प्लानर अथवा उसके स्थानीय प्रतिनिधि के परामर्श से जिलाधीश द्वारा किया जावेगा। इसके साथ भूमि की कीमत का निर्णय खुली नीलामी द्वारा अथवा टेण्डर आमन्त्रित करके किया जायेगा तथा भूमि का मूल्य न लिया जाकर केवल मूल्य के साढ़े छः प्रतिशत की दर से भूमि का किराया लिया जायेगा। इस प्रकार की पद्धति सिनेमा गृहों की भूमि देने के लिए भी अपनाई जाये।

अथवा अवधि के अनुसार न्यास द्वारा होटलों व सिनेमा के लिए भूखण्ड किराये पर दिए जावें तथा इस प्रकार के प्रत्येक मामले में इस विभाग को अवगत करें।

भवदीय

सहायक शासन सचिव

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सरकार
नगर आयोजना विभाग

सचिव,

नगर न्यास, जयपुर।

जयपुर दिनांक 24 सितम्बर, 1970

क्रमांक—प 3 (बी) (118) एस. एस. जी/61

विषय :—होटलों के लिए भूमि भवन तथा आवंटन।

महोदय,

इस विभाग की आज्ञा सम संख्यक दिनांक 14-5-1970 के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि होटल आदि के लिए जो भूमि दी जायेगी वह इस शर्त पर होगी कि प्रथम 15 वर्ष के पश्चात व इस अवधि के समाप्त होने पर हर वर्ष बाद वार्षिक लीज रिक्त कराना होगा किन्तु प्रत्येक रिन्यूअल के समय वार्षिक लगान (रेन्ट्स) वृद्धि 25 प्रतिशत के अधिक नहीं होगी। वह कच्ची और पक्की दोनों प्रकार के निर्माणों पर लागू होगा।

भवदीय
ह./-
सहायक शासन सचिव

(परिशिष्ट "ड")

राजस्थान सरकार
नगर आयोजना (ग्रुप–2) विभाग

जयपुर, दि. 23 मई, 1973

क्रमांक ए – 3 (बी) 118 एस. एस. बी./61

सचिव,
नगर सुधार न्यास, जयपुर।

नियम :– होटलों के लिए भूमि का चयन तथा आवंटन।

महोदय,

इस विभाग के सम संख्यक पत्र दिनांक 14.5.70 एवं 24.9.70 के क्रम में निदेशानुसार निर्देश है कि भूमि का किराया भूमि के मूल्य के साढ़े छः प्रतिशत की दर के स्थान पर अब 10 प्रतिशत किया गया है। कृपया प्राप्ति से अवगत करायें।

भवदीय
ह./–
सहायक शासन सचिव

2680

परिशिष्ट "एफ"

EXTRACT OF RULE 15 OF THE RAJASTHAN IMPROVEMENT TRUST (DISPOSAL OF URBAN LAND) RULES, 1974

RULE : 15.

Allotment and sale of Non-residential land :—Land for non-residential purposes shall be allotted to public and Charitable institutions on terms and conditions prescribed under these rules provided that lands of commercial nature shall be disposed of by public auction in the manner referred to in rule 14 provided further that lands reserved for cinemas */Luxury hotels, petrol pumps and forsetting up gas godowns by persons having authorised agencies of domestic gas allotted to them/shall be disposed of in accordance with the directions of the State Government that may be issued from time to time,

परिशिष्ट, 11

अतारांकित प्रश्न सं. 124 की सूचना

	आय-व्ययक अनुमानों के अनुसार		भारतीय रिजर्व बैंक के लेखे के अनुसार		(आंकड़े करोड़ रुपये में)	
वर्ष	बजट भाषण में अंकित घाटा		वास्तविक घाटा (–) । बचत (+) रिजर्व बैंक के साथ राज्य के खाते के अनुसार		अन्तर	
1974–75	—	9.12	—	15.15	—	6.03
1975–76	—	8.74	—	7.73	+	1.01
1976–77	—	18 64	—	7.43	+	11.16
1977–78	—	33.51	—	14.89	+	18.62
1978–79	—	34.22	+	5.62	+	39.84
1979–80	—	17.80	—	34.10	...	16.30
1980–81	—	85.05	—	155.27	—	70.22
1981–82	—	95.57	—	283.46	—	187.89
1982–83	+	14.49	—	26.07	—	40.56
1983–84	—	44.80	+	1.66	+	46.46

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न सं. 125 की सूची

अभावग्रस्त गांवों की सूची खरीफ सं 2041 जिला बांसवाडा

1. तहसील बांसवाड़ा

1. दानपुरा
2. मानसु मानपुरी
3. टामटिया
4. हूस्ताथपुरा
5. पिपलीपाड़ा
6. अम्बाबुर्ज
7. अम्बापाडा
8. मोकमपुरा
9. बागतलाव
10. गोपालपुरी
11. मरगली
12. उमरीपाडा
13. महूडीखेडा
14. कडछी
15. रूजीया
16. डेटकिया
17. नयाखेडा
18. सूरजपुरा
19. नेगडिया
20. बडी लायन
21. कोईबाबू
22. उबापान
23. कदवाली
24. दोलतपुरा
25. केलवानो
26. कागवां
27. घोटी
28. तेजपुर
29. डूंगरा
30. ठिकरिया
31. वटुम्बी
32. नागाखाली
33. छुवा
34. भाटीया
35. देवका
36. वगेरी
37. कुलरखेडी
38. नलेदा
39. रूपारेल
40. संगेसर
41. सेवना
42. परखामहूडी
43. देवलीया
44. घावडा
45. फोफर
46. नादिया
47. डेरी
48. विलडिया

271

1	2	1	2
49.	चितलव	77.	गोडका महूडा
50.	अबापुरा	78.	तीलगारी
51.	गामदा	79.	गड
52.	हिम्मतपुरा	80.	जहाजपुरा
53.	जसवंतपुरा	81.	मकनपुरा
54.	ठिकरिया	82.	कुण्डल
55.	वडलिया	83.	वाडा
56.	मंढियाक्टारा	84.	जोडमिया
57.	कुण्डला कलां	85.	गागूरवा
58.	बोरतलाव	86.	खजूरी
59.	कुण्डला खुर्द	87.	कुतांबारी
60.	फतेहपुर	88.	मातासुला
61.	कडेलिया	89.	खानुपुरा
62.	सवाईपुरा	90.	अमरगुन
63.	सरवरपुरा	91.	चान्दाडूंगरी
64,	सेमलिया	92.	कानपरी
65.	वांरखेडा	93.	चन्दोड़
66.	भीमगढ़	94.	झमलिया
67.	लाम्बी सावड़	95.	सिंघारी
68.	झांझीयामाल	96.	कोटडा
69.	रेटिया	97.	रामगढ
70.	जुनाखेडा	98.	दनाक्षरो
71.	हिरीयागढ़ी	99.	पातीनगरा
72.	छांटी छायन	100.	छालिय.वाड़
73.	मागीडेरी	101.	छोटीसरवर
74.	सरसीखेडा	102.	खुटडिया
75.	सातरुडीय	103.	मुरलिया
76,	रूजडीपाडा	104.	कुण्डली पाड़ा

1	2	1	2
105.	वागपुरा	133.	वगेरी चरपोटा
106.	सालरापाडा	134.	महेशपुरा
107.	डावरी का माल	135.	रामगढ
108.	गड्डा	136.	खान्दू
109.	वरवाला मछार	137.	सकरवट
110.	नरवाला राजीया	138.	छापरीया
111.	वरवाला भेरूजी	139.	कालानाता
112.	मैलिया तलाव	140.	वड़लीपाडा मनजी
113.	डेटकिया बडा	141.	वारी
114.	नवलापाडा	142.	बिलाखां
115.	रागगी	143.	वाक
116.	सज्जनगढ़	144.	मुन्द्रीपाडा
117.	रतनपुरा गलियां	145.	नापला
118.	छानी महूडी	146.	तलाव
119.	खीवनी	147.	सुजवानिया
120.	डेटकिया छोटा	148.	रेट
121.	महूडीपाडा	149.	ग्राडीभीत
122.	खेडा	150.	लालपुरा
123.	बोरखावर	151.	काकी का पाड़ा
124.	डोरिया की रेल	152.	क्लीयारी
125.	लालाग्राड़ा	153.	झरनिया
126.	छप्पड़	154.	नयाखेडा
127.	मुतपाड़ा	155.	फतेहपुरा
128.	वडलीपाड़ा	156.	ग्रमरपुरा
129.	खोलपुर	157.	रूपपुरा
130.	सालिया	158.	मोजियाखुर्द
131.	भरतलिया	159.	ग्रानन्दपुरा
132.	साकडीनाल	160.	केसरपुरा

1	2	1	2
161.	कल्याणपुरा		तहसील गुडी
162.	खडदेव	1.	वलालीखुंता
163.	खाण्डीया देव	2.	भगतपुरा
164.	खोडी पीपली		तहसील—कुशलगढ़
165.	देवगढ	1.	उदयगढ कालाखेत
166.	नवाग्रापरा देवा	2.	कालाखेत
167.	नाथपुरा खुर्द	3.	गलापाडा
168.	पाडता	4.	गुवाडी
169.	बदरेल जागीर	5.	नाथपुरा
170.	पागडी	6.	भण्डारिया
171.	बदरेल खुर्द	7.	भगतपुरा
172.	भटपुरा	8.	भीमपुरा
173.	रतनपुरा कालिया	9.	सुनारिया
174.	लोखा जागीर	10.	गोरछा भाटडा
175	लोखा भारीयान	11.	खेरदा
176.	बखतपुरा	12.	मुन्दडी
177.	रूगनाथपुरा	13.	गराडखोरा
178.	सालरापाडा	14	जमराई
179.	सामापाडा	15.	पोटलीया (कलिजरा)
180.	सुर्जीपाड़ा	16.	डूगरमीत
181.	वीरपुरा	17.	कांनीगरा
	तहसील घाटोल	18.	झापामहूडी
1.	भाऊ का गड़ा	19.	झकली
2.	नजरपुरा	20.	बिलीपाड़ा
3.	हिलेज		

1	2	1	2
21.	कनकपाडा	47.	सादडिया
22.	भीमगढ	48.	चियासाथ
23.	आम्बापाडा	49.	टाण्डीवडी
24.	परनाला	50.	ठूंटी
25.	टोडी	51.	भीमखेरा
26.	टिमेडा छोटा	52.	मोराजजुनी
27.	रणजीतगढ	53.	सज्जनगढ़
28.	कडाईमाल	54.	टाण्डारतना
29.	कुण्डा	55.	अगोटिया
30.	धोती की टोडी	56.	झकोडीयानाथा
31.	चित्तौडा माफी	57.	टाण्डामंगला
32.	डूगराछवडा	58.	टोडीकालू
33.	दामासाथ	59.	मडवेल
34.	भाटखेडी	60.	खुटाजीवा
35.	रावतासाथ	61.	भाटबड़ला
36.	सरसीयापाड़ा	62.	राठधनराज
37.	कसारवाडी	63.	सेमलखेडा
38.	कारमी	64.	लसोडिया
39.	काचूला	65.	झकोडिया मोदर
40.	कोर्ड डोवन	66.	मोतिया
41.	टोडी	67.	गोदावाडा मनजी
42.	विजयापाड़ा	68.	गोवावाड़ा नारंग
43.	मस्काछोटा	69.	बिजलपुर हलीया
44.	मस्का वडा	70.	बिजलपुर मलीया
45.	रेंगनिया	71.	भुमकी
46.	बगेरी	72.	जीराकोट

275

1.	2	3	4
73.	सेवनिया	107.	चुडादा
74.	महूडीवज्जा	108.	तलावा
75.	गारडिया	109.	चोर परनाला.
76.	महूडी	110.	सानी डूंगरी
77.	घाटीया	111.	चुनाखान
78.	हुजामावजी	112.	दुरजनिया
79	हैजा मोगजी	113.	श्रोसार
80.	कालाखुटा	114.	झामरी
81.	सागवा	115.	जोगडामाता
82.	झगोला	116.	ताम्बेसरा
83.	पालीबडी	117.	माचा
84.	नवागांव	118.	मोलन
85.	खेडीया	119.	जसपुरा
86.	सिमेला	120.	लाडेला
87.	टोडी	121.	पातापुर
88.	लोहारिया छोटा	122.	अन्देश्वर
89.	पालीछोटी	123.	राएगो
90.	वागोल	124.	छोटी सरवा
91.	सुखेड़ा	125.	बोरिया
92.	सासावड़ला	126.	वरा
93.	मगरदापछारा साथ	127.	सोमावटी
94.	मगरदा डांगर साथ	128.	दरोवडिया
95.	रूपापाडा	129.	कूकडीपाडा
96.	चरकली	130.	मालकन
97	बगायचा	131.	पीपली पाडा
98.	चोकी डूंगरी	132.	सेमला पाडा
99.	लोहारिया वडा	133.	वदुपाडा
100.	खडीयासाथ	134.	सिंगला कुण्डी
101.	डूंगरापानी	135.	बडी सरवा
102.	नानी का साथ	136.	उमर झोंका
103.	पनकपाडा	137.	कदवाली छोटी
104.	डूंगरपाडा	138.	कुण्डिया छोटी
105.	पापलीपाडा	139.	खैरीया पाडा
106.	रातीमहूडी	140.	मोकुल पाडा

1 2	3 4
141. चोख वाडा	159. नागदा खुर्द
142. नाथपुरा	160. तलेटी
143. पाणदा	161. कोठारिया
144. मतवाला खाखरा	162. हिण्डोलिया सारन
145. हल्दूपाडा	163. भरतगढ
146. बावली पाडा	164. खेडपुर
147. साथलिया की टोडी	165 पाटी
148. खेडा	166. नागदा बड़ा
149. बस्सी (मोकमपुरा)	167. नावन बट
150. रूपगढ़ी	168. रिछवानी
151. घोलका नई	169. गलवानी
152. पेरनिया देव	170. बासडी
153. सादेडा	171. रामगढ
154. सरकोटा	172. सूलिया
155. कुशलपाडा	173. घरतारा
156. अखेपुर	174. कोटडी
157. सारेल	175. टांडी खुर्द
158. ठण्डवा	176. टिम्बा महूड़ी

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न सं. 128 का विवरण

जयपुर जिले में क्षेत्रवार निर्मित की जा रही सड़कों का व्यय सहित

विवरण

क्र.सं.	मण्डी समिति क्षेत्र	सड़क का नाम	वर्ष 1980-81 से आज तक व्यय
1	2	3	4
1.	जयपुर (अनाज)	1. शाहपुरा से रामपुरा	2.58
		2. अमरसर से करीरी	2.97
		3. मनोहरपुर से नवलपुरा	2.93
		4. शाहपुरा से कैर की चोकी	3.73
		5. जगतपुरा से धानोता	0.97
		6. वी टी. साईवाड से विशनगढ़	0.106
		7. करीरी से विलांदरपुर	1.25
		8. मनोहपुर से विशनगढ़	2.72
		9. खोरालाडखानी से छारसा	2.95
		10. वी.टी. कार्य नीम का थाना रोड से चिमनपुरा	0.69
		11. नवलपुरा से श्योसिंहपुरा	4 85
		12. बिलांदरपुर से धानोता	0.75
		13. नेशनलहाईवे से दाबावास	0.59
		14. बैराठ से पापड़ी	0.66
		15. विलवाडी से नेकीढाणी	0.41
		16. नवरंगपुरा से तेवड़ी	0.52
		17. भाभरू से लुहाकणा	0.005
		18. मेड से आमका	1.22
		19. बाड़ी जोड़ी से साबी ब्रिज	2.99
		20. बी.टी. कार्य अलवर रोड से जवानपुरा	0.68

1	2	3	4
जयपुर (अनाज)		21. बडोदिया से मनोहरपुर वाया कुम्भावास	2.76
		22. नेकी ढाणी से व्यास	2.25
		23. अलवर रोड से बागावास	0.60
		24. बैराठ से सोढाणा देवली	0.89
		25. बैराठ बस स्टेन्ड से गणेश जी का मंदिर	0.35
		26. जयपुर आगरा रोड से सुजानपुरा	1.59
		27. तुगा टाऊन सड़क	0.40
		28. जटवाड़ा से पाटन	1.02
		29. आगरा रोड से खेड़ी	0.06
		30. कानोता रोड में बेनाड़ा वाया कुथाड़ा	6.19
		31. तुंगा से देवगांव	1.57
		32. जटवाड़ा से बडावाफार्म	4.61
		33. बस्सी से सामरिया	2.55
		34. रोजवाड़ी से मुमानपुरा	0.48
		35. वासखो से भटेरी वाया-पाटन	1.19
		36. मुहाना से कपूरावाला	5.08
		37. सोडाला से मांगियावास	1.39
		38. ठिकरिया से झांझरिया	0.08
		39. जयपुर डिग्गी रोड से वालेवाला वाटिका वाया लाखग	7 64
		40. भानपुर से वासना	0.62
		41. ताला से सामरेड कलां	1.32
		42. घाटवाड़ी से खोरालाडखानी	2.42
		43. आंधी से थोला वाया विरासना	2.89
		44. चंदबाजी से रायपुर	7.54
		45. मुख्यरोड से नीमला वाया थली	3.37
		46. ताला से थोला	1.29
		47. मुख्यरोड से थोलाई पंचायत मुख्यालय	0.36

279

1	2	3	4
	जयपुर (अनाज)	48. दौलतपुरा से भीमपुरा वाया बगवाड़ा	3.19
		49. मुख्यरोड से माथासूला	0.91
		50. टोडामीणा से मानपुर कलां	3.33
		51. आंधी थोलाई से भगवानपुरा	1.89
		52. मानपुरकलां से सायवाड	0.68
		53. ताकड़ों की ढाणी से ललबिहारीपुरा	4.18
		54. कुण्डा ग्रिड स्टेशन से नांगलसुमोवता	1.49
		55. नेशनल हाइवे से चिताणु	2.61
		56. नेशनल हाइवे से लखेर	1.86
		57. मोडी से रायथल	8.20
		58. नांगल से चीप	0.41
		59. विन्दायका खारडा से बगस	6.56
		60. धर्मपुरा से धामक्या रेल्वेस्टेशन	3.94
		61. धर्मपुरा से जिलोई महेशवास	...
		62. जयपुर आगरा रोड से चूंगी चौकी सुमेल	3.57
		63. कालवाड़ से दर्जनियावास	4.13
		64. मुकन्दपुरा से विन्दायका	3.72
		65. सरनाडूंगर से बावडी	1.23
		66. मांकरोटा से मुकुन्दपुरा	0.03
		67. खातीपुरा से सिरसीरोड से गोकुलपुरा	1.61
		68. सिरसी से हाथोद	0.94
2.	दौसा	69. सं.सं. गुप्तेश्वर सिगवाडा	1.50
		70. सं.सं. आगरा रोड से खेरवाल	1.15

(280)

1	2	3	4
	2. दौसा	71. सं.सं. दौसा लवाण से डिगारिया	0.83
		72. सं.सं. खान भाकरी से रेल्वेस्टेशन से कालीपहाड़ी	0.89
	3. बांदीकुई	73. सं.सं. बडियाल से लोटवाड़ा	7.38
	4. लालसोट	74. दौसा लालसोट से कल्लावास (डामरीकरण)	2.91
		75. दौसा लालसोट से डीडवाना	2.87
		76. सं.सं. गोयला से भेरूवास की प्याऊ	0.99
		77. सं.सं. कल्लावा से महमूदपुरा वाया तूतियावास	0.28
		78. सं.सं. दौलतपुरा बाया होदायली	—
	5. चौमू	79. मण्डा भिण्डा वस स्टेशन से हस्तेड़ा	3.29
		80. हस्तेड़ा से वघाल	3.67
		81. चौमू से अमरपुरा वाया वीर हनुमानजी	3.19
	6. रेनवाल	82. सं.सं. रेनवाल मलिकपुरा	0.26
		83. सं. सं. से प्रतापपुर राजीपुरा	0.47
		कुल योग	178–271

281

परिशिष्ट-ख

जयपुर जिले से स्वीकृत व निर्माणाधीन विभागीय सड़कों की रूपरेखा

क्र. सं.	स्वीकृत सड़क का नाम	दूरी कि.मी.	प्रगति सम्बन्धी सूचना भौतिक कि.मी.	वित्तीय (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	रामपुरा उ ती एप्रोच	4	1.000 मिट्टी कार्य	0.22
2.	शिवसिंहपुरा एप्रोच	3	2.000 "	0.30
3.	नखारिया एप्रोच	0.50	0.250 "	0.05
4.	लक्ष्मीनारायणपुरा अनुपूरा भुण्ड	3.00	0.500 "	0.04
5.	जगतपुरा से खातीपुरा रेल्वे स्टेशन	3.00	—	0.004
6.	सांगानेर मोहाना रोड से कालवा खासीयावाला	1.50	—	—
7.	गोनेर रोड से भूरथल	2.00	2.000 "	0.26
8.	गोनेर रोड से सिरोली	5.00	1.250 "	0.22
9.	बुडला से पाटन	4.00	2.50 "	0.66
10.	आगरा रोड से मोहनपुरा	1.00	0.90 "	0.16
11.	मोहनपुरा से श्यामपुरा	1.00	0.70 "	0.02
12.	तुंगा लवाण रोड से माधोगढ़	2.00	1.400 "	0.26
13.	बस्सी तुंगा रोड से लालगढ़	1.00	—	—
14.	बस्सी तुंगा रोड से करनगढ़	2.00	1.200 "	0.27
15.	बस्सी देवगांव रोड से खासापुरा	2.00	1.000 "	0.32
16.	देवगांव से काशीपुरा	3.00	2.500 "	0.31
17.	बस्सी से जितावाला	3.00	1.00 "	0.12
18	कानोता सांभरिया रोड से कालियावास	2.00	1.50 "	0.10
19.	आंधी से सानकोटड़ा	2.00	1.25 "	0.38
20.	लालवास से नकटीघाटी	5.00	1.00 "	0.48
21.	साला से घटवाड़ी	5.00	2.00 "	0.69

1	2	3	4	5
22.	महंगी से सानकोटड़ा	5.00	4.00 ”	0.69
23.	बूज.मे चावण्डिया	5.00	4.00 ”	1.01
24.	ग्रांधी से डागेरवाड़ा	5.00	$3\frac{1}{2}$ ”	0.37
25.	तेवड़ी से मेड़ वाया गडाला	3.00	$1\frac{1}{2}$ ” व खान पर माल का तुड़ाई कार्य	0.43
26.	नेशनल हाइवे से लीलकाजी	2.00	2.00 ”	0.28
27.	बिलवाड़ी से वास उदयसिंह	2.00	2.00 ”	0.45
28.	कुम्भावास रोड से शकतपुरा	5.00	4.00 ”	0.56
29.	बैराठ से कुहाड़ा	3.00	पटरियों पर मिट्टी का कार्य व माल की तुड़ाई प्रगति में है।	0.47
30.	खेलना से एप्रोच रोड	4.00	2.00 कि. मी. का कार्य पूर्ण व खान पर रोड़ी तुडाई का कार्य	0.35
31.	सामोद रोड़ से प्ररमानंपुरा	2.00	1.50 का कार्य प्रगति	0.33
32.	नेशनल हाइवे से विदारा	1.00	1.00 में मिट्टी का कार्य प्रगति में है खान पर माल एकत्रित किया जा रहा है	0.23
33.	नेशनल हाइवे निठारा	3.00	” ”	0.44
34.	साइवाड़ मोड़ से विशनगढ़	5.00	3 कि. मी. कार्य प्रगति पर	0.18
35.	घोली से नयावास वाय सेा प्टावाली	5.00	2 कार्य प्रगति पर	0.22
36.	लखोर से देव का हरमाड़ा	3.00	” ” नया माल एकत्रित किया जा रहा है।	039
37.	जयसिंहपुरा खोर से सुमेल वाया जाटों की ढाणी	3.00	खान पर क्लेक्सन कार्य प्रगति में	0.05
38.	जामरोली एप्रोच रोड	3.00	0.02 में मिट्टी का कार्य	—
39	शेप कार्य वड़ियाल से लोटबाड़ा	2 2	0.5 में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया	---

1	2	2	4	5
40.	सं. सं. स्यालवास कला	2.0	1.0 में मिट्टी कार्य पूर्ण हो गया	—
41.	सं. सं. केलाई	1.5	1.5 ,,	—
42.	सं. सं. कल्लावास से महमूदपुरा	4.5	3.0 ,,	—
43.	सं. सं. मंडाना से मलारना	3.0	3.0 ,,	—
44.	सं. सं. लिडली का वास दौसा लालसोट रोड़	5.0	3.0 ,,	—
45.	सं. सं. भांडारेज से रलावता	3.0	कार्य प्रारम्भ होकर बंद हो गया। पुन: प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जा रही है।	
46.	सं. सं. नागल से छारडा	5.0	मिट्टी का कार्य पूर्ण एवं 2 कि. मी. में एकलेयर का मेटल इकट्ठा हो गया।	0.68
47.	सं. सं. कुण्डल से कोलवा रेल्वेस्टेशन	4.0	2.5 मिट्टी कार्य पूर्ण 1.0 एक लेयर मेटल इकट्ठा हो गया।	0.60
48.	सं. सं. बघाल ग्रास्टी हस्तेड़ा रोड़ किशनपाल पुरा तक	3.0	3.0 मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया।	0.21
49.	बघाल ग्रास्टी हस्तेड़ा रोड़	3.0	3.0 ,,	0.26
50.	सं. सं. दौलतपुरा वाया गुरुंडवास	3.0	3.0 मिट्टी का कार्य पूर्ण	0.09
51.	महादेवपुरा से कोटखावदा तूंगा रोड	2.0	2.0 ,,	0.09
52.	कोटखावदा से भांपड़ा वाया धाररुला	3.0	2.6 ,,	0.41
53.	रामनगर से कोटखावदा भापड़ा सड़क से रोड़	1.0	एलाइनमेन्ट का झगड़ा होने से कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ	—

1	2	3	4	5
54.	कांटखावदा से सांमरिया	3.0	3.0 मिट्टी कार्य पूर्ण हो गया	0 14
65	रेनवाल माजी सम्पर्क सड़क	2.0	मेटेरियल कलेक्सन चालू किया गया	0.02
56.	पहाड़िया से लांखना वाया बासंड़ी जोगियान	5.0	4.7 मिट्टी कार्य का कार्य पूर्ण 2 कि. मी. पर लेयर का मेटल कलेक्शन हो गया	0.27
			योग :--	13.894